

The Oil Mines Regulations, 2011

MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 9th December, 2011

G.S.R. 876(E).—The following draft of certain regulations which the Central Government proposes to make, on the recommendations of the Committee constituted under section 12 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), in exercise of the powers conferred by section 57 of the said Act, and in supersession of the Oil Mines Regulations, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby published as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of three months from the date on which copies of the Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

1. The objections or suggestions, if any, may be addressed to Shri S.K.Singh, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110 001.
2. Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said draft regulations within the period specified above, will be considered by the Central Government.

CHAPTER-I

PRELIMINARY

1. Short title, extent and application

- (1) These regulations may be called the Oil Mines Regulations, 2011.
- (2) They shall extend to the whole of India
- (3) They shall apply to every oil mine.
- (4) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions – In these regulations, unless the context otherwise requires.-

- (1) "Act" means the Mines Act 1952;
- (2) "acidizing" means the treatment of oil-bearing formation by chemical reaction with acid in order to increase productivity or injectivity ;
- (3) "annular space" means the space surrounding pipe suspended in the well. The outer wall of the annular space may be an open hole or it may be string of larger pipe.
- (4) "appropriate baseline" means a reference line established on the basis of hydrographical chart on the outer edge of the land along the sea.
- (5) "approved" means approved by the Chief Inspector by a general or special order in writing and subject to such conditions as he may specify therein;
- (6) "approved standards" means such national or international standards which may be approved by the Chief Inspector by a general or special order in writing.
- (7) "bleed" means to drain off liquid or gas generally through a valve; to bleed off means a controlled release of the pressure of a well or the pressurised equipment;
- (8) "blowout" means uncontrolled sudden violent escape of fluids from a well;
- (9) "blowout preventer" means a device attached above the well head to control pressure and to prevent uncontrolled escape of fluids from the annular space between tubing and casing or between drill pipe and casing or between wire line and tubing or to shut-off the well if no drill pipe or tubing is in the hole, should a kick or blowout occur.
- (10) "casing" means a steel pipe lowered into a well during drilling to prevent caving of the wells and to hold back fluids from entering the well ;
- (11) "casing line" means steel wire rope used for lowering and raising of pipes in the well through crown block and traveling block;
- (12) "cat-head" means a device mounted on the draw-works for making or breaking pipe connections or for operation of cat-line with the help of power from draw-works ;
- (13) "cat-line" means a rope used to lift a pipe, drilling tool and other equipment from ground or base, pipe rack, tool platform or cat-walk on the derrick floor ;

The Oil Mines Regulations, 2011

- (14) "cat-walk" means a ramp giving access to rig floor for drill pipe, tubing, casing, drilling and other tools;
- (15) "cellar" means an excavation under the derrick to provide space for items or equipment at the top of the well which also serves as a pit to collect drainage of water and other fluids under the floor for subsequent disposal ;
- (16) "cementing" means operation by which cement and water mixture is pumped down through the casing in such a way that it fills the space between casing and walls of the well to a predetermined height above the bottom of the well ;
- (17) "christmas tree" means the valves and fittings assembled at the top of a well head to control the flow of the fluids;
- (18) "competent person" in relation to any work or any machinery, plant or equipment means a person who has been duly authorised as the person competent to perform that work or to supervise the operation and or maintenance of the machinery, plant or equipment and who is responsible for the duties assigned to him.
- (19) "completed well" means a well in which the petroleum bearing formations or effluent disposal formation is open to the well, complete with equipment installed in the well and at the well-head so that it is physically able to perform as a petroleum producer, injector or disposal well.
- (20) "crown block" means a multi-sheaved assembly mounted at the top of the derrick or mast and used in conjunction with a travelling block for raising and lowering of equipment in drilling and servicing a well ;
- (21) "day light hours" means the period from sunrise to sunset.
- (22) "deputy manager" means a person possessing qualifications as provided under these regulations and who is appointed in writing by the owner, agent or manager to assist the manager in the control, management, direction and supervision of the mine or part thereof, and who takes rank below the manager.
- (23) "derrick" means a compound latticed structure used over the well for drilling or well servicing purposes, and includes a mast ;
- (24) "District Magistrate" in relation to any mine means the District Magistrate or the Deputy Commissioner as the case may be, who is vested with the executive powers of maintaining law and order in the revenue district in which the mine is situated.
- (25) "draw-works" means an assembly of shafts, sprockets, chains, pulleys, belts, clutches, catheads and or other mechanical devices, suitably mounted and provided with controls for hoisting, operating and handling the equipment used for drilling a well or servicing a well ;
- (26) "drilling" means perforation of the earth's surface crust by mechanical or other means and includes all operations for preventing collapse of the sides of such hole or for preventing such hole from being filled with extraneous material including water ;
- (27) "drilling rig" means the complete structure and machinery required for drilling purposes at the bore hole site :
- (28) "elevator" means a steel mechanical device used in connection with the hoisting equipment suspended from the traveling block, for holding in suspension, pipe or rod being lowered into or pulled from a well ;

The Oil Mines Regulations, 2011

- (29) "emergency-escape device" means an inclined wire line to carry a safety carriage or slide running from a point above the monkey board to a ground anchor and includes such carriage or slide ;
- (30) "explosimeter " means an instrument to measure the concentration of flammable gas ;
- (31) " explosive" shall have the same meaning as is assigned to that term in the Indian Explosives Act, 1884 ;
- (32) "flame-proof equipment " means an equipment that can withstand without injury any explosion of the flammable gas that may occur within it and can prevent the transmission of flame such as will ignite the flammable gas which may be present in the surrounding atmosphere ;
- (33) "flammable" means capable of being easily ignited, burning intensely or having a rapid rate of flame spread ;
- (34) "flare" means an open flame used to dispose off gas as per process requirement;
- (35) "flash point" means a volatile liquid in the lowest temperature at which it can vaporise to form an ignitable mixture in air;
- (36) "floor block" means a single sheave pulley or snatch block fixed at or near floor level by means of which the direction of pull on a rope can be varied ;
- (37) "form" means a form as set out in the First Schedule ;
- (38) "fracturing" means the process of forcing a fluid in the subsurface strata with the purpose of enhancing flow passages ;
- (39) "gas" means the vapour state of the hydrocarbons occurring in or derived from petroleum;
- (40) "gas free" means an environment in which--
- (i) the percentage of flammable gas does not exceed 20 percent of lower explosive limit of such gas,
 - (ii) the percentage of oxygen is not less than 19, and
 - (iii) noxious gases are within permissible limits ;
- (41) "gas well" means a well which is on continuous production from a gas bearing zone or a well in which casing is run for continuous production of gas ;
- (42) "group gathering station" means a production installation used for gathering, treating , or storing and transporting petroleum and includes central tank farm, oil collecting station, gas compressor station, and well-head installation ,
- (43) "hazardous area" means an area where hazardous atmosphere exists or is likely to occur;
- (44) "hazardous atmosphere" means an atmosphere containing any flammable gas in a concentration capable of ignition or containing noxious gases beyond permissible limits ;
- (45) "installation" means any fixed installation or structure or vessel or part thereof which is maintained within the mine or is to be established therein in connection with exploration or with exploitation of petroleum with a view to such exploitation, production, storage or transport of petroleum ;

The Oil Mines Regulations, 2011

- (46) "installation manager" means the person appointed in writing by the owner, agent or manager of the mine to be in charge of and responsible for all operations and activities on or in connection with the installation ;
- (47) "ionising radiation" means emission due to self-disruptive fission of atomic nucleus of any radioactive substance which is hazardous to health ;
- (48) "kelly cock" means a valve installed between swivel and kelly or kelly and drill pipe to control pressure , should a high pressure backflow of fluids occur , and to keep the pressure off the swivel and rotary hose ;
- (49) "kick" means a sudden pressure-surge of short duration caused by influx of formation fluids entering well being drilled ;
- (50) "lifting appliance" means a combined unit with or without horizontal movement used for hoisting or lowering cargo;
- (51) "lifting gear" means every type of equipment placed on loading hook of a lifting appliance and includes container, steel basket, lifting yoke, multi slings or chain or wire;
- (52) "living accomodation" means the part of the installation comprising of personnel living rooms , conference room , galley and offices attached thereto;
- (53) "lubricator" means a device fitted on top of a Christmas tree and consists of a pressure sealing device at its upper end so as to afford an effective seal on the wireline or other connection attached to tools run into the well ;
- (54) "machinery" means –
- (a) any stationery or portable engine, air or gas compressor, boiler or steam apparatus, or
 - (b) any such apparatus, appliance or combination of appliances intended for developing, storing, transmitting, converting or utilising energy, or
 - (c) any such apparatus, appliance or combination of appliances if any power developed, stored, transmitted, converted or utilised thereby is, under or intended for use in connection with mining operations;
- (55) "major accident" means an occurrence including in particular, a major emission of fire or explosion from uncontrolled developments in the course of drilling and for production, storage, handling or transportation of petroleum or machinery or owing to natural events leading to serious effects (both immediate and delayed as well as inside or outside the installation) causing or likely to cause substantial loss of life or property;
- (56) "monkey board" means a movable or fixed platform installed above derrick floor on which work-persons stand to handle pipes or other equipment racked on the derrick ;
- (57) "mud" means a liquid that is circulated through the well during drilling or work-over operations ;
- (58) "mud-pump" means a pump used to circulate mud;
- (59) "mud tank" means the reservoir or tank through which the drilling and mud is cycled to allow sand and fine sediments to settle out where additives are mixed with mud and where the fluid is temporarily stored before being pumped back into the well ;

The Oil Mines Regulations, 2011

- (60) "official" means a person appointed in writing by the owner, agent or manager to perform duties of supervision in a mine or part thereof and includes deputy manager, engineer, installation manager, safety officer, fire officer and surveyor;
- (61) "offshore installation" means a mobile or fixed installation including any pipeline attached thereto, which is or is to be, or has been used, while standing or stationed in relevant waters with a view to explore or exploit crude oil and natural gas ;
- (62) "oil well" means a well which is producing or is capable of producing petroleum;
- (63) "out-line" means a rope used to carry pipes, drilling tools or other equipment from a derrick to the derrick walk or other location outside the derrick;
- (64) "petroleum" means naturally occurring hydrocarbons in a free state whether in the form of natural gas or in a liquid, viscous or solid form but does not include helium occurring in association with petroleum;
- (65) "pipe-rack" means a structure located adjacent to but usually below the level of the rig floor, on which pipe or casing may be stored or racked;
- (66) "pipeline system" means surface pipelines including sub-sea pipelines and risers transporting petroleum and other commodities, with associated safety systems, valves, tool launchers or receivers, corrosion protection systems or other accessory equipment;
- (67) "platform" means a working space, elevated above the surroundings for the operation of machinery and equipment;
- (68) "process complex" means an offshore facility for gathering, treating, storing, or transporting petroleum and includes well platform, well-cum-process platform, central process platform, and gas compressor complex;
- (69) "quarter" means a period of three months ending on the 31st March, 30th June, 30th September or 31st December;
- (70) "racked" refers to tubular goods or rods standing in the derrick or mast or stored on a pipe rack;
- (71) "racking platform" means a platform in the derrick or mast at an elevation where a derrick man is normally required to handle stands being racked;
- (72) "radio system" includes life boat radio equipment, VHF-FM marine transceivers, VHF-F walkie talkie sets, VHF-AM aero transceivers, Non directional beacon (NDB), HF-SSB transceivers and radio teletype to provide both voice and teletype communication;
- (73) "railway" means a railways as defined in the Indian Railways Act. 1890;
- (74) "Regional Inspector" means the inspector of mines incharge of the region or local area or areas in which the mine is situated or the group or class or mines to which the mine belongs, over which he exercises his powers under the Act;
- (75) "rigging-up" means an act of assembling a drilling or work-over rig and auxiliary equipment prior to commencement of drilling or work-over operation; and includes jacking up and positioning;
- (76) "risers" means that part of the pipeline system which extends from the sub-sea pipelines upto and including launchers or receivers or tools for internal maintenance or inspection.

The Oil Mines Regulations, 2011

- (77) "river" means any stream or current of water whether seasonal or perennial and includes its banks extending upto the highest known flood level;
- (78) "rotary hose" means the hose that conducts the circulating fluid from the stand pipe to the swivel and kelly;
- (79) "rotary table" means a power operated turn-table on the rig floor primarily used for rotating the drilling string;
- (80) "safety case" means a written report prepared by an approved agency to demonstrate that the hazards in relation to an installation have been identified, risks assessed and the control measures in place are adequate for safe operation";
- (81) "Safety Management System" means, collectively, those elements in the management system that are applied to identify or assess or control a hazard or recover therefrom;
- (82) "Schedule" means a Schedule appended to these regulations;
- (83) "shore base" means the point on the appropriate base line which is nearest to the installation;
- (84) "stand(s)" means sections of pipe consisting of two or more made-up lengths which are racked in a derrick;
- (86) "standard railing" means a vertical barrier erected along exposed edges of a floor opening, wall opening, ramps, platform or walk-way to prevent fall of persons;
- (87) "sub-sea pipeline" means that part of the pipeline system which is buried in, rests on or is laid above the sea-bed;
- (88) "sub-structure" means the foundation on which normally the derrick and engines are placed;
- (89) "surface casing" means casing to cover unconsolidated formations, to provide protection against shallow gas flow, seal off water bearing formations, protect fresh water sands from contamination, case-off lost circulations zones and to provide structural support for the well head.
- (90) "swabbing" means the operation of activation on a wireline to bring well fluids to the surface when the well does not flow naturally;
- (91) "toe board" means a vertical barrier at floor level erected along exposed edges of a floor opening, wall opening, platform, walk-way or ramp to prevent falls of materials;
- (92) "toxic dust or gas" means any dust or gas which can cause a reversible or irreversible disturbance of the normal physiological processes of one or more bodily systems;
- (93) "traveling block" means a multi-sheaved pulley block used in conjunction with the fixed crown block for raising and lowering the drilling string, casing, tubing rods and other tools;
- (94) "vessel" shall have the same meaning as defined under clause (55) of section 3 of the Merchant Shipping Act, 1958;

The Oil Mines Regulations, 2011

- (95) "well" means a hole in the earth crust-
 - (a) made or being made by drilling, boring or in any other manner from which petroleum is obtained or obtainable or for the purpose of obtaining petroleum;
 - (b) used, drilled or being drilled for the purpose of water injection or for injecting natural gas, air, water or any other substance into underground formation;
- (96) "wellhead" means an assembly on top of the well casing strings with outlets and valves for controlling flow of fluids;
- (97) "well perforating" means perforating well casing or tubing or cement to provide flow passage for production or for testing or well activation purposes;
- (98) "work-over" or "well-servicing" means one or more of a variety of remedial operations on a well with the intention of restoring or increasing production or abandonment;
- (99) "zone 'O' hazardous area" means an area in which hazardous atmosphere is continuously present;
- (100) "zone 1 hazardous area" means an area in which a hazardous atmosphere is likely to occur under normal operating conditions;
- (101) "zone 2 hazardous area" means an area in which a hazardous atmosphere is likely to occur only under abnormal operating conditions;

**CHAPTER-II
RETURNS, NOTICES AND PLANS**

3. Notice of opening.-

- (1) The notice required under section 16 of the Act shall be submitted in Form I accompanied by a plan showing the geographical boundaries of the mine including location of the installations and permanent features to the Chief Inspector and a copy thereof to the Regional Inspector:

Provided that in case of offshore installations, the boundary shall be shown with reference to the appropriate base line:

Provided further that in respect of a mine which has already been opened, such a plan shall be submitted within sixty days of the coming into force of these regulations:

Provided also that if such boundary is changed, a plan showing the new boundary shall be submitted within seven days of such change.

- (2) When a mine has been opened, the owner, agent or manager shall forthwith communicate the actual date of opening to the Chief Inspector and to the Regional Inspector.

4. Quarterly returns.-

On or before the 20th day of April, July, October and January in every year, the owner, agent or manager shall submit to the Chief Inspector and the Regional Inspector correct returns in respect of the preceding quarter in Form II.

5. Annual returns.-

On or before the 20th day of February every year, the owner, agent or manager shall submit to the District Magistrate and to the Chief Inspector annual returns in respect of preceding year in Form III.

6. Change in ownership and addresses.-

(1) When a change occurs in the name or address or both, of owner or the ownership (including any partner in case of firm or any member in the case of an association or any director in the case of a public company or any major shareholder in the case of a private company), the owner, agent or manager shall within seven days from date of such change, submit notice in Form-I of the First Schedule, to the Chief Inspector and the Regional Inspector.

2. When any appointment is made of an agent, manager, deputy manager, engineer, installation manager, safety officer, shot firing officer, fire officer and surveyor or when the employment of any such person is terminated or any such person leaves the said employment or when any change occurs in the address of any agent or manager, the owner, agent or manager shall within seven days from the date of such appointment, termination or change give to the Chief Inspector and the Regional Inspector, notice in Form I.

7. Appointment of agent.-

- (1) The owner of a mine shall submit in writing to the Chief Inspector and the Regional Inspector, statement showing names and designation of every person authorised to act on behalf of the owner in respect of management, control, supervision and direction of the mine.

- (2) The statement shall also show the responsibility of every person in respect of matters for which such person is authorised to act on behalf of the owner.
- (3) Every such person shall be deemed to be agent for the mine or group of mines, as the case may be, in respect of the responsibility as specified in such statement.
- (4) The statement specified in sub-regulation (1) shall be submitted within one month from the date of coming into force of these regulations:
Provided that in case of mines or group of mines as the case may be, and in other cases, within one month from the date of opening or reopening of the mine.
- (5) Any change, addition or alteration in the names or other particulars of the statement referred to in sub-regulation (1), shall be reported in writing to the Chief Inspector and the Regional Inspector within seven days from the date of such change, addition or alteration.

8. Notice of abandonment or discontinuance.-

- (1) When it is intended to abandon a mine or to discontinue working thereof for a period exceeding four months, the owner, agent or manager shall not less than thirty days before such abandonment or discontinuance, give to the Chief Inspector and Regional Inspector a notice stating the reason for the proposed abandonment or discontinuance and the number of persons likely to be affected thereby.
- (2) The notice referred to in sub-regulation (1) shall be submitted in Form I of First Schedule:

Provided that in an unforeseen circumstance where the installation is abandoned before the notice is given, the same shall be submitted forthwith.

9. Notice of accident and dangerous occurrence.-

(1) Where there occurs a readily identifiable event such as a dangerous occurrence with potential to cause an injury or disease to persons at work or to the public around the workplace, or an accident in or about a mine such as -

- (i) an accident causing loss of life or serious bodily injury in connection with mining operations;
- (ii) an explosion or ignition;
- (iii) a blowout;
- (iv) an outbreak of fire;
- (v) a bursting of any pipeline or equipment containing petroleum, steam, compressed air or other substance at a pressure greater than the atmospheric pressure;
- (va) a major uncontrolled emission of petroleum or chemical spillage;
- (vi) a breakage or fracture of any essential part of draw-works, casing line or failure of emergency brake whereby the safety of persons may be endangered;
- (vii) a breakage, fracture or failure of any essential part of any derrick, machinery or apparatus whereby the safety of persons may be endangered;
- (viii) an influx of noxious gases;
- (ix) accident due to explosives,

the owner, agent or manager shall forthwith inform the Regional Inspector immediately by telephone, telefax, express telegram or by special messenger and shall also within 24 hours of every such occurrence, give notice thereof in Form IV-A

of First Schedule to the Chief Inspector, the Regional Inspector and the District Magistrate .

- (2) When an accident causing loss of life or serious bodily injury occurs in or about a mine in connection with the generation, storage, transformation, transmission, supply or use of electrical energy, the owner, agent or manager shall also forthwith inform the Electrical Inspector of Mines immediately by telefax, telephone, express telegram or special messenger.
- (3) If death results from any injury already reported as serious under sub-regulation (1) the owner, agent or manager shall within 24 hours of his being informed or the death, give notice thereof to the Chief Inspector, Regional Inspector and District Magistrate.
- (4) In respect of every person killed or injured as above, the owner, agent or manager shall send to the Chief Inspector particulars in Form IV-B and IV-C of the First Schedule within seven days of such occurrence or within 15 days of the injured returning to duty, as the case may be.

10. Notice of disease.-

Where any person employed in a mine contracts any disease notified by the Central Government in the Official Gazette, the owner, agent or manager shall within three days of his being informed of the disease give notice thereof in Form V of the First Schedule to the District Magistrate, the Chief Inspector, the Regional Inspector and Inspector of Mines (Medical).

11. Plans.-

- (1) The owner, agent or manager of every mine shall keep the following plans accurate and up to date :-
 - (a) a key plan with reference to the national grid showing the area duly demarcated in which operations for winning of petroleum and ancillary operations are carried on;
 - (b) a surface plan showing the location of all installations including wells, group gathering stations and pipe lines with their access route, railways, power transmission lines, public roads, buildings or other permanent structures not belonging to the owner, rivers and water courses within the mine;
 - (c) in case of offshore, a plan showing the locations of all platforms with details of wells, risers, pipelines, loading or unloading, storage facilities and all other fixtures depicting the water depth of installation and also distance from the shore base:

Provided that the Chief Inspector may, by an order in writing, call for a plan extending to such distance from the mine boundary as he may specify.

- (2) Every plan maintained in accordance with the provisions of these regulations shall,
 - (a) show the name of the mine and of the owner and the purpose for which the plan is prepared ;
 - (b) show the true north or magnetic meridian and the date of the later ;
 - (c) unless otherwise provided, be on a scale having a representative factor of –
 - (i) 50,000 : 1, in case of key plans;

The Oil Mines Regulations, 2011

(ii) 20,000 : 1, in case of plans showing location of oil, gas wells and other installations, etc., mentioned in clause (b) of sub regulation 1:

Provided that the Chief Inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require the plans to be prepared on any other suitable scale;

- (d) be properly inked in on durable paper or a polyester tracing film and be kept in good condition;
 - (e) be accurate and maintained up-to-date and not later than 12 months.
- (3) The Regional Inspector may, by an order in writing, -
- (a) require such additional details to be shown on the plans required to be maintained under these regulations or the preparation and maintenance of such other plans and sections on such scale and showing such details within such time as he may specify in the order;
 - (b) require the owner, agent or manager to submit to him within such time such plans and sections, or tracings thereof, as he may specify in the order.
- (4) All plans and sections required to be maintained under these regulations or any order made thereunder as well as all field books and other notes used in preparation of such plans and sections shall be kept available for inspection in the office of the mine and a list thereof be maintained.

12. Preparation of plans, etc., by surveyor.-

- (1) Every plan or section required to be maintained under these regulations or any orders made thereunder shall be prepared by or under the personal supervision of a surveyor and shall carry thereon a certificate by him to the effect that the plan or section or part thereof is correct and shall be signed and dated by the surveyor and counter-signed and dated by the manager on every occasion that the plan or section is brought up-to-date.
- (2) Every tracing of a plan or section or of any part thereof shall bear a reference to the original plan or section from which it was copied and shall be certified thereon by the surveyor to be a true copy of the original plan or section.

CHAPTER III

EXAMINATION AND CERTIFICATE OF COMPETENCY AND OF FITNESS

13. Board of Mining Examinations – (1) For the purposes of these regulations, there shall be constituted a Committee on Mining Examinations, (hereinafter referred to as 'the Board of Mining Examination').

(2) The Board of Mining Examination shall consist of the Chief Inspector, who shall be its Chairman ex-officio, and three members possessing at least degree in mining engineering or petroleum engineering ; and

- (a) first class manager's certificate granted under the Metalliferous Mines Regulations, 2010 or under the Coal Mines Regulations, 2010; or
- (b) having practical experience in metalliferous mines or coal mines; or
- (c) serving in an institution imparting education in mining engineering or petroleum engineering at the degree or equivalent level; or
- (d) engaged in mining or petroleum research or planning, to be appointed by the Central Government:

Provided that the Board of Mining Examination shall be so constituted that it shall include at least one member possessing qualifications laid down in clause (a) or clause (b) and at least two members possessing qualifications laid down either in clause (c) or in clause (d).

(3) Every member (other than the Chairman) of the Board of Mining Examination shall hold office for a period of three years from the date of the notification appointing him as member of the said Committee or until his successor is appointed and takes charge, whichever is later:

Provided that a member may at any time resign his office:

Provided further that a member appointed under clause (c) of sub-regulation (2) shall cease to hold office upon his ceasing to serve in any such institution, as is referred to in that clause:

Provided also that a person appointed to fill a vacancy caused by reason of the death or resignation or otherwise, shall hold office for the remaining period for which such member would have, but for such reason, continued as member.

(4) A person who holds, or who has held, office as member of the Board of Mining Examination shall, subject to the other provisions of this regulation, be eligible for re-appointment to that office.

(5) A member of the Board of Mining Examination (other than the Chairman) shall receive such remunerations as the Central Government may fix.

(6) An Inspector nominated in this behalf by the Chief Inspector shall act as Secretary to the Board of Mining Examination (hereinafter referred to in these regulations as the Secretary).

(7) Notwithstanding anything contained in this regulation, the Central Government may, if satisfied that it is necessary so to do in the public interest, re-constitute the Board of Mining Examination even though the term of office of all or any of the members thereof has not come to an end.

(8) Meetings of the Board of Mining Examination shall be held as and when the Chairman considers them necessary, and unless otherwise decided by the Chairman, all meetings of the said Committee shall be held at Dhanbad.

(9)(a) For every meeting of the Board of Mining Examination , not less than ten clear days prior notice intimating the time and place of the proposed meeting and signed by the Chairman or the Secretary shall be given to each member who is not absent from India.

(b) Such notice shall be delivered at, or posted to the usual place of residence of the member, and each such notice shall be accompanied by a list of items of business to be disposed of at that meeting.

The Oil Mines Regulations, 2011

(c) Notwithstanding anything contained in clauses (a) and (b), in case of urgency, an emergent meeting may be called for by Chairman at any time, by intimating the members, only two days in advance, of the time and date of such meeting and the subject matter for discussion at such meeting.

(10)(a) The Chairman shall preside at every meeting of the Board of Mining Examination .

(b) If the Chairman is absent for any reason, the members present shall elect one from amongst themselves to preside over the meeting, and the members so elected shall, for the purposes of that meeting, have all powers of the Chairman.

(11) No business shall be transacted at a meeting of the Board of Mining Examination unless at least three members, including the Chairman, are present:

Provided that if at any meeting there is no quorum as aforesaid, the meeting shall automatically stand adjourned to a date which is seven days later or if that day is a public holiday to the next working day and the time, place and agenda for the adjourned meeting shall remain unchanged and shall thereupon be lawful to dispose of the business at such meeting irrespective of the number of members attending.

(12)(a) All matters which the Board of Mining Examination is required to consider shall be considered at its meeting, or, if the Chairman so decides, by circulation of the papers, to every member who is not absent from India.

(b) When any matter is referred to by circulation, any member can request that it should be considered at a meeting of the Board of Mining Examination and the Chairman may direct that it shall be so considered but when two or more members so request, the Chairman shall direct that it shall be so considered at a meeting to be held.

(13)(a) The Secretary shall place, before the Board of Mining Examination a list of business to be transacted at the meeting.

(b) No business which is not included in such list shall be considered unless the Chairman permits.

(14)(a) Every matter at a meeting shall be decided by the majority of votes of the members present at such meeting.

(b) Every matter referred to the members by circulation under sub-regulation (12) shall be decided by the majority opinion of the members to whom the papers were circulated, unless the Chairman reserves it for consideration at a regular meeting to be held later.

(c) In case of equal division of votes or opinions of the members, Chairman shall have a casting vote or opinion.

(15)(a) The Secretary shall record the minutes of each meeting in a bound-paged book kept for the purpose and copies of such minutes of the meeting shall be circulated to all members present in India.

(b) The minutes so recorded shall be confirmed at the next meeting of the Board of Mining Examination and signed by the Chairman in token thereof.

(16)(a) The Chairman in addition to any other powers and duties conferred upon him under these regulations, shall -

- (i) present all important papers and matters to the Board of Mining Examination as early as possible;
- (ii) issue orders for carrying out the decisions of the Board of Mining Examination ;
- (iii) have power to refer, in his discretion, any matter to the Central Government for its orders; and
- (iv) have powers generally to take such action or pass such orders necessary to implement the decisions of the Board of Mining Examination .

(b) The Chairman may, during his temporary absence by reason of leave or otherwise, authorise any member of the Board of Mining Examination to perform all or any of the duties of the Chairman during such absence.

(c) Unless the Chairman otherwise directs, all proceedings of the Board of Mining Examination shall be conducted in camera and be regarded as confidential.

14. Certificates to be granted by the Board of Mining Examination . – The shot firing certificates issued under these regulations shall be granted by the Board of Mining Examination .

(a) Shot firing certificate of competency to perform well perforation job in oil mine.

15. Examinations and examiners. – (1) Certificates shall be granted to candidates after such examination and in such form as the Board of Mining Examination may specify:

Provided that the Board of Mining Examination may, subject to the conditions specified in the bye-laws exempt any person from appearing at the examination or part thereof for the grant of a certificate referred to in regulation 14.

(2) The examinations shall be held at such times and at such centres as may be fixed by the Board of Mining Examination , and shall be conducted by examiners appointed by the Board of Mining Examination .

(3) The examiners so appointed shall be subject to the orders of the Board of Mining Examination in respect of all matters relating to the conduct of the examinations, and shall receive such remuneration as the said Committee, with the sanction of the Central Government, may fix.

(4) The Board of Mining Examination may specify the procedure for and the conduct of the examinations and to the granting of certificates of competency and of fitness as required under these regulations, and shall, so far as may be practicable, provide that the standard of knowledge required for the grant of certificates of any particular class and the standard of medical fitness shall be uniform throughout the territories to which these regulations extend.

16. Submission of applications. – (1) Applications for an examination conducted by the Board of Mining Examination shall be made to the said Committee not less than 60 days prior to the date fixed for the examination and on a form specified for the purpose.

(2) Notice regarding the date and place of the examinations for the Shot firing certificate shall be published under the order of the Board of Mining Examination , in such periodicals as the said Committee may direct, not less than 60 days prior to the date fixed for receiving applications.

17. Age and general qualifications of candidates. – (1) No person shall be admitted as a candidate at any examination held by the Board of Mining Examination unless he is twenty years of age.

(2) No persons shall be admitted as a candidate at any examination for a shot firing certificate unless the certificate of experience, etc., required for appearing in the examinations under these regulations shall be in the form specified by the Board of Mining Examination .

(3) Every application for an examination as aforesaid shall be accompanied by-

(i) a medical certificate obtained not more than one year prior to the date of his application, from a qualified medical practitioner not below the rank of a Civil Assistant Surgeon or from a Certifying Surgeon, certifying the candidate to be free from deafness, defective vision or any other infirmity, mental or physical, likely to interfere with the efficiency of his work; and

(ii) a certificate from person of good repute as to the general good conduct and sobriety of the candidate.

18. Practical experience of candidates for shot firing certificate of competency examinations.– (1) No person shall be admitted as a candidate for examination of shot firing officer's certificate of competency unless he holds a degree from an approved institution and having total experience of one year in perforation operation in oil mines.

(2) The Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, vary the conditions specified under sub-regulation (1).

19. Number of attempts at examination. – No person shall be admitted for examination for shot firing certificate beyond five attempts from the date of coming in to force of these regulations.

20. Fees for grant of certificates. - (1) Every application for grant of a shot firing certificate shall be as accompanied by a fee of five hundred rupees.

(2) The fee once paid shall not be refundable except where the candidate has died before the examination or where fee has been erroneously paid.

21. Duplicate certificates. – If any person proves to the satisfaction of the Board that he has, without any fault on his part, lost or been deprived of a certificate granted to him under these regulations, the Board of Mining Examination may, upon realisation of a fee of rupees one thousand and subject to such terms and conditions as it thinks fit, cause a copy of the certificate to be delivered to him after making payment thereof and the word "DUPLICATE" shall be stamped across every such copy.

22. Certificates to be delivered to the manager. – When the holder of a shot firing certificate is employed in oil mine in a capacity which requires the possession of the said certificate, he shall deliver such certificate to the manager of the mine in which he is for the time being employed and the manager shall deliver to such person a receipt for the same and retain the certificate in the office at the mine so long as the holder thereof is so employed, and shall return it to the holder on his ceasing to be so employed.

23. Suspension or cancellation of shot firing certificates. - (1) If the Regional Inspector is of the opinion that the holder of a shot firing certificate is incompetent or is guilty of negligence or misconduct in the performance of his duties under the Act or under these regulations, he shall bring the matter to the notice of the Board of Mining Examination who may authorise in writing an Inspector, not being and not below the rank of the Inspector whose report formed the basis of the said opinion, to hold an enquiry to determine whether or not such a person (hereinafter referred to as the delinquent) is fit to continue to hold such certificate:

Provided that the Board of Mining Examination shall, before the beginning of the enquiry, furnish to the delinquent a statement of the case on which the enquiry is instituted.

(2) During such enquiry under sub-regulation (1), the Inspector authorised to conduct the enquiry, shall be provided with all relevant documents and he shall record-

- (a) the evidence of any witness that formed the basis of the said opinion;
- (b) any evidence that the delinquent may like to give;
- (c) the evidence of any witness that the delinquent may like to produce;
- (d) the evidence of Manager of the mine; and
- (e) any other evidence that may be considered necessary or relevant by the Inspector conducting the enquiry:

Provided that unless the delinquent fails to be present in spite of sufficient notice, the evidence aforesaid shall be recorded in the presence of the delinquent and he shall be given a reasonable opportunity to cross-examine the witness other than those produced by him:

Provided further that the Inspector conducting the enquiry also may cross-examine the delinquent and the witnesses.

(3) The Inspector who conducted the enquiry shall, within fifteen days from the date of conclusion of his enquiry, send a report to the Board of Mining Examination together with his findings, the notes of evidence recorded during the enquiry and other relevant records.

(4) Copies of the notes of evidence and the findings of the Inspector who conducted the enquiry shall also be sent to the delinquent who may submit his written representation to the Board of Mining Examination within thirty days from the date of despatch of such copies.

(5) The Board of Mining Examination may, after considering the evidence and other records and the written representation, if any, submitted by the delinquent, either cause further enquiry to be made in the case and thereupon, or otherwise, either exonerate the delinquent of the charges against him or suspend or cancel the certificate, as it deems fit.

(6) Against any order of the Board of Mining Examination under this regulation, an appeal shall lie before Central Government within thirty days of the order.

(7) Where a certificate is suspended or cancelled under this regulation suitable endorsement may be made on such certificate or a duplicate thereof issued under regulation 21.

24. Validity of a shot firing certificate. -

(1)(a) No shot firing certificate shall remain valid for a period of more than five years unless the certificate bears an endorsement by the Regional Inspector to the effect that the holder has within the preceding five years, been examined and certified by a qualified medical practitioner appointed by the Chief Inspector to be free from deafness, defective vision or any other infirmity, mental or physical likely to interfere with the efficient discharge of his duties.

(b) An application in respect of an examination in pursuance of clause (a) shall be made to the Chief Inspector, accompanied by a fee of fifteen rupees.

(2) (a) A medical examination undergone in accordance with rule 29B of the Mines Rules 1955 shall also be deemed to be an examination for the purposes of sub-regulation (1).

(b) The application for endorsement on a certificate by the Regional inspector shall be accompanied by the certificate of fitness granted in terms of rule 29B of the Mines Rules 1955 and a fee of five rupees.

25. Retirement age for shot firing officer.- (1) No person shall act as a shot firing officer in oil mine after attaining the age of sixty years unless he has obtained, within the preceding one year, a medical certificate of fitness certifying him fit to carry out the duties prescribed for him in the Act and in these regulations and the orders made thereunder:

Provided that if the Chief Inspector or the Regional Inspector is of the opinion that a person as aforesaid, though less than sixty years of age, is medically unfit to carry on the duties prescribed for him in the Act and in these regulations and the orders made thereunder, the Chief Inspector or the Regional Inspector may, by an order in writing, require such persons to obtain a medical certificate of fitness within such period, not exceeding three months, as he may specify therein, and no such persons shall continue to act in any capacity as aforesaid after the period so specified unless he has obtained a medical certificate of fitness.

(2) The medical certificate of fitness as aforesaid shall be obtained from such authority and in such manner as the Board of Mining Examination may specify.

(3) Without prejudice to the provisions contained in sub-regulation (1), no person shall act as shot firing officer after attaining the age of sixty five years.

CHAPTER-IV

INSPECTORS, MANAGEMENT AND DUTIES

26. Qualifications of Inspectors.-

- (1) No person shall be appointed as Chief Inspector unless he holds a degree in mining engineering of an educational institution approved by the Central Government;
- (2) No person shall be appointed as Inspector unless he holds a degree in mining or petroleum engineering of an educational institution approved by the Central Government:

Provided that -

- (i) in relation to electrical machinery installed in mines, a person holding a degree in electrical engineering of an educational institution approved by the Central Government may be so appointed;
- (ii) in relation to other machinery or mechanical appliances installed in mines, a person holding a degree in mechanical engineering of an educational institution approved by the Central Government may be so appointed;
- (iii) in relation to the provisions of the Act and of the regulations and of orders made thereunder which relate to matters concerning the occupational safety and health, a person holding a degree in medicine or surgery or occupational health and hygiene of an educational institution approved by the Central Government may be so appointed; and
- (iv) in relation to the provisions of the Act and of the regulations and of orders made thereunder which relate to matters concerning welfare of persons, a person holding a degree in social science or labour welfare of an educational institution approved by the Central Government may be so appointed.

27. Access to facilities and vessels.-

(1) The owner agent or manager of the mine shall afford access and provide facilities for such access to the Chief Inspector, inspector and every person authorised under section 8 of Act, at all times to any part of the mine or any vessel or installation of the mine, as well as to material and information necessary to carry out inspection, survey, measurement, examination or enquiry under the Act.

(2) The officials referred in sub-regulation (1) shall have the right to stay on vessels or installation as long as deemed necessary, and the owner, agent manager or installation manager shall arrange transport to any part of the mine or any vessel, or installation of the mine, and also arrange for their stay on board.

28. Mine.-

For the purposes of this Chapter, all borings, boreholes, petroleum wells, accessory petroleum conditioning plants, workshops and installations, including the pipe conveying petroleum within an area duly demarcated by the owner or agent shall be deemed to constitute one mine:

Provided that where special conditions exist, the Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require the division of any one such area into two or more separate mines.

29. Qualification and appointment of manager.-

- (1) No mine shall be opened, worked or re-opened unless there is a manager of the mine, being a person duly appointed.
- (2) The manager appointed under sub-regulation (1) shall hold degree in engineering from an approved institution and have an experience of not less than ten years in oil mines:

Provided that the owner or agent may, where it considers necessary so to do, appoint a person having lesser years of experience, with the prior approval of the Chief Inspector in writing.
- (3) No person shall act or be appointed to act as manager of more than one mine except with previous permission in writing of the Chief Inspector and subject to such conditions as he may specify therein:

Provided that the Chief Inspector may at any time by an order in writing vary or revoke any such permission if the circumstances under which the permission was granted have altered or the Chief Inspector finds that the manager has not been able to exercise effective supervision in the mines under his charge.
- (4) Where by reason of absence or for any other reason, the manager is unable to perform his duties under the Act, and the regulations or bye-laws and orders made thereunder, the owner or agent shall authorise in writing a person possessing the qualifications under sub-regulation (2) to act as manager.
- (5) Where the qualification of the person authorised to act as manager is in variance with sub-regulation (2), no such authorisation shall continue beyond a period in excess of 30 days except with previous consent in writing of the Regional Inspector.
- (6) The owner or agent as the case may be, shall forthwith intimate to the Regional Inspector in writing that such an authorisation has been made, stating reasons for the authorisation and the date of commencement and ending of the same.
- (7) The person so authorised to act as manager shall during the period of such authorisation have the same responsibility, discharge the same duties, and be subject to the same liabilities as the manager.

30. Qualifications and appointment of deputy managers.-

- (1) At every mine, having more than two manned installations including unmanned installations attached to that or part thereof, the manager shall be assisted by deputy managers on the following scale :-
 - (a) in case of an offshore mine, one deputy manager for every four manned installations including unmanned installations attached to them, or part thereof;
 - (b) in other cases, one deputy manager for every eight installations or part thereof.
- (2) The deputy manager appointed under sub-regulation (1) shall hold degree or diploma in engineering from an approved institution and have an experience of not less than seven years of working in oil mines.
- (3) The Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require appointment of deputy managers in variation with these provisions.

31. Qualification and appointment of engineer.-

(1) At every mine, one or more engineer shall be appointed to hold general charge of mechanical and electrical machinery and to be responsible for its installation, maintenance and safe working and a notice of every such appointment, giving the name and full particulars of the qualifications and experience of the person so appointed, shall be sent to the Regional Inspector within seven days of such appointment.

(2) The engineer so appointed under sub-regulation (1) shall hold degree or diploma in engineering from an approved institution and shall have experience of not less than five years of working in the oil mines.

(3) The Chief Inspector may by an order in writing and subject to such condition as he may specify therein, permit appointment of engineer in variation with these provisions.

32. Qualification and appointment of installation manager.-

(1) At every mine one or more installation manager shall be appointed to hold charge of the different installations of the mine.

(2) Installation manager so appointed under sub-regulation (1) shall hold degree or diploma in engineering from an approved institution and shall have an experience of not less than five years of working in oil mines.

(3) An installation manager may hold charge of more than one installation.

(4) The Chief Inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require appointment of installation manager in variation with these provisions.

33. Qualification and appointment of safety officer.-

(1) The owner, agent or manager of every mine shall appoint one or more safety officers to assist the manager in promotion of safety and health at work.

(2) In case of off-shore installation, safety officer shall be appointed at each manned installation.

(3) The safety officer appointed under this regulation shall hold degree or diploma from an approved institution and shall have undergone occupational health and safety training in oil mines.

(4) The Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require appointment of additional safety officers in variation with these provisions.

34. Qualification and appointment of surveyors.-

(1) At every mine one or more persons holding degree or diploma in civil engineering or in mine surveying, from an approved institution or an approved certificate in surveying, shall be appointed as surveyor to assist the mines manager and for carrying out the surveys, levellings and for preparing plans and sections as required under the Act, the regulations and the orders made thereunder.

(2) The Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require appointment of Survey Officer in variation with these provisions.

35. Qualification and appointment of fire officer.-

- (1) At every mine one or more persons shall be appointed to be the fire officer for fire fighting and to assist the manager on fire prevention measures.
- (2) No person shall be appointed as fire officer unless he holds a degree or diploma in fire engineering from an approved institution.
- (3) The Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or require appointment of fire officer in variation with these provisions.

36. Qualification and appointment of shot firing officer.-

- (1) At every mine adequate number of shot firing officers shall be appointed for well perforation operation.
- (2) No person shall be appointed as shot firing officer unless he is holder of shot firing officer certificate of competency.
- (3) No person shall be admitted as a candidate for examination of shot firing officer's certificate of competency unless he holds a degree from an approved institution and having total experience of one year in perforation operation in oil mines.
- (4) The Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit or relax for appointment of shot firing officer in variation with these provisions.

37. Appointment of officials and competent persons.-

- (1) The owner, agent or manager of every mine shall appoint such number of competent persons including officials and technicians, as is sufficient to secure, during each of the working shift -
 - (a) adequate inspection of the installation and the equipment thereof ;
 - (b) a thorough supervision of all operations at the installation;
 - (c) the installation, running and maintenance, in safe working order, of all machinery in the mine; and
 - (d) the enforcement of the requirements of the Act and these regulations.
- (2) It shall be the responsibility of the manager, deputy manager, engineer and installation manager to see that the persons appointed under sub-regulation (1) are competent to perform duties assigned to them.
- (3) Copies of all appointments made under sub-regulation (1) and duties assigned to the competent persons under sub-regulation (2) shall be entered in a bound paged book kept for the purpose.

38. General management.-

- (1) The owner, agent and manager shall provide for the safety, health, welfare, environment and proper discipline of persons employed in the mine.
- (2) Except in a case of emergency, no person who is not an official or a competent person shall give otherwise than through the manager, instructions to a person employed in a mine who is responsible to the manager.

39. Duties of persons employed in mines.-

- (1) Every person shall strictly adhere to the provisions of the Act and of the regulations and orders made thereunder and to any order or direction issued by the manager or an official with a view to the safety or convenience of persons, not being inconsistent with the Act and these regulations nor shall he neglect or refuse to obey such orders or directions.
- (2) Every person shall be responsible to follow safety directives and be conversant with the safety instruction issued by the manager from time to time.
- (3) Before beginning work every person shall examine his place of work and the equipment that he is to use and shall forthwith report to his superior any dangerous defect that he may discover.
- (4) Every person shall make use of all safeguards, safety devices and other appliances provided for his protection or the protection of others.
- (5) Except in an emergency, no person unless duly authorised shall interfere with, remove, alter or displace any safety device or other appliance provided for his protection or the protection of others or interfere with any method or process adopted with a view to avoiding accidents and injuries to health.
- (6) No person shall, while on duty, throw any stone or other missile with intent to cause injury or fight or behave in a violent manner nor shall impede or obstruct any other person in the discharge of duties, or offer or render any service or use any threat, to any other person with a view to prevent the other person from complying with the provisions of the Act or the regulations, or orders made thereunder or from performing duties faithfully.
- (7) No person shall sleep or rest in a dangerous place such as scaffolds, **derrick floor** or cranes or in the vicinity of dangerous or toxic substances, machinery, boilers, vehicles and heavy equipment's.
- (8) Every person shall wear protective equipment and clothing suited to his duties and to the weather conditions.
- (9) Every person receiving any injury in the course of his duty shall, as soon as possible, report the same to an official or to the competent person in charge of a first-aid station, who shall arrange for the necessary first-aid to the injured person.
- (10) No person shall, except with the authority of an official, remove or pass through any fence, guard barrier or gate, or remove any danger signal.

40. Duties of manager.-

- (1) The manager shall be responsible for the safe and proper working of the mine by exercising supervision, control and direction to ensure that all work is carried out in accordance with the provisions of the Act and of the regulations and orders made thereunder.
- (2) The manager shall ensure that sufficient supply of materials and appliances for the purpose of carrying out the provisions of the Act, the regulations and orders made thereunder and for ensuring the safety of the mine and persons employed therein, is always provided at the mine; and if he is not the owner or agent of the mine, he shall report in writing to the owner or agent when anything which he is not competent to order, is required for the aforesaid purpose and a copy of every such report shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose.

The Oil Mines Regulations, 2011

- (3) The manager shall assign to every competent person and official his specific duties and on his appointment make over to him a copy of the regulations, rules and by-laws and any orders made thereunder which affect him and he shall take all possible steps to ensure that every such person understands, carries out and enforces the provisions contained therein in a proper manner.
- (4) The manager shall examine all reports, registers and other records required to be made or kept in pursuance of the Act, the regulations and orders made thereunder and shall countersign the same and date his signature.

Provided that the manager may, however by an order in writing delegate this duty to deputy manager or installation manger.

- (5) The manager shall pay attention to and cause to be carefully investigated any specific representation or complaint that may be made to him in writing by a work person of the mine as to any matter affecting the environment or safety or health of persons in or about the mine.
- (6) When an accident resulting in any serious bodily injury to any person or loss of life occurs in a mine, the manager shall inspect the site of accident immediately and shall also either himself or through safety officer have an enquiry made into the causes of and circumstances leading to the accident and the results of every such enquiry and a plan and section of the site of the accident showing the details shall be submitted to the Regional Inspector within seven days of the date of occurrence.
- (7) The manager shall perform such other duties as specified in this behalf under the Act, the regulations and orders made thereunder.
- (8) The manager may suspend or take such disciplinary action as he thinks fit against the work persons for contravention of any provision of the Act, or the regulations and orders made thereunder.
- (9) The manager shall maintain in a bound paged book kept for the purpose, a diary, and shall record therein the findings of each of his inspections and also the action taken by him to rectify the defects mentioned, if any.
- (10) The manager shall identify operation of hazardous nature and frame code of safe practice to be followed by persons engaged in the operation which shall be consistent with the Act and the regulations or orders made thereunder.
- (11) The manager shall ensure that the adequate copies of code of safe practices are distributed to the concerned persons working in these operations.

41. Duties of deputy manager.-

- (1) The deputy manager shall carry out the duties assigned to him by the manager, and shall see that in the part of the mine or installations assigned to him by the manager, all work is carried out in accordance with the provisions of the Act and of the regulations or orders made thereunder.
- (2) The deputy manager shall –
 - (a) subject to the orders of the manager, visit and examine the part of the mine and the installations under his charge or part thereof;
 - (b) maintain a detailed report of the result of each of his inspection and also action taken by him to rectify the defects noticed, if any;

(c) ensure that when any drilling rig, workover rig and associated equipment, production equipment or pipeline is shifted or newly installed, it is given a trial run before being put into use;

(d) in the absence of manager, deputy manager shall have the same responsibility and discharge the same duties and shall be subjected to same liabilities as the manager, but not so as to exempt the manager there from.

42. Duties of engineer.-

The engineer shall -

- (a) subject to the orders of the manager and other superior official, hold general charge of the machinery at the mine, and shall be responsible for the proper installation, maintenance and safe working of such machinery;
- (b) ensure that when any machinery is shifted or newly installed, see that it is given a trial run before it is put into use;
- (c) ensure that the provisions of the Act and of the regulations or orders made thereunder relating to installation, operation, maintenance or examination of machinery are properly carried out by subordinate officials, competent persons and employees as the case may be, appointed for the purpose; and
- (d) examine all reports, registers and other records relating to the installation, maintenance, operation or examination of machinery required to be made or kept in pursuance of the Act and the regulations or orders made thereunder, and shall countersign the same and date his signature.

43. Duties of installation manager.-

The installation manager shall -

- (a) have responsible charge and control of such installations and shall carry out such duties, as may be assigned to him by the manager;
- (b) ensure that a notice of his appointment is posted at a place in the installation in such a position that it can be easily and conveniently read;
- (c) ensure that in the installation assigned to him, all work is carried out in accordance with the provisions of the Act and the regulations or the orders made thereunder;
- (d) visit and examine the installations under his charge on every working day to see that safety in every respect is ensured;
- (e) maintain a detailed record of the results of each of his inspections and also of the action taken by him to rectify the defects noticed, if any;
- (f) ensure that when any drilling rig, work-over rig and associated equipment or production equipment or pipeline is shifted or newly installed, a trial-run is given before it is put into use and be present during every such trial run;
- (g) ensure that all persons employed at the installation are thoroughly instructed and familiar with the provisions of the standing orders, safe operating procedures and emergency plan made under these regulations relating to prevention of blowout and fire;
- (h) ensure that the provisions of the Act and the regulations or orders made thereunder relating to the installation, maintenance, operation or examination of machinery and equipment are properly carried out by himself or by competent persons or work persons, as the case may be, appointed for the purpose;

- (i) during the construction of an installation or any operation thereat, when there is an emergency or apprehended emergency endangering the life or safety of any person or the stability and safety of the installation, himself take or cause to be taken such measures as are necessary or expedient to avoid the emergency.

44. Duties of safety officer.-

- (1) The safety officer shall -
 - (a) inspect, as often as may be necessary, the installations of the mine with a view to identify the dangers which may cause bodily injury or impair health of any person or environment;
 - (b) advise the manager on measures necessary to prevent dangerous situations;
 - (c) enquire into the circumstances and causes of all accidents whether involving persons or not and advise the manager on measures necessary to prevent recurrence of such accidents;
 - (d) collect, compile and analyse information in respect of accidents and dangerous occurrences with a view to promote safe practices and improvement of working environment;
 - (e) organise regular safety education programmes and safety campaigns to promote safety awareness amongst persons employed in the mine.
 - (f) ensure that all new workers and workers transferred to new jobs receive adequate safety fire fighting and first aid training:
Provided that in case of offshore installations, safety training shall also include instructions and guidance relating to survival at sea;
 - (g) maintain a detailed record of work performed by him every day.
- (2) The safety officer shall be assisted by adequate number of assistants for the discharge of his duties.
- (3) No duties other than those specified in sub-regulation (1) shall be assigned to the safety officer without the written approval of the Regional Inspector.

45. Duties of fire officer.-

The fire officer shall --

- (a) ensure the observance of the provisions of the Act and the regulations or orders made thereunder concerning fire detection, fire-fighting systems and emergency plan and advise the manager on measures necessary to ensure adequate protection against fire;
- (b) ensure proper layout, installation and maintenance of fire-fighting equipment;
- (c) ensure that emergency plan for likely fire situations are prepared;
- (d) organise regular training of persons incharge of fire-fighting duties with particular reference to contingency or emergency plan for fire, correct assessment and handling of fire problem;

The Oil Mines Regulations, 2011

- (e) ensure that persons incharge of fire fighting duties undertake simulated fire drills atleast once in every month to study promptness of response and effective tactics;
- (f) examine at least once in every quarter all devices and equipment of fire detection and fire-fighting systems in the mine and report any defects in the same to the manger;
- (g) exercise a general supervision and co-ordination during control and extinguishment of any fire in the mine;
- (h) assist the manager or other officials so authorised, to conduct enquiry into the causes and circumstances of all fires with a view to prevent reoccurrence in the mine;
- (i) maintain detailed record of work performed by him every day;
- (2) No duties other than those specified in sub-regulation (1) shall be assigned to the fire officer without the written approval of the Regional Inspector.

46. Duties of shot firing officer.-

The shot firing officer shall -

- (a) carry out his duties in accordance with the provisions of the regulations and of any orders made thereunder with respect to the transport and use of explosives;
- (b) be responsible for the observance by his assistants, if any, of such provisions and of any direction with a view to safety, which may be given to them by a superior official;
- (c) not hand over any explosive to any unauthorised person;
- (d) be present when shots are being charged and shall himself fire the shots; and
- (e) be responsible when a shot has misfired to see that the gun is safely disarmed.

47. Duties of competent persons.-

- (1) Every competent person shall be subject to orders of superior official and shall perform his duties assigned to him in accordance with the provisions of the Act and of the regulations or the orders made thereunder.
- (2) The competent person shall not -
 - (a) depute another person to perform his work without the sanction of his superior officials;
 - (b) absent himself without having previously obtained permission from such official for the period of his absence or without having been relieved by a duly competent person; and
 - (c) without permission from such official, perform during his shift, any duties other than those for which he has been appointed.
- (3) The competent person shall, on the occurrence at his place of work any hazardous condition, take prompt corrective measures to eliminate the hazard.

**CHAPTER-V
DRILLING AND WORKOVER**

48. Derricks.-

- (1) Every part of a derrick shall be of sound construction and adequate strength and shall be maintained in safety working order.
- (2) The derrick shall be adequately secured to prevent it from overturning.

49. Derrick platforms and floors.-

- (1) On every derrick or portable mast, a platform atleast 0.60 metres wide shall be provided on atleast one side of the crown block equipped on its outer edges with a two-rail railing atleast one meter high and toe-board 0.15 meter high.
- (2) On every derrick, platforms shall be provided for persons to stand on while they handle pipe or other equipment racked in or on the derrick which shall cover the space from the working edge of the platform to the legs and girts of the derrick and be firmly secured.
- (3) The working edge of monkey board platforms shall be so placed that there is adequate clearance for safe passage of traveling block.
- (4) Platforms, floors and walkways shall be kept free of dangerous projections or obstructions and shall be so maintained that adequate protection against slipping is provided.

50. Ladders.-

- (1) Every derrick shall be equipped with a ladder arrangement ensuring safe access to all elevated walking and working platforms.
- (2) Access from ladder to working platforms shall be properly secured with railings and toe-boards.
- (3) Every ladder shall have rungs equally spaced and the top end of each ladder section shall extend not less than one metres above the platform.
- (4) Landing platforms or cages shall be provided on ladders of more than 6 metres to a maximum unbroken length of 9 metres.
- (5) All landing platforms shall be equipped with railings and toe-boards so arranged as to give safe access to the ladder :

Provided that the Chief Inspector may permit in any mine or part thereof any alternative precautionary measures to be taken in lieu of landing platforms.

- (6) All ladders leading from derrick platform to monkey board shall be provided with fall preventor of approved type or other such device to prevent persons from falling:

Provided that where special conditions exist which make the compliance with provisions of this sub-regulation not reasonably practicable, the Chief Inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, exempt or relax from these provisions.

51. Safety belts and life lines.-

(1) Every person who works above the first girt of a derrick shall be provided with approved type of safety belt with full body harness and lifeline and shall use the same unless he is otherwise protected against the danger of falling from height.

(2) No person shall work or travel from where he is likely to fall for more than 1.8m unless he is protected by approved type of safety belt with full body harness and lifeline and shall use the same whilst at work.

52. Emergency escape device.-

(1) On every derrick there shall be installed and maintained an escape line, with the approved escape device with a slide of adequate strength in such a manner that persons can come down safely from the monkey board to ground level or main deck level (in case of off shore) in an emergency.

(2) Escape line shall be securely fastened to the girt immediately above the monkey board and it shall be securely anchored to ground at a distance not less than the height of the monkey board from the ground.

(3) Landing place shall be provided with adequate quantity of sand or other suitable material for cushioning to prevent hard landing.

(4) A competent person shall inspect every part of the emergency escape device once in every round trip or once in a week whichever is earlier and a record of every such inspection shall be maintained in a bound-paged book kept for the purpose and signed by the person who made the inspection.

53. Weight indicator.-

(1) On every rig a weight indicator shall be provided and used to register a close indication of the load suspended from the casing line.

(2) The weight indicator shall be well maintained and in working order.

54. Escape exits.-

The rig floor area, and each draw works engine floor area and each living accommodation shall have not less than two escape exits placed on opposite sides to give unobstructed escape.

55. Guardrails, handrails and covers.-

(1) Floor openings and floor holes shall be guarded by a standard railing and toe-board or cover.

(2) Every open-sided floor or platform 1.8 metres or more above adjacent floor or ground level where any person is allowed to work or pass shall be guarded by a standard railing.

(3) On the inside of all mud tank runways standard railing shall be provided unless other means are available to prevent a person from falling into the mud tanks.

(4) Open sided floors, walkways, platforms or runways above or adjacent to dangerous equipment and similar hazards shall be guarded with a standard railing and toe-board.

56. Draw-works.-

(1) The draw-works shall be fitted with a suitable device with its control near the driller's stand to stop the draw-works in case of an emergency.

(2) No draw-works shall be operated unless all guards are in position and maintained.

(3) If lubrication fittings are not accessible with guards in place, machinery shall be stopped for oiling and greasing.

- (4) The brakes, linkage and brake flanges of draw works shall be examined by a competent person once at least in every 24 hours and if any defect is found during such examination, the draw-works shall not be used until such defect is remedied.
- (5) The results of every such examination specified under sub-regulation (4) shall be recorded by the competent person making the inspection.
- (6) The draw-works shall be provided with an automatic device which shall effectively prevent the traveling block from coming closer than two metres of the crown block on the one end and crashing on the rotary table at the other end:

Provided that where special conditions exist which make the compliance with provisions of this sub-regulation not reasonably practicable, the Chief Inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, exempt or relax from these provisions.

57. Cathead and catline.-

- (1) Catheads operated manually shall be equipped with a guide divider to ensure separation of the first wrap of line or rope.
- (2) The key seat and projecting key on a cathead shall be covered with a smooth thimble or plate.
- (3) When a cathead is in use, a competent person shall be at the controls and in the event of any emergency, he shall immediately stop the rotation of the cathead.
- (4) The operator of the cathead shall keep his operating area clear and shall keep the portion of the catline not being used coiled or spooled.

58. Tongs.-

- (1) Uncontrolled rotation of pipes shall be effectively prevented while making or breaking pipe connections and a back-up tong shall be used for this purpose whenever required.
- (2) Tong counter balance weights and lines shall be provided with guards to prevent accidental contact.
- (3) The ends of tong safety lines shall be secured with not less than three wire-line clamps, or crimped.

59. Safety chains or wirelines.-

Tongs, ends of rotary hose and suspension sheaves shall be fitted with safety chains or wirelines.

60. Casing lines.-

- (1) All casing lines shall be visually examined by a competent person once at least in seven days and the condition of the wire as to wear, corrosion, brittleness and fracture shall be noted and a report of every such examination shall be recorded in a bound-paged book kept for the purpose and shall be signed and dated by the person who made the examination.
- (2) If during any examination as aforesaid any defect or weakness is found by which the safety of persons may be endangered, such weakness or defect shall be promptly reported in writing to the installation manager or manager and until such weakness or defect is remedied, the casing line shall not be used.
- (3) The wearing points of every casing line shall be moved by cutting off at least thirty metres of the casing line after every 3000 tonne-kilometres or at shorter intervals, where necessary so as to prevent excessive wear of the casing line which shall be carried out under the supervision of the driller or other competent person who shall record the date and other particulars thereof and shall sign and date the same:

Provided that where special conditions exist which makes compliance with the provisions of this sub-regulation not reasonably practicable, the Chief Inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, exempt or relax from these provisions.

61. Rigging equipments for material handling.-

- (1) Rigging equipment including cranes for material handling shall be checked prior to and during its use to ensure that it is safe.
- (2) Rigging equipment shall not be loaded in excess of its recommended safe working load.
- (3) While operating cranes in the vicinity of overhead electric transmission line, adequate precaution shall be taken against accidental contact with the electric transmission line unless the same is kept de-energised during movement of the crane.
- (4) All rigging equipment and crane shall be examined by a competent person at such interval and in accordance with the procedure as laid down by the manager or installation manager and he shall record the results of his inspection.

62. Storage of materials.-

- (1) All materials stored in tiers shall be stacked, racked or otherwise secured to prevent sliding, falling or collapse.
- (2) Passage ways shall be kept clear to provide for the free and safe movement of material handling equipment or persons.

63. Construction and loading of pipe-racks.-

- (1) Construction of pipe racks shall be designed to support any load placed thereon.
- (2) Adequate provision shall be made to prevent pipe-tubular material or other round material from rolling off pipe-racks.
- (3) No person shall go or be allowed to go between pipe-rack and a load of pipe during loading, un-loading and transferring operations of pipes unless effective protection device or system is provided to protect such person from being hit by any load of pipe in motion.

64. Rigging-up and rig dismantling.-

- (1) The raising and installation of heavy loads shall be done during daylight hours unless adequate general lighting arrangements are provided at the place of work.
- (2) All loose parts and tools shall be securely fastened.
- (3) Guylines, cat lines, sub lines and such other lines shall not be installed within six metres of any electric overhead transmission lines.
- (4) The exhausts of internal combustion engines shall be provided with water quenched or other effective spark arrestors.
- (5) High pressure circulating fluid lines and steam line shall be securely bolted down.
- (6) While dismantling the rig the wellhead shall be protected against damage from sliding or falling object.
- (7) Components from aloft including nuts, bolts and cleats shall be lowered safely to the ground either singly, bundled or in containers.
- (8) Safe work practices shall be framed and implemented by the manager or deputy manager or installation manager for rigging-up and dismantling.

65. Jacking up and jacking down of offshore rig.-

- (1) The jacking up, jacking down and the rig movement shall be done under the direct supervision and control of an installation manager, or other official specially appointed by the manager for this purpose.
- (2) The stability of the rig shall be ensured throughout the operations specified under sub-regulation (1).
- (3) Code of safe practices specifying the operations, safety guidelines, maintenance, examination, duties of various persons and the checklists, for the operations shall be framed by the owner, agent or manager and a copy of the code shall be made available to the concerned officials before start of the operations.

(4) No jacking up, jacking down or rig movement shall be undertaken without considering prevailing wind, sea-current, sea bed data, water depth, penetration anticipated and other information likely to affect the stability and safety of the vessels.

(5) The rig shall remain securely anchored to the offshore supply vessels till such time it is properly pinned to the sea bed.

(6) The towing vessel used shall be subjected to the provisions of the test certificate issued by an approved agency which shall be dated within the previous twelve months and shall state continuous static bollard pull of the vessel.

(7) The water tight integrity of the rig shall be provided and maintained at all times.

(8) Effective communication shall be provided and constantly maintained between the rig and shore base.

(9) No critical operation of jacking up and jacking down shall be carried out beyond daylight hours except emergency.

(10) Only minimum number of persons required for jacking up or jacking down operations shall be permitted to remain on the installation.

67. Anchoring, mooring and positioning.-

(1) Floating facilities shall have systems to enable them to maintain their position at all times and, if necessary, be able to move away from the position in the event of a situation of hazard and accident.

(2) Dynamic positioning systems shall be designed in such a manner that the position can be maintained in the event of defined failure, damage to the system and in case of accident.

(3) During conduct of marine operations, the necessary actions shall be taken in such a manner that the probability of situations of hazard and accident is reduced and those who take part in the operations are not injured.

(4) Requirements shall be set to maintaining position in respect of vessels and facilities during implementation of such operations, and criteria shall be set for start up and suspension of activities.

68. Mud tanks and mud pumps.-

(1) Sufficient capacity of mud tanks and mud pumps shall be provided and maintained for effective control of the well.

(2) Mud tank shall be located at such a distance from internal combustion engine so as to guard against fire due to accumulation of flammable gases.

(3) Mud tanks shall be so designed and installed as to provide positive suction to mud pumps:

Provided that the Chief Inspector may, by an order in writing exempt any part of the mine from observance of this precaution if he considers such observance not necessary.

(4) All mud pumps connected to a drilling rig shall be equipped with a safety pressure relief valve and an operating gauge in the system.

(5) The valve shall be set to discharge at a pressure not in excess of the established working pressure of the pump, pipes and fittings.

(6) The discharge from a safety pressure relief valve shall be piped to a place where it will not endanger persons.

(7) There shall be no valve between a pump and its safety pressure relief valve.

69. Blowout preventor assembly – drilling.-

- (1) After the surface casing is set in a well, no drilling shall be carried out unless blowout preventer assembly is securely installed and maintained.
- (2) Blowout preventer assembly shall consist of -
 - (a) one blind or blind shear ram preventer for closing against an open hole and one pipe ram preventer, for closing against tubular in use in the hole for rated working pressure upto 136 kg/cm² (2000 psi);
 - (b) one annular preventer shall be provided in addition to provisions made in sub-regulation 2(a) for rated working pressure more than 136 kg/cm² (2000 psi) and upto 340 kg/cm² (5000 psi); and
 - (c) one annular preventer and one pipe ram preventer shall be provided in addition to provisions made in sub-regulation 2(a) for rated working pressure more than 340 kg/cm² (5000 psi) according to the maximum anticipated surface pressure.
- (3) In blowout preventer assembly, there shall be provided two seamless steel pipes or flexible armored high pressure steel hose at least 50 millimeter in diameter connected below each set of blowout preventer, one for bleeding off pressure and the other for killing the well which shall be straight without any sharp bends and lead directly to the opposite sides of the drilling platform.
- (4) Each pipeline shall consist of components having a working pressure not less than that of the blowout preventers.
- (5) The bleed-off line shall be securely tied and connected to a suitable manifold which shall permit the flow to be diverted through a full opening line or through either the bleed-off line or kill line, each containing an adjustable choke and connected to a degassing system.
- (6) Kelly cocks shall be provided between swivel and kelly and also between kelly and drill pipe.
- (7) Well shall always be kept under control in all situations.
- (8) Blow out preventer shall be installed and maintained to enable the shut off of any flow from the well regardless of the type or diameter of the tools or equipment in the well.
- (9) Blow out preventer shall have a pressure rating equal to or greater than pressure rating of the well head, or the anticipated surface pressure, whichever is more.

70. Blowout preventor assembly for well servicing and coal bed methane operations.-

- (1) Blowout preventer assembly shall consist of -
 - (a) one blind or blind shear ram preventer for closing against an open hole; and
 - (b) one pipe ram preventer, for closing against tubular in use in the hole.
- (2) Well shall always be kept under control in all situations.
- (3) Blow out preventer shall be installed and maintained to enable the shut off of any flow from the well regardless of the type or diameter of the tools or equipment in the well.
- (4) Blow out preventer shall have a pressure rating equal to or greater than pressure rating of the well head, or the formation pressure, whichever is more.

71. Control system for blowout preventers.-

- (1) All ram preventors shall have locking mechanism and instructions for operating the controls shall be posted prominently near the control unit.
- (2) All controls of power operated blowout preventers shall be located within easy reach of the driller on the derrick floor :

Provided that where special conditions exist which make the compliance with this sub-regulation unnecessary or not reasonably practicable, the Chief Inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, grant relaxation from the provisions of this sub-regulation.
- (3) A remote control panel for the blowout preventer shall also be installed at ground floor level at a safe distance from the derrick floor and in case of off shore installation, at tool pusher's office.
- (4) Blow out preventers shall be connected to an accumulator system which shall be capable of providing fluid of sufficient volume to close all the blowout preventers and open hydraulically operated valve.
- (5) Minimum accumulator pressure shall not be less than 15 kg/cm² above pre-charge. It shall be capable of closing any ram type blow out preventer within 30 seconds and annular preventer within 60 seconds.
- (6) All controls for blowout preventers shall be clearly identified with suitable markers.

72. Testing of blowout preventer assembly.-

- (1) All the components of blowout preventors assembly shall be pressure tested upon installation and at every repair or re-installation but the frequency of pressure test shall not exceed 21 days.
- (2) Pressure test shall be conducted initially at low pressure of 15 to 20 kg/cm² (200 to 300 psi) and then at high pressure which shall be greater than the maximum anticipated surface pressure.
- (3) The low and high pressure test shall be maintained for at least five minutes.
- (4) Notwithstanding anything stated above, the annular bag type blowout preventer shall not be subjected to more than 70 percent of its rated pressure.
- (5) All operational components of the blowout preventer assembly shall be function tested atleast once in a week.
- (6) Full particulars of all tests mentioned above shall be recorded in the daily report and in the case of pressure test, the pressure applied and duration of test shall also be recorded by the persons making the test.
- (7) If during any test, a blowout preventer assembly or any part thereof is found to be defective, such defects shall be rectified before resumption of normal operation of drilling or workover.
- (8) Necessary pressure testing device shall be provided with each rig.
- (9) All blow out preventers shall be serviced and tested at the workshop once in three years to their rated pressure and the test results shall be recorded, and shall also be made available at the installation.

73. Precautions against blowout.-

- (1) The following control equipment for the drilling mud system shall be installed and kept in use during drilling operations :-
 - (a) a pit level indicator registering increase or reduction in the drilling mud volume and shall include a visual and audio warning device near the driller's stand;
 - (b) a gas detector or explosimeter at the primary shale shaker and connected to audible or visual alarm near the driller's stand;
 - (c) a device to ensure filling of well with mud when the string is being pulled out;
 - (d) a control device near the driller's stand to stop the mud pump when the well kicks, and in case of offshore rig an additional control device shall also be provided at a safe distance:

Provided that where special conditions exist which make the compliance with the provision of this sub-regulation not reasonably practicable, the Chief Inspector may, by a general or special order in writing and subject to such conditions as he may specify in such order, grant relaxation from the aforesaid provision.

- (2) If the control equipment mentioned in sub-regulation (1) indicate that formation fluids are entering the well, immediate steps shall be taken to control the well.
- (3) (a) Instructions shall be issued before the blow out preventer assembly is installed regarding action to be taken when a well kicks and specifying the duties of each person employed on the rig and of such other persons as may be necessary and a copy of the such instructions shall be posted prominently near the rig.
- (4) Each person employed on a rig shall have an adequate understanding of the warning signs of a kick, the instructions referred to in sub-regulation (3), the blowout preventer assembly and be able to operate the controls for blowout preventers.
- (5) Blowout prevention drill shall be conducted for this purpose once in seven days.
- (6) Suitable control valves shall be kept available near the well which can be used in case of emergency to control the well.
- (7) When running in or pulling out tubings, a suitable mechanism shall be kept readily available at the derrick floor to prevent uncontrolled flow from tubing .

74. Precautions after a blowout has occurred.-

- (1) On the appearance of signs indicating that a well is blowing out, all persons other than those whose presence is deemed necessary for controlling blowout shall be immediately withdrawn from the installation and suitable action shall be taken in accordance with the procedures formulated in the emergency plan prepared under regulation 111.
- (2) During the whole time that any work of controlling a blowout is in progress, the following precaution shall be taken: -
 - (a) competent person shall be present on the spot throughout;
 - (b) an area within 500 metres of the well on the down wind direction shall be demarcated as danger zone;
 - (c) all electrical installations within the danger zone shall be de-energised;
 - (d) approved safety lamps or torches shall only be used within the danger zone;
 - (e) no naked lights or vehicular traffic shall be permitted within the danger zone.

- (f) a competent person shall ascertain the condition of ventilation and presence of gases with an approved instrument so far as safety of person is concerned;
- (g) there shall be available at or near the place, adequate number of approved type of self-contained breathing apparatus or any other apparatus of approved type for use in emergency;
- (h) adequate fire-fighting equipment shall be kept readily available for immediate use.
- (i) any other equipments as required by Regional Inspector shall also be kept readily available.

75. Drilling operations.-

- (1) At the beginning of every shift the instruments and controls at the driller's stand, draw-works, mud pumps, sensing and monitoring instruments, mud logging, casing line, catline and blowout preventer assembly shall be examined by the driller and he shall satisfy himself that these are in good working order.
- (2) The manager of every mine shall ensure that a detail plan of operations relating to safety and geo-technical matters is formulated before commencing drilling for the individual well and the same shall be made available to installation manager, other concerned officials and competent persons before commencement of these operations.
- (3) Before commencement of well drilling operation, a pre-spudding audit shall be carried out to examine and ensure safe operation of drilling and other related activities, and the audit finding shall be recorded and signed by the members.
- (4) The driller shall ensure that no person remains in a position of danger at or near the rotary table before the rotary table is set in motion.
- (5) Tools or other materials shall not be carried up or down a ladder unless properly secured to the body leaving both hands free for climbing.
- (6) The casing line shall not be in direct contact with any derrick member or foul with any material in the derrick excepting the crown block and any travelling block sheaves, a line spooler, a line stabilizer or weight indicator.
- (7) When cementing, no person shall be allowed on the rig floor near the wellhead or near the cementing line and equipment except those actually engaged on the operation.
- (8) All high pressure pipes fitted with flexible points shall be suitably anchored and pressure tested before cementing operations commence.
- (9) After cementing operation and prior to perforation, casing shall be hermetically tested at a pressure atleast 70% of the casing burst pressure.
- (10) No well shall be drilled within 45m of any railways, public road or of any public works or of other permanent structure not belonging to the owner:

Provided that where special conditions exist which make the compliance with provisions of this sub-regulation not reasonably practicable, the Chief Inspector may, by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, exempt or relax from these provisions.

76. Offshore drilling operations.-

- (1) Integrity of installation:
 - (a) The owner, agent or manager shall take appropriate measures with a view to prevent damage to the drilling installations or any other installation or structure or pipelines in the vicinity.
 - (b) The measures to prevent damage referred to in clause (a) include-

- (i) ensuring that the oceanographic, meteorological, environmental and sea bed conditions are suitable for the installation;
- (ii) ascertaining the suitability of drilling location with respect to any structure or pipeline in the vicinity; or
- (iii) establishing the procedure for the movement of the installation to the drilling location, its positioning threat and on completion of drilling moving away therefrom.

(2) Well control-

- (a) The owner, agent or manager shall -
 - (i) take appropriate measures with a view to keep the well under control during drilling and well activity operations;
 - (ii) prevent uncontrolled release of well fluids;
 - (iii) ensure as far as is reasonably practicable, any arrangements made and equipment provided pursuant to this regulation are capable of remaining effective in emergency.
- (b) The measures referred to in clause (a) shall include -
 - (i) installing well control equipment in accordance with approved standards;
 - (ii) monitoring of drilling parameters including mud properties;
 - (iii) establishing well control procedures; and
 - (iv) ensuring that personnel required to implement the procedures are competent.

77. Drill stem test.-

- (1) Prior to the commencement of drill stem test, -
 - (a) the pressure and function of the blowout preventer assembly shall be pressure and function tested;
 - (b) fire-fighting equipment shall be kept readily available for immediate use;
 - (c) no person other than those required for the test shall be admitted on the drilling floor;
 - (d) the test line shall be securely anchored at each end and at each 9.0 metres interval;
 - (e) the kelly hose shall not be used as part of the test line;
 - (f) the test line and valves shall be examined by a competent persons and no test shall be taken if any defect is discovered until such defect is rectified.
- (2) Initial opening of drill stem test tools shall be restricted to daylight hours only.
- (3) When petroleum has been recovered during a drill stem test, the drill pipe shall not be pulled out unless the well is properly killed and steps are taken to ensure that there is no possibility of petroleum being present in the drill pipe.
- (4) Gas produced to the atmosphere during a drill stem test shall be burnt through a flare-line or burners.

**CHAPTER-VI
PRODUCTION**

78. Perforation.-

- (1) Explosives shall be stored only in a magazine duly approved by the licensing authority under Indian Explosives Act, 1884 and shall be transported as per the provisions of the said Act.
- (2) No person shall be appointed as shot firing officer unless he holds a valid shot firing certificate, provided under these regulations.
- (3) Preparation of the charges and the charging of explosives shall be carried out by or under the personnel supervision of the shot firing officer and shots shall be fired by himself.
- (4) Before commencement of perforation operation, the shot firing officer shall ensure that -
 - (a) the well is adequately filled with mud or brine so as to keep the bottom hole pressure under control, except in cases of under balanced perforation;
 - (b) the blowout preventer assembly is pressure and function tested and the results of the test are recorded by the competent person performing the test;
 - (c) the perforation gun be safely lowered down the well;
 - (d) a lubricator and wire-line blowout preventer are used at the wellhead while perforating through tubing;
 - (e) all equipment including drilling rig, and cable used for perforation are efficiently earthed;
 - (f) electrical bonding is established between equipment and well-head before connecting up explosive charges;
 - (g) all precautions be taken to safeguard against dangers from fire and stray electric currents, wireless equipment and mobile phone be kept switched off;
 - (h) perforating gun be primed just before lowering it in to the well. At the time of connecting detonator, the logging cable shall be placed in safe position in the logging unit;
 - (i) no synthetic clothes be worn by perforation crew; and
 - (j) all persons other than those engaged in perforation operation remain at a safe distance.
- (5) Well-perforation shall not be carried out during night hours or under conditions of lightning, thunder, high winds and heavy rain.
- (6) Normal work at the well shall not be resumed until firing of the charge has been completed and official has removed the perforation equipment from the site.
- (6) Adequate fire fighting equipment shall be kept readily available at site for the whole period while well perforation operations are in progress.
- (7) A written record of all issues, use, and return of explosives shall be maintained in a bound paged book kept for the purpose duly signed and dated by the competent person.

79. Well testing and activation.-

- (1) Before commencement of testing or activation of well, the Christmas tree and flow-lines including the associated fittings shall be subjected to the maximum pressure that is likely to be encountered and the results of such tests shall be recorded by the person making the test.
- (2) Well testing shall be done under the direct personal supervision of the installation manager or an official authorised in writing for the purpose who shall ensure that-

The Oil Mines Regulations, 2011

- (a) no operation to activate the well is done during night hours ;
 - (b) flow-lines are firmly anchored to the ground;
 - (c) the separator safety valve is in good working order and properly adjusted;
 - (d) adequate fire-fighting equipment is readily available for immediate use; and
 - (e) adequate facilities are provided to safely collect the well products in tanks or pits.
- (3) During well testing, in the event of any oil or gas show, immediate steps shall be taken to bring the well under control.

80. Group gathering stations.-

(1) When it is intended to construct any new group gathering station or carry-out material alterations at any group gathering station the owner, agent or manager shall, give notice of not less than ninety days before such construction or alteration commences, of such intention in Form VI of the First Schedule to the Chief Inspector, Regional Inspector and District Magistrate, and every such notice shall be accompanied by two copies of an upto date plan of the proposed site of the group gathering station showing the name and location of the installation, the name and location of any other group gathering station and all hydrocarbon pipe lines lying within a radius of 500 metres therefrom, the name of each well connected to the station, the extent of the land over which right of use has been established and any railway, public road, public works, building or any other surface feature lying within 60 metres of such installation :

Provided that where it is essential to carryout immediate alterations at any group gathering station in the interest of safety of the mine or of the persons employed therein, the provisions of this regulation shall be deemed to have been complied with if the said notice is given to the Regional Inspector as soon as the work for such alteration is commenced:

Provided further that in respect of a group gathering station where the quantity of petroleum gases or liquid stored or handled exceeds 300 tonnes and 1,00,000 tonnes respectively, the notice under this sub-regulation shall also be accompanied by a safety report in Form VII of the First Schedule and once atleast every three years thereafter, or earlier if any material alternations are proposed, the safety report shall be reviewed in due regard to new technical knowledge or the likely consequences of proposed alterations which might have affected or might affect the particulars in the previous report relating to safety and hazard assessment and a copy thereof submitted to the Chief Inspector, Regional Inspector and District Magistrate:

Provided also that in case of an existing group gathering station, -

the aforementioned copies of the plan and the details required to be furnished in the notice and wherever applicable, in the safety report shall be submitted within six months and five years respectively, of the coming into force of these regulations to the Chief Inspector, Regional Inspector and District Magistrate.

(2) If the Regional Inspector, by an order in writing so requires, such additions or alterations shall be made to the installations, as he may specify in the order.

(3) When the group gathering station has been commissioned, the owner, agent or manager shall forthwith communicate the actual date of commissioning to the Chief Inspector, Regional Inspector and District Magistrate.

(4) The group gathering station or process complex or well-cum-satellite platform along with processing platform, shall be designed, manufactured, operated and maintained in accordance with approved standards such that they are of sound construction, adequate strength and maintained in safe working order.

81. Piping and instrumentation diagram.-

Detailed piping and instrumentation diagram of each process complex shall be maintained and updated and a copy of the same shall be kept available at the process complex.

82. Markings on off shore platforms.-

- (1) Marking of the installations shall be done as per the International Association of Light House Authorities.
- (2) Markings of helicopter deck and other markings to ensure prudent helicopter operations shall be carried out and maintained in accordance with the International Civil Aviation Organisation.

83. Precautions during acidizing operations.-

- (1) Acidizing operations at a well shall be carried out under the direct personal supervision of an official authorised for the purpose.
- (2) Prior to acidizing operations all pressure lines and associated equipment shall be tested to a pressure one and a half times the expected working pressure.
- (3) A non-return valve shall be installed in the treating line as close to the wellhead as practicable.
- (4) The official shall see that -
 - (a) no person other than those required for acidizing operation remains in the vicinity of the well;
 - (b) every person handling acid is provided with and uses protective outer clothing, goggles, gloves and footwear; and
 - (c) an adequate quantity of lime or other suitable chemical is readily available and used to neutralize any acid spilled.

84. Precautions during fracturing operations.-

- (1) Fracturing operations at a well shall be carried out under the direct personal supervision of an official authorised for the purpose.
- (2) Prior to fracturing operations, discharge pipeline upto the last valve on the wellhead shall be tested to a pressure one and half times the expected fracturing pressure.
- (3) A non-return valve shall be installed in each discharge line as close to the wellhead as practicable.
- (4) All discharge and bleed-off lines shall be securely anchored. Bleed off lines shall discharge into open tanks or to a pit.
- (5) During fracturing operation, the official shall see that within 30 metres of well -
 - (a) no person other than those required for fracturing operation remains;
 - (b) no naked light or other source of ignition is permitted;
 - (c) all electrical equipment is de-energised; and
 - (d) adequate fire fighting equipment is available for immediate use.
- (6) Pumping units shall be located cross wind atleast 15 metres from the wellhead, and pumping shall be done during daylight hours:

Provided that where difficulties exist, the Chief Inspector may by an order in writing relax the provisions of these regulations subject to such condition as he may specify therein.

85. Precautions during loading and unloading of petroleum tankers.-

- (1) Every tanker while it is being loaded or unloaded and until its valves have been shut and filling pipe and discharge faucets closed, shall be attended by a competent person authorised for the purpose.
- (2) Loading and unloading of tankers carrying petroleum shall be performed during day light hours.

- (3) In the loading and unloading area all pipe-lines, fittings and delivery hoses or metal pipes, metallic loading arms, swivel joints, tanks, chassis of tankers shall be electrically continuous and be efficiently earthed.
- (4) On land, no mechanically propelled tankers shall be loaded or unloaded until its engine has been stopped and battery isolated from electrical circuit and the engine shall not be restarted and the battery shall not be connected to the electrical circuit until all tanks, and valves have been securely closed :

Provided that where special conditions exist which make compliance with any provisions of this sub-regulation not reasonably practicable, the Chief Inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, grant relaxation from the said provisions.

- (5) Adequate fire-fighting equipment shall be kept readily available during loading and unloading of tankers for immediate use.

86. Storage tank.-

- (1) Every tank for the storage of petroleum in bulk shall be constructed of iron and steel in accordance with the specification approved by the Chief Inspector through a general or special order in writing;
- (2) The tanks shall be erected on firm foundations or supports of non-combustible material in accordance with sound engineering practice.
- (3) The height of a storage tank shall not exceed one and a half times its diameter or twenty meters whichever is less.

Explanation. - For the purposes of this sub-regulation, the height of a tank shall be the height from its bottom to top curb angles.

- (4) An air space of not less than 5 percent of the total capacity of the tank or the space provided in the specification referred to sub-regulation (1), whichever is less, shall be kept in each tank.
- (5) Every tank after being installed or reinstalled and before being put in use, shall be pressure tested by a competent person so as to ensure that it is free from any leakage and is suitable for storage of petroleum and a report of such test shall be maintained by the person making the test.
- (6) Every tank installed above ground having capacity in excess of 1000 cubic metres shall be separately enclosed with a dyke or bund constructed above the ground level with an enclosure volume not less than the capacity of such tank.
- (7) All enclosures mentioned in sub-regulation (6), shall be provided with proper discharge system to prevent accumulation of oil or water in the enclosures.
- (8) Every storage tank including its roof and all metal connections shall be electrically connected with the earth in an efficient manner by not less than two separate and distinct connections placed at the opposite extremities of such tanks.
- (9) The effectiveness of earthing shall be tested once in twelve months and the results of every such test shall be recorded in a bound-paged book kept for the purpose duly signed and dated by the person carrying out the test.
- (10) Every storage tank shall be protected against lightning by suitable lightning conductors.

(11) No person shall enter or be permitted to enter a tank for cleaning or maintenance unless the tank has been examined by a competent person and found to be gas-free.

(12) When it is necessary to enter into a tank which is not gas-free, persons who are required to enter the tank shall be provided with approved type of self contained breathing apparatus or a full face piece mask with a pressure supply of respirable air.

(13) During the whole time that any work of cleaning or maintenance inside a tank in progress,

- (i) a competent persons who is qualified to administer artificial respiration and first-aid shall be present on the spot throughout;
- (ii) approved portable hand lamps shall be exclusively used in such work; and
- (iii) adequate number of approved type self-contained breathing apparatus or full face mask shall be provided and maintained for use in emergency.

87. Emergency shut system and safety valves on off shore wells.-

1. A surface controlled sub-surface safety valves and a well head surface safety valve shall be provided and maintained at every well in accordance with approved standards which shall be in addition to other well head valves.

2. Every process complex shall be provided with an emergency shut down system and fire shut down system.

3. Emergency shut down system specified in sub-regulation (2), shall be capable of-

- i) shutting down all wells and all activities on process complex, except those which may be required for dealing with the emergencies;
- ii) bleeding off petroleum from the flow lines.

4. The fire shut down system specified in sub-regulation (2), shall be capable of activating the automatic fire fighting system at the affected areas in addition to the activities specified in sub-regulation (3).

5. The switches of the system specified in sub-regulation (2) shall be conveniently located at strategic points and shall be well marked.

88. Well servicing operations.-

(1) Every derrick shall be carefully examined by a competent person before it is used for well servicing operations and be adequately secured to prevent it from overturning.

(2) Prior to perforation and, or before lowering completion assembly, casing shall be hermetically tested at a pressure atleast 10% higher than the formation pressure.

(3) The crown block, traveling block, wire-lines, hooks and elevators shall be carefully examined by a competent person before it is used.

(4) When operations are carried out with a hoist and stationery derrick, the floor block shall be fastened to a substantial anchorage.

(5) Every person shall keep clear of the wireline between the drum and floor block.

(6) All persons shall remain at a safe distance from the bailing line during swabbing and scraping operations.

(7) When running in or pulling out tubings, a suitable mechanism shall be kept readily available at the derrick floor to prevent uncontrolled flow from tubing .

- (8) No well servicing operation shall be carried out at any live well unless proper blowout preventer assembly is securely installed and maintained.
- (9) Before commencement of well servicing operation, the blowout preventer assembly shall pressure and function tested.
- (10) No tubing shall be pulled out of any well unless the well is properly killed.
- (11) Before commencement of well servicing operation, pre-workover conference shall be held to examine and ensure safe operations and other related activities.

89. Artificial lifting of oil.-

- (1) Unless a submersible pump is used for the purpose a properly constructed working platform shall be provided at the well where artificial lift equipment is to be used.
- (2) No repairs, lubrication or pressing shall be done unless the pumping unit is stopped.
- (3) All surface control valves for gas lift, intermittent gas lift or free plunger lift systems shall be clearly marked for ready identification.
- (4) Risk assessment shall be conducted before carrying out artificial, secondary or enhanced oil recovery operation and suitable technical and other control measures thereof shall be formulated.
- (5) Safe work practices shall be framed by the manager and circulated to all persons engaged therein.

90. Temporary closure of producing well.-

- (1) When it is intended to temporarily close any producing well for a period exceeding 30 days, it shall be filled with mud or water or oil or salt solution or any special chemical so that the hydrostatic pressure of the fluid column over-balances the formation pressure to prevent leakage of petroleum at the wellhead:

Provided that in case of off shore wells, all the well valves including surface and sub-surface safety valves shall be closed and the same shall be inspected at such intervals as may be specified by the manager in writing.

- (2) The control valves of the christmas tree shall be completely closed and effective measures shall be taken to prevent unauthorised operation.
- (3) The christmas tree shall be examined for leakage at least once in 30 days by a competent person authorised for the purpose and in case any leakage is detected during such examination, the competent person shall take immediate steps to stop it.
- (4) A report of every such examination shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose duly signed and dated by person making the examination.

91. Plugging requirements of abandoned wells.-

- (1) When it is intended to abandon a well, -
 - (a) all permeable formations shall be isolated with cement;
 - (b) a cement plug of minimum length of 50 metres shall be placed at the bottom of the well;
 - (c) a cement plug of a minimum length of 50 metres shall be placed across the shoes of the surface casing:

Provided that in case of off shore wells such plug shall be placed beneath the bottom of the outmost casing and sea bed cleared of all obstruction;
 - (d) the cellar or pit around the well shall be filled up and the land shall be restored to the original level; and

(e) cased wells may be abandoned by placing a bridge-plug above the top of perforations capped with a three meter cement plug:

Provided that in case of offshore installation, it shall be ensured that the well is so designed and constructed that, it can be abandoned in a safe manner and after its abandonment, there can be no unplanned escape of fluid from it or from the reservoir, and it shall not pose any hazard to navigation of ships, vessels, etc. in the area.

(2) Every abandoned well shall be clearly identified at site and on the plan.

92. Production and process facilities.-

(1) The owner, agent or manager shall take appropriate measures -

- (a) to prevent undesirable event that may lead to a release of petroleum;
- (b) to shut in the process or affected part in the process, to stop the flow of petroleum or a leak or overflow, if it occurs; and
- (c) to prevent ignition of released petroleum.

(2) The appropriate measures referred to in sub-regulation (1) shall include -

- (a) designing and constructing the process and auxiliary facilities in accordance with approved standards;
- (b) ensuring that the process facilities are designed on the basis of the findings of the assessment ;
- (c) establishing procedures for the operation, maintenance, modification and testing;
- (d) establishing procedures for testing and completion of wells in accordance with approved industry practices; and
- (e) ensuring that the personnel required to implement procedures are competent.

(3) The treatment system for water produced from wells shall be designed that oil content in each discharge stream meets the stipulation as fixed by Ministry of Environment and Forest.

(4) The discharge point for water produced from the wells shall be placed in such a manner that such discharges shall not cause harm to the marine environment.

**CHAPTER-VII
TRANSPORT BY PIPELINES**

93. Application.-

This chapter shall apply only to the transport of petroleum by means of pipelines within any mine as referred to in regulation 28.

94. Approval of the route and design of pipeline.-

(1) Permission in writing of the Regional Inspector shall be obtained for laying pipelines in accordance with such conditions as he may specify therein in respect of the following pipelines:-

- (a) all gas pipelines;
- (b) all trunk pipelines and all feeder lines having pressure more than 60 kg/cm²

(2) Every application for permission under sub-regulation (1) shall be submitted in Form VIII of the First Schedule to the Regional Inspector and a copy thereof be sent to the Chief Inspector and the District Magistrate.

(3) The application for permission under sub-regulation (1) shall be accompanied by two copies of an upto date plan of the area where the pipeline is proposed to be laid showing the extent of land over which right of use has been established and route of the pipeline clearly indicating the districts and states through which the pipeline would pass:

Provided that in case of an existing pipeline or system of pipelines the aforementioned copies of plan and the particulars required to be furnished in the application shall be submitted to the Chief Inspector, Regional Inspector and District Magistrate within six months of the coming into force of these regulations:

Provided further that in case where special conditions exist, the Regional Inspector may by an order in writing and subject to such condition as he may specify therein, permit the laying of pipelines in variation with these provisions.

(4) Where it is proposed to lay pipeline within 45 metres of any railway or of any public work in respect of which this regulation is applicable by reason of any general or special order of the Central Government or of any public road or building or of other permanent structure not belonging to the owner of the mine, every application for permission under sub-regulation (1) and the accompanying plan shall also specify the position of pipeline in relation to the railway, public road or work building and a copy of the application shall also be sent in the case of railway to the railway administration concerned; and in the case of any public works as aforesaid, to such authority as the Central Government may by general or special order direct.

(5) When any pipeline has been commissioned, the owner, agent or manager shall forthwith communicate the actual date of commissioning to the Chief Inspector, Regional Inspector and District Magistrate.

95. Design of pipeline and fittings.-

(1) All pipes, valves, flanges and other fittings shall conform to Indian standards specification or such other specification as the Chief Inspector may recognise.

(2) Pipeline systems including risers shall be designed in such manner as will ensure its structural integrity under functional and environmental loads.

(3) Risers shall be located in areas away from landing station, crane operations and vessels operation.

(4) Pipeline systems shall be designed so that internal maintenance can be carried out.

(5) Launchers and receivers for cleaning and inspection tools (pigs) shall be designed so that they cannot be opened under pressure.

(6) With regard to flexible pipeline systems and pipeline systems made of material other than steel, usage factors and, if applicable, load and material factors shall be determined so as to ensure that the safety level for such systems is not lower than that of pipelines and risers made of steel.

(7) Pipeline shall have isolation valve which will operate during leakage or during disaster to meet the intended safety functions:

Provided that where special conditions exist, the Chief Inspector may by an order in writing relax the provisions of these regulations subject to such conditions as he may specify therein.

96. Laying of pipeline.-

(1) Pipelines shall be laid at least one meter below the ground level except where laying thereof above the ground level is necessary for any special conditions.

(2) The route of underground sections of a pipeline shall be indicated by markers and not less than two such markers shall be visible from any point along the route.

(3) Where the Chief Inspector is of the opinion that it is in the interest of public safety so to do, he may by an order in writing, require the owner, agent or manager to relay, renew or repair such pipeline in accordance with requirements as may be specified in such order.

(4) Permission from competent authority shall be obtained while crossing public structures such as roads, railway, river, etc.

(5) Pipeline shall not be laid unless the land is under the sole control of the owner or right of use has been obtained.

(6) Before the pipeline is put into commission, entire length of the pipe line shall be subjected to hydraulic test at a pressure of atleast one and half times the maximum permissible working pressure and the result of every such test shall be recorded by the competent person carrying out the test and countersigned and dated by the manager or deputy manager .

(7) Adequate arrangement shall be made to protect the gas pipeline from -
(a) hydrate formation; and
(b) high and low pressure valves in case of pressure above 60 kg/cm² .

(8) Pipelines shall be monitored including testing for corrosion at regular interval to observe the condition of the pipeline.

(9) Pipelines shall be inspected with greater frequency at the places where the pipeline crosses public structures, road, rail, river etc.

(10) Maintenance schedule shall be formulated and implemented regarding detecting, isolating and repairing a leak in the pipe line in a safe and efficient manner uin accordance with safe work practices.

97. Laying and maintenance of sub-sea pipeline and risers.-

(1) All sub-sea pipelines and risers shall be laid, protected and maintained in accordance with the approved standard.

(2) All pipeline and riser shall be protected against accidental load and mechanical damage.

(3) The layout of pipelines shall be such as to facilitate inspection, maintenance and repair.

(4) The route of sub-sea pipelines shall be demarcated in such manner that the vessels operating nearby do not damage the pipelines.

**CHAPTER VIII
OFF SHORE SAFETY ZONES**

98. Establishment of safety zones.-

(1) The Chief Inspector may declare any geographical area around and above the facilities with the exception of sub-sea facilities, pipelines and cables as safety zone, if it is considered necessary in the interest of safety .

(2) Unless otherwise specified by the Chief Inspector, the safety zone shall extend from the sea bed to maximum 500 meters above the highest point of a facility in the vertical plane and horizontally extends 500 meters out from the extremities of the facility, where it may be located at any time.

(3) No unauthorised vessel (including aircraft) shall enter, pass, stay or operate in the safety zone, unless permitted.

99. Establishment and revocation of specified safety zones in emergency.-

In case of emergency, Chief Inspector may extend the existing safety zone or establish new safety zone to the extent as may be considered necessary in the interest of safety of persons employed therein, prevention of loss of property or damage to environment and the same may be revoked when the situation no longer warrants.

100. Monitoring of safety zones.-

1) The owner, agent or manager, shall -

(a) monitor all activities inside the safety zones;

(b) alert any intruding vessels or object which are about to enter the safety zone and intimate other vessels outside the safety zone if the vessels may constitute danger to the safety of the petroleum activities; and

(c) if the situation so warrants, refuse or prevent the entry of such vessels and also intimate the coast guard and other competent authority.

101. Notification of establishment and revocation of safety zones.-

The owner, agent, manager or installation manager, shall notify the establishment and the movement of off shore installations to the concerned agencies and the competent authorities.

102. Control in the safety zone.-

(1) The master of the attendant vessel or off take tanker or helicopter shall comply with instructions of the installation manager when in a safety zone.

(2) The master of the vessel or tanker or helicopter shall take adequate precautions for its safe operation and be responsible for safety of their crew, the safe operation of vessel or tanker or helicopter and for avoiding collision with the installation or associated facilities.

CHAPTER - IX

PROTECTION AGAINST GASES, FIRES AND SAFETY MANAGEMENT SYSTEM

103. Storage and use of flammable material.-

- (1) Except for fuel in the tanks of the operation equipment, no flammable material shall be stored within 30 metres of any well.
- (2) Safety cans shall be used for handling and use of flammable liquids.
- (3) Drainage from any fuel storage shall be in a direction away from the well and equipment.
- (4) Any flammable liquid having a flash point of less than 65 degree Celsius shall not be used for cleaning purposes without prior permission in writing of the manager, deputy manager or an installation manager.

104. Precaution against noxious and flammable gases.-

- (1) No person shall enter or be permitted to enter any cellar, sump, pit or any confined space or Zone '0' hazardous area or the area where a flare has become accidentally extinguished unless a test therein by a competent person indicates that the confined space is gas free.
- (2) Where any test mentioned in sub-regulation (1) shows the concentration of flammable gas to exceed 20 percent of its lowest explosive limit, the supply of electric energy shall be cut off immediately from all cables and apparatus lying within 30 metres of the installation and all sources of ignition shall also be removed from the said area and normal work shall not be resumed unless the area is made gas-free.
- (3) An automatic monitoring system shall be installed and maintained with sensors located at strategic points so as to activate warning system.
- (4) On detection of hydrogen sulphide, all person on and near the well head, drill floor, shale shaker area, mud pump and tank shall put on suitable escape breathing apparatus.
- (5) All persons other than those required for control measures shall be withdrawn to a safe area.
- (6) Thorough checks with hydrogen sulphide gas detectors shall be made and normal operations shall resume only after the area has been declared gas free by the installation manager.
- (7) Particulars of every occurrence as to where and when the flammable gas was found when it was removed, and the percentage thereof shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose and every such entry shall be signed and dated by the competent person making the report and counter signed by the installation manager.

105. Safe distances.-

- (1) No person shall smoke or be permitted to smoke within 30 metres of any well, separator, petroleum storage tank or other source of flammable gases.
- (2) In every mine 'no smoking' areas shall be clearly demarcated.
- (3) No naked light or open flame or spark shall be permitted within 30 metres of any well or any place where petroleum is stored.
- (4) No flame type treater, crude oil treater or other flame-type equipment shall be placed or located within 30 metres of any well, separator, petroleum storage tank, except where such flame type equipment is fitted with a flame arrestor.
- (5) Flare stack shall be sited not less than 90 metres from any part of a production installation or petroleum storage tanks:

Provided that where any of the above provision is not reasonably practicable, the Chief Inspector may relax the provision of these regulations subject to such condition as he may specify in writing.

106. Precautions against fire.-

- (1) Dead leaves or dry vegetation shall not be allowed to accumulate or remain, and combustible materials other than materials required for use within a period of 24 hours shall not be stored, within a distance 15 meters from any oil or gas well or fuel tank storage area.
- (2) Where an internal combustion engine is located within 30 metres of any well, separator or storage tank, -
 - (a) its exhaust pipe shall be insulated or sufficiently cooled and the end of the exhaust pipe shall be directed away from the well head; and
 - (b) its exhaust manifold shall be shielded to prevent its contact with liquids or gases which might otherwise fall on it.
- (3) Where a diesel engine is located within 30 metres of a well, it shall be provided with an air intake shut-off valve with readily accessible remote control arrangement.
- (4) Water bath treator, heater treator and flare line shall be provided with suitable device for remote ignition.
- (5) All plant, machinery and derricks shall be effectively earthed for dissipation of any static electric charge.

107. Precautions during welding.-

- (1) No person other than a competent welder duly authorised in writing by the manager, deputy manager, installation manager or engineer shall carry out welding or cutting work requiring use of flame or electric welding apparatus.
- (2) No welding or cutting work shall be undertaken by any welder in any classified hazardous area unless a written permit, called "Hot work permit" in the form specified in the Second Schedule is issued to the welder by the manager, deputy manager or installation manager or authorised official and copies of such hot work permits shall be entered in a bound paged book kept for the purpose.
- (3) No welding or cutting work shall be undertaken in hazardous area unless the area is duly examined and found gas free by a competent person authorised for the purpose and a report of every such examination shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose duly signed and dated by the person making the examination.
- (4) During the welding and cutting operations, the welder shall ensure that-
 - (a) all flammable material, oil grease, oil-soaked earth are removed from the area;
 - (b) no matches, lighters, or smoking apparatus or any other source capable of igniting flammable gas is present at or around his place of work :
Provided that nothing in this clause shall be deemed to prohibit the use of any suitable apparatus for the purpose of lighting or re-lighting the welding torch;
 - (c) adequate precautions are taken to prevent fires being started by sparks, slag or hot metal;
 - (d) adequate number of fire extinguishers and other fire fighting arrangements are made and kept readily available for immediate use;
 - (e) when operations are carried out in confined space, adequate ventilation by mechanical means is constantly provided to prevent accumulation of flammable gas; and

- (f) when operations are carried out on pipeline which contain flammable fluid, the pipe be disconnected or blinded, the line be isolated, drained or purged with inert gas or water before hot work is undertaken and adequate precaution taken against build-up of pressure in the line while hot work is in progress:

Provided that nothing in this clause shall be deemed to prohibit the use of hot-tapping machine on a running pipeline with prior written permission of the manager or an installation manager.

- (5) The installation manager or engineer shall ensure that where hot work permits are issued, welding and cutting operations are carried out in accordance with the said permits.

108. Cold work permit.-

- (1) Cold work permit shall be issued by the manager, installation manager or authorised official where the risk arising from the work demands co-ordination between different activities, stringent system of control and non-routine jobs, to ensure safety of persons.
- (2) The cold work permit shall be in the form specified in the Third Schedule specifying the place, time, date and duration of such work, the precaution to be taken, use of essential personnel protective equipment and other relevant details.
- (3) The cold work permit shall incorporate a mechanical isolation procedure which involves the physical locking off and isolation of essential sections or valves.
- (4) Copies of cold work permit issued shall be displayed at a notified location such that operating person can readily see and check which part of system or equipment is under maintenance and not available for operation.
- (5) Relevant instructions shall be issued to all concerned persons for implementation of cold work permit.

109. Fire fighting equipment.-

- (1) At every drilling rig, following fire fighting arrangement and equipment shall be provided :-
 - (a) adequate water storage, pumping facilities, hoses and nozzles;
 - (b) adequate number of appropriate portable fire extinguishers at the derrick floor, main engine area, electrical machinery, mud tank area, diesel storage area and other vulnerable places; and
 - (c) adequate number of appropriate portable fire extinguishers at the derrick floor, main engine area, electrical machinery, mud tank area, diesel storage area and other vulnerable places.
- (2) At every group gathering station and petroleum storage tank, following fire fighting arrangement and equipment shall be provided:-
 - (a) a water ring main with adequate storage of water at site, pump feeding hydrants and water monitors shall be provided and maintained; and
 - (b) fixed-roof storage tanks shall be provided with fixed foam connections.
- (3) In addition to the provisions of sub-regulations (1) and (2), the Regional Inspector may, by an order in writing, require maintenance of mobile fire fighting equipment of such type or specification as he may specify in the order.

(4) All installations including well head area with christmas tree shall be easily accessible so as to allow for external fire fighting assistance without any hindrance.

(5) Adequate number of fire tenders or equipment shall be kept readily available at convenient location for use in emergency at all time.

(6) A competent person shall once at least in every three months examine every fire extinguisher and shall discharge and refill it as often as may be necessary to ensure that is in proper working order.

(7) A report of every such examination or refilling under this regulation shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose duly signed and dated by the person making the examination or refilling:

Provided that the Regional Inspector may by an order in writing require such additional fire fighting arrangements, of such type and at such locations as he may specify in the order.

110. Use of fire fighting equipment.-

Every person employed at any drilling - rig, work-over rig, well head installation, group gathering station, storage tank or on such work where fire fighting equipment may be required to be used, shall be trained in the use of such equipment by holding regular fire drills for this purpose.

111. Emergency plan.-

(1) The manager shall frame an emergency plan and submit a copy thereof to the Regional Inspector who may approve it either in the form submitted or with such additions or alterations as he may deem fit.

(2) Emergency plan shall be prepared after carrying out risk assessment of the activities in the mines in respect to following emergencies :

- (a) fire;
- (b) blowout, explosion, ignition, influx of inflammable or noxious gases;
- (c) bursting of equipment, pipeline or uncontrolled escape of petroleum;
- (d) failure of structures;
- (e) accident involving boat, helicopter etc.
- (f) chemical spillage;
- (g) natural calamities;
- (h) medical evacuation, man over board; and
- (i) any other emergencies.

(3) The emergency plan shall contain -

- (a) the action to be taken in the event of any major accident including when and how the said action is to be taken;
- (b) organisation plan clearly stating the line of command and the responsibilities of each person involved in case of emergency situations;
- (c) equipment plan viz., make, type, capacity, location, field of operation, and operating procedure in respect of every equipment; and
- (d) strategy plan specifying the number of steps to be taken in any particular case of emergency.

(4) Action plan shall clearly stipulate –

- (i) alarm and communication system,

- (ii) system of notifying the authorities,
 - (iii) the duties and responsibilities of each key personnel including measures to be adopted to avert or minimise the consequences of the emergency,
 - (iv) when and how the equipment shall be used and when and how the action shall be carried out,
 - (v) help or information that would be available from associated and external agencies including government agencies,
 - (vi) guidelines for terminating the action; and
 - (vii) plan for training of personnel and for mock-drills.
- (5) (1) It shall be the duty of the manager to ensure that -
- (a) all equipment on the installation provided for compliance with the emergency plan is maintained in a reliable state under efficient working order and in good repair;
 - (b) there is a proper and suitable written scheme for the systematic examination of all emergency equipments by an independent competent person;
- (6) The manager shall specify the nature and frequency of examination that may be carried out, before first use of the equipment on the installation and also after any modification or repairs.
- (7) The manager shall review and modify the plan periodically and in particular before any alteration is carried out and submit a copy thereof to the Regional Inspector for approval.

112. Safety management plan.-

- (1) The owner, agent or manager shall prepare safety management plan in respect of all the operations of the mine in such a manner that -
- (a) the requirements of the Act and of these regulations, bye-laws and orders made thereunder are complied with in relation to any activity or in connection therewith;
 - (b) an organisational structure is in place with the aim of ensuring safety and health performance;
 - (c) the risks to safety and health are evaluated and measures are taken to reduce the risk to persons and damage to machinery or equipments likely to be affected;
 - (d) appropriate controls are in place to ensure that the decisions for ensuring and promoting safety and health are implemented;
 - (e) it is comprehensive and integrated;
 - (f) it provide for the identification of hazards and assessment of risks;
 - (g) it provide for measures to eliminate the hazards or control the risks;
 - (h) it provides for inspection, testing and maintenance of the equipment and machinery;
 - (i) it provides for adequate communication;
 - (j) it provides for any other matter that is necessary to ensure safety;
 - (k) it provides for monitoring, audit, review, training and continual sustainable improvement; and
 - (l) it provide for any other activity or operation which the Chief Inspector may specify in writing.
- (2) The owner, agent or manager shall prepare a manual for safety management plan and a copy of the manual shall be made available at the office of the mine.
- (3) A copy of the manual referred to in sub-regulation (2) shall be submitted to Chief Inspector and Regional Inspector within 180 days from the date of coming into force of these regulations.

The Oil Mines Regulations, 2011

(4) The Chief Inspector may either approve the manual submitted to him under sub-regulation (3) or with such modifications as he may deem fit.

(5) The Safety management plan shall be periodically reviewed and in particular before any alteration or system change is carried out and a copy thereof shall be submitted to both Chief Inspector and Regional inspector forthwith.

CHAPTER- X

MANAGEMENT OF SAFETY IN OFFSHORE INSTALLATIONS

113. Preparation of safety case.-

(1) The owner, agent or manager shall prepare a safety case in respect of every installation including combined operations if any, in such a manner that -

- (a) the safety management system is adequate in respect of the design and the operation of the installation;
- (b) the potential major hazards of the installation and the risks to personnel thereon have been identified and appropriate controls provided; and
- (c) in the event of a major emergency affecting the installation, adequate provision is made for ensuring temporary safe refuge for persons and also for their safe evacuation, escape and rescue.

(2) A copy of the safety case specified under sub-regulation (1) and duly signed by the manager shall be submitted to the Chief Inspector and Regional Inspector atleast ninety days before commencement of operations on the installation:

Provided that in respect of installations where operations have already commenced, the safety case shall be prepared and submitted within 180 days from the date of coming into force of these regulations.

(3) The safety case specified under sub-regulation (1) shall be reviewed and updated atleast once in every five years or at shorter interval as may be considered necessary and a copy of the same duly signed by the manager shall be submitted forthwith to the Regional Inspector.

(4) The Regional Inspector may require such modifications or alterations in the safety case as he deems fit.

114. Fitness of offshore installations.-

(1) Appropriate measures shall be taken to construct, install and maintain all offshore installations under foreseeable meteorological, oceanographic, environmental and sea-bed conditions.

(2) The measures specified under sub-regulation (1) shall include an assessment of the design and construction of the installation in relation to the conditions under which it is to be installed and used in accordance with approved standard.

(3) Every offshore installation shall have a valid certificate of fitness as provided under the provisions of the Merchant Shipping Act, 1958:

Provided that in case of the installations commissioned prior to the coming in force of these regulations, the certificate of fitness shall be obtained within six months of the coming into force of these regulations.

115. Identification of offshore installations.-

At every offshore installation there shall be displayed its name or other designation in such manner as to make the installation readily identifiable on approach by sea or air and is so equipped as to help locate or indicate its presence in hours of darkness and bad weather.

116. Underwater Operation. -

(1) The owner, agent or manager shall ensure that all diving activities are coordinated with the safety management system for the safe operation.

(2) Diving safety management system shall be based on relevant international recognised standard and shall include design, inspection, maintenance and testing of diving plant and equipment, training of diving personnel, hazard analysis including collision avoidance, safe practices manual and operational procedure during various stages of diving.

(3) The emergency procedure for specific situations of hazard and accident including lost bell and trapped drivers shall be formulated and established.

117. Operations in rough weather conditions.-

(1) The owner, agent, manager or installation manager shall identify the rough weather conditions and take adequate precaution in case of adverse weather and tidal conditions:

Provided that in case of adverse weather, work shall be stopped and all work persons shall be evacuated to safe place well in advance.

(2) The owner, agent, manager or installation manager shall take adequate steps to ensure safe transfer of personnel and cargo between the vessel and installation:

Provided that such transfers shall be stopped during adverse or unsuitable conditions.

118. Securing of wells before abandoning.-

(1) All wells shall be secured before they are abandoned so that well integrity remains intact during the time they are abandoned.

(2) With regard to sub-sea completed wells, the well integrity shall be monitored if the wells are planned to be temporarily abandoned for more than twelve months.

(3) The control of the well integrity shall be ensured by reconnection to temporarily abandoned wells.

(4) No radioactive sources shall be left behind in the well:

Provided that in case it is not possible to retrieve the radio-active source, the same shall be left in the well after adopting proper abandonment procedure as per the guidelines of the department of Atomic Energy, Government of India.

119. Permit to work.-

(1) Where the risks arising from the work to be performed under a given circumstance at an offshore installation demand a stringent system of control to ensure safety, it shall be ensured that such work is carried out only in accordance with the written instructions hereinafter called work permit, issued by a person authorised by the installation manager.

(2) The work permit shall specify the place, date, time and duration of such work, the precautions to be taken and the persons responsible for compliance.

(3) The permit to work system shall form part of Safety Management Plan.

(4) Different colours of permit shall be issued for different types of work and the period for which a permit to work remains valid.

(5) All permit to work system shall incorporate a mechanical isolation procedure which involves the physical locking off and tagging of isolation valves.

(6) A permit to work and its consequent isolation, both mechanical and electrical shall remain in force until the work is sufficiently complete for the permit to be signed off and the equipment returned to operation.

(7) Copies of all issued permits to work shall be displayed at a convenient location and in a systematic arrangement such that process operating person can readily see and check which equipment is under maintenance and not available for operation.

(8) Owner, agent and manager shall be responsible for and undertake training of all persons, their own or those of contractors, in the detailed permit to work procedures where those persons are required to act as designated or performing authorities and a record of such training shall be maintained and such trained persons shall carry documentary proof of having undergone such training.

120. Suspending a permit to work.-

(1) At the end of the shift when the work is to be suspended, the performing authority shall, after inspecting the site, sign the permit to the effect that the work is suspended and return it to the designated authority.

(2) The designated authority shall inspect the site to ensure that the work may be suspended safely and shall sign the permit accordingly.

(3) The permit, together with other suspended permits, shall be located in a prominent position in the control room or permit office clearly labelled as suspended.

(4) Before re-issuing the permit to work, the designated authority shall ensure that the site is inspected again to ensure that all required isolation are still in place.

121. Prevention of fire and explosion at an offshore installation.-

(1) The owner, agent or manager shall submit to the Regional Inspector a fire risk analysis of the installation 30 days before its operation:

Provided that in the case of existing installations, fire risk analysis shall be submitted within 60 days of the coming into force of these regulations.

(2) Fire and explosion protection shall be integrated in the design of installations as active and passive fire protection measures or a combination of the two which shall be assessed on the totality of the measures taken including minimisation of petroleum inventory, drainage of spills of flammable liquids, installation layout to separate vulnerable targets from high risk areas, ventilation to disperse leaks, elimination of ignition sources, system to provide early detection of gas and fire, localisation of fire by fire and explosion resistant walls, floors and ceilings, reduction of over pressures by equipment layout, venting and minimisation of missiles.

(3) Any measures including fire deluge system to fight fire shall be so designed as to survive severe accident conditions and to be effective.

122. Emergency shut down system and fire shut down system.-

(1) Every process complex shall be provided with an emergency shut down system and a fire shut down system.

(2) The emergency shutdown system referred to in sub-regulation (1) shall be capable of shutting down all wells and all activities on process complex except those which may be required for dealing with the emergencies.

(3) The emergency shut down system and fire shut down systems shall also be capable of bleeding off petroleum from the flow lines.

(4) The fire shut down system shall be capable of activating the automatic fire fighting system at the affected area.

(5) The switches of the systems specified in this regulation shall be conveniently located at strategic points and shall be well marked.

123. Safety valves on offshore wells.-

A surface controlled sub-surface safety valve and a well head surface safety valve shall be provided and maintained at each well in accordance with the approved standards in addition to other well head valves.

124. Emergency escape survival craft.-

(1) Each offshore installation shall be provided with totally enclosed motor propelled survival craft (TEMPSC) having in aggregate sufficient capacity to accommodate safely on board 150% of the number of persons on the installation and such provision shall be readily accessible from the Temporary Safety Refuse (TSR).

(2) Each offshore installation shall be provided with life rafts having in aggregate sufficient capacity to accommodate safely on board at least the number of persons on board the installation, along with suitable ropes or scrambling nets to enable those persons to obtain access to the life rafts after they have been launched and deployed.

(3) A standing vessel shall be provided within easy reach of an offshore installation or a group of offshore installations which shall be equipped and maintained with the following facilities :-

- (a) it shall be highly maneuverable and able to maintain its position;
- (b) it shall provide full visibility of the water line in all direction from the bridge;
- (c) it shall have atleast 360° search lights capable of being remotely controlled;
- (d) it shall have two fast rescue crafts which shall be able to travel at 25 knots in normal sea states.
- (e) each of the fast rescue crafts referred to in clause (d) shall be provided with radio communication facilities and adequate portable search lights;
- (f) it shall have means of rapid launching of its fast rescue craft;
- (g) it shall have adequate means of communication by radio with its fast rescue crafts, the installation, nearby vessels and the shore;
- (h) it shall have atleast two methods of retrieving survivors from the sea;
- (i) it shall be manned by appropriate numbers of crew members and shall be operational at all time;
- (j) crew members of standing vessels shall be imparted with adequate training including practical aspect of rescue of survivors and record shall be maintained on-shore.

(4) Installation manager and other persons on the installation shall be trained in the decision making in case of emergency by way of drills and exercises.

(5) Precautionary evaluations at regular interval shall be made of the drills and exercises and a record of such evaluation shall be maintained.

125. Transportation by helicopter.-

- (1) No helicopter shall land or take off from an installation until radio and visual communication has been established between the helicopter, the installation and base, as the case may be.
- (2) All necessary precaution shall be taken to ensure the safety of persons on or around the installation during helicopter operation including -
 - (a) vessels which may be along side; and
 - (b) crane movement as may endanger the helicopter operation.
- (3) A suitable means shall be provided for ascertaining at any time the wind speed and direction, air temperature and barometric pressure.
- (4) Procedure shall be established in respect of the installation providing for regular and systematic determination and recording of parameter specified under sub-regulation (3) and also visibility, cloud base, and cover.
- (5) Adequate and suitable equipment as specified by Director-General, Civil Aviation shall be provided to ensure the safety of helicopter operation.
- (6) A code of precautions specifying the safety guidelines for maintenance of helicopter, refueling, daily examination, duties of various persons and the checklists for the helicopter operations shall be framed by the manager in consultation with Director-General, Civil Aviation and made available to the concerned persons.
- (7) A competent person appointed to be in control of helideck operations on the offshore installation shall be present on the installation.
- (8) The competent person shall carry out appropriate duties before any helicopter lands on the offshore installation or takes off from it.
- (9) Procedures shall be established and equipment provided to secure landing and take off of helicopters without risks to the safety of personnel and the installation.

126. Landing area.-

- (1) Where a helicopter landing area is provided, it shall be located, demarcated constructed and maintained to the standard specified by Director-General, Civil Aviation.
- (2) The floor of the helideck at the installations shall be of a type that afford adequate friction to avoid skidding of the helicopter.

127. Control of helicopter movement.-

- (1) A competent person shall be appointed at each installation as helicopter landing official, to be responsible for the control of helicopter operations in relation to the installation.
- (2) No person shall be appointed as helicopter landing official unless he has been adequately trained and duly authorised by the installation manager in writing.
- (3) All persons engaged in helicopter operation on an installation or base or who may be in or around the helicopter landing area shall be subjected to the immediate and effective control of the helicopter landing official.

128. Transport by marine vessels.-

- (1) While transporting persons by sea to and from the installation, adequate precaution shall be taken for their safety.
- (2) It shall be ensured that while persons are being transferred from vessels to installation or installation to vessels, adequate arrangements are made for their safe transfer.
- (3) No transfer from vessel to the installation or visa-versa shall be carried out on rough seas.
- (4) A code of precautions specifying the safety guidelines, maintenance of vessels, daily examination, duties of various persons and the checklists for the vessels operations shall be framed by the manager and made available to the concerned persons.

129. Life saving appliances for offshore installations.-

- (1) Suitable life saving appliances such as life boat, life raft, life-buoys, life-jackets, working-vests, scrambling nets and escape ladders, escape capsules etc., shall be provided in sufficient numbers and maintained on each installation in accordance with the provisions of the Merchant Shipping Act.
- (2) The life saving appliances as mentioned in sub-regulation (1) shall be -
 - (a) of type, number, capacity, design and construction as per the approved standard; and
 - (b) maintained and kept in working order.
- (3) All persons shall be properly trained in effective use of the life saving appliances mentioned in sub-regulation (1).
- (4) Small transmitters or detectors shall be provided on life-jackets in order to assist in the finding of personnel in the dark and luminescent strips shall be of a colour other than orange.

130. Means and routes of escape on offshore installations.-

- (1) Sufficient and suitable routes of escape to abandonment areas and to sea level shall be provided and maintained on each installation.
- (2) The escape route shall be -
 - (a) kept and maintained free from obstruction;
 - (b) clearly indicated by suitable fluorescent signs, and
 - (c) effectively protected.
- (3) Any appliance provided as part of means of escape and which does not form part of the installation shall be stored and clearly marked so as to be readily available for immediate use.

131. Unmanned platform.-

- (1) Not less than two persons shall be permitted to go or remain at any unmanned platform or work in any isolated area.
- (2) All unmanned platforms shall be adequately equipped to afford safe working conditions to workpersons.

132. On board medical officer.-

- (1) The owner agent or manager shall ensure that at each manned installation, depending on its size, a qualified medical officer or a paramedic is available at all times.

(2) The medical officer on board shall promote good health and contribute to prevention of disease and injury through-

- (a) collection and dissemination of information on such features of the workplace that may affect health;
- (b) ensuring that adequate standards of hygiene are maintained;
- (c) taking appropriate preventive action within his area of responsibility;
- (d) diagnosis and treatment of disease and injury, and first aid after accidents;
- (e) incorporation of health emergency preparedness into the general emergency preparedness of the enterprise, including transport of the sick and injured;
- (f) taking steps to prevent spread of communicable diseases on the installation.

133. Accommodation.-

- (1) The number of persons accommodated on a facility shall normally not exceed the number that the facility was designed for.
- (2) The number of persons accommodated on a facility may in emergent cases and in consultation with the safety officer, exceed the number that the facility was designed for.
- (3) When decision is made concerning the duration and extent of such accommodation under this regulation, the consequences shall be considered and compensating actions shall be taken to ensure safety and necessary rest and restitution.

CHAPTER-XI
MACHINERY, PLANT AND EQUIPMENT

134. Use of certain machinery and equipment.-

(1) The Chief Inspector may, from time to time, by notification in the official Gazette, specify appliances, equipment, machinery or other material that may be used in a mine which shall be of such type, standard and make as approved by the Chief Inspector by a general order and where any such appliance, equipment, machinery or other material has been specified by the Chief Inspector, no appliance, equipment, machinery or material other than that approved by the Chief Inspector as aforesaid shall be used in any mine.

(2) Where in the opinion of the Chief Inspector or Regional Inspector any appliance, equipment, machinery or other material not notified under sub-regulation (1) is likely to endanger life or safety of any person employed in any mine, the Chief Inspector may by an order in the writing prohibit the use of such appliance, equipment, machinery or material in any mine.

135. Use of mobile cranes.-

(1) Mobile cranes shall not be used for lifting loads beyond their rated capacity.

(2) A safe load indicator shall be provided in the mobile cranes to give warning when overload occurs.

(3) A load radius indicator shall be provided to indicate appropriate safe working load and radius which shall be clearly visible to the crane operator.

(4) Motion limit devices shall be provided to limit hoisting, swinging and boom extending.

(5) Effective audio visual alarm shall be provided which shall get actuated automatically whenever the crane is reversed.

(6) The crane operator shall have a clear view of the load being handled and where it is not practicable to do so, suitable signaling system shall be provided for giving suitable signals for safe operations.

(7) Certified and tested slings shall only be used.

(8) Only competent and trained crane operator shall be permitted to operate.

(9) Mobile crane shall be examined by a competent person at such interval and in accordance with the procedure as laid down by the manager or deputy manager or installation manager and the results of such inspection shall be recorded by the person making the inspection.

136. Lifting appliances and gears.-

(1) Lifting appliances, gears system shall be properly maintained and operated to ensure safety of the persons.

(2) The engineer authorised for the purpose shall ensure that -

(i) the design, construction and installation of lifting appliances, gears and ropes are in accordance with approved standard; and

(ii) selection of appliances and gears are suitable for the purpose for which they are intended for use.

(3) Personnel engaged for lifting operations shall be imparted job related training for safe operation.

137. Classification of hazardous area.-

The areas in the mine shall be classified into different zones according to the degree of probability of the presence of hazardous atmosphere by the Chief Inspector or an Inspector assisted by such assistants and after such investigations as he may consider necessary.

138. Use of electrical equipment in hazardous area.-

(1) No electrical appliance, equipment, or machinery including lighting apparatus shall be used in zone 'O' hazardous area.

(2) The Chief Inspector may from time to time by notification in the official Gazette specify appliances, equipment and machinery that are or may be used in zone 1 and zone 2 hazardous area which shall be of such type, standard and make as approved by the Chief Inspector by a general or special order in writing and where any such appliances, equipment or machinery has been specified by the Chief Inspector, any appliances, equipment or machinery other than that approved by the Chief Inspector shall not be used in such hazardous area.

139. Construction and maintenance of machinery.-

All parts and working gear whether fixed or moveable including the anchoring and apparatus used as or forming part of the equipment of a mine and all foundations in or to which any such appliances are anchored or fixed shall be of good construction, suitable material, adequate strength and free from visible defect and shall be properly maintained.

140. Maintenance System.

(1) All machinery and equipment in the installation shall be maintained in an efficient working order and kept in good repair.

(2) Procedure shall be established for the maintenance of machinery and equipment.

(3) The procedure referred to in sub-regulation (2) shall -

(a) specify the nature and frequency of examination;

(b) provide for an examination to be carried out, where appropriate, before the machinery and equipment is first used on the installation and also after major modification or repair.

(4) The examination referred to in sub-regulation (3) shall mean critical scrutiny of machinery and equipment, in or out of service as appropriate, using suitable techniques, including testing where appropriate:

(a) to assess its suitability for the purpose for which these are to be used;

(b) to assess its actual condition; and

(c) to determine any remedial measures.

(5) The procedure established under this regulation shall include a plan for implementation of the remedial measures identified.

(6) All measuring gadgets, meters, relief valves, etc., shall be calibrated at regular intervals specified by the manufacturers.

141. Internal combustion engines.-

(1) Internal combustion engines of over 30 horse power shall be provided with means, other than manual, for starting them :

Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to prohibit manual starting in an emergency.

(2) Where compressed air is used for starting the engine, a non-return valve shall be provided in the compressed airline as close to the engine as practicable.

(3) The exhaust system of the engine shall be provided with suitable device to prevent discharge of open flame and sparks from the exhaust.

- (4) Adequate precaution shall be taken to prevent accumulation of flammable vapour near the internal combustion engine.
- (5) The electrical accessories of an internal combustion engine shall comply with the provisions of Indian Electricity Rules, 1956.

142. Apparatus under pressure.-

- (1) All apparatus used as or forming part of the equipment of a mine which contains or produces air, gas, petroleum or steam at a pressure greater than atmospheric pressure shall be so constructed, installed and maintained as to obviate any risk of fire, bursting, explosion or collapse or the production of noxious gases.
- (2) Every air receiver or container or separator used for storage of petroleum or gas or steam under pressure shall be fitted with a safety valve and pressure measuring device which shows pressure in excess of the atmospheric pressure.
- (3) Before an air receiver or a container containing petroleum or gas or steam is cased in or put in commission, a competent person shall subject it to a hydraulic test at a pressure atleast one and half times of the maximum permissible working pressure and similar test shall be made after every renewal or repair and in any case at intervals of not more than three years or at such shorter intervals as may be required by the Chief Inspector, and the results of every such test shall be recorded by the competent person carrying out the test and countersigned and dated by the manager, deputy manager or installation manager.
- (4) The discharge line of a pressure apparatus shall be provided with a pressure relieving safety device.
- (5) There shall be no valve or fitting between the pressure apparatus and its pressure relieving safety device or between the device and point of discharge, as would render the device ineffective.
- (6) The pressure relieving safety device shall be set to open at a pressure not exceeding 10 percent above the maximum allowable working pressure.
- (7) The pressure relieving safety device shall be tested and calibrated at least once in a year, and a record of every such test shall be kept in a bound pagged book kept for the purpose by the person making the test, duly signed and dated by him.
- (8) Discharge end of relief valve of separator, heater treater or other pressure vessel, etc., shall be connected by suitable piping to a tank:

Provided that such other suitable system shall also be provided for avoiding oil and gas spillage in case of opening of relief valve.

- (9) Every in-coming gas line connected to any gas compressor shall be provided with a shut-off valve at safe distance outside the compressor shed.
- (10) No repairs shall be undertaken in respect of any gas compressor and pipelines and fittings connected to it unless the control valves on the inlet and discharge lines are closed and securely locked.

143. Precautions regarding moving parts of machinery.-

- (1) Every winch shall be provided and used with a stopper, pawl or other reliable holder.
- (2) Every flywheel and every other dangerous exposed part of any machinery used as or forming part of the equipment shall be adequately fenced by suitable guards of substantial construction to prevent danger and such guards shall be kept in position while

the parts of the machinery are in motion or in use but they may be removed for carrying out any examination, adjustment or repairs if adequate precautions are taken.

- (3) No person shall be allowed to repair, adjust, clean or lubricate machinery in motion where there is risk of injury.
- (4) No person shall be allowed to shift or adjust a driving belt, chain or rope while the machinery is in motion unless a proper mechanical appliance is provided for the purpose.
- (5) No person in close proximity to moving machinery shall wear or be permitted to wear loose outer clothing.
- (6) No unauthorised person shall be permitted to enter in any engine room, including gas turbine, compressor, or other machine area, or in any way interfere with the machinery.

144. Engine rooms and their exits.-

- (1) Every engine, motor, compressor, turbine and pump room, and every room in which highly flammable materials are stored shall be kept clean, and be provided with atleast two exits.
- (2) Every exit shall be clearly marked, properly maintained and kept free from obstruction.

145. Working and examination of machinery.-

- (1) No machinery shall be operated otherwise than by or under the constant supervision of a competent person.
- (2) Every person in charge of any machinery, apparatus or appliance shall before commencing work ensure that it is in proper working order and if he observes any defect therein, he shall immediately report the fact to the installation manager or other competent person.
- (3) Person in charge of an air-receiver shall ensure that no extra weight is added to the safety valves and that the permissible pressure of air is not exceeded.
- (4) A competent person or persons appointed for the purposed shall, once at least in every seven days, make a thorough inspection of all machinery and plant in use, and shall record the result thereof.
- (5) In respect of electrical machinery and plant, the competent person shall be a person holding qualifications specified in the India Electricity Rules, 1956.

CHAPTER- XII
GENERAL SAFETY PROVISION

146. Housekeeping.-

- (1) Loose materials which are not required for use shall not be placed or left so as to dangerously obstruct workplaces and passage-ways.
- (2) All projecting nails and ends of railings shall be bent over to prevent injury.
- (3) Scrap, waste and rubbish shall not be allowed to accumulate in work places, access or egress.
- (4) Workplaces and passage-ways that are slippery owing to oil, mud or other causes shall be cleaned up and made safe.
- (5) Portable equipment shall be returned after use to its designated storage place.
- (6) Equipment, tools and small objects shall not be left lying about where they could cause an accident either by falling or causing person to trip.

147. General lighting.-

- (1) Adequate general lighting arrangements shall be provided during working hours at the following places -
 - (a) Where the natural lighting is insufficient;
 - (b) derrick floor;
 - (c) driller's stand and control panel;
 - (d) monkey board;
 - (e) every engine and pump house;
 - (f) derrick sub-structure near blowout preventer controls;
 - (g) every place where persons are to work;
 - (h) every means of escape, access or egress;
- (2) The lighting provided in a mine shall as far as possible be so arranged as to prevent glare or eye strain.

148. Electric lighting.-

- (1) Every electrical lighting apparatus used in hazardous area shall be of a type approved by the Chief Inspector.
- (2) The lighting system installed in the mine shall comply with the provisions of the Indian Electricity Rules, 1956.
- (3) Every electrical lighting apparatus shall be so fitted as to protect it from accidental damage.

149. Standard of lighting.-

The Chief Inspector may from time to time by notification in the Official Gazette specify the standard of lighting to be provided in any specified area or places in a mine.

150. Emergency lighting.-

Adequate number of self contained portable hand lamps of approved type or any other source of self contained back up power system shall be made and kept available for immediate use in emergency.

151. Supply and use of protective footwear.-

- (1) No person shall go into work or be allowed to go into work in a mine unless he wears a protective footwear of such type as may be approved by the Chief Inspector who may specify by a general or special order in writing.
- (2) Protective footwear referred to in sub-regulation(1) shall be supplied free of cost by the owner, agent or manager at interval not exceeding one year or such other intervals as the Chief Inspector may specify by a general or special order in writing.
- (3) The owner, agent or manager shall at all times maintain a sufficient stock of protective footwear in order to ensure immediate supply as and when need for the same arises.

152. Supply and use of protective helmet and footwear.-

- (1) No person shall go into or work or be allowed to go into work in a drilling rig or work-over rig or rig building or rig dismantling or at such other place of work where there is a hazard from flying or falling objects unless he wears a helmet of such type as may be approved by the Chief Inspector by a general or special order in writing.
- (2) The helmet referred to in sub-regulation (1) shall be supplied free of cost at intervals not exceeding three years by the owner, agent or manager who shall at all times maintain a sufficient stock of helmets in order to ensure immediate supply as and when need for the same arise:

Provided that when a helmet is damaged during its legitimate use, it shall be immediately replaced free of cost.

- (3) The owner, agent or manager shall provide protective footwear and helmet free of charge.
- (4) Every person provided with protective footwear and helmet shall wear the same while at work.

153. Protective equipment.-

- (1) Every person engaged in the operations and every other person who may be exposed to the risk of injury, poisoning or disease arising from the operations shall be provided with -
 - (a) depending upon the risk, suitable protective equipment including respiratory protective equipment, eye protectors, gloves, coverall and aprons; and
 - (b) suitable protective outer clothing for use in rain and extreme weather conditions;
- (2) All the protective equipment shall be provided free of charge.
- (3) Every person provided with protective equipment shall use the same while at work.

154. Personal survival and escape equipment for off shore installations.-

- (1) Each individual on board an installation shall be provided with -
 - (a) a personal survival (or immersion) suit;
 - (b) a life jacket;
 - (c) a smoke hood of a simple filter type to exclude smoke and provide protection for atleast 10 minutes during escape to or from the Temporary Safety Refuse;
 - (d) a torch; and
 - (e) fire-resistant gloves.

- (2) The articles mentioned in sub-regulation (1) shall be kept in the accommodation.
- (3) Survival suits, life jackets and smoke hoods for atleast one and half times the number of persons on the installations shall be stored in containers placed at suitable location of the installations.
- (4) Small transmitters or detectors shall be provided on life-jackets in order to assist in the finding of personnel in the dark and luminescent strips shall be of a colour other than orange.

155. Protection against noise.-

- (1) The owner, agent or manager shall take steps to reduce the noise level and to reduce the exposure of work persons to noise.
- (2) No person shall be allowed to work without appropriate ear protection in an area if he is exposed to an equivalent continuous noise level exceeding 90 dB(A).
- (3) No person shall enter or be allowed to enter an area in which the sound level is 140dB(A) or more.
- (4) The Chief Inspector may, from time to time, by notification in the Official Gazette, specify the permissible noise exposure in any area or place in a mine.

156. Communication.-

- (1) Efficient means of communication shall be provided and maintained in good working order between manned installations, and the office of the manager and other places of work:
Provided that wherever possible, communication shall be by radio telephone and an alternative means of signaling shall also be provided.
- (2) Equipment for external communication shall be chosen on the basis of operational needs, type of activity and defined situations of hazard and accident.
- (3) Communication equipment and associated power supply shall be designed and protected so as to remain functional in situations of hazard and accident.
- (4) The communication and signaling system installed in the mine shall comply with the provisions of the Indian Electricity Rules, 1956.

157. Safety while working at height.-

Where any person is working at more than 1.8 meters height, the owner, agent or manager shall provide an approved safety belt suitable for the hazard exposure which shall be attached by means of a lifeline to a fixed anchor.

158. Precautions against toxic dusts, gases and ionising radiation.-

- (1) The emission of toxic dust, gases fumes and ionising radiation shall be prevented or controlled at source as far as reasonably practicable.
- (2) Every person liable to be exposed to toxic dust, gases, fumes and ionising radiation shall be instructed in the safe working methods and techniques, by a competent person appointed for the purpose.
- (3) The Chief Inspector may from time to time, by notification in the Official Gazette, specify the permissible limits of exposure to toxic dusts, gases fumes and ionising radiations.

159. Safety warning signs.-

- (1) Storage area and containers of toxic, corrosive, flammable, poisonous and radioactive material shall be properly labeled and appropriately stored according to content.

- (2) Warning signs shall be posted to denote any hazardous situation.
- (3) Warning signs shall be posted in areas where the use of personal protective equipment is required.
- (4) Identification signs shall be conspicuously posted to locate emergency equipment and directions of escape route.
- (5) Pipelines carrying steam or fluid at high pressure shall be conspicuously identified.

160. Protection against pollution of environment.-

(1) Any oil discharged from a well during its completion, testing and repairs shall be collected in suitably constructed and adequately fenced disposal pits or burnt in case of off shore operations through a special type of oil burners.

(2) In offshore operations, the oil spill preparedness and combating shall be in accordance with the National Emergency plan, 1996 issued by Coast Guard Headquarters, New Delhi (Ministry of Defence), as amended time to time.

(3) No disposal pits shall be constructed within 45 metres of any railway, public road or of any public works or of other permanent structure not belonging to the owner:

Provided that in case where special conditions exist, the Chief Inspector may by an order in writing and subject to such conditions as he may specify therein, permit such construction in variation with these provisions.

(4) Untreated sewage, formation water, oil, drilling fluid, waste, chemical substances or refuse from a well, tank or other production installation shall not be permitted, -

- (a) to create hazard to public health and safety;
- (b) to run into or contaminate any fresh water structure or body of water or to remain in a place from which it might contaminate any fresh water or body of water;
- (c) to run over or damage any land, highway or public road; and
- (b) to be disposed off in the sea.

(5) Before any fluid is discharged into sea or fresh water structure or any body of water, it shall be treated and samples of fluid at regular interval shall be obtained and analysed and the results of such analysis shall be maintained by the person collecting the sample and analysing the same.

(6) No scrap, surplus or unused material shall be permitted to be dumped or disposed off in the sea or in the vicinity of any installation.

(7) Gas produced at any installation shall not be discharged to the atmosphere unless it is burnt, or in the manner otherwise approved by the Chief Inspector through a general or special order.

(8) Gas to be burned, referred to in clause (a) shall be discharged from a flare line in the following manner:-

- (a) flare-line shall terminate with the vertical rise of at least 9 meters or such greater height as may be required by Regional Inspector by an order in writing;
- (b) the flare-line shall be adequately anchored and provided with suitable means to prevent extinction of the flame;
- (c) when the gas-flow is intermittent, the flare-line shall be provided with a remote controlled electrical ignition device to ensure continuous ignition of any gases; and
- (d) a green belt of adequate width shall be developed around the flare:

Provided that where practical difficulties exists, the Regional Inspector may relax the provisions of this regulation subject to such condition as may be required.

161. Fencings.-

- (1) The Christmas tree provided at any well on land shall be kept securely fenced with access gates securely locked.
- (2) The protected area surrounding every drilling or work over installation, production installation, storage tank and flare stack shall be provided with fence of not less than 1.8 meters in height.
- (3) Precaution shall be taken to prevent any unauthorised person from access to any place which has been duly fenced.
- (4) Every fence shall once atleast every seven days be examined by a competent person and a report of every such inspection shall be recorded in a bound paged book kept for the purpose duly signed and dated by the person who made the examination.
- (5) If any doubt arises as to whether any fence, guard, barrier or gate provided under this regulation is adequate, proper or secure, it shall be referred to the Chief Inspector for decisions, whose decision thereon shall be final.

CHAPTER- XIII
MISCELLANEOUS

162. Contractors and Service providers.-

While hiring contractor or service provider, the owner and the agent shall ensure that the contractors and the service providers as the case may be, are qualified to carry out the requirements under the Act, or the rules, regulations, byelaws or orders made thereunder, and shall ensure that such contractor or service provider comply with the requirements or duties assigned to them at the mine.

163. General Safety.-

No person shall negligently or willfully do anything likely to endanger life or limb in the mine or negligently or willfully omit to do anything necessary for the safety of the mine or of the persons employed therein.

164. Safety and health education and instructions.-

In every mine, safety and health education and instruction programmes shall be organised regularly to make the workers safety conscious and instil an awareness of occupational safety and health at every level.

165. Place of accident not to be disturbed.-

(1) Whenever there occurs in or about a mine an accident causing loss of life or serious bodily injury to any person, the place of accident shall not be disturbed or altered before the arrival or without the consent of the Chief Inspector to whom notice of the accident is required to be given under sub-section (1) of section 23 of the Act, unless such disturbance or alteration is necessary to prevent any further accident, to remove bodies of the deceased or to rescue any person from danger, or unless discontinuance of work at the place of accident would seriously impede the working of the mine :

Provided that where the Chief Inspector or the concerned Inspector fails to inspect the place of accident within seventy two hours of the time of the accident, work may be resumed at the place of accident.

(2) Before the place of accident involving a fatal or serious accident is disturbed or altered due to any reason whatsoever, a sketch of the site illustrating the accident and all relevant details shall be prepared in duplicate and such sketch shall be duly signed by the manager or assistant manager, safety officer, surveyor and the workmen's inspector or, where there is no workmen's inspector, by a workperson nominated by the workers in this behalf:

Provided that if the place is disturbed or altered to prevent further accident or to rescue persons from danger before the sketch could be prepared, the same shall be prepared immediately thereafter, giving all relevant details as existed before the place was disturbed or altered.

(3) One of the authenticated sketches shall be delivered or sent to the concerned Inspector.

166. Pointing out of contraventions detected during inspections.-

(1) If the Chief Inspector or an Inspector during his inspection of any mine, finds, or comes to know of any contravention of any provisions of the Act or the regulations, rules, bye-laws or orders made thereunder, he shall submit a report thereon and either himself intimate or cause the same to be intimated to the owner, agent or manager of the mine, of such contravention.

(2) The owner, agent or manager shall, within three days of the receipt of intimation under sub-regulation (1), display the contents thereof on the notice board of the mine for a period of atleast 15 days and when so required, the owner, agent or manager shall also supply the copies thereof to the registered or recognised trade unions and to the State Government concerned.

(3) The owner, agent or manager of the mine shall, within a period not exceeding fifteen days from the date of receipt of the intimation under sub-regulation (1), intimate to the Regional Inspector the action taken to remedy each of the contraventions and the manner in which such contraventions have been remedied.

(4) The agent or manager or in their absence the next senior most official of the mine shall accompany the Chief Inspector or Inspector during his inspection and note down immediately the contraventions pointed out by him on the spot.

(5) The owner, agent or manager of the mine, shall as soon as possible, intimate to the Chief Inspector or the Inspector who made the inspection, details of action taken to remedy the contraventions, intimated under sub-regulation(1).

167. Signing of returns, notices and correspondence.-

All returns and notices required under or correspondence made in connection with the provisions of the Act and of the regulations or orders made thereunder shall be signed by the owner, agent or manager of the mine:

Provided that the owner may, by a power of attorney, delegate these function to any other specified person:

Provided further that in respect of notice of accident, the manager may delegate this function to any deputy manager/installation manager.

168. Chief Inspector to exercise power of the Regional Inspector.-

Any power granted under these regulations to the Regional Inspector may be exercised by the Chief Inspector or any other Inspector authorised in writing in that behalf by the Chief Inspector.

169. Appeal to the Chief Inspector.-

An appeal may be preferred against an order made by the Regional Inspector under any of these regulations, to the Chief Inspector who may confirm, modify or cancel the order and every such appeal shall be preferred within 15 days of the receipt of the order by appellant.

170. Appeal to Committee.-

(1) An appeal may be preferred against against any order of the Chief Inspector within 20 days of the receipt of the order by the appellant to the Committee constituted under section 12 of the Act.

(2) Every order of the Chief Inspector against which an appeal is preferred under sub-regulation (1) shall be complied with pending receipt at the mine of the decision of the Committee :

Provided that the Committee may, on application by the appellant, suspend the operation of the order appealed against, pending the disposal of the appeal.

FIRST SCHEDULE
FORM-I

(See regulation 3 and 6)
Notice of opening, closing or change of name

From

.....
.....

To

1. The Chief Inspector of Mines, Dhanbad.
2. The Regional Inspector of Mines,Region
- 3.
- 4.

Sir,

I have to furnish the following particulars in respect of (i) at
.....(name) mine of.....(owner).

1. In case of CHANGE OF NAME OF MINE

old name of mine..... Date of change.....

2. *(1) Situation of the mine;

Village.....
Police station.....
District.....
State.....

- * (2) In case of a NEW MINE, particulars of situation of mine:

Post office.....
Telegraph office.....
Railway station.....
Present Previous

- (3)* Intimation concerning Offshore Installation

Name and location of Offshore Installation :
(Longitude/Latitude)

Type of Installation (Fixed/Mobile) :

Type of Operations (Drilling/Production/Work-over)

	Present	Previous

4. (1) Name and postal address of (ii)		
(a) Owner.....		
(b) Agent, if any		
(c) Manager		
*(2) In case of change, date of change		
*5. (1) Name of manager/installation manager whose appointment is terminated/who is appointed (iii)		
(2) Date of appointment/termination of appointment (iii)		
*6. Date on which it is intended to open/reopen abandon/discontinue (iii) the mine		
*7. Actual date of opening/reopening/abandonment/discontinuance (iii) of the mine_____		
8. Any other Information		

Yours faithfully
Signature.....
Designation- Owner/Agent/Manager

Date.....

INSTRUCTIONS

- *Only such columns to be filled in respect of which notice given:
- (i) Mention the matter to which the notice refers.
 - (ii) Need not be filled in if the notice relates to item 4.
 - (iii) Delete whichever is not applicable.

FORM – II

(See regulation 4)

Quarterly return for the quarter ending20

1. Name of Mine:

Postal address of Mine:

2. Situations of Mine:

Place:

District:

State:

3. Name of Owner:

Postal address of owner

4. Name of agent, if any:

Postal address of agent

5. Name of manager

Postal address of manager

Table A to C dully filled in are attached.

Certified that the information given above and in Table A to C is correct to the best of my knowledge.

Signature.....

Designation-

.....

Date.....

Owner/Agent/Manager

Table A
PRODUCTION *

Type of Product Closing Stock of oil/gas	Production of oil/gas	Value of oil/gas produced**			Despatch
		To Refinery	To market	Domestic consumption	
1	2	3	4A	4B	4C
5					

Signature.....

Designation- Owner/Agent/Manager

Date.....

INSTRUCTIONS

* The figures should be stated in kilolitres/cubic metres.

** Value should be calculated upon actual or estimated selling price, at the mine. Any charges incurred in transporting the oil outside the mine property should not be included. Royalty figures will not be accepted.

Table B
Number of Man-days, Etc.

Give maximum number of persons employed on any day during the quarter

(Number) on.....(a) Number of working days during the quarter:

Classification	Aggregate member of man-days worked		Aggregate number of mandays lost on account of absence	
	(b) Men	(c) Women	(d) Men	(e) Women

-
- (a) Clerical and supervisory staff (s)
 - (i) Supervisors
 - (ii) Clerks
 - (b) Other workers employed at
 - (i) Drilling
 - (ii) Production
 - (iii) Workshops etc.
 - (iv) Fire-services
 - (v) Miscellaneous

Total

If there is any marked increase or decrease in attendance or absence, please account for it.

Signature.....

Designation- Owner/Agent/Manager

Date.....

INSTRUCTIONS

- (a) Give day of the week and the date and month.
- (b) The information should cover all person 'employed' in the mines as defined in section (1)(h) of the Mines Act, 1952 including electrical and subordinate supervisory staff.
- (c) Total number of man-days worked should be obtained by adding the daily attendance or the whole quarter.
- (d) Total number of man-days lost by absence should be obtained by adding the daily absences for the whole quarter.
- (e) Absences should include all cases in which a person is 'scheduled to work' or is expected to turn up for work but does not. All permanent employees are to be treated as 'Scheduled to work'. So far as temporary or casual employees are concerned, a person who attended work during the preceding week should be considered as 'scheduled to work' during the week under consideration unless:
 - (i) he has reported his intention to quite; or
 - (ii) his services have been terminated by the management; or
 - (iii) he does not turn up for work during the whole week.

A person who has not worked during the preceding week should be considered as 'scheduled to work' only from the day in which he joins work during the week under consideration. Absence due to strike, lockout, lay off or maternity leave should not be included in absence here.
- (f) Supervisory staff does not include senior officers like agent, manager, installation manager, welfare officer etc. but includes only the subordinate supervisory staff.

**TABLE C
HOURS OF WORK AND EARNING**

Information should be furnished in respect of one complete working week during the last month of the quarter(a).

1. Attendance, man-hours worked and cash earnings.

Classifications	Average daily attendance during the week (b)	Aggregate number of manhours worked during the week (c)	Total cash payments for work done during the week (d)			
			Basic	Dearness allowances	Other wages payment	Total cash (e)

- (a) Clerical and supervisory staff (s)
 (i) Supervisors
 (ii) Clerks
 (b) Other workers employed at--
 (i) Drilling
 (ii) Production
 (iii) Workshops etc.
 (iv) Fire-services
 (v) Miscellaneous

2. Total estimated value of concessions in kind (g) given during the week : Rs. -----

3. Normal hours of production shifts :

From
 To
 1st Shift-----
 2nd Shift -----
 3rd Shift -----

4. Number of working days in the week-----

If there is any major change in wages or hours of work as compared to the preceding month please account for the change here.

Signature.....
 Designation- Owner/Agent/Manager
 Date.....

INSTRUCTIONS

(a) The information should cover all persons "employed" as in Table C. Particulars relating to payments etc., to monthly paid staff should be included on a pro-rata basis.

(b) Average daily attendance should be obtained by dividing the aggregate number of attendance

on all the shifts on all days during the week by the number of working days. Any day on which

the mine did not work, for any cause whatsoever, should not be treated as a working day.

(c) Aggregate number of man-hours worked during the week should be obtained by adding for

the whole week, the number of man-hours worked every day. The number of man-hours worked

on a day is obtained by summing up the number of hours worked by each person attending work on each of the shifts during the day, including overtime worked, if any.

(d) Total cash payments should include all remuneration payable (and paid) for work done during the week before making deductions, if any, towards fines, provident fund contributions, etc., Employer's contributions to the provident fund or on account of welfare provisions should not be included. Bonuses not payable for every pay-period should also not be included.

(e) Including over-time payments.

(f) Persons employed in the removal of overburden should be included among "Others" and not among "Miners and Loaders".

(g) Concessions in kind (such as supply of food-stuff etc. Free or at subsidized prices) should be estimated in terms of the difference between the monetary value of the food stuffs, etc. at cost price and the value realised by sale at confessional price.

The Oil Mines Regulations, 2011

**First Schedule
Form III
(See Regulation 5)**

Annual Return for the year ending on the 31st December,
Mineral: Oil and Gas

Table A. Identification particulars of the Mine

Item no.	Item description	Detail information
(1)	(2)	(3)
1.	Name of Mine	
2.	State	
3.	District	
4.	Name of Zonal office of DGMS	
5.	Name of Regional office of DGMS	
6.	Name of Sub-regional office of DGMS	
7.	Postal Address of mine	
8.	Date of opening of mine	
9.	Date of closing, if any	
10.	Date of re-opening of mine, if any	
11.	Name of owner	
12.	Postal address of owner	
13.	Name of Agent	
14.	Postal address of Agent	

The Oil Mines Regulations, 2011

Item no.	Item description	Detail information
(1)	(2)	(3)
15.	Name of Manager	
16.	Postal address of Manager	
17.	Telephone no. of Manager	
18.	E-mail ID of Manager	
19.	FAX No. of Manager	
20.	Nature of power used	
21.	Whether machinery used (Please write Yes/ No)	
22.	Please specify which of the tables filled up - A, B, C, D	
23.	Whether all the tables are filled up(write Yes/ No)	
24.	If 'No' in item 23, please specify name of tables not filled up	
25.	Please give reasons if entry is there in item 24	

Certified that the tables, as mentioned in item 22 above, in prescribed format are duly filled in & enclosed, no additional sheet is attached and information and/ figures given in all the tables are correct to the best of my knowledge.

Place:

Signature of Manager with seal

Dated:

The Oil Mines Regulations, 2011

Employment related table

1. **Table B** - Details of mandays worked, no. of days worked and average daily employment

Machinery related tables

1. **Table C** - Details of electrical apparatus used
2. **Table D** - Details of machinery and equipments used other than electrical apparatus

Production related table

1. **Table E** - Details of production

Drilling/ rigs/ pipelines related table

1. **Table F** - Details of drilling and other rigs, oil and gas wells and pipelines production

The Oil Mines Regulations, 2011

Table B. Details of mandays worked, no. of days worked and average daily employment

Maximum number of persons employed on any one day during the year and
Date:

Item no.	Item description	Total number of mandays worked during the year			No. of days worked during the year	Average daily employment			Total wages/ salary for the year
		Direct	Contract	Total (col.3+col4)		Male	Female	Total (col.7+col.8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Clerical & Supervisory Staff								
1.1	Supervisors								
1.2	Clerks								
2	Other workers employed at								
2.1	Drilling								
2.2	Production								
2.3	Work over								
2.4	Workshop etc.								
2.5	Fire services								
2.6	Others (specify)								
3.	TOTAL (column total)								
4	Total contract employment								

Instructions for Table B:

i) Total contract employment (item 4) = Total number of mandays worked on contract during the year (item 3, col. 4) / maximum number of days worked in any category(maximum of Col. 6)

ii) Average daily employment of an item = Total number of mandays worked during the year of the item / Corresponding number of days worked

iii) Clerical & Supervisory: Senior Supervisory Officials like Agents, Managers, Under Managers, Engineers, Doctors are excluded.

Table C. Details of electrical machineries used

1. Voltage at which current is used for :

i) **Lighting**

ii) **Power**

2. Length of cables (in metres):

i) **High pressure**

ii) **Medium pressure**

Item no.	Item description	Total number of units in use	Total HP
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Draw works		
2	Hoists		
3	Pumps		
4	Portable machine		
5	Traction		
6	Workshop including foundry smithy etc.		
7	Miscellaneous (Specify)		
8	Total		

Instructions for Table C:

Total HP is the sum of HP of number of units used of the same item

The Oil Mines Regulations, 2011

Table D. Details of machinery & equipment used other than electrical apparatus

Item no.	Item description	Total number of units in use	Total HP
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Power generation		
1.1	Boilers		
1.2	Steam turbines		
1.3	Gasoline, gas or oil engines other than diesel engines		
1.4	Diesel engines		
1.5	Air compressor		
2	Machinery		
2.1	Drills		
2.2	Hoists		
2.3	Pumps		
2.4	Portable machine		
2.5	Traction		
2.6	Workshop including foundry smithy etc.		
2.7	Miscellaneous (Specify)		
3	Total		

Instructions for Table D: Total HP is the sum of HP of number of units used of the same item

Table E. Details of production

The Oil Mines Regulations, 2011

Item no.	Type of product	Opening stock as on 1 st January	Production	Value (in Rs.)	Despatches			Closing stock as on 31 st December
					To refinery	To market	For house consumption	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Oil (in Metric Tonnes)							
2	Gas (in M ³)							

Instructions for Table E: Value should be calculated upon actual or estimated selling price at the mine. Any charges incurred in transporting the oil/ gas outside the mine should not be included.

The Oil Mines Regulations, 2011

Table F. Drilling and other rigs, oil and gas wells and pipelines

Item no.	Classification	Type of Rig	Total number of units in use
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Drilling, Workover and other rigs		
1.1	Drilling		
1.2	Workover		
1.3	Other Rigs		
2	Oil, gas and other wells		
2.1	Wells drilled		
2.2	Wells abandoned		
2.3	Gas wells completed		
2.4	Oil wells completed		
2.5	Gas wells on production		
	Gas wells where production discontinued		
2.6	Oil wells on production		
2.7	Oil wells where production discontinued		
3	Pipelines	Length in metres	Diameter in centimetres
3.1	Flowlines laid from wells to gathering station		
3.2	Pipelines laid from gathering station to central storage tanks		
3.3	Others (specify)		

FORM IVA
(See regulation 9)
Notice to accident/occurrence

From :

.....
.....

To:

1. The Chief Inspector of Mines , Dhanbad – 826001,
2. The Regional Inspector of MinesRegion
3. The District Magistrate
4. The Electrical Inspector of Mines (in case of electrical accident only), Dhanbad-826001.

Sir,

I have to furnish the following particulars of a fatal accident/serious accident/dangerous occurrence/major accident which occurred at Mine of..... (owner).

1. PARTICULARS OF THE MINE :

Situation of mine

Name and postal address of owner
(Also state telephone and telex numbers)

Village

Post office

Police station

District

State

Place and location in mine(site) of accident/occurrence:

Nature of operation under taken at the place of accident/occurrence:

2. Particulars of the Accident/Occurrence

(a) Date, shift and hour of accident/occurrence :

(c) Classification of accident/occurrence(**)

(d) Cause, circumstances and description of accident/occurrence,
(if cause not yet established information to be sent as soon as possible).

3. Nature & extent of damage

Within the establishment

Outside the establishment

(i) Number of persons----

--- exposed to the accident / occurrence

--- killed

--- seriously injured

--- affected by gas

(ii) Particulars of material damage

(iii) State whether the danger is still present / no longer exists.

4. Particulars of injuries etc.

The Oil Mines Regulations, 2011

Name of persons (s) (In block capital)	Nature of employment	Age	Sex	Nature of injury and if fatal, cause of death
---	----------------------	-----	-----	--

Killed:

- 1.
- 2.
- 3.

Injured :

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

5. Measures taken or envisaged:---

(a) to alleviate the effects of the accident occurrence.

(i) short term.

(ii) medium or long term.

(b) to prevent recurrence of similar accident occurrence.

6. Any other relevant information

Particulars in respect of every person, killed or injured, in form V are enclosed/ shall be forwarded within a week (i).

Yours faithfully,

Signature

Designation : Owner/Agent/Manager

Date

INSTRUCTIONS

(**) Under one or other of the following heads, namely :--

1. (a) Explosion and ignition of inflammable gas and/or coal dust :

(b) Blow out.

(c) Out break of fire.

2. Hazardous emission of petroleum

3. In drilling/work over rig.

4. Suffocation by gases

5. Explosives

6. Machinery

7. Electricity

8. Miscellaneous

Attach separate sheet, where necessary.”;

(b) after Form-V, following Forms shall be inserted:--

FORM IV-B
(See Regulation 9)
Particulars of Deceased/Injured person

(To be given separately in respect of every person killed or injured in an accident in the mine)

1. General :

- (i) Name of mine
- (ii) Owner
- (iii) District
- (iv) State

2. Name of Injured Worker

3. Time of Accident :

- (i) Date
- (ii) Time
- (iii) Shift
- (iv) Number of shifts worked per day at the mine
- (v) Time when the worker began work on the day of the accident.....

4. Occupation and Experience of the Worker :

- (i) State the nature of job he was doing at the time of accident.....
- (ii) Was it his regular occupation ?
- (a) If yes, state length of experience at the occupation at your mineprevious experience , if any
- (b) If no, state how long employed at this job.....
- (iii) State total experience in mining , coal and non-coal.....
- (iv) Give details of experience in mining work

5. Place of accident :

6. Nature of Injury :

- (i) State whether fracture, amputation, laceration, bruise, sprain, crushing injury or other (to be specified).....(ii) Part of body injured (to be specified precisely)

7. Degree of Disability :

- (i) if fatal, date and time of expiry
- (ii) If permanent disablement, specify :-
 - (a) the part or parts of the body lost, if any
 - (b) the part or parts of body gone out of use
 - (c) Whether disablement, was total or partial
 - (iii) if temporary disablement, state number of days forced to remain idle

8. Responsibility for the Accident :

- (i) was any safety provision(s) contravened ?
- (ii) if so, by whom ?
- (iii) what action was taken against the offence ?
- (iv) could the accident have been avoided ?
- (v) if so, how ?

Signature

Designation : Owner/Agent/Manager

Date

FORM IVC

(See Regulation 9)

Particulars of injured persons returned to duty

(To be given separately in respect of every person within 15 days of his return duty)

1. General:

(i) Name of Mine:

(ii) Owner:

(iii) District:

(iv) State:

2. Date of Accident:

3. Name of injured worker:

4. Return to duty:

(i) Date when returned to work

(ii) Whether returned to regular job or some other job (to be specified)

5. Compensation:

State amount of compensation paid or to be paid if any.

Signature:

Designation: Owner/Agent/Manager

Date:

FORM V
(See Regulation 10)
Notice of Disease notified under section 25

From :

.....
.....

To

1. The Chief Inspector of Mines, Dhanbd, E.Rly.
2. The Regional Inspector of Mines
3. The District Magistrate/District Collector
- 4.

Sir,

I have to furnish the following particulars with respect to an occupational disease contracted by a person employed in theMine of (owner).

1. PARTICULARS OF THE MINE ETC:

- (i) Situation of mine.....
Village.....
Post office.....
Police station.....
District.....
State.....
- (ii) Name and postal address of owner

2. PARTICULARS OF PERSON AFFECTED :

- (i) Name (in Block Capitals)
- (ii) Permanent address –
Village.....
Post office.....
Police station.....
District.....
State.....
- (iii) Sex.....
- (iv) Date of birth (or age).....
- (v) Occupation How long engaged ?
- (vi) Date of commencement of employment :
 (a) in this mine
- (b) in petroleum industry

3. PARTICULARS OF DISEASE ETC.:

- (i) Nature of disease from which the person is suffering (state stage)
- (ii) Date of detection of disease
- (iii) Name, registration number and address of Medical Practitioner suspecting disease.....

Signature

Designation : Owner/Agent/Manager

Date

FORM-VI

(See Regulation 80)

Notice of construction of or alteration in a group gathering station.

From

.....
.....

To

1. The Chief Inspector of Mines, Dhanbad – 826001.
2. The Regional Inspector of Mines..... Region
3. The District Magistrate,

Sir,

I hereby give notice of our intention to construct a new group gathering station|carry out alterations in group gathering station and furnish the following particulars in that behalf : ---

- (a) name and address of the mine to which the group gathering station belongs;
- (b) name and address of the owner;
- (c) name and full address of the site of group gathering station;
- (d) date on which it is intended to commence the activity (or in case of an existing station, date of commissioning thereof);
- (e) information relating to the site, namely:-
 - (i) area of site covered by the group gathering station;
 - (ii) name, location and maximum quantity of petroleum (gas/liquid) likely to be on the site;
 - (iii) constructional details of the installation and description of the process of storage/handling of petroleum (in case of alteration, details thereof);
 - (f) Organisational structure for the proposed activity and set up for ensuring occupational safety and health and for testing, maintenance and patrolling of the installations and safety gadgets;
 - (g) information relating to the potential for major accidents (viz| fire, explosion, bursting or failure of equipment, hazardous escape and accumulation of flammable substances etc.), namely :-
 - (i) identification of major accident hazard;
 - (ii) conditions or events which could be significant in causing a major accident;
 - (iii) brief description of the measures taken to prevent any major accident and to limit the consequences thereof;
 - (iv) area likely to be affected by any major accident and population distribution therein;
 - (v) maximum number of persons likely to be present at any time on the site and of whom the number likely to be exposed;
 - (h) arrangement for training of persons working on site and equipment necessary to ensure their safety;
 - (i) providing to persons off the site who are likely to be in an area liable to be affected by any major accident, with the information about the nature of hazard and measures which should be adopted in the event of an emergency arising there from;
 - (j) any other relevant information :

Signature

Designation : Owner | Agent | Manager

Date

FORM--VII

(See Regulation 80)

SAFETY REPORT

From :

.....
.....

To

1. The Chief Inspector of Mines, Dhanbad – 826001.
2. The Regional Inspector of Mines Region,
3. The District Magistrate

.....
.....

Sir,

I have to furnished the following particulars in respect of group gathering station :

1. The name and address of ----
 - (b) Mine
 - (c) Owner
 - (d) Group gathering station.
2. Description of the installation, namely :--
 - (a) site.
 - (b) Construction design.
 - (c) Identification of hazardous areas and safety distances.
 - (d) Accessibility of plant.
 - (e) Maximum number of persons working on exposed to the hazard.
3. Description of the process namely :--
 - (a) technical purpose of the activity
 - (b) basic principles of the technological process
 - (c) process and safety-related data for the individual process stages
 - (d) process description
 - (e) safety-related types of utilities
4. Description of the hazardous substances namely :--
 - (a) quantities, substance data, safety-related data, toxicological data and threshold values
 - (b) the form in which the hazardous substance may occur on or into which it may be transformed in the event of the abnormal conditions.
 - (c) the degree of purity of the hazardous substance.
5. Information on the preliminary hazard analysis, namely :-
 - (a) types of accident
 - (b) system elements or events that can lead to a major accident
 - (c) hazards
 - (d) safety relevant components
6. Description of safety-relevant units, amongst others:-
 - (a) special design criteria
 - (b) control and alarms
 - (c) special relief systems

- (d) quick acting valves
- (e) collecting tanks | dump tank
- (f) sprinkler system
- (g) fire-fighting etc.

7. Information on the hazard assessment, namely :--

- (a) identification of hazards
- (b) the causes of major accidents
- (c) assessment of hazards according to their occurrences frequency
- (d) assessment of accident consequences
- (e) safety system
- (f) known accident history.

8. Description of information on organisational system used to carry on the activity safely, namely:--

- (a) maintenance and inspection schedules
- (b) guidelines for the training of personnel
- (c) allocation and delegation of duties for plant safety
- (d) implementation of safety procedures.

9. Information on assessment of the consequences of major accidents, namely :--

- (a) assessment of the possible release of petroleum.
- (b) possible dispersion of released petroleum.
- (c) assessment of the effects of the releases (size of the affected area, health effects, property damaged).

10. Information on the mitigation of major accidents, namely:--

- (a) fire brigade.
- (b) alarm system.
- (c) emergency plan containing system of organisation used to fight the emergency, the alarm and the communication routes, guidelines for fighting the emergency, information about hazardous substance, examples of possible accident sequences.
- (d) coordination with the district emergency authority and its off-site emergency plan.
- (e) notification of the nature and scope of the hazard in the event of an accident.
- (f) antidotes, if any, in the event of a release of a hazardous substance.

11. Any other information considered relevant.

Signature:

Designation: Owner | Agent | Manager

Date :

FORM –VIII

(See Regulation 94)

Permission for laying a new pipeline or making any significant alteration in existing pipeline.

From

.....
.....
.....

To

1. The Chief Inspector of Mines, Dhanbad – 826001.
 2. The Regional Inspector of Mines Region,
 3. The District Magistrate
-
.....

Sir,

I hereby submit my application for permission for laying of pipeline | carrying out significant alteration (a) in pipeline and furnish the following particulars in that behalf: --

- (a) name and address of the mine to which the pipeline belongs;
- (b) name and address of the owner;
- (c) full postal addresses of the places where the pipeline would originate and terminate as also of the places from where the pipeline activities would be controlled;
- (d) constructional details of proposed pipeline including all associated works and apparatus;
- (e) diameter and length of the pipeline and maximum quantity of petroleum gas or liquid likely to be contained therein at any time and transported on any day;
- (f) normal operating pressure and the pressure for which the pipeline is designed;
- (g) anticipated date and scheme of commissioning of the pipeline activity;
- (h) organisational structure for the proposed activity and set up for ensuring occupational safety and health including testing, maintenance and petrolling test pipeline and safety gadget;
- (i) provision proposed to be made or steps to be taken for:--
 - (i) protection against uncontrolled escape of fluids from the pipeline;
 - (ii) prevention and control of fire or explosion or major emission of petroleum and limiting consequences thereof;
 - (iii) providing to the persons working on the site with the information, training and equipment required to ensure their safety; and
 - (iv) providing to persons off the site who are likely to be in an area liable to be affected by any major accident, with the information about the nature of hazard and measures which should be adopted in the event of an emergency arising therefrom;
- (i) any other relevant information.

Signature

Designation : Owner | Agent | Manager.

SECOND SCHEDULE
(See regulation 107)

HOT WORK PERMIT
for
HOT WORK / ENTRY TO CONFINED SPACE

Sl.No. _____

Name of Mine :

Name of Installation:

Work clearance from _____ hrs of date _____ To _____ hrs of date
_____ (Valid for the shift unless renewed)

Issued to (Department / Section / Contractor) _____

Exact Location of work (Area / Unit / Equipment no. etc) _____

Description of work

THE FOLLOWING ITEMS SHALL BE CHECKED BEFORE ISSUING THE PERMIT
(Tick mark in the appropriate box. Checklist items marked with asterisk (*) shall be complied
by receiver)

Sr no	Item	Done	Not Reqd.	Sr no.	Item	Done	Not Reqd
A	General points			B	For Hot work / Entry to confined Space		
1	Equipment / Work Area inspected			1	Proper ventilation and Lighting providing		
2	Surrounding area checked, cleaned and covered			2	Proper means of exit / escape provided		
3	Sewers, manholes, CBD etc and hot surfaces nearby covered			3	Standby personnel provided from Process / Maint / Contractor / Fire / Safety dept.		
4	Considered hazard from other operations and concerned persons alerted.			4	Checked for oil and Gas trapped behind the lining in Equipment		
5	Equipment blinded/disconnected / closed / isolated / wedge opened			5*	Shield provided against spark		
6	Equipment properly drained and depressurized			6*	Portable equipment / nozzles properly grounded		
7	Equipment properly steamed / purged			7*	Standby persons provided for entry to confined		

The Oil Mines Regulations, 2011

					space		
8	Equipment water flushed						
9	Iron sulfide removed / kept wet			C	For Vehicle Entry		
10	Equipment electrically isolated and tagged vide permit no.			1*	Spark Arrestor on the mobile equipment / vehicle provided.		
11	Gas test : HCs = %LEL Toxic gas = ppm, O2 = %						
12*	Running water hose / Fire extinguisher provided. Fire water system available.			D	For Excavation works		
13*	Area cordoned off and Precautionary tags / Boards provided.			1	Clearance obtained for excavation / road cutting / Dyke cutting from concerned depart.		

REMARKS:

- The activity has the following expected residual hazards (Tick the relevant items):
Lack of Oxygen / H2S, Toxic Gases / Combustible gases / Pyrophoric Iron / Corrosive Chemicals / Steam – Condensate / Others .
- Following PPEs to be used in addition to standards PPEs (Helmet, Safety Shoes, Hand gloves, Boiler suit): Face Shield / Apron / Goggles / Dust Respirator / Fresh Air Mask / Lifeline / Safety Belt / Airline / Earmuff etc.
- Additional precautions if any:

Issuer Name & Designation	Issuer Signature	Receiver Name and Designation	Receiver Signature

Clearance renewal

Date	Time		Gas Test Values for HC's, Toxic, O2 etc	Additional precautions if any, Otherwise mention "NIL"	Issuer's Name, Designation & Signature	Receiver Name, Designation and Signature
	From	To				

Closing of the work permit:

The Oil Mines Regulations, 2011

Receiver: Certified that the subject work has been completed / stopped and area cleaned.			Issuer: Verified that the job has been completed and area cleaned and is safe from any hazard.		
<i>Date & Time</i>	<i>Name & Designation</i>	<i>Signature</i>	<i>Date & Time</i>	<i>Name & Designation</i>	<i>Signature</i>

General Instructions:

1. The work permit shall be filled up carefully and accurately in clear handwriting ensuring that complete information is provided in all sections / subsections and none of column is left blank. Sketches should be provided wherever possible to avoid miscommunication.
2. Appropriate safe guards and required personnel protective equipment shall be determined by a careful analysis of the potential hazards and the operations to be performed prior to starting the work.
3. In case of fire alarm / siren, all work must immediately be stopped.
4. Only certified vehicle / engines and permitted type of electrical equipment and tools are allowed in operating areas.
5. Welding machines should be located in non-hazardous and ventilated areas.
6. No hot work should be permitted unless the explosive meter reading is Zero.
7. When a person is entering confined space, the receiver must keep minimum two standby-designated persons at the manhole or entry point.
8. Before box up of any vessel manhole cover, ensure that no men / materials are inside the vessel.
9. For renewal of work clearance, the issuer shall ensure that the conditions are satisfactory for the work to continue. If the conditions have changed, it may be necessary to issue a new permit or amend the existing permit.
10. This clearance on the same permit can be renewed / extended upto a maximum of seven calendar days.
11. This permit must be available at work site at all times.
12. On completion of the work, the permit must be closed and kept as record.
13. The industry may add other relevant instructions based on their operating and maintenance practices.

The Oil Mines Regulations, 2011

THIRD SCHEDULE
(See regulation 108)

COLD WORK PERMIT

Sl.No. _____

Name of Mine :

Name of Installation:

Work clearance from _____ hrs of date _____ To _____ hrs of date _____
(Valid for the shift unless renewed)

Issued to (Department / Section / Contractor) _____

Exact Location of work (Area / Unit / Equipment no.etc) _____

Description of work

THE FOLLOWING ITEMS SHALL BE CHECKED BEFORE ISSUING THE PERMIT
(Tick mark in the appropriate box. Checklist items marked with asterisk (*) shall be complied by receiver)

Sr no.	Item	Done	Not Reqd	Sr no.	Item	Done	Not Reqd.
1	Equipment / Work Area inspected			6	Equipment water flushed		
2	Surrounding area checked, cleaned and covered			7	Equipment properly steamed / purged		
3	Equipment blinded/disconnected / closed / isolated / wedge opened			8	Proper ventilation and lighting provided		
4	Equipment properly drained and depressurized			9*	Area cordoned off & caution boards / tags provided.		
5	Equipment electrically isolated and tagged vide Permit no. ----- -----			10	Gas test: HCs / Toxic etc. HCs = % LEL Toxic gas = ppm		

Remarks:

- The activity has the following expected residual hazards (Tick the relevant items):
Lack of Oxygen / H2S, Toxic Gases / Combustible gases / Pyrophoric Iron / Corrosive Chemicals / Steam – Condensate / Others _____
- Following additional PPE to be used in addition to standards PPE (Helmet, Safety Shoes, Hand gloves, Boiler suit): Face Shield / Apron / Goggles / Dust Respirator / Fresh Air Mask / Lifeline / Safety Belt / Airline / Earmuff etc.
- Additional precaution if any: _____

The Oil Mines Regulations, 2011

Issuer Name & Designation	Issuer Signature	Receiver Name & Designation	Receiver Signature

Closing of the work permit:

Receiver : Certified that the subject work has been completed / stopped and area cleared			Issuer: Verified that the job has been completed and area cleared and is safe from any hazard.		
<i>Date & Time</i>	<i>Name & Designation</i>	<i>Signature</i>	<i>Date & Time</i>	<i>Name & Designation</i>	<i>Signature</i>

Clearance renewal

Date	Time		Additional precautions if any, Otherwise mention "NIL"	Issuer's Name, Designation & Signature	Receiver's Name, Designation and Signature
	From	To			

General Instructions:

1. The work permit shall be filled up carefully and accurately in clear handwriting ensuring that complete information is provided in all the sections / subsections. Sketches should be provided wherever possible to avoid miscommunication.
2. Appropriate safe guards and required personnel protective equipment (PPEs) shall be determined by a careful analysis of the potential hazards and the operations to be performed prior to starting the work.
3. Requirement of standby personnel from Process / Maintenance / Contractor / Fire / Safety etc if any shall be mentioned in the additional requirement.
4. In case of fire alarm / siren, all work must immediately be stopped.
5. For renewal of work clearance, the issuer shall ensure that the conditions are satisfactory for the work to continue. If the conditions have changed, it may be necessary to issue a new permit or amend the existing permit.
6. This clearance on the same permit can be renewed / extended upto a maximum of seven calendar days.
7. This permit must be available at work site at all times.
8. On completion of the work, the permit shall be closed.

The industry may add other relevant instruction based on their operating and maintenance practices.

[File no. S-66012/01/2008-ISH.II]

(A.C.Pandey)
Joint Secretary to the Government of India.

[To be published in the Gazette of India Extraordinary, Part II, Section- 3-Sub section-(i)]

Ministry of Labour and Employment

NOTIFICATION

New Delhi, dated _____, 2011.

G.S.R.------(E).- The following draft of certain regulations which the Central Government proposes to make, on the recommendations of the Committee constituted under section 12 of the Mines Act, 1952 (35 of 1952), in exercise of the powers conferred by section 57 of the said Act, and in supersession of the Oil Mines Regulations, 1984, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, are hereby published as required by sub-section (1) of section 59 of the said Act, for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft regulations will be taken into consideration after the expiry of a period of three months from the date on which copies of the Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

1. The objections or suggestions, if any, may be addressed to Shri S.K.Singh, Under Secretary, Ministry of Labour and Employment, Shram Shakti Bhawan, Rafi Marg, New Delhi – 110 001.
2. Any objection or suggestion, which may be received from any person in respect of the said draft regulations within the period specified above, will be considered by the Central Government.

DRAFT REGULATIONS

C O N T E N T S

CHAPTER	PAGE
I. Preliminary 1
II. Return, Notices and Plans 8
III. Examinations and Certificates of Competency and of Fitness 12
IV. Inspectors, Management and Duties 17
V. Drilling and Workover 26
VI. Production 36
VII. Transport by Pipelines 43
VIII. Offshore Safety Zones 45
IX. Protection against Gases and Fires, and Safety Management System.....	46
X. Management of Safety in offshore Installations 52
XI. Machinery, Plant and Equipment 59
XII. General safety Provision 63
XIII. Miscellaneous 68
Schedules & Forms.	
First Schedule 70
Second Schedule 94
Third Schedule 97



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 664]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 9, 2011/अग्रहायण 18, 1933

No. 664]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 9, 2011/AGRAHAYANA 18, 1933

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 9 दिसम्बर, 2011

सा.का.नि. 876(अ).—कतिपय विनियमों का प्रारूप केन्द्रीय सरकार ने खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 12 के अधीन गठित समिति की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल खान विनियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लौप किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती हैं, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीन मास अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा;

1. आक्षेप और सुझाव, यदि कोई हो, श्री संतोष कुमार सिंह, अवर सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली-110001 को भेजे जा सकेंगे;

2. ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सुझावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों की बावत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

अध्याय-1

प्रारंभिक

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार $\dagger 0, \ddot{0}, \ddot{0}$ अनुप्रयोग
 - (1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम तेल खान विनियम 2011 AE ..
 - (2) इनका विस्तार सम्पूर्ण भारत में होगा।
 - (3) ये सभी खानों में लागू होंगे।
 - (4) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
2. परिभाषाएँ: इन विनियमों में, जब तक प्रसंग पर अन्य आवश्यकता न हो,
 - (1) "अधिनियम " AO खान अधिनियम 1952 $\dagger \times \ddot{0} \ddot{0} \ddot{0} \text{AE}$;
 - (2) "अम्लीकरण" का अर्थ उत्पादकता या अन्तःक्षेपण बढ़ाने के क्रम में $\dagger \ddot{0}$ से रसायनिक $\ddot{0} \times \ddot{0}$ क्रिया द्वारा तेलयुक्त निर्माण का उपचार $\dagger \times \ddot{0} \ddot{0} \ddot{0} \text{AE}$;
 - (3) $\ddot{0} \text{AO}$ (वलयाकार स्थान) कूप में लटकाया गया पाइप के $\ddot{0} \ddot{0}, \ddot{0} \dagger \ddot{0}$ के स्थान $\dagger \times \ddot{0} \ddot{0} \ddot{0} \text{AE}$.. वलयाकार स्थान का $\ddot{0} \ddot{0} \text{AE}, \ddot{0}$ प्रकार एक खुला होल हो सकता है अथवा वृहत पाइप का तार हो सकता है;
 - (4) समुचित आधार रेखा से समुद्रतट स्थल के बाहरी किनारे पर जलसर्वेक्षण चार्ट के आधार पर स्थापित की गई सम्बन्धित लाईन $\dagger \times \ddot{0} \ddot{0} \ddot{0} \text{AE}$;
 - (5) "अनुमोदित" से मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में साधारण या विशेष आदेश द्वारा $\dagger \ddot{0}, \text{AO}$ $\ddot{0} \ddot{0} \ddot{0}$ के अधीन जो $\ddot{0} \text{AE}$ विनिर्दिष्ट करें अभिप्रेत हैं;
 - (6) "अनुमोदित मानकों" AO ऐसे राष्ट्रीय या अंतरराष्ट्रीय मानकों से $\dagger \times \ddot{0} \ddot{0} \ddot{0} \text{AE}$ जिसका मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित रूप में एक साधारण या विशेष आदेश द्वारा अनुमोदन किया जाय;
 - (7) AO किसी $\ddot{0} \times \ddot{0} \times \ddot{0} \times \ddot{0} \times \ddot{0}$ साधारणतया द्रव या गैस को निकालना $\dagger \times \ddot{0} \ddot{0} \ddot{0} \text{AE}$; $\ddot{0} \times \ddot{0} \times \ddot{0} \times \ddot{0}$ $\dagger \ddot{0} \times \ddot{0}$ (Bleed off) से किसी कूप या दाबनुकूलित उपकरण द्रव का नियंत्रित मोचन अभिप्रेत है;
 - (8) $\times \ddot{0} \times \ddot{0} \times \ddot{0} \times \ddot{0}$ से किसी कूप से अचानक तीव्र रूप में द्रव का अनियंत्रित ढंग से निकलना $\dagger \times \ddot{0} \ddot{0} \ddot{0} \text{AE}$;
 - (9) ब्लोआऊट प्रिभेन्टर (फटन निरोधी) का अर्थ है कूप शीर्ष के उपर लगी कोड युक्ति $\dagger \times \ddot{0} \ddot{0} \ddot{0} \text{AE}$; जो किसी प्रक्षेप या विफल विस्फोट की स्थिति में ट्यूबिंग तथा आवरण या भेदन पाइप के मध्य तथा आवरण या वायर लाई के मध्य तथा ट्यूबिंग के मध्य वलयाकार स्थान से अनियंत्रित द्रव प्रवाह को रोके और दाब नियंत्रित करे या छिद्र में कोई भेदन पाइप या नलिका नहीं है तो उसे बंद कर सके।
 - (10) आवरण से भेदन के दौरान किसी कूप में नीचा किया जानेवाला स्टील पाइप जो कूप में मुहायन घटना को रोकने से और कूप में वाष्प तरल प्रवाह को रोक रखने को अभिप्रेत है;
 - (11) आवरण लाईन से क्राऊन ब्लॉक $\dagger \ddot{0}, \ddot{0} \times \ddot{0}$ ब्लॉक के माध्यम से कूप $\ddot{0} \ddot{0} \ddot{0}$ को नीचे करने तथा उपर उठाने के लिए प्रयुक्त स्टील का रस्सा $\dagger \times \ddot{0} \ddot{0} \ddot{0} \text{AE}$;
 - (12) "केट $\ddot{0} \times \ddot{0} \times \ddot{0}$ " AO $\ddot{0} \times \ddot{0}$ कनेक्शन को लगाने या तोड़ने या ड्रॉ वर्क से शक्ति की मदद से केट लाइन प्रचालन के लिए ड्रॉ वर्क पर युक्ति $\dagger \times \ddot{0} \ddot{0} \ddot{0} \text{AE}$;
 - (13) "केट लाइन" AO - भूमि या आधार से किसी पाइप, भेदन औजार और अन्य उपकरण, पाईप रैक, $\dagger \ddot{0} \times \ddot{0}$ चबूतरा, या डेरिक तल के केट वाक उठाने के लिए प्रयुक्त रस्सा $\dagger \times \ddot{0} \ddot{0} \ddot{0} \text{AE}$;

- (14) "केट वाक" से किसी ङुं० •०० छेदन पाइप, ट्यूबिंग, आवरण, भेदन और अन्य औजारों के लिए रिग तल तक पहुँच देने के लिए रैम्प अभिप्रेत है;
- (15) "ॠ००," (Cellar) का अर्थ कूप के ऊं०० ००० या उपकरणों के लिए स्थान देने के लिए डेरिक के नीचे की उत्खनन अभिप्रेत है जो पश्चातवर्ती व्यमन के लिए तल के नीचे जल या अन्य तरलों के जल निकास के संग्रह को किसी गड्ढे के रूप में भी कार्य करता है;
- (16) "सीमेंटिंग" से प्रचालन केसिंग में सीमेंट एवं जल के मिश्रण को इस प्रकार पम्प करना †x३०००० ॠ, x०ॠॠॠ ॠॠ आवरण और कूप के मध्य के स्थान को कूप के तल से पूर्व निर्धारित उँचाई तक भर सके;
- (17) "क्रिसमस ट्री" ॠॠ द्रव के बहाव को नियंत्रित करने के लिए कूप शीर्ष के ऊपर लगाए गए वाल्व †००० फिटिंग अभिप्रेत है;
- (18) किसी कार्य या किसी मशीन, ०, संयंत्र या उपकरण के ॠ०००० ० "सक्षम व्यक्ति" से कोई <ॠॠॠ व्यक्ति †x३०००० ॠ •०० ००००कृत व्यक्ति जो उस कार्य को करने या मशीन, ०, संयंत्र या उपकरण के रख-रखाव तथा प्रचालन का पर्यवेक्षण करने के साथ-ॠॠॠॠ समनुदेशित दायित्व० का निर्वहन करने के लिए उत्तरदायी हो;
- (19) "पूर्ण कूप" ॠॠ कोई कूप †x३०००० ॠ, जिसमें पेट्रोलियम धारक ॠॠरचना या वहिःसाव व्यमन ॠॠरचना कूप में हो तथा कूप के शीर्ष तथा कूप में सम्पूर्ण उपकरण लगे हों ताकि यह भौतिक रूप से पेट्रोलियम उत्पादन अन्तःक्षेपण (Injector) या निष्पादन कूप के रूप में समर्थ हो सके।
- (20) "क्राऊन ब्लॉक" से डेरिक या मास्ट के ऊपर बहुचरखी एसेम्बली †x३०००० ॠ जो कूप की वेधन ॠॠॠॠ ०० के लिए उपकरण को उपर नीचे करने में ट्रेवलिंग ब्लॉक के साथ उपयोग की जाती है;
- (21) "दिन-प्रकाश घंटा" ॠॠ सूर्योदय से लेकर सूर्यास्त तक की अवधि †x३०००० ॠ;
- (22) ॠॠ-प्रबंधक से इन विनियमों के अधीन यथा उपबन्धित योग्यता धारक कोई व्यक्ति †x३०००० ॠ नियंत्रण, प्रबंधन, निदेशन और पर्यवेक्षण में खान या उसके किसी भाग के पर्यवेक्षण में प्रबंधक की सहायता के लिए ॠॠॠॠ ॠॠ, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा लिखित रूप से नियुक्त किया गया है ॠॠॠॠ ॠॠ ॠॠॠॠ के रैंक के नीचे का होगा।
- (23) "डेरिक" के अन्तर्गत कोई से कूप की वेधन या सर्विसिंग कार्य के लिए उसके ऊं०० उपयोग को जालीदार बनायी गयी संरचना †x३०००० ॠ;
- (24) किसी खान के संबंध में यथास्थिति "जिला मजिस्ट्रेट" या उपायुक्त से कोई ऐसा व्यक्ति †x३०००० ॠ उस राजस्व जिला जिसमें खान स्थित है की ॠॠॠॠ-व्यवस्था के बनाए रखने के लिए कार्यकालिन शक्ति निहित हों;
- (25) "ड्रॉ वर्क" से किसी कूप की वेधन या किसी कूप की सर्विसिंग के लिए प्रयुक्त उपकरण के उठाने, संचालन के लिए वेधन से किसी साफ्ट, स्प्रोकट, चैन, ॠॠॠॠ, ॠॠॠॠ, ॠॠॠॠ, कैट हेड और /या अन्य यांत्रिक युक्तियों का एसेम्बली जो अभिप्रेत है
- (26) भूमि की सतह को यांत्रिक या अन्य साधन द्वारा छेदन जिसमे <ॠॠ होल के किनारे गिरने तथा अन्य बाह्य सामग्री जिसमे जल शामिल है से बचाव के लिए किए गए सारे कार्य †x३०००० ॠ;
- (27) वेधन से बोर होल के स्थान पर वेधन कार्य के लिए सम्पूर्ण मशीनी ढाँचा †x३०००० ॠ..
- (28) उत्पापक से पाइप या रॉड को कूप के अन्दर लटकाकर ले जाने या खींचकर बाहर लाने के लिए ट्रेवलिंग ब्लॉक से लटके उपकरण के साथ व्यवहरित स्टील का यांत्रिक युक्ति †x३०००० ॠ;
- (29) "†००००० निकास युक्ति" ॠॠ मंकी बोर्ड के ऊं०० ॠॠॠॠत किसी बिन्दु से भूस्थिरक तक सुरक्षा वाहक या स्लाइड का वहन करने के लिए ढालू वायर लाईन एवं इसमें ऐसा कैटेज या स्लाइड भी शामिल है †x३०००० ॠ;

तेल खान विनियम, 2011

- (30) विस्फोटी मापक से एक उपकरण जिसमें ज्वलनशील गैस की सान्द्रता मापन के लिए $\dagger \times 30 \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A};$
- (31) विस्फोटक अधिनियम, 1884 में "विस्फोटी" पद का वही अर्थ होगा जो विस्फोटक अधिनियम, 1886 में अनुदेशित है;
- (32) ज्वालारोधी उपकरण $\ddot{\text{A}}$ जो बिना आहत हुये किसी जलनशील गैस के किसी विस्फोट को बिना किसी क्षति के वहन कर सके, इसके अन्दर हो सकता है और यह उस $\bullet \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ को आगे बढ़ने से रोक सकता है जो आसपास के वातावरण में $\text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ जलनशील गैस को जलाने में सहायक हो सकता है।
- (33) ज्वलनशी से सरलता से तेज जलने या तीव्र लों के साथ फैलने में सक्षम होना $\dagger \times 30 \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A};$
- (34) संस्फुद से किसी खुली ज्वाला $\dagger \times 30 \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ जिसका उपयोग अपेक्षित प्रक्रिया के अनुसार गैस का निस्करण के लिए किया जाता है।
- (35) स्फुराक से न्यूनतम ताप पर वाष्पशील द्रव जो वायु के साथ ज्वलनशील मिश्रण बना सकता है $\dagger \times 30 \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}...$
- (36) "सतह ब्लॉक" $\ddot{\text{A}}$ तल या उसके समीप लगाए गए स्नेच ब्लॉक या एकल चरखी पूली जिसके द्वारा रस्से पर खिंचाव की दिशा बदली जा सकती है, $\dagger \times 30 \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A};$
- (37) प्ररूप से प्रथम अनुसूची में दिए गए प्ररूप अभिप्रेत है;
- (38) विभंजक से बहाव मार्ग को बढ़ाने के उद्देश्य से अद्योत्थमिक स्ट्राट $\text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ को बलपूर्वक प्रवेश कराने की प्रक्रिया $\dagger \times 30 \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A};$
- (39) "गैस" $\ddot{\text{A}}$ पेट्रोलियम से निकाले गए या उसके न्यूनतम हाइड्रोकार्बन की वाष्पीय अवस्था $\dagger \times 30 \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A};$
- (40) गैस मुक्त $\ddot{\text{A}}$ एक ऐसे वातावरण $\dagger \times 30 \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ $\times \bullet \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{O}$ (i) ऐसी गैस में जलनशील गैस का प्रतिशत निम्न $\times \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ से 20% से अधिक नहीं हो, (ii) ऑक्सीजन की प्रतिशत 19 से कम न हो $\dagger \text{ } \text{O}$, (iii) $\bullet \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ गैस मान्य सीमाओं के $\text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$...
- (41) "गैस कूप" से ऐसा कूप अभिप्रेत है जिससे किसी गैस की मौजूदगी वाले क्षेत्र से लगातार उत्पादन देनेवाला कूप या ऐसा कूप जिसमें गैस के लगातार उत्पादन के लिए केसिंग किया जा रहा है...
- (42) $\ddot{\text{A}}$ $\text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ एकत्रीकरण $\text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ को जमा करने, उपचार करने या भंडारण $\dagger \text{ } \text{O}$ परिवहन के लिए प्रयुक्त उत्पादन $\ddot{\text{A}}$ स्थापन तथा जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय टैंक फार्म, तेल एकत्रीकरण स्टेशन, गैस कंप्रेसर स्टेशन तथा कूप शीर्ष $\ddot{\text{A}}$ स्थापन $\text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ $\dagger \times 30 \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A};$
- (43) "जोखिमपूर्ण क्षेत्र" से कोई क्षेत्र अभिप्रेत है जहाँ परिकरामय वायुमंडल उपस्थित है या उसकी मौजूदगी की संभावना वाला क्षेत्र है;
- (44) "जोखिमपूर्ण वातावरण" से कोई ऐसा वायुमंडल अभिप्रेत है $\times \bullet \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{O}$ कई ज्वलनशील गैस की सान्द्रता जलने योग्य हो या मान्य सीमा से अधिक जहरीले गैस $\text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$...
- (45) " $\ddot{\text{A}}$ स्थापन" $\ddot{\text{A}}$ एक ऐसी स्थिर $\ddot{\text{A}}$ स्थापन या संरचना या वाहिकाएँ या उसका एक का पूर्वेक्षण भाग $\times \bullet \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{O}$ पेट्रोलियम करने या दोहन, उत्पादन, भंडारण तथा परिवहन की दृष्टि से खान के $\text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ रख-रखाव किया जाता है या वहाँ स्थापित किया जाता है।
- (46) "स्थापन प्रबंधक" खान का स्वामी, अधिकर्ता या प्रबंधक $\ll \text{ } \text{O}$, खान की स्थापन के प्रभारी के रूप में लिखित रूप से नियुक्त व्यक्ति $\dagger \times 30 \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ जो खान के सभी प्रचालन $\dagger \text{ } \text{O}$, गतिविधियों के लिए उत्तरदायी होगा।
- (47) "अयनक $\text{ } \ddot{\text{O}} \text{ } \text{A}$ विकरण" किसी रेडियो सक्रिय पदार्थ के परमाणु नामित के विद्यारी उत्सर्जन अभिप्रेत है जो स्वास्थ्य के लिए परिसरामय है।

- (48) "केली कॉक" AO घूमनेवाली लड़ी TO केली या केली तथा वेधन पाइप के बीच लगाया गया वाल्व $\text{Tx}^3\text{O}^{\text{VO}}$ AE जो तरल के उच्च दाब TO , TO ; TO^{VO} होने पर दाब नियंत्रण करता है और जो स्वीवल एवं घूमावदार होस से दाब को दूर रखता है।
- (49) "प्रक्षेप" AO वेधन किए जा रहे कूप में प्रवेश करनेवाले VO , AO से बनने वाले अन्तर्गत द्वारा के अन्तर प्रवेश से अल्प कालिक अचानक जनित दाब अनुक्रिया अभिप्रेत है...
- (50) उत्पाक साधिग से कारगो को उठाने या नीचे करने के लिए क्षैतिज या बिना क्षैतिज गति वाली संयुक्त इकाई $\text{Tx}^3\text{O}^{\text{VO}}$ AE ...
- (51) उत्पाक गियर से उत्पाक साधिग रेलदार्थ हुक पर रखे प्रत्येक प्रकार के उपकरण $\text{Tx}^3\text{O}^{\text{VO}}$ AE \times OAO^{O} कंटेनर, स्टील बास्केट, लिफ्टिंग हुक, लिफ्टिंग योक, मल्टी रिलिंग या चैन या तार AO O VO AE ...
- (52) वास आवासन से कार्मिक आ AOAO कक्ष, सम्मेलन कक्ष, उसके साथ AO AO VO AE कार्यालय AO AO VO संस्थापित भागों $\text{Tx}^3\text{O}^{\text{VO}}$ AE ...
- (53) स्नेहक से किसी क्रिसमस ट्री के ऊपर में लगाया गया कोई युक्ति अभिप्रेत है जिसके ऊ O , B AO , O कोई द O -सीलबंद करनेवाली युक्ति लगी होती है ताकि कूप के अन्दर प्रविष्ट करनेवाले औजारों से AO O वायर लाईन पर प्रभावी सील वहन कर सके।
- (54) "मशीनरी" से निम्न अभिप्रेत AE -
 (क) कोई भी स्थिर या चलनीय इंजन, वायु या गैस सपीदग वायलर या स्टीम उपकरण या
 (ख) कोई AO O कर या उपकरण समूह जिसका इस्तेमाल विकास, भंडागारक, पारेषण, AO O , AO VO या उर्जा उपयोग के लिए या
 (ग) खनन प्रचालन के संबंध में उपयोग के लिए उसके अधीन या आश्रित विद्युत के विकास भंडागारक, पारेसन, परिवर्तित या उपयोग इस प्रकार के उपकरण, या उपकरण अभिकारक AO O AE ...
- (55) "बडी दुर्घटना" से कोई घटना विशेष रूप से तौर उत्पादन, भंडारण, संचालन या परिवहन अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत पेट्रोलियम तथा वेधन-कार्य के दौरान अनियंत्रित विकास के कारण कोई AO O उत्सर्जन या विस्फोट, TO या मशीन के कारण या गंभीर प्रभावयुक्त प्राकृतिक घटनाओं (तुरंत या AO O के प्रभाव से तथा स्थापन के अंदर या बाहर) जिसमें जान-माल की हानि होती है या होने की संभावना AO O AE ...
- (56) "मंकीबोर्ड " AO डेरिक सतह से AO O AE गाया गया गतिमान या स्थिर प्लेटफार्म $\text{Tx}^3\text{O}^{\text{VO}}$ AE \times OAO^{O} काम करनेवाले व्यक्ति खड़े होकर डेरिक पर रखे पाईप या अन्य उपकरण का संचालन करते हैं।
- (57) पंक से एक ऐसा तरल $\text{Tx}^3\text{O}^{\text{VO}}$ AE \times OAO वेधन या कार्य के दौरान कूप के अन्दर प्रवाहित किया जाता AE ...
- (58) पंक O O से पंक को परिसंचरण करने वाला O O $\text{Tx}^3\text{O}^{\text{VO}}$ AE ...
- (59) पंक टैंक एक ऐसा जलाशय या ताल या टंकी अभिप्रेत है जिससे होकर पंक का चक्र किया AO O AE ताकि बालू तथा महीन तलछट बैठ जाये, जहाँ पंक या VO , AO के साथ योजक मिलाया जाता है और जहाँ तरल पदार्थ को कूप में पम्प से भेजने के पूर्व अस्थायी तौर पर जमा किया जाता है।
- (60) O O , B AO खान या उसके किसी भाग में पर्यवेक्षण करने के लिए स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधन AO , O लिखित रूप से नियुक्त व्यक्ति अभिप्रेत है जिसके अन्तर्गत उप-प्रबंधक, इंजीनियर, प्रस्थापन(Installation) प्रबंधक, AO , O क्षा अधिकारी, अग्निशमण अधिकारी और सर्वेक्षक भी AE ...

तेल खान विनियम, 2011

- (61) "तृतीय स्थापन" एक गतिमान या स्थिर स्थापन अभिप्रेत है, जिसके अन्तर्गत पाईपलाईन है और जिसे संगत जल में अपरिष्कृत प्राकृतिक गैस का खोज करने या दोहन करने के लिए उपयोग किया जाता है या किया गया है।
- (62) "तेल कूप" से कोई कूप अभिप्रेत है जो पेट्रोलियम उत्पादन कर रहा है या उत्पादन करने की क्षमता रखता है।
- (63) "आऊट लाईन" डेरिक से डेरिक वाक या डेरिक के बाहर अन्य स्थान तक पाईप, ड्रीलिंग या अन्य उपकरण को ढोने के लिए प्रयुक्त रस्सा है।
- (64) "पेट्रोलियम" प्राकृतिक तौर पर मुक्त अवस्था में पाया जानेवाला हाइड्रोकार्बन प्राकृतिक गैस या तरल या श्यान या ठोस अवस्था में हो किन्तु इसके अन्तर्गत पेट्रोलियम के साथ मिलने वाला हीलियम नहीं है।
- (65) "रैक" एक ऐसी संरचना जो रिग तल से सटा हुआ किन्तु सामान्यतया उसके नीचे मौजूद रहता है जिसपर पाईप या केसिंग का भंडारण या रैक किया जा सके।
- (66) सुरक्षा प्रणाली वाल्व, टूल लंचर या रिसीवर, क्षयण रक्षा प्रणाली तथा अन्य सहायक उपकरण सहित सतह को पाइप जिनके अन्तर्गत उप सामुद्रिक (Sub sea) पाइप तथा राईजर परिवहन पेट्रोलियम तथा अन्य सामग्रियाँ भी है।
- (67) "मशीन या उपकरण के ऑपरेशन के लिए आस-पास के मुकाबले उठी हुई कार्य-रूढ़ि" मशीन या उपकरण के ऑपरेशन के लिए आस-पास के मुकाबले उठी हुई कार्य-रूढ़ि है।
- (68) "प्रक्रम कामप्लेक्स" पेट्रोलियम के संग्रहण, उपचार, भंडारण या परिवहन के लिए अपतटीय सुविधा जिसके अन्तर्गत कूप, कूप सह प्रक्रिया प्लेटफॉर्म, कूप सह प्रक्रिया प्लेटफॉर्म तथा गैस कंप्रेसर का है।
- (69) "31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर या 31 दिसम्बर को समाप्त होनेवाली तीन तिमाहों की" 31 मार्च, 30 जून, 30 सितम्बर या 31 दिसम्बर को समाप्त होनेवाली तीन तिमाहों की है।
- (70) "डेरिक या मास्ट पर रखे गए या पाईप रैक पर लगाए गए नलिका कार सामग्री या रॉड" डेरिक या मास्ट पर रखे गए या पाईप रैक पर लगाए गए नलिका कार सामग्री या रॉड है।
- (71) "डेरिक या मास्ट पर मौजूम डेरिक मैन (Derrick man) रैक किए जानेवाले स्टेड को संचालित करता है।
- (72) "रेडियो प्रणाली" के अन्तर्गत रक्षा नौका, रेडियो उपकरण, वी.एच.एफ.-एच.एफ.-एच.एफ. वाकी टॉकी सेट, वी.एच.एफ.-एच.एफ. वायु वाहक, नान डायरेक्शनल बेकन (NDB), एच.एफ.एस.एस.बी. ट्रांसीवर, नान डायरेक्शनल बेकन (NDB), एच.एफ.एस.एस.बी. ट्रांसीवर तथा रेडियो टेली टाइप शामिल है जिनका उपयोग ध्वनि टेली टाइप संचार में किया जाता है।
- (73) "भारतीय रेल अधिनियम, 1890" भारतीय रेल अधिनियम, 1890 है।
- (74) "क्षेत्रीय निरीक्षक" क्षेत्र या स्थानीय क्षेत्र या क्षेत्रों जिसमें खान स्थित है या खान समूह खान वर्ग, खान आवास है, का प्रभारी खान निरीक्षक अधिनियम के अधीन अपने अधिकारों का प्रयोग करता है।
- (75) "रिगिंग-तैयारी" किसी वेधन या उत्पादन कार्य के होने के पूर्व वेधन या उत्पादन रिग सहायक उपकरण को संयोजन करना अभिप्रेत है, आगे जिसके अन्तर्गत ऊपर उठाना तथा स्थिति करना भी है।

- (76) संचमुख से पाइप लाइन प्रणाली का वह भाग अभिप्रेत है जो उप सामुद्रिक पाइप लाइन तक $\times \text{AOAYO} \times \text{YO} \text{AE} \text{YOEOO}$ जिसके अन्तर्गत आंतरिक रख-रखाव एवं निरीक्षण के लिए लॉचर, रिसीवर या $\text{^} \text{OA}$ कर $\text{^} \text{OB} \text{AE} \dots$
- (77) "नदी" से जल की कोई धारा अभिप्रेत है चाहे वह मौसमी या वर्षानुवर्षा प्रकार की हो जिसके अन्तर्गत इसके किनारे का विस्तार $\text{^} \text{""} \text{OC} \text{O} \text{O} \text{-OYO} \text{O} \text{O}$ -स्तर तक $\text{^} \text{OB} \text{AE} \dots$
- (78) "घूर्णी $\text{AE} \text{O} \text{O}$ " से कोई $\text{AE} \text{O} \text{O} \text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE}$ जो बहनेवाली तरल पदार्थ को स्टैंड पाइप से स्विवेल $\text{^} \text{O}$ केली तक $\text{^} \text{O} \text{x} \text{AO} \text{O}$ करता है।
- (79) घूर्णी मेज $\text{AO} \text{^} \text{O}$ गन रज्जू को घुमाने के लिए रिग के सतह पर उपयोग के लिए $\text{x} \text{^} \text{O} \text{AYO} \text{^} \text{O} \text{x} \text{^} \text{OYO}$ घूर्णी $\text{^} \text{O} \text{O} \text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE} \dots$
- (80) सुरक्षा मामला से किसी अनयोजित अभिकरण $\text{^} \text{O} \text{AOB} \text{^} \text{O}$ प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया लिखित $\text{x} \text{^} \text{O} \text{O} \text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE}$ कि प्रस्थापन के संबंध में परिसंकटमय की पहचान की गई है, जोखिम का मूल्यांकन किया गया है और सुरक्षित प्रचालन के लिए उस स्थान पर नियंत्रण के उपाय पर्याप्त है ;
- (81) "सुरक्षा प्रबंध $\text{^} \text{O}$ णाली" $\text{AO} \text{AO}$ मूहिक तौर पर प्रबंध प्रणाली में के तत्व अभिप्रेत है जिनका प्रयोग परिसंकट की पहचान या मूल्यांकन या नियंत्रण या उसके $\text{^} \text{O} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{^} \text{O}$ के लिए किया जाता है।
- (82) "अनुसूची" AO इन विनियमों में स $\text{^} \text{^} \text{O} \text{O} \text{^} \text{O}$ अनुसूची $\text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE} \dots$
- (83) $\text{YO} \text{^} \text{O} \text{AO} \text{AO} \text{^} \text{O} \text{x} \text{^} \text{OYO}$ आधार लाइन पर स्थित बिंदु अभिप्रेत है जो प्रस्थापन के निकटस्थ है ;
- (84) आधार से किसी डेरिक $\text{^} \text{O}$ रैक किए जानेवाले दो या दो से अधिक लम्बाई के पाइपों का सेक्शन $\text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE} ;$
- (85) मानक रेलिंग से किसी खुले किनारों के फर्श, खुली $\text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{^} \text{O}$, $\text{O} \text{^} \text{OYO}$, प्लेटफॉर्म या वाक वे से व्यक्तियों को गिरने से बचाने के लिए उनके किनारे अनुलम्ब, घेराबंदी या अवरोध निर्माण करना $\text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE} ;$
- (86) "उप सामुद्रिक पाइ $\text{^} \text{O} \text{^} \text{O} \text{^} \text{O}$ " $\text{AO} \text{^} \text{O} \text{^} \text{O}$ $\text{^} \text{O} \text{^} \text{O}$ प्रणाली का वह भाग $\text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE}$ जो समुद्र तल के अन्दर या तल पर या उसके उपर लगाया गया है ;
- (87) "उप संरचना" $\text{AO} \text{^} \text{O} \text{AE} \text{^} \text{O} \text{-OYO} \text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE} \text{x} \text{^} \text{O} \text{AO} \text{^} \text{O}$ सामान्यतया $\text{^} \text{O}$ डेरिक और $\text{^} \text{O} \text{O}$ को रखे $\text{^} \text{OYO} \text{AE} ;$
- (88) "पृष्ठीय $\text{^} \text{O} \text{O}$ क" असमेकित AO रचनाओं को ढँकनेवाला आवरण $\text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE}$ जिससे छिछले गैस बहाव से सुरक्षा प्रदान करना, जलीय संरचनाओं को सीलबंद करना, संक्रमण से स्वच्छ जल, बालू को बचाना, खोए हुए सर्कुलेशन जोन को निवृत्त करना तथा कूप शीर्ष के लिए संरचनात्मक सपोर्ट प्रदान करना।
- (89) " $\text{AO} \text{^} \text{O} \text{^} \text{O}$ " से किसी वायर लाईन पर उत्प्रेरण कार्य करना $\text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE}$ ताकि कूप से स्वभाविक बहाव न होने पर कूप से तरल पदार्थ को सतह पर लाया जा सके ;
- (90) " $\text{^} \text{O} \text{O} \text{^} \text{O}$ " से किसी खुले $\text{^} \text{O} \text{O}$, खुली $\text{x} \text{^} \text{O} \text{O}$, प्लेटफॉर्म, वाक वे या रैम्प से सामग्रियों को गिरने से रोकने के लिए इनके खुले किनारे पर तल से अनुलम्ब अवरोध या घेराबंदी $\text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE} ;$
- (91) " $\text{x} \text{^} \text{O} \text{AOO} \text{O} \text{EYO}$ धूल या गैस " से कोई ऐसा धूल या गैस $\text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE}$ जो एक या अधिक शारीरिक तंत्र के सामान्य कायिक प्रक्रिया को क्रमणीय या उत्क्रमणीय रूप से बाधा पहुँचा सकती है ;
- (92) "आवागमन ब्लॉक " AO बहु चरखी पूली ब्लॉक $\text{^} \text{x} \text{^} \text{O} \text{OYO} \text{AE}$ जिसका उपयोग वेधन, स्ट्रिंग, केसिंग, ट्यूबिक, $\text{^} \text{O}$ $\text{^} \text{O}$ अन्य उपकरण उतारने YOEOO उठाने के लिए स्थिर क्राऊन ब्लॉक के साथ किया जाता $\text{AE} \dots$

तेल खान विनियम, 2011

- (93) "•0Æ0•0" का वही अर्थ होगा जो मर्चेन्ट शिपिंग वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के न00,0 3 के खंड (55) 0 0x, 300x4000 Æ ;
- (94) "कूप " Æ0 30-0, 0%0 0 x" ; †x30-000 Æ -
- (a) जो ड्रीलिंग, बोरिंग या अन्य तरीका से बना हो या बनाया जा रहा हो और जिससे पेट्रोलियम निकाला जाता है या निकलने 000ग्य है या पेट्रोलियम अभिप्राप्त करने के उद्देश्य के लिए है ;
- (b) जो जल क्षेपण या प्राकृतिक गैस , वायु, जल या अन्य पदार्थ को भूमिगत संरचना में क्षेपण के उद्देश्य से 00x-000 किया गया है या वेधन किया जा रहा है या इसका उपयोग किया गया है ;
- (95) "कूप शीर्ष " से तरल के बहाव को नियंत्रित करने के लिए कूप केसिंग स्ट्रींग के शीर्ष पर वाल्व या निकासयुक्त संयोजन †x30-000 Æ ;
- (96) "कूप छेदन " Æ0 0त्पादन या परीक्षण या कूप सक्रियन के प्रयोजन के लिए प्रवाह उपलब्ध करने का कूप आवरक या नलिका छिद्रण या सीमेंटिंग अभिप्रेत है या ट्यूबिंग या सीमेंट का छेदन ;
- (97) "वर्क ओवर" या कूप संरक्षण सेवा से उत्पादन के पुनः प्रारंभ करने या बढ़ाने या परित्याग करने के आशय से किसी कूप 0र विविध प्रकार के एक या एक से अधिक उपचारिक प्रचालन अभिप्रेत है ;
- (98) "जोन '†0' परिसंकटमय क्षेत्र " से कोई ऐसा क्षेत्र †x30-000 Æ जहाँ निरन्तर परिसंकटमय वातावरण बना रहता है ।
- (99) "जोन 1 परिसंकटमय क्षेत्र" से ऐसा कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है जहाँ सामान्य प्रचालन दः00 0 किसी परिसंकटमय वातावरण बनने की संभावना रहती है ।
- (100) "जोन 2 परिसंकटमय क्षेत्र" से कोई ऐसा क्षेत्र अभिप्रेत है •0Æ0 केवल असामान्य प्रचालन दः00 0 परिसंकटमय वातावरण बनने की संभावना रहती है ।

अध्याय-2

विवरण, सूचनाएँ और योजना

3. ढु,अु की सूचना :-

(1) अधिनियम की धारा 16 के अधीन अपेक्षित सूचना, को प्रारूप 1 ढु मुख्य निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा ढु, जिसमें खान के भौगोलिक सीमाओं जिसके अन्तर्गत संस्थापनो की उपस्थिति और स्थायी रूप रेखाएँ भी होगी... इसकी एक प्रति रीजनल इंस्पेक्टर को भेजी जाएगी।

परन्तु अपतटीय ढु स्थापन की दशा ढु ढु ढु के संदर्भ के ढु सीमा प्रदर्शित की जाएगी। परन्तु यह और की किसी खान के संदर्भ में जो पहले से ही वह इन विनियमों के प्रवृत्त होने के साठ दिनों के भीतर ऐसी योजना प्रस्तुत करेगी...

परन्तु यह और की यदि ढु ढु ढु परिवर्तन है तो ऐसे परिवर्तन के साठ दिनों के भीतर नई सीमा को प्रदर्शित करने वाली योजना प्रस्तुत करेगा...

(2) जब खान को ढु,अु किया ढु स्वामी, अभिकर्ता, प्रबंधक ढु,अु की वास्तविक तारीख को तत्काल मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को ढु सूचित करेंगे।

4. तिमाही विवरणी :-

प्रत्येक वर्ष ढु ढु, जुलाई, अक्टूबर और जनवरी मास की 20 तारीख तक या उससे ढु ढु, ढु,अु कर्ता या प्रबंधक प्ररूप 2 में ढु तिमाही के संदर्भ में सही विवरणी मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को भेजी जाएगी ...

5. वार्षिक विवरणी :-

ढु,अु के वर्ष के फरवरी मास ढु 20 तारीख तक या उससे पूर्व खान के ढु ढु, ढु,अु कर्ता या प्रबंधक प्ररूप 3 में ढु वर्ष के संदर्भ में वार्षिक विवरणी भरकर जिला मजिस्ट्रेट और मुख्य निरीक्षक को भेजेगें ...

6. स्वामित्व और पता में परिवर्तन :

(i) जब खान का स्वामी या उसके स्वामित्व के संदर्भ में नाम या पता या दोनों में कोई परिवर्तन होता है (किसी फर्म के संदर्भ में भागी या संगम के सम्बन्ध में कोई सदस्य या पब्लिक कंपनी के संबंध में निदेशक या निजी कंपनी के सम्बन्ध में बड़े शेयरधारक को मिलाकर) तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक इस बदलाव की तारीख से साठ दिन के भीतर प्रथम अनुसूची के प्ररूप 1 में सूचनाएँ भरकर उसे मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को भेजेगा...

(ii) ढु,अु अभिकर्ता, प्रबंधक, ढु-प्रबंधक, इंजीनियर, संस्थापन अधिकारी, सुरक्षा अधिकारी, ढु-फायरिंग अधिकारी, अग्निशमन अधिकारी और सर्वेक्षक की नियुक्ति की जाती है या उनकी नियुक्ति को समाप्त की जाती है या ये उपरोक्त पद को छोड़ते हैं या किसी अभिकर्ता या प्रबंधक के पता में कोई ढु,अु ढु,अु होता है तो स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक नियुक्ति ; सेवा-समाप्ति या परिवर्तन की तारीख से साठ दिनों के भीतर इसकी सूचना प्ररूप 1 ढु मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को भेजेगा।

7. अभिकर्ता की नियुक्ति :

- (1) खान का आरंभ खान के प्रबंधन, नियंत्रण, अधीक्षक द्वारा निर्देशन के सम्बन्ध में स्वामी के बदले कार्य करने के लिए प्राधिकृत प्रत्येक व्यक्ति के नाम तथा पदनाम का लिखित विवरण मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को सौपेगा।
- (2) इस विवरण में ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व जिस विषय पर उसे खान आरंभ के स्थान पर प्राधिकृत किया गया है, दर्शाया जायेगा।
- (3) विवरण में दर्शाए गए दायित्व के संदर्भ में स्थिति के अनुसार यह व्यक्ति किसी खान या खानों के समूह के लिए अभिकर्ता माना जाएगा।
- (4) इन विनियमों के प्रभावी होने की तिथि से एक महीने के अन्दर सब-रेग्युलेशन (i) में दर्शाए गए विवरण को जमा किया जाएगा। परन्तु, यथास्थिति, किसी खान या खान समूह के लिए, दशायें और अन्य मामलों में खान के आरंभ होने या पुनः आरंभ की तारीख से एक मास के अन्दर विवरण दी जाएगी।
- (5) विनियम (1) में निर्दिष्ट विवरण के नाम या अन्य प्रविष्टि या नामों में कोई परिवर्तन, या परिवर्तन उक्त परिवर्तन, जोड़ या परिवर्तन की तारीख से सात दिनों के भीतर मुख्य निरीक्षक को लिखित में रिपोर्ट करना होगा...

8. परित्याग या बंद करने की सूचना :

- (1) जब किसी खान को परित्याग करने या उसके काम को चा. 1 से अधिक समय के लिए बंद करने का आशय है तो खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसे सूचना देना या काम बंद कम से कम तीस दिन पूर्व प्रस्तावित, परित्याग या बंद करने के और प्रभावित होनवाले व्यक्तियों की संभावित संख्या के लिए कारणों को अधीक्षक को सूचना देना मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को देगा।
- (2) विनियम (1) में निर्दिष्ट सूचना पहली अनुसूची के प्ररूप 1 में होगी ;
परन्तु कि आकस्मिक परिस्थिति में जहाँ सूचना के पूर्व ही प्रस्थापन कार्य को बंद किया जाता है तो इसकी तत्काल सूचना दी जाएगी।

9. खतरनाक घटनाओं की सूचना

- (1) जहाँ कोई ऐसी तत्काल पहचान योग्य किसी खतरनाक घटना जिसमें काम पर लगे व्यक्तियों को चोट लगने या रोगी होने की संभावना हो या कार्य स्थल के इर्द-गिर्द मौजूद लोगों के प्रभावित होने की संभावना हो या किसी खान के अन्दर या उसके आस-पास कोई दुर्घटना इस प्रकार घटती हो जिससे -
 - (i) खनन प्रचालन के सम्बन्ध में जीवन हानि या गंभीर शारीरिक चोट लगने जैसी कोई दुर्घटना ;
 - (ii) विस्फोट या प्रज्वलन ;
 - (iii) खान के ढलने/संकोच/संकोच/संकोच ;
 - (iv) आग लगना ;

तेल खान विनियम, 2011

- (v) पेट्रोलियम या पेट्रोलियम, वाष्प, संपीडित वायु या वायुमंडलीय दाब से उच्च दाब पर अन्य यंत्रों-युक्त उपकरण के फटने की घटना ;
- (vk) पेट्रोलियम का अनियंत्रित बड़ा प्रवाह या रासायनिक रिसाव ;
- (vi) ड्रॉ वर्क, केसिंग लाईन के महत्वपूर्ण भाग के टूटने या चिटकने की घटना या आपात ब्रेक की विफलता जहाँ लोगों की सुरक्षा का खतरा हो सकता है ;
- (vii) डेरिक, मशीन या उपकरण के महत्वपूर्ण भाग के टूटने, चिटकने या विफलता जिससे लोगों की सुरक्षा का खतरा हो सकता है ;
- (viii) अंतर्वाह गैस का प्रवेश ;
- (ix) विस्फोटक से दुर्घटना

उपरोक्त की स्थिति में स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक इस प्रकार की प्रत्येक घटना की तत्काल सूचना टेलीफोन टेलीफैक्स, एक्सप्रेस टेलीग्राम या विशेष दूत द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षक को देगा तथा घटना के 24 घंटा के भीतर पहली अनुसूची के प्ररूप 4 - क में सूचना भरकर मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

(2) यदि विद्युत ऊर्जा के उत्पादन रूपांतरण, परिवहन, आपूर्ति या उपयोग के कारण खान या इसके पास में कोई दुर्घटना होती है जिससे गंभीर चोट, शारीरिक चोट या जीवन की हानि होती है तो खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक टेलीफोन, टेलीफैक्स एक्सप्रेस टेलीग्राम या विशेष दूत की मदद से उसकी तत्काल सूचना खान के विद्युत निरीक्षक को देगा।

(3) यदि विनियम (1) के अधीन पूर्व में रिपोर्ट किए गए गंभीर चोट से कोई मृत्यु हो जाती है तो खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक मृत्यु की सूचना मिलने के 24 घंटा के अन्दर इसकी जानकारी मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक और जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

(4) उपरोक्त के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति के मरने या घायल होने के सम्बन्ध में खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक घटना के सात दिन के अन्दर या घायल व्यक्ति के काम पर लौटने के पन्द्रह दिन के अन्दर यथास्थिति अनुसूची के प्ररूप 4 - ख और 4 - ग में सूचना भरकर मुख्य निरीक्षक को भेजेगा।

10. रोग की सूचना :

जब कोई व्यक्ति के केंद्रीय सरकार द्वारा अधिसूचित रोग से ग्रसित होता है तो खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक इसकी सूचना मिलने के तीन दिन के भीतर पहली अनुसूची के प्ररूप - 5 में यह सूचना भरकर जिला मजिस्ट्रेट, मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक खान निरीक्षक चिकित्सा को देगा।

11. रेखांक :

प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक निम्नांकित रेखांकन यथास्थिति अद्यतन बनाएगा।

(क) सम्यक रूप सीमांकित क्षेत्र जिसमें पेट्रोलियम की निकासी अनुषांगिक जारी है, को दर्शाते हुए राष्ट्रीय ग्रिड के संदर्भ में मूल्य रेखांक ;

(ख) सभी स्थापन जिनमें कूप, समूह गैदरिंग स्टेशन, पाइपलाइन और उसकी पहुँच के मार्ग, रेल, ट्रांसमिशन लाइन, सार्वजनिक सड़क, भवन या अन्य स्थायी संरचनाएँ जो खान का नहीं है, नदी-मार्ग को प्रदर्शित करने वाले रेखांक...

तेल खान विनियम, 2011

(ग) सुदूरतटीय मामले में सभी प्लेटफॉर्म †०, कूपो, राईजर, पाइपलाइन, »००† या ^००† भंडारण सुविधा तथा प्रस्थापन की जलीय गहराई †०, तटीय आधार से दूरी को दर्शानेवाला अन्य सभी संयोजन के स्थानों को इंगित करनेवाला रेखांक परन्तु मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा खान सीमा से किसी दूरी तक रेखांक विस्तार के संदर्भ में जो वह निर्दिष्ट करे, मांग सकेंगे...

(2) इन विनियमों व ^००-०० के अनुसरण प्रत्येक का रेखांक में होगा :

(क) खान †०, खान मालिक का नाम प्रदर्शित करें तथा

(ख) सही उतर या चुम्बकीय मेरेडियन तथा पश्चावर्ती तारीख...

(ग) जब तक अन्य या व्यवस्थित नहीं है निम्नांकित प्रतिनिधित कारक के स्केल पर:

(i) 50,000:1, मूल रेखांक की दशा में ;

(ii) 20,000:1, ^०-विनियम 1 के खंड (ख) में तेल, गैस, कूप और अन्य संस्थापनों के स्थान को प्रदर्शित करने वाले रेखांक की ५०० ०;

परन्तु मुख्य निरीक्षक किसी लिखित आदेश द्वारा और विनिर्दिष्ट ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुये किसी अन्य उपयुक्त पैमाने पर रेखांक तैयार करने की अनुमति दे सकेगा ;

(०) रेखांक को टिकाऊ कागज या किसी पॉलिस्टर के ट्रेसिंग फिल्म पर स्याही से बनाकर इसे अच्छे ५०० में रखा जाएगा ;

(') रेखांक यथार्थ और अद्यतन होगा और यह 12 मास ०० ०:००००:००० का नहीं होगा ।

(3) क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित में किसी आदेश द्वारा -

(क) इन विनियमों के अधीन रख-रखाव के लिए अपेक्षित रेखांकों पर अतिरिक्त जानकारी या आदेश में निर्धारित समय-सीमा के अधीन ऐसे पैमाने पर रेखांक तथा सेक्शन को बनाने †०, रख-रखाव तथा ऐसी जानकारी दर्शाने की अपेक्षा कर सकेगा...

(ख) वह आदेश के अधीन स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक ऐसी समय-सीमा के भीतर रेखांक और सेक्शन देने की अपेक्षा कर सकेगा जो वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे...

(4) इन विनियमों या इसके अधीन कराये गये आदेश के अधीन रख-रखाव किए जानेवाले सभी रेखांक और सेक्शन के ००००-साथ सभी ऐसे रेखांक और सेक्शन की तैयारी में उपयोग में लायी गई थी सभी फील्ड बुक और अन्य टिप्पण को खान के कार्यालय में निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराया जाएगा तथा इसकी सूची रखी जाएगी ।

12. सर्वेक्षक «०,० रेखांक आदि का निर्मित :

(1) इन विनियमों या इसके अधीन किये गये आदेशों के अधीन प्रत्येक रेखांक या सेक्शन को निर्मित सर्वेक्षक के द्वारा या उसका व्यक्तिगत पर्यवेक्षण में किया जाएगा और इस प्रभाव का एक प्रमाण-०० भी करेगा की रख-रखाव या सेक्शन या उसका भाग सही है तथा सर्वेक्षक द्वारा हस्ताक्षरित और दिनांकित होगा यदि प्रत्येक †०००, ०, प्रबंधक ^०० रेखांक या सेक्शन पर दिनांक देकर प्रति हस्ताक्षर तथा तारीख होगी सुनिश्चित करेगा कि रेखांक या सेक्शन अद्यतन है ।

(2) किसी रेखांक या सेक्शन या उसके किसी भाग की प्रत्येक ट्रेसिंग में मूल रेखांक या सेक्शन, जिससे वह प्रति किया गया है, का संदर्भ होगा और सर्वेक्षक †०० रेखांक या सेक्शन को मूल रेखांक या सेक्शन की सत्य ००० के रूप में प्रमाणित करेगा ।

अध्याय-3

आक्षमता और उपयुक्तता की परीक्षा तथा प्रमाण-पत्र

13. खनन परीक्षा बोर्ड (Board of Mining Examinations)-

- (1) इन विनियम के प्रयोगों के लिए एक खनन परीक्षा बोर्ड गठित होगा जो इसमें इसके अंतर्गत बोर्ड कहा जाएगा।
- (2) खनन परीक्षा बोर्ड मुख्य निरीक्षक जो इसका पदेन अध्यक्ष होगा, तीन सदस्य होंगे जो खनन या पेट्रोलियम इंजीनियरी में कम-से-कम डिग्री धारक होंगे ; और
 - (क) धात्विक लौह खान विनियम, 2011 या कोयला खान विनियम 2011 के अधीन प्रथम श्रेणी प्रबंधक प्रमाण-पत्र ; या
 - (ख) धात्विक लौह या कोयला खानों में कार्य करने का व्यवहारिक अनुभव रखता हो, या
 - (ग) डिग्री या समतुल्य स्तर पर खनन इंजीनियरी या पेट्रोलियम इंजीनियरी में शिक्षा देनेवाले किसी संस्थान में अध्यापक ; या
 - (घ) खनन या पेट्रोलियम अनुसंधान या योजना कार्यरत ; जो केंद्रीय सरकार द्वारा नियुक्त किए जायेंगे ;

परन्तु परीक्षा बोर्ड का गठन इस प्रकार होगा कि इसमें कम से कम एक सदस्य खंड (क) या खंड (ख) में भी गई अहर्ताधारक तथा कम से कम दो सदस्य यहाँ खंड (ग) या खंड (घ) में भी गई अहर्ता के धारक हो...

- (3) खनन परीक्षा बोर्ड का प्रत्येक सदस्य (अध्यक्ष सहित) का सदस्य के रूप में उसे नियुक्त किए जाने की अधिसूचना की तारीख से तीन वर्ष के लिए, या जब तक कि उनके उतराधिकारी की नियुक्ति नहीं की जाती है तथा वे कार्यभार ग्रहण नहीं कर लेते, इनमें से जो भी बाद में पद धारण करेंगे :

परन्तु कोई सदस्य किसी भी समय पदत्याग कर सकता है :

परन्तु, यह और कि उप-विनियम (2) के खंड (ग) के अधीन नियुक्त कोई सदस्य, उक्त खंड में यथा निर्दिष्ट, किसी ऐसी संस्था में सेवा के अपने पद धारित से प्रवृत्त रहेगा।

परन्तु यह और भी की मृत्यु या पदत्याग या अन्य के कारण हुई किसी रिक्ति को भरने के लिए किसी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है तो वह व्यक्ति उस पद पर शेष अवधि के लिए तब तक बना रहेगा जबतक कि, ऐसे सदस्य रहता यदि आकस्मिक या ऐसा कारण न होता, के रूप में सदस्य रहता।
- (4) कोई व्यक्ति, जो खनन परीक्षा बोर्ड का सदस्य है या सदस्य के रूप में पद धारित है, विनियम के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए इस पद को पुनः धारण करने के लिए योग्य होगा।
- (5) खनन परीक्षा बोर्ड का कोई सदस्य (अध्यक्ष से भिन्न) एकाधिक पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित किया जाए...
- (6) मुख्य निरीक्षक इस नियुक्ति एक निरीक्षक को परीक्षा बोर्ड के सचिव के रूप में नाम निर्दिष्ट होगा (इसमें वह इसके पश्चात् इन विनियमों में सचिव कहा गया है।)

तेल खान विनियम, 2011

- (7) इस विनियम में उक्त किसी व्यक्ति के होते हुए भी, केंद्रीय सरकार यदि यह समाधान हो जाता कि यह लोक हित में करना आवश्यक है तो वह सभी सदस्यों या किसी एक सदस्य के सेवावधि के समाप्ति के खनन् परीक्षा बोर्ड का पुनर्गठन कर सकेगा।
- (8) खनन् परीक्षा बोर्ड की बैठके अध्यक्ष जब भी आवश्यक सम-ता है, होगी और जब तक कि अध्यक्ष द्वारा अन्यथा विनिश्चित किया जाए समिति की सभी बैठके धनबाद में होगी...
- (9)(क) परीक्षा बोर्ड की प्रत्येक बैठक के लिए कम से कम 15 दिन पूर्व अध्यक्ष या सचिव बैठक का समय, स्थान की सूचना प्रत्येक सदस्य को दी जायगी जो भारत में है...
- (ख) सूचना सदस्य के प्राचीन निवास स्थान पर वितरण या डाक से भेजी जायगी तथा सूचना के बैठक के दौरान निपटाये जानेवाली कार्रवाई के सूची शामिल होगी...
- (ग) खंड (क) में किसी बात का होते हुये भी, किसी आपात बैठक में अध्यक्ष द्वारा किसी भी समय दो दिन आग्रिम सदस्यों को सूचना पर, जिसमें ऐसी बैठक का समय और तारीख तथा ऐसी बैठक के विचारविमर्श के लिए विषयवस्तु होगी, बैठक आहुत की जा सकेगी।
- (10)(क) अध्यक्ष खनन परीक्षा बोर्ड की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा।
- (ख) यदि किसी कारण से अध्यक्ष की अनुपस्थिति में से चयनित कोई सदस्य बैठक की अध्यक्षता करेगा इस प्रकार चयनित व्यक्ति को उक्त बैठक में अध्यक्ष के शक्तियाँ होगी...
- (11) खनन् परीक्षा बोर्ड की किसी बैठक में कार्रवाई का कोई संव्यवहार तब तक नहीं होगा जबतक कि कम-कम तीन सदस्य जिसमें भी उपस्थिति नहीं है...
- परन्तु यदि किसी बैठक का कोरम पूरा नहीं है तो बैठक स्वतः आगामी सात दिनों के निर्गत तारीख के लिए स्थगित होगी या यदि उक्त तारीख को लोक छुट्टी होने पर अगले दिन बैठक का आयोजन होगा तथा स्थगित बैठक का समय, स्थान और कार्यवृत्त एजेन्डा अपरिवर्तित होगा वह बैठक में भाग लेनेवाले सदस्यों की संख्या पर ध्यान न रखते हुये बैठक की कार्रवाई का निपटान किया जाना विधिपूर्ण होगा।
- (12)(क) खनन् परीक्षा बोर्ड के सभी विषयों में बैठक में विचार किया जाना अपेक्षित है या, यदि अध्यक्ष इस प्रकार विनिश्चित करेगा यह प्रत्येक सदस्य जो भारत में उपस्थिति है को कागज पत्रों को परिचालन द्वारा किया जा सकता है।
- (ख) जब किसी मामले को परिचालन द्वारा संदर्भित किया जाता है तो कोई भी सदस्य इस पर खनन् परीक्षा बोर्ड की बैठक में विचार करने का अनुरोध कर सकता है तथा अध्यक्ष निर्देश दे सकेगा कि किन्तु दो या अधिक सदस्यों ने इस प्रकार अनुरोध किया हो, अध्यक्ष निर्देश देंगे कि ...
- (13)(क) खनन् परीक्षा बोर्ड के समक्ष बैठक में संव्यवहार चर्चा किये जानेवाले कार्रवाई की सूची देंगे।
- (ख) किसी कार्रवाई पर जो ऐसी में सम्मिलित नहीं है पर विचार नहीं किया जायगा।
- (14)(क) प्रत्येक विषय पर विनिश्चय बैठक में सदस्यों के बहुमत मतों के द्वारा लिया जायगा।
- (ख) विनियम (12) के अधीन सदस्यों को निम्न प्रत्येक मामला पर विनिश्चय सदस्यों के बहुमत से लिया जायगा जबतक कि अध्यक्ष इसे किसी आगामी नियमित बैठक के लिए आरक्षित नहीं रखते है...
- (ग) सदस्यों के समान मत या राय की दशा में, अध्यक्ष को निर्णायक मत या राय देने का अधिकार होगा।

तेल खान विनियम, 2011

- (15)(क) सचिव प्रत्येक बैठक का कार्यवृत्त एक सजिल्द नंबरदार खाते मे अभिलिखित करेगा तथा बैठक के <A0 कार्यवृत्त की प्रतियाँ भारत मे ^00AEO>VO A03भी सदस्यो को 0x, 00x>00 की जायगी।
- (ख) इस प्रकार अभिलेख किये गये कार्यवृत्त की 00A7M खनन् परीक्षा बोर्ड की अगली बैठक में की जायगी तथा अध्यक्ष के आद्याक्षर इसका प्रमाण होगा।
- (16)(क) अध्यक्ष इस विनियम के अधीन 00A0 किसी अन्य शक्तियो 00E00 कर्तव्यों के अतिरिक्त निम्नांकित कार्य करेगा-
- (i) 00E00;00'0 खनन् परीक्षा बोर्ड को सभी महत्वपूर्ण कागजात तथा मामला प्रस्तुत करेगा...
 - (ii) खनन् परीक्षा बोर्ड के निर्णय कार्यान्वयन करने के लिये आदेश जारी करेगा...
 - (iii) किसी भी मामले को स्व-विवेक से केन्द्रीय सरकार के आदेश के लिए संदर्भित करने का अधिकार होगा ;
 - (iv) साधारणतया खनन् परीक्षा बोर्ड के विनिश्चयों का कार्यान्वयन के लिए ऐसी कार्रवाई करने को या ऐसे आदेश पारित करने का शक्ति होगी...
- (ख) अध्यक्ष अस्थायी/छुट्टी या अन्यथा किसी कारण से अपनी अस्थायी अनुपस्थिति के दौरान, खनन् परीक्षा बोर्ड के किसी सदस्य को अध्यक्ष के सभी कार्यों या किसी कर्तव्यों का अनुपालन करने के लिए 00x=0कृत कर सकेगा...
- (ग) जबतक कि अध्यक्ष किसी अन्य-कारण से निदेशित नहीं करते हैं खनन् परीक्षा बोर्ड की सभी कार्यवाही बंद कमरे में होगी तथा गोपनीय रखा जायगा।

14. खनन् परीक्षा बोर्ड द्वारा 00A0 जानेवाले प्रमाण-000

इन विनियम के अधीन जारी किए जानेवाले शाटफायरिंग प्रमाण-000 खनन् परीक्षा समिति द्वारा xA< जाएंगे ...

(क) तेल खानों मे तेल कूप भेदन कार्य के लिए शाटफायरिंग सक्षमता प्रमाण-000 ...

15. परीक्षाएँ और परीक्षक :-

- (1) <A0B परीक्षा के 00; 0000 अभ्यर्थियों को ऐसे प्ररूप में प्रमाण -पत्र प्रदान किये जायेंगे जो खनन् परीक्षा 200> विनिर्दिष्ट करें परन्तु खनन् परीक्षा 200> ^0 विधियों 0 विनिर्दिष्ट 00तों के अधीन रहते हुए किसी भी व्यक्ति को विनियम 14 0 निर्दिष्ट प्रमाण-पत्र दिए जाने के लिए परीक्षा या उसके किसी हिस्से में A00' 0000 होने से छूट दे सकेगा...
- (2) ऐसी समय और ऐसे केन्दो पर आयोजित होगी जो खनन् परीक्षा बोर्ड निर्गत करें और खनन् परीक्षा 200ड द्वारा अधीन रहते हुए परीक्षा संचालित होगी।
- (3) इस प्रकार नियुक्त परीक्षक सभी मामलों के A0P0-0 0 खनन् परीक्षा बोर्ड के आदेश के अधीन रहते A< परीक्षा संचालित करेगे तथा उन्हें केंद्रीय सरकार की 0=0, B द्वारा निर्धारित ^EVO A0x 0xVO A0 पारिश्रमिक दिया जाएगा।
- (4) खनन् परीक्षा बोर्ड इन विनियमों के अधीन सक्षमता †0, फिटनेस प्रमाण-पत्र देने तथा परीक्षा संचालन के लिए प्रक्रिया का विनिर्दिष्ट कर सकेगा और जहाँ तक संभव हो किसी के लिए प्रमाण-000 दिए जाने के लिए -गान के मानक तथा चिकित्सा उपयुक्तता का मानक इन A030B क्षेत्र के लिए समान होगा जिनको यह विनियम विस्तारित होंगे...

16. आवेदनों का जमा किया जाना:

- (1) खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा संचालित की जानेवाली किसी परीक्षा के लिए आवेदन परीक्षा के लिए नि-00x, 10 तारीख से 60 दिन आ 0% 10र इस प्रयोजन के लिए विनिर्दिष्ट किसी प्ररूप पर किए जाएँगे...
- (2) किसी शॉट फायरिंग प्रमाण-0;0 के लिए परीक्षा के स्थान और तारीख की सूचना खनन परीक्षा बोर्ड के आदेश के अधीन ऐसे अन्तराल में जो उक्त कमेटी निदेशित करे आवेदन पत्र के प्राप्ति के लिए नियत तारीख से कम से कम 60 दिन पूर्व प्रकाशित होगा।

17. अभ्यर्थियों की आयु और साधारण अहर्ता :

- (1) कोई व्यक्ति खनन परीक्षा बोर्ड द्वारा आयोजित किसी परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित नहीं हो सका जबतक की वह 20BA0 00A0 का नहीं है।
- (2) किसी व्यक्ति, को शॉट फायरिंग प्रमाण-पत्र की किसी भी परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में सम्मिलित नहीं होगा जबतक कि इन विनियमों के अधीन परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए अपेक्षित अनुभव प्रमाण-पत्र आदि खनन परीक्षा बो > <0, 0 विनिर्दिष्ट प्ररूप में नहीं देता।
- (3) उपर्युक्त किसी परीक्षा के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ निम्नांकित होंगे:-
 - (i) आवेदन की तारीख 000 00 एक वर्ष से अधिक नहीं, प्राप्त चिकित्सा प्रमाण-पत्र किसी अहर्ता 00प्त चिकित्सा व्यवसायी जो किसी सहायक सिविल सर्जन के पंक्ति से नीचे का हो या किसी प्रभावी सर्जन से *00A0 0 अभ्यर्थी के बहरापन, दृष्टिदोष, या कोई अन्य शिथिलतया मानसिक या शारीरिक कमजोरी, *00A0से उसकी कार्य क्षमता बाधित हो, से निरोगित होने का प्रमाण दिया गया 00...
 - (ii) अभ्यर्थी साधारण अच्छा आचरण और स्वस्थचित्त का किसी अति ख्यात प्राप्त व्यक्ति से प्रमाण-0;0...

18. शॉट फायरिंग सक्षमता प्रमाण-पत्र परीक्षा के लिए अभ्यर्थियों का व्यवहारिक अनुभव :

- (1) कोई व्यक्ति शॉट फायरिंग सक्षमता प्रमाण-पत्र परीक्षा में अभ्यर्थी के रूप में प्रवेश नहीं लेगा जबतक कि किसी अनुमोदित संस्थान से डिग्री धारक तथा तेल खान में भेदन कार्य का कुल एक वर्ष का अनुभव न रखता हो।
- (2) मुख्य निरीक्षक किसी लिखित आदेश द्वारा और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए जो उसमें विनिर्दिष्ट 00, ^0-नियम (1) में विनिर्दिष्ट शर्तों में परिवर्तन कर सकेगा...

(19) परीक्षा में प्रयत्नों की संख्या-कोई भी व्यक्ति इन विनियमों के प्रवृत्त होने की तारीख से शॉर्टफायरिंग प्रमाण-पत्र परीक्षा में पाँच प्रयत्न से अधिक करेगा...

(20) प्रमाण-0;0 के फीस -

- (1) शॉर्ट फायरिंग प्रमाण-0;0 के लिए प्रत्येक आवेदन के साथ पाँच सौ रु. की फीस देय होगी...
- (2) एक बार संदाय की गई 00BA0 0000A0 योग्य नहीं होगा सिवाय अभ्यर्थी की मृत्यु परीक्षा से पूर्व हो गई हो या यह अपवाद के तौर पर उस वक्त ही वापस किया जाएगा या जहाँ शुल्क का गलती से संदाय किया गया हो।

(21) प्रमाण-पत्र की दूसरी प्रति -

यदि कोई व्यक्ति परीक्षा बोर्ड का यह समाधान सिद्ध कर देता है कि इन विनियमों के अधीन उसे दिया गया प्रमाण-पत्र उसके किसी के बिना खो गया है या उससे वंचित किया गया है तो खनन परीक्षा बोर्ड 1000 रु. की दंड लेकर तथा ऐसे निबन्ध या और शर्तों के अधीन रहते हुए जिन्हें वह उच्च न्यायालय के आधार पर भुगतान के पश्चात उसे एक प्रमाण-पत्र जारी करेगा जिसपर द्वितीय प्रति प्रत्येक प्रति पर लगाएगा...

(22) प्रबंधक को दिया जानेवाला प्रमाण-पत्र -

जब शॉट फायरिंग प्रमाण-पत्र धारक, व्यक्ति किसी तेल के खान में किसी हैसियत से कार्य करता है उक्त प्रमाण-पत्र की अपेक्षा प्रमाण-पत्र को उस खान के प्रबंधक को सौंपेगा तत्समय नियोजित है तथा प्रबंधन उसके लिए ऐसे व्यक्ति को रसीद देगा और प्रमाण-पत्र के खान पर कार्यालय में उस अवधि तक रखेगा जबतक कि उसका धारक वहाँ नियोजित है तथा नियोजन के समाप्ति के पश्चात् उसे वापस कर देगा।

(23) शॉर्ट फायरिंग प्रमाण पत्र का निलंबन या रद्द किया जाना-

(1) यदि क्षेत्रीय निरीक्षक की राय में शॉर्टफायरिंग प्रमाण-पत्र धारक व्यक्ति अधिनियम या इन विनियम के अधीन अपने कर्तव्य निष्पादन में अक्षम है या अपेक्षा करता है या अवचार करता है तो वह इस मामले की सूचना खनन परीक्षा बोर्ड को देगा जो किसी निरीक्षक को लिखित में प्राधिकृत कर सकेगा निरीक्षक नहीं होगा उसकी रिपोर्ट उक्त मत का आधार पर होगी। लिखित रूप से प्राधिकृत कर जाँच कर पता लगाने का आदेश देगा कि क्या संदर्भित व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात अवचारी कहा गया है।) इस प्रकार के प्रमाण-पत्र को धारण करने के लिए योग्य है; परन्तु खनन परीक्षा बोर्ड, इस प्रकार के जाँच प्रारंभ करने से पहले उक्त प्रमाण-पत्र को मामले का विवरण देगा जिस पर जाँच होनी है।

(2) अधिनियम (1) के अधीन ऐसी जाँच के दौरान प्राधिकृत निरीक्षक को सभी संगत दस्तावेज प्राप्त करेगा वह निम्नांकित को अभिलिखित करेगा-

(क) किसी भी साक्षी का साक्ष्य जिसको उक्त मत का आधार होगा।

(ख) कोई साक्ष्य जिसे देना चाहते हैं...

(ग) किसी अन्य साक्षी का साक्ष्य जिसे दोषी व्यक्ति प्रस्तुत करना चाहे।

(घ) खान के प्रबंधक का साक्ष्य,

(ङ) जाँच करनेवाले निरीक्षक द्वारा कोई अन्य साक्ष्य जिसे वह आवश्यक या सुसंगत समझें...

परन्तु पर्याप्त सूचना के उपस्थित होने में जब तक असफल नहीं होता है तब साक्ष्य उपरोक्त साक्ष्य अवचारी की उपस्थिति में अभिलिखित किया जाएगा तथा उसे उसके द्वारा प्रस्तुत व्यक्तियों से भिन्न साक्षियों परीक्षा करने का युक्तियुक्त अवसर दिया जाएगा परन्तु यह और की करनेवाला निरीक्षक और साक्षियों परीक्षा कर सकेगा...

- (3) करनेवाला निरीक्षक जाँच की समाप्ति के पन्द्रह दिनों के अन्दर निष्कर्षों, जाँच के दौरान अभिलिखित किए गए साक्ष्य की टिप्पणियाँ तथा अन्य सम्बन्धित अभिलेख खनन् परीक्षा बोर्ड को देगा।
- (4) निरीक्षक जो संचालित करता है तथा साक्ष्य और x^mपणियों †0, •000-निष्कर्ष की प्रतियाँ †%000, B को भी भेजी जाएगी जो इन प्रतियों के प्रेषण की तारीख से तीस दिनों के भीतर खनन् परीक्षा बोर्ड को लिखित अभ्यावेदन दे सकेगा...
- (5) खनन् परीक्षा बोर्ड साक्ष्यों, अन्य अभिलेखों †0, लिखित अभ्यावेदन पर विचार करके, यदि कोई †%000, B द्वारा प्रस्तुत किया जाता है, या आगे मामले पर जाँच-पड़ताल करने या किसी अन्य प्रकार से †%000, B को उसके विरुद्ध गठित आरोपों से मुक्त या निलंबन करने या प्रमाण-पत्र को रद्द करने ; •00 उपयुक्त A0 0-ने निर्णय दे सकता है।
- (6) †A0 विनियम के अधीन खनन् परीक्षा बोर्ड के किसी आदेश के विरुद्ध अपील केंद्रीय सरकार के समक्ष †0देश के तीस दिनों के अन्दर किया जा सकेगा।
- (7) •0A0 †A0 विनियम के अधीन किसी प्रमाण-0;0 को निलंबित या रद्द किया जाता है वहाँ विनियम 21 के अधीन जारी प्रमाण-पत्र या इसकी †A0, B 0x0 0, 0, x"000 0A0ंकन किया जा सकेगा...

(24) शॉट फायरिंग प्रमाण-पत्र का विधि मान्यता :

(1)(क) किसी भी शॉट फायरिंग प्रमाण-पत्र की विधि मान्यता अवधि पाँच वर्ष से अधिक नहीं होगी जबतक कि क्षेत्रीय निरीक्षक A0 0 †A0 प्रभाव से पृष्ठांकित नहीं कर दे कि प्रमाण-पत्र धारक का 0%0000a 0000 0A00 0 मुख्य निरीक्षक द्वारा नियुक्त योग्य चिकित्सक द्वारा जाँच कर उसके कार्यक्षमता को प्रभावित करनेवाले बहरापन, दृष्टिदोष या मानसिक या शारीरिक दोष से रोगमुक्त प्रमाणित किया गया है।

(ख) खंड (क) के अनुसरण में जाँच संबंधित आवेदन पन्द्रह रूपया के शुल्क के साथ मुख्य निरीक्षक को सौपी जायेगी।

(2)(क) खान नियम, 1955 के नियम 29ख के अनुसरण में किया गया चिकित्सीय जाँच को A0-विनियम (1) के लिए जाँच हुआ सम-ा जायगा।

(ख) क्षेत्रीय निरीक्षक «0,0 प्रमाण-पत्र पर पृष्ठांकन के लिए आवेदन को पाँच रूपये के शुल्क के साथ खान नियम, 1955 के नियम 29ख के संदर्भ में प्रदत्त फिटनेस प्रमाण-पत्र के साथ जमा किया जायगा।

(25) शॉट फायरिंग अधिकारी के लिए सेवा निवृत्ति की आयु :

(1) कोई भी व्यक्ति साठ वर्ष की आयु प्राप्त करने के 0; "0000 00»0 खान में शॉट फायरिंग अधिकारी के रूप में तबतक कार्य नहीं करेगा जबतक कि वह पिछले एक वर्ष पूर्व अधिनियम तथा †A0 विनियम और इसके अधीन किए गए आदेशों के अधीन 0A0Aत कार्यों को करने के लिए चिकित्सीय फिटनेस प्रमाण-पत्र नहीं प्राप्त कर लिया हो।

परन्तु यदि मुख्य निरीक्षक या क्षेत्रीय निरीक्षक का मतानुसार उपर बताये गये किसी व्यक्ति अधिनियम तथा विनियम और इसके अन्तर्गत किए गए †0%00 के अधीन साठ वर्ष से पूर्व अपने कार्यों को करने में चिकित्सीय रूप से अयोग्य होता है, तो मुख्य निरीक्षक या क्षेत्रीय निरीक्षक

तेल खान विनियम, 2011

लिखित आदेश देकर निर्धारित तीन माँग के भीतर उक्त व्यक्ति से उपयुक्तता चिकित्सा प्रमाण-पत्र की माँग कर सकता है और इसके बिना वह व्यक्ति शॉटफायरिंग अधिकारी की हैसियत से अपना कार्य नहीं करेगा।

- (2) उपयुक्तता चिकित्सा प्रमाण-पत्र परीक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित विधि तथा प्राधिकार अंगीकार किया जायगा।
- (3) उपरोक्त विनियम (1) में वर्णित उपबंधो पर विपरित प्रभाव जाने बिना कोई भी व्यक्ति एक वर्ष की आयु के प्राप्त करने के पश्चात शॉट फायरिंग अधिकारी के रूप में कार्य नहीं करेगा।

अध्याय-4

निरीक्षक, प्रबंधन तथा कर्तव्य

26. निरीक्षकों की अर्हताएँ:-

(1) कोई व्यक्ति तब तक मुख्य निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा, जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से खनन अभियांत्रिकी में डिग्री न धारक न हो।

(2) कोई व्यक्ति तबतक एक निरीक्षक के रूप में नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान से खनन या पेट्रोलियम अभियांत्रिकी में डिग्री धारक न हो।

परन्तु :

- (i) खान में संस्थापित विद्युत मशीनरी के संबंध में, केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से प्राप्त अभियांत्रिकी में डिग्री धारक व्यक्ति को यथा नियुक्त किया जा सकेगा...
- (ii) खान में संस्थापित अन्य मशीनरी अथवा यांत्रिक उपकरणों के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से यांत्रिक अभियांत्रिकी में डिग्री धारक व्यक्ति को यथा नियुक्त किया जा सकेगा...
- (iii) अधिनियम तथा विनियमों के प्रावधान तथा उनके अधीन किए गए उपजीविका संबंधी स्वास्थ्य एवं सुरक्षा से संबंध रखने वाले विषयों से संबंधित है, के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्था से चिकित्सा शास्त्र अथवा शल्य चिकित्सा अथवा व्यावसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य वि-गान में डिग्री धारक व्यक्ति को यथा नियुक्त किया जा सकेगा ;
- (iv) अधिनियम तथा विनियम के प्रावधान तथा उनके अधीन किए गए आदेश जो व्यक्तियों के कल्याण से संबंधित विषयों से संबंधित है, के संबंध में केन्द्रीय सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त शैक्षिक सामाजिक वि-गान अथवा श्रमिक कल्याण में डिग्री धारक व्यक्ति को यथा नियुक्त किया जा सकेगा...

27. खान तक पहुँच:-

(1) खान का प्रवेश, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक प्रवेश प्रदान करायेगा तथा ऐसे प्रवेश हेतु मुख्य निरीक्षक, निरीक्षक तथा अधिनियम की धारा 8 के अधीन प्रत्येक अधिकृत व्यक्ति को खान के किसी भी भाग में अथवा किसी पोत अथवा संस्थापन में हर समय सुविधायें उपलब्ध करवायेगा, साथ ही अधिनियम के अधीन निरीक्षण, सर्वे, मापन, परीक्षण अथवा जाँच हेतु आवश्यक सामग्री तथा सूचना भी उपलब्ध करवायेगा।

(2) अधिनियम (1) में निर्दिष्ट पदधारियों के पास खान अथवा संस्थापन पर जब तक आवश्यक सम-ना जाये, तहरने का अधिकार होगा, तथा अभिकर्ता, प्रबंधक अथवा संस्थापन प्रबंधक, खान के किसी भाग अथवा किसी वाहिका अथवा खान के प्रस्थापन तक परिवहन की व्यवस्था करेगा तथा उनके तहरने की व्यवस्था करेगा।

28. खान-

इस अध्याय के प्रयोजनों हेतु, समस्त बोरिंग, बोरहोल, पेट्रोलियम कुप, एक्सेसरी पेट्रोलियम कंडीशनिंग प्लांट, वर्कशॉप तथा संस्थापन, अथवा अभिकर्ता के द्वारा यथा सीमांकित एक क्षेत्र के भीतर पेट्रोलियम वहन करते पाइप भी शामिल हैं, एक खान के संघटक सम-ने जायेंगे :

परंतु कि जहाँ विशेष परिस्थितियाँ विद्यमान हों, मुख्य निरीक्षक एक लिखित आदेश तथा ऐसी शर्तों के अधीन, विनिर्दिष्ट करे, ऐसे किसी क्षेत्र की दो अथवा अधिक खानों में विभाजन की अनुमति अथवा अपेक्षा कर सकेगा।

29. प्रबंधक की अर्हता एवं नियुक्ति

- (1) कोई खान तब तक खोली नहीं जायेगी, उसमें काम नहीं किया जा सकेगा अथवा पुनः खोली नहीं जा सकेगी जब तक कि खान का सम्यक्तः नियुक्त एक प्रबंधक न हो।
- (2) उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त प्रबंधक एक मान्यता प्राप्त संस्था से आभियांत्रिकी में डिग्री धारक होगा तथा तेल खान में कम से कम दस वर्षों का अनुभव रखेगा।

परंतु यदि स्वामी या अभिकर्ता जहाँ यह करना आवश्यक सम-ना जाये, कम वर्षों का अनुभव रखने वाले व्यक्ति को मुख्य निरीक्षक के पूर्व अनुमोदन पर नियुक्त कर सकेगा।

- (3) मुख्य निरीक्षक की पूर्व लिखित अनुमति तथा ऐसी शर्तों के अधीन जिसे वह उनमें विनिर्दिष्ट करे, को छोड़कर कोई व्यक्ति एक से अधिक खान में प्रबंधक के रूप में कार्य नहीं करेगा अथवा नियुक्त नहीं किया जायेगा।

परंतु मुख्य निरीक्षक किसी भी समय लिखित आदेश के द्वारा ऐसी अनुमति को बदल अथवा रद्द कर सकेगा यदि जिन परिस्थितियों के अधीन अनुमति दी थी, बदल गयी है अथवा मुख्य निरीक्षक यह है कि प्रबंधक अपने अधीन खान में प्रभावी पर्यवेक्षण करने में समर्थ नहीं रहा है।

- (4) जहाँ अनुपस्थिति के कारण अथवा किसी अन्य कारण की वजह से प्रबंधक, अधिनियम तथा उसके अधीन बने विनियमों अथवा उपविधियों तथा आदेशों के अधीन, अपने कर्तव्यों के निर्वहन में असमर्थ है, स्वामी या अभिकर्ता लिखित में उस व्यक्ति को प्रबंधक के रूप में अधिकृत करेंगे जो उप-विनियम (2) के अधीन अर्हताएँ धारण करेगा...
- (5) जहाँ प्रबंधक के रूप में कार्य करने के लिये प्राधिकृत किसी व्यक्ति की अर्हता उप-विनियम (2) से असंगत हो तो, ऐसा प्राधिकृत 30 दिनों से ज्यादा की अवधि के पश्चात् जारी नहीं रहेगा, सिवाय तब जब क्षेत्रीय निरीक्षक की लिखित पूर्व सहमति ले ली गई हो।

तेल खान विनियम, 2011

- (6) यथास्थिति, स्वामी या अभिकर्ता ऐसे प्राधिकार की लिखित सूचना, प्राधिकार देने के कारणों का तथा उसे प्रारंभ तथा समापन की तारीख का उल्लेख करके उसी समय क्षेत्रीय निरीक्षक को देगा।
- (7) प्रबंधक के रूप में कार्य करने हेतु यथा नियुक्त व्यक्ति का ऐसे प्राधिकार की अवधि के दौरान, प्रबंधक की भाँति वही उत्तरदायित्व, वही कर्तव्यपालन होगा तथा वह उन्हीं दायित्वों के अधीन होगा।

30. उप प्रबंधक की अर्हताएँ तथा नियुक्ति :-

(1) प्रत्येक खान में, जहाँ दो से अधिक मानव साधित आस्थापन हैं, जिसमें मानव रहित आस्थापन संलग्न है, या उसका भाग ; प्रबंधक की सहायता के लिए निम्न पैमाने पर उप प्रबंधक होंगे :-

(क) सुदूर तटीय क्षेत्र के खान हेतु एक उप प्रबंधक, चार मानव साधित आस्थापन के लिए जिनमें मानवरहित प्रस्थापन शामिल हैं या उसका भाग।

(ख) दूसरे मामले में प्रत्येक आठ आस्थापन या उसके किसी अंश पर एक उप प्रबंधक

(2) विनियम (1) के अधीन नियुक्त उप प्रबंधक मान्यता प्राप्त संस्था से अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा डिप्लोमा धारक होगा तथा उसे तेल खान में कम से कम सात वर्षों के कार्य का अनुभव होगा।

(3) मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश के द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी वह उसमें विनिर्दिष्ट करे; इन प्रावधानों से भिन्न उप प्रबंधकों की नियुक्ति की अनुमति दे सकेगा अथवा अपेक्षा कर सकेगा।

31. इंजीनियर की अर्हता एवं नियुक्ति :-

(1) प्रत्येक खान में यांत्रिक तथा विद्युत मशीनरी के सामान्य कार्यभार धारण करने के लिए तथा इसके संस्थापन, रख-रखाव तथा सुरक्षित चलाने हेतु उत्तरदायी एक अथवा अधिक इंजीनियर की नियुक्ति की जायेगी तथा ऐसी प्रत्येक नियुक्ति की सूचना, जिसमें यथा नियुक्त व्यक्ति का नाम तथा उसकी अर्हताओं एवं अनुभवों का पूर्व विवरण होगा, ऐसी नियुक्ति के सात दिन के भीतर क्षेत्रीय निरीक्षक को भेज दी जायेगी।

(2) उपविनियम (1) के अधीन यथा नियुक्त इंजीनियर मान्यता प्राप्त संस्था से अभियंत्रण में डिग्री अथवा डिप्लोमा धारक होगा तथा तेल खान में कार्य का उसका अनुभव पाँच वर्षों से कम नहीं होगा।

(3) मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश के द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी वह उनमें विनिर्दिष्ट करे, इन प्रावधानों से भिन्न इंजीनियर की नियुक्ति की अनुमति दे सकेगा अथवा अपेक्षा कर सकेगा।

32. आस्थापन प्रबंधक की अर्हता तथा नियुक्ति

(1) प्रत्येक खान में, खान के विभिन्न आस्थापनों के कार्यभार धारण करने हेतु एक अथवा अधिक प्रस्थापन प्रबंधक की नियुक्ति की जायेगी।

(2) विनियम (1) के अधीन यथा नियुक्त प्रबंधक मान्यता प्राप्त संस्था से अभियंत्रण में डिग्री अथवा डिप्लोमा धारक होगा तथा तेल खान में उसका कार्य अनुभव पाँच वर्ष से कम नहीं होगा।

तेल खान विनियम, 2011

(3) एक प्रस्थापन प्रबंधक एक से अधिक संस्थापन का कार्यभार धारण कर सकेगा।

(4) मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश के द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन जैसी वह उनमें विनिर्दिष्ट करे, इन प्रावधानों से भिन्न संस्थापन प्रबंधक की नियुक्ति की अनुमति दे सकेगा अथवा अपेक्षा कर सकेगा।

33. सुरक्षा अधिकारी की अर्हता तथा नियुक्ति :-

(1) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिव्यक्ति अथवा प्रबंधक काम पर सुरक्षा तथा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिये प्रबंधक की सहायता हेतु एक अथवा अधिक सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति करेगा।

(2) संस्थापन के मामले में, प्रत्येक मानवसाधित संस्थापन पर सुरक्षा अधिकारी नियुक्त होंगे।

(3) इस विनियम के अधीन नियुक्त सुरक्षा अधिकारी मान्यता प्राप्त संस्था से डिग्री अथवा डिप्लोमा धारक होगा तथा तेल खान में व्यवसायिक स्वास्थ्य तथा सुरक्षा में उसने प्रशिक्षण प्राप्त किया होगा।

(4) मुख्य निरीक्षक, लिखित आदेश के द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी वह उनमें विनिर्दिष्ट करे, इन प्रावधानों से भिन्न अतिरिक्त सुरक्षा अधिकारियों की नियुक्ति की अनुमति दे सकेगा अथवा अपेक्षा कर सकेगा।

34. सर्वेक्षकों की अर्हता तथा नियुक्ति :-

(1) प्रत्येक खान में, मान्यता प्राप्त संस्था से सिविल इंजीनियरिंग अथवा माइन सर्वेक्षण में डिग्री अथवा डिप्लोमा धारक अथवा सर्वेक्षण में प्रमाणपत्र धारक, एक अथवा अधिक व्यक्तियों की नियुक्ति, खान प्रबंधक की सहायता के लिये तथा अधिनियम, विनियम तथा उसके अधीन किए आदेशों के अधीन अपेक्षित प्लान तथा सेक्शन बनाने के लिये, की जायेगी।

(2) मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश के द्वारा तथा ऐसी शर्तों के अधीन, जैसी वह उनमें विनिर्दिष्ट करे, इन प्रावधानों से भिन्न सर्वेक्षण अधिकारी की नियुक्ति की अनुमति दे सकेगा अथवा अपेक्षा कर सकेगा।

35. अग्निशमन अधिकारी की अर्हता तथा नियुक्ति :-

(1) प्रत्येक खान में एक अथवा अधिक व्यक्तियों को अग्निशमन हेतु तथा अग्नि बचाव कार्यवाही हेतु प्रबंधक की सहायता करने के लिये अग्निशमन अधिकारी नियुक्त किया जायेगा।

(2) किसी व्यक्ति को तब तक अग्निशमन अधिकारी नहीं बनाया जायेगा जब तक कि वह मान्यताप्राप्त संस्था से अग्नि अभियांत्रिकी में डिग्री अथवा डिप्लोमा धारक न हो।

(3) मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश के द्वारा ऐसी शर्तों के अधीन जैसी वह उनमें विनिर्दिष्ट करे, इन प्रावधानों से भिन्न अग्निशमन अधिकारी की नियुक्ति हेतु अनु- अथवा छूट प्रदान कर सकेगा।

36. शॉट फायरिंग ऑफिसर की अर्हता एवं नियुक्ति :-

- (1) प्रत्येक खान में कुआँ-छिद्रीकरण प्रचालन हेतु पर्याप्त संख्या में शॉट फायरिंग ऑफिसर की नियुक्ति की जायेगी।
- (2) किसी व्यक्ति को शॉट फायरिंग ऑफिसर के रूप में तब तक नियुक्त नहीं किया जायेगा जब तक कि उसन शॉट फायरिंग सक्षमता प्रमाण पत्र धारण न किया हो।
- (3) किसी व्यक्ति को शॉट फायरिंग ऑफिसर सक्षमता प्रमाणपत्र की परीक्षा में एक उम्मीदवार के रूप में तब तक प्रवेश नहीं दिया जायेगा जब तक कि वह अन्यता प्राप्त संस्था से डिग्री धारक हो तथा उसे तेल खान में छिद्रीकरण में एक वर्ष का कुल अनुभव न हो।
- (4) मुख्य खान निरीक्षक लिखित आदेश के द्वारा वर्षों के अनुसार इन प्रावधानों के विरुद्ध शॉट फायरिंग ऑफिसर की नियुक्ति के संबंध में अनुमति या छूट दे सकेगा ...

37. सक्षम व्यक्तियों तथा अधिकारियों की नियुक्ति :-

- (1) प्रत्येक खान का स्वामी, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक, इतनी संख्या में सक्षम व्यक्तियों जिसमें अधिकांश तकनीशियन भी शामिल हैं, को नियुक्त करेगा जो प्रत्येक काम की पारी के दौरान निम्न को सुरक्षित करने के लिए पर्याप्त होगी :-
 - (क) स्थापन तथा उसके उपकरण का पर्याप्त निरीक्षण ;
 - (ख) स्थापन पर समस्त प्रचालन का विस्तृत पर्यवेक्षण ;
 - (ग) खान की सभी मशीनरी का सुरक्षित चालू हालत में होना प्रस्थापन, प्रचालन तथा रख-रखाव तथा
 - (घ) अधिनियम तथा इन विनियमों की अपेक्षाओं का प्रवर्तन
- (2) प्रबंधक, उप प्रबंधक, इंजीनियर तथा प्रस्थापन प्रबंधक का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे देखें कि उप-विनियम (1) के अधीन नियुक्त व्यक्ति अपने निर्धारित कर्तव्यों के पालन करने में सक्षम है।
- (3) अधिनियम (1) के अधीन की गई नियुक्तियों की प्रतियाँ तथा उप-विनियम (2) के अधीन सक्षम व्यक्तियों को निर्धारित कर्तव्यों को प्रयोजन के लिये रखी सजिल्द पुस्तिका में दर्ज किया जायेगा।

38. साधारण नियम :-

- (1) स्वामी, अभिकर्ता तथा प्रबंधक खान में नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा, स्वास्थ्य, कल्याण, वातावरण तथा उचित अनुशासन का प्रबंध करेंगे।
- (2) आपातकाल के मामले के सिवाय कोई व्यक्ति, जो अधिकारी अथवा सक्षम व्यक्ति नहीं है, प्रबंधक के माध्यम से अन्यथा, खान में नियोजित उस व्यक्ति को, जो प्रबंधक के प्रति जिम्मेदार होगा, निर्दिष्ट नहीं देगा।

39. खान में नियोजित व्यक्तियों के कर्तव्य :-

- (1) प्रत्येक व्यक्ति अधिनियम तथा विनियमों तथा उनके अधीन किए गए आदेशों के प्रावधानों तथा व्यक्तियों की सुरक्षा तथा सुविधा की दृष्टि से प्रबंधक अथवा अधिकारी द्वारा जारी किसी आदेश अथवा निदेश, जो अधिनियम तथा इन विनियमों से असंगत नहीं हों, के प्रति पूर्ण रूप से दृढ़ रहेगा, और नहीं वह ऐसे आदेशों अथवा निदेशों की अनदेखी अथवा उन्हें मानने से इंकार नहीं करेगा।
- (2) प्रत्येक व्यक्ति सुरक्षा निदेशों का पालन करने हेतु उत्तरदायी होगा तथा प्रबंधक द्वारा समय-समय पर जारी सुरक्षा निदेशों से परिचित होगा।
- (3) कार्य प्रारंभ करने से पूर्व प्रत्येक व्यक्ति अपने कार्य के स्थल तथा उपकरण, जिसे वह इस्तेमाल करेगा, का परीक्षण करेगा तथा कोई खतरनाक दोष नजर आने पर वह तत्काल अपने उच्च अधिकारी को रिपोर्ट करेगा।
- (4) प्रत्येक व्यक्ति सभी रक्षोपायों, सुरक्षा साधनों तथा अन्य उपकरणों को स्वयं तथा दूसरों की रक्षा के लिए प्रयोग करेगा।
- (5) आपातकाल को छोड़कर, कोई व्यक्ति जब तक कि वह यथा प्राधिकृत न हो, किसी सुरक्षा साधन अथवा उसकी रक्षा तथा दूसरों की रक्षा के लिये उपलब्ध कराये उपकरणों को नहीं हटायेगा, नहीं बदलेगा अथवा नहीं करेगा अथवा दुर्घटनाओं को रोकने तथा स्वास्थ्य को चोट पहुँचाने से रोकने हेतु लिये गये तरीके अथवा प्रक्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
- (6) कोई व्यक्ति, ड्यूटी के दौरान, चोट पहुँचाने, -गड़ा करने के उद्देश्य से कोई पत्थर अथवा शस्त्र नहीं फेकेगा अथवा हिंसात्मक ढंग से व्यवहार नहीं करेगा न ही किसी व्यक्ति को कर्तव्यों के निर्वहन में अड़चन अथवा डालेगा अथवा किसी व्यक्ति को अधिनियम अथवा विनियमों अथवा उनके अधीन किए गए आदेशों की अनुपालन करने अथवा निष्ठापूर्वक कर्तव्य निर्वहन करने से रोकने के लिये किसी को सेवा नहीं देगा अथवा नहीं करेगा अथवा धमकी का प्रयोग नहीं करेगा।
- (7) कोई व्यक्ति, खतरनाक जगहों जैसे स्केफॉल्ड, डेरिक फ्लोर या क्रेन पर तथा खतरनाक अथवा टॉक्सिक तत्वों, मशीनरी, बॉयलर, वाहनों अथवा भारी उपकरणों के नजदीक नहीं सोयेगा अथवा आराम नहीं करेगा।
- (8) प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्तव्यों के तथा मौसम की दशाओं के लिये उपयुक्त रक्षात्मक उपकरण तथा पोशाक धारण करेगा।
- (9) प्रत्येक व्यक्ति जिसे अपने कर्तव्य के दौरान चोट लगी हो यथासंभव शीघ्र, उसकी सूचना प्राथमिक चिकित्सा स्टेशन के प्रभारी अधिकारी अथवा सक्षम व्यक्ति को देगा, जो घायल व्यक्ति की आवश्यक प्राथमिक चिकित्सा की व्यवस्था करेगा।
- (10) कोई व्यक्ति, अधिकारी के प्राधिकार को छोड़कर, किसी बाड़, गार्ड बैरियर अथवा गेट को नहीं हटायेगा नहीं गुजरेगा अथवा कोई जोखिम सिग्नल नहीं हटायेगा।

40. प्रबंधक के कर्तव्य -

(1) प्रबंधक की जिम्मेदारी होगी कि खान का सुरक्षित तथा उचित संचालन के लिए वह पर्यवेक्षण, नियंत्रण तथा निदेश का इस्तेमाल करके सुनिश्चित करे कि सारा कार्य अधिनियम तथा विनियमों के प्रावधानों तथा उनके अधीन आदेशों के उपबंधों के अनुसार हो रहा है।

(2) प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि अधिनियम, विनियमों तथा उनके अधीन किए गए आदेशों के उपबंधों को कार्यान्वित करने के उद्देश्य से तथा खान तथा उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिये सामग्रियों तथा उपकरणों की पर्याप्त आपूर्ति खान में सदैव उपलब्ध हो तथा ; यदि वह खान का अधिकारी अभिकर्ता नहीं है, तो वह अधिकारी को उस चीज के लिए, जिसके आदेश के लिये वह सक्षम नहीं है, लिखित में स्वामी अथवा अभिकर्ता को रिपोर्ट करेगा कि वह पूर्वोक्त प्रयोजन के लिये अपेक्षित है तथा ऐसी प्रत्येक रिपोर्ट की एक प्रति प्रयोजन के लिये रखी एक साजिल्द पृष्ठों की पुस्तिका में अभिलिखित की जाएगी।

(3) प्रबंधक प्रत्येक सक्षम व्यक्ति तथा अधिकारी को उसके विशिष्ट कर्तव्य निर्धारित करेगा तथा उसकी नियुक्ति के साथ उसे प्रभावित करने वाले नियमों, उपनियमों तथा उनके अधीन बने विनियमों, आदेश की प्रति देगा तथा वह यह सुनिश्चित करने के लिये सभी कदम उठायेगा कि प्रत्येक ऐसा व्यक्ति एक उचित ढंग से उनमें समाहित सभी उपबंधों को समझे, कार्यान्वित करे तथा लागू करे।

(4) प्रबंधक अधिनियम, विनियम तथा उनके अधीन किए गए आदेशों के अनुसरण में बनाये जाने अथवा रखे जाने वाले सभी रिपोर्ट, रजिस्टर या रिकार्ड की जाँच करेगा तथा उसपर प्रतिहस्ताक्षर कर तारीखबद्ध करेगा... परन्तु प्रबंधक लिखित आदेश द्वारा यह कार्य उप प्रबंधक या स्थापन प्रबंधक को सौंप सकेगा ...

(5) प्रबंधक, कामगार के द्वारा लिखित में उसे संबंधित किसी विशिष्ट प्रतिवेदन अथवा शिकायत, जिसकी संबंध खान में व्यक्तियों के वातावरण, सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के विषय अथवा खान के बारे में है पर विशेष ध्यान देगा तथा उसकी जाँच करवायेगा।

(6) जब किसी खान में दुर्घटना घटित होती है जिसके परिणामस्वरूप किसी व्यक्ति को गंभीर शारीरिक चोट आ जाये अथवा उसकी मृत्यु हो जाये तो प्रबंधक तुरंत दुर्घटना स्थल का निरीक्षण करेगा तथा या तो स्वयं अथवा सुरक्षा अधिकारी के माध्यम से उन परिस्थितियों एवं उसके कारणों की जाँच भी करवायेगा जिनकी वजह से दुर्घटना हुई तथा ऐसी हर जाँच के परिणाम तथा दुर्घटना स्थल का ब्यौरा दिखाते हुए प्लान तथा सेक्शन को घटना की तारीख से सात दिन के भीतर क्षेत्रीय निरीक्षक को प्रस्तुत करेगा।

(7) प्रबंधक ऐसे अन्य कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, जो इस संबंध में अधिनियम, विनियमों तथा आदेशों के अधीन विनिर्दिष्ट हैं।

(8) प्रबंधक, अधिनियम, विनियमों तथा उनके अधीन बने आदेशों के उल्लंघन के लिये, कामगार को निलंबित उसके विरुद्ध ऐसी अनुशासनात्मक कार्रवाई, जिसे वह उचित समझे, कर सकेगा।

तेल खान विनियम, 2011

(9) प्रबंधक प्रयोजन के लिये रखी सजिलद पुस्तिका, एक डायरी, को बनाये रखेगा तथा उसमें उसके प्रत्येक निरीक्षण के निष्कर्षों तथा उल्लिखित कमियों यदि कोई हों, को दूर रखने के लिये उसके द्वारा की गई कार्रवाई को अभिलेखित करेगा।

(10) प्रबंधक जोखिमपूर्ण प्रकृति के प्रचालन की पहचान करेगा तथा प्रचालन में नियोजित व्यक्तियों द्वारा अनुसरण हेतु अधिनियम, विनियमों तथा उनके अधीन किए गए आदेशों से संगत सुरक्षित कार्यप्रणाली बनायेगा।

(11) प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि इन प्रचालनों में काम कर रहे संबंधित व्यक्तियों को सुरक्षित कार्यप्रणाली के कोड की पर्याप्त प्रतियाँ बाँट दी गयी है।

41. उप प्रबंधक के कर्तव्य :-

(1) उप प्रबंधक, प्रबंधक द्वारा उसे समनुदेशित किये गये कर्तव्यों का पालन करेगा तथा वह देखेगा कि प्रबंधक «0,0 ^00 समनुदेशित खान के भाग में अथवा 0000एापन में सारा कार्य अधिनियमों, विनियमों तथा उनके अधीन बने उपबंधों के अनुसार कार्यान्वित हो।

(2) उपप्रबंधक :-

(क) प्रबंधक के आदेशों के अधीन, अपने कार्यभार के अधीन खान या भाग के तथा 00स्थापन के किसी भाग का निरीक्षण तथा जाँच करेगा।

(ख) अपने प्रत्येक निरीक्षण के परिणाम की तथा दृष्टिगत कमियों को दूर करने के लिये उसके द्वारा उठाये गये कदमों यदि कोई हो, की विस्तृत रिपोर्ट रखेगा।

(ग) जब कोई ड्रिलिंग रिग, वर्कओवर रिग तथा संबंधित उपकरण, उत्पादन उपकरण अथवा पाइपलाइन स्थानांतरित अथवा नवीन स्थापित की जाये, तो इसे प्रयोग करने से पूर्व इसका ट्रायल रन (trial run) करवाना सुनिश्चित करे।

(घ) प्रबंधक की अनुपस्थिति में उप प्रबंधक प्रबंधक के उत्तरदायित्व तथा कर्तव्य का निर्वहन करेगा तथा प्रबंधक के तरह ही दायी होगा किंतु प्रबंधक इन दायित्वों से "00 0000 नहीं होगा।

42. इंजीनियर के कर्तव्य: -

इंजीनियर:

(क) प्रबंधक तथा अन्य उच्च अधिकारियों के आदेशों के अधीन खान में मशीनरी का सामान्य कार्यभार धारण करेगा तथा ऐसी मशीन के उचित संस्थापन, रख-रखाव तथा सुरक्षित कार्यचालन के लिये उत्तरदायी होगा ;

(ख) यह सुनिश्चित करेगा कि जब कोई मशीन स्थानांतरित अथवा नवीन स्थापित की जाये तो देखे कि उसका प्रयोग में आने से पूर्व उसका ट्रायल रन हो जाये ;

तेल खान विनियम, 2011

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि मशीनरी के संस्थापन, प्रचालन, रख-रखाव अथवा परीक्षण से संबंधित अधिनियम का, विनियमों का तथा उसके अधीन बने आदेशों के उपबंधों का, प्रयोजन के लिये नियुक्त यथास्थिति अधीनस्थ अधिकारियों, सक्षम व्यक्तियों तथा कर्मचारी द्वारा उचित ढंग से पालन किया जाये ;

(घ) मशीनरी के संस्थापन, रख-रखाव, प्रचालन अथवा परीक्षण से संबंधित सभी रिपोर्ट, रजिस्टर तथा अन्य रिकार्ड, जिन्हें अधिनियम तथा विनियमों अथवा उनके अधीन बने आदेशों के अनुसरण में बनाया अथवा रखा जाना है, का परीक्षण करेगा तथा उसे प्रतिहस्ताक्षरित करके हस्ताक्षर कर तारीखबद्ध करेगा ।

43. संस्थापन प्रबंधक के कर्तव्य :-

संस्थापन प्रबंधक

(क) के पास ऐसे संस्थापन का उत्तरदायित्व, कार्यभार तथा नियंत्रण होगा तथा वह ऐसे कर्तव्यों को कार्यान्वित करेगा जैसा प्रबंधक द्वारा उसे निर्धारित किये गये हैं ;

(ख) सुनिश्चित करेगा कि उसकी नियुक्ति की सूचना संस्थापन में ऐसी स्थिति में लगाई जाये कि इसे आसानी से तथा सुविधाजनक रूप से पढ़ा जा सके;

(ग) सुनिश्चित करेगा कि उसे निष्ठा, संस्थापन का सारा कार्य अधिनियम तथा विनियमों अथवा उनके अधीन किए गए आदेशों के उपबंधों के अनुसार किया जाये ;

(घ) प्रत्येक कार्यदिवस पर उसके कार्यभार के अधीन संस्थापन का प्रत्येक संदर्भ में सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिये मुआयना तथा परीक्षण करेगा ;

(ङ) अपने प्रत्येक निरीक्षण का तथा उसमें पायी कमियों को दूर करने के लिये उसके द्वारा उठाये गये कदमों का भी विस्तृत ब्यौरा रखेगा ;

(च) यह सुनिश्चित करेगा कि जब कोई मशीन स्थानांतरित अथवा नवीन संस्थापित की जाये तो इसके प्रयोग से पूर्व इसका ट्रायल रन हो जाये तथा ऐसे प्रत्येक ट्रायल रन के दौरान वह उपस्थित रहे ;

(छ) सुनिश्चित करेगा कि संस्थापन में नियोजित सभी व्यक्तियों को ब्लोआउट तथा फायर के बचाव से संबंधित इन विनियमों के अधीन बने स्थाई आदेशों, सुरक्षित प्रचालन प्रक्रियाओं तथा आपातकाल प्लान का पूर्ण रूप से अनुदेश दिया गया है तथा वे इनसे परिचित हैं ।

(ज) सुनिश्चित करेगा कि मशीन के संस्थापन, प्रचालन, रख-रखाव अथवा परीक्षण से संबंधित अधिनियम का विनियमों का तथा उसके अधीन किए गए उपबंधों का, यथास्थिति, उसके द्वारा अथवा सक्षम व्यक्तियों द्वारा अथवा कामगारों द्वारा उचित ढंग से पालन किया जाये ।

(झ) संस्थापन के निर्माण अथवा किसी प्रचालन के दौरान, जब एक आपातस्थिति अथवा आशंकित आपात स्थिति उत्पन्न होती है जिसके कारण किसी व्यक्ति के जीवन अथवा उसकी सुरक्षा अथवा संस्थापन की मजबूती तथा सुरक्षा को खतरा है तो ऐसी स्थिति को टालने के लिये वह ऐसे उपाय करेगा जो आवश्यक तथा सामयिक हों...

44. सुरक्षा अधिकारी के कर्तव्य :-

1. सुरक्षा अधिकारी :-

(क) किसी व्यक्ति को शारीरिक जख्म अथवा स्वास्थ्य को अथवा वातावरण को हानि पहुँचाने वाले खतरे की पहचान करने के उद्देश्य से खान के आस्थापन का आवश्यकता अनुसार निरीक्षण करेगा;

(ख) खतरनाक स्थितियों को रोकने के लिये प्रबंधक को आवश्यक उपायों का सु-भाव देगा ;

(ग) सभी दुर्घटनाओं, चाहे उनमें व्यक्ति शामिल हो या न हों, उसकी परिस्थिति का जाँच करेगा तथा प्रबंधक को इस प्रकार की दुर्घटनाओं की पुनरावृत्ति की रोकथाम के लिए सु-भाव देगा ;

(घ) दुर्घटनाओं तथा खतरनाक परिस्थितियों के विश्लेषण से संबंधित जानकारी का संग्रह करेगा जिसमें सुरक्षित कार्य परिवेश का उन्नयन होगा ;

(ङ) खान में नियोजित कर्मियों के बीच सुरक्षा जागरूकता को प्रोत्साहित करने हेतु नियमित सुरक्षा अभियानों का आयोजन करना ;

(च) नये कर्मियों तथा नये कार्य में स्थानांतरित व्यक्तियों को पर्याप्त सुरक्षा जानकारी हेतु अग्निशमन प्रशिक्षण के सुनिश्चित करेगा ;

परन्तु अपतट आस्थापन में सुरक्षा प्रशिक्षण के साथ समुद्र में रहने हेतु दिशा निर्देश एवं मार्गनिर्देश प्रदान होगा ...

(छ) प्रत्येक दिन उनके द्वारा किये गये कार्य का विस्तृत विवरण रखेगा ।

2. सुरक्षा अधिकारी का पर्याप्त संख्या में सहायकों के द्वारा ड्यूटी निर्वहन में सहयोग किया जाएगा ।

(3) क्षेत्रीय निरीक्षक के लिखित अनुमोदन के बिना सुरक्षा अधिकारी को उप विनियम (1) में विनिर्दिष्ट कार्य को छोड़कर कोई अन्य कार्य नहीं सौंपा जायगा ।

45. अग्निशमन अधिकारी का कर्तव्य:-

अग्निशमन अधिकारी :-

(क) अधिनियमों, विनियमों या आदेशों के प्रावधानों के अन्तर्गत बनाए गए अग्नि खोजों, अग्निशमन प्रणाली, आपात प्लान की देख-रेख को सुनिश्चित करेगा और अग्नि के प्रति पर्याप्त सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक उपायों पर प्रबंधक को सलाह देगा ;

(ख) अग्निशमक उपस्कर का उचित अभिन्यास, संस्थापन और देखरेख को सुनिश्चित करेगा ;

(ग) यह सुनिश्चित करेगा कि संभावित अग्नि परिस्थितियों के लिए आपात प्लान की तैयारी कर ली गई है ;

तेल खान विनियम, 2011

(1) वह अग्नि-शामक व्यक्तियों के लिए प्राधिकृत व्यक्तियों के प्रभारी के लिए नियमित प्रशिक्षण का आयोजन करेगा तथा व्यावहारिक संदर्भ में आपातकालीन अग्नि-योजना से निपटने से संबंधित प्रभावी तरीकों का निष्पादन करेगा ;

(2) वह इसका ध्यान रखेगा कि अग्निशामक कर्तव्यों के लिए प्रभारी व्यक्ति कम-से-कम प्रत्येक माह में एक बार आग संबंधित तकनीक अभ्यास करें जिससे कि आग लगने पर अग्नि से संबंधित समस्याओं से निपटने का प्रभावी जानकारी मिल सके ;

(3) प्रत्येक तिमाही में कम-से-कम एक बार अग्निशामक उपकरणों तथा आग की जानकारी प्राप्त करने वाले उपकरणों की जाँच करेगा तथा उसमें किसी भी त्रुटि के बारे में प्रबंधक को रिपोर्ट करेगा ;

(4) खान में आग लगने के दौरान उस पर नियंत्रण और बुझाने का पर्यवेक्षण और समन्वय करेगा ;

(5) खान में आग के रोकथाम के लिए परिस्थितियों तथा कारकों के जाँच के दौरान प्रबंधक एवं अन्य अधिकारी जो इसके लिए प्राधिकृत होंगे उनसे समन्वय करेगा ;

(6) उसके द्वारा किए गए प्रत्येक दिन के कार्य का विस्तृत ब्यौरा रखेगा ।

2. क्षेत्रीय निरीक्षक की लिखित अनुमति के बिना विनियम (1) में अग्निशामक अधिकारी को विनिर्दिष्ट कार्य के अतिरिक्त कोई भी कर्तव्य नहीं दिया जाएगा ।

46. शॉट फायरिंग ऑफिसर :-

(क) विस्फोटकों के परिवहन तथा उपयोग के संबंध में विनियमों के तथा उनके अधीन किए गए किसी आदेश के शर्तों के अनुसार अपने कर्तव्यों का पालन करेगा ;

(ख) ऐसे उपबंधों की तथा सुरक्षा की दृष्टि से किसी निदेश की, जो उन्हें उच्च अधिकारी द्वारा दिया गया हो, अपने सहायकों के द्वारा अनुपालन के लिये उत्तरदायी होगा ;

(ग) कोई विस्फोटक किसी प्राधिकृत व्यक्ति को नहीं सुपुर्द करेगा ;

(घ) विस्फोटन चार्ज करते समय दूरी से रहेगा तथा खुद ही विस्फोटन करेगा ;

(ङ) जब विस्फोटन निष्फल हो जाये तो यह देखने के लिये उत्तरदायी होगा कि गन सुरक्षित ढंग से निशस्त्र हो गयी है ।

47. सक्षम व्यक्तियों के कर्तव्य :-

(1) प्रत्येक सक्षम व्यक्ति उच्च अधिकारी के आदेशों के अधीन तथा अधिनियम के तथा विनियमों के प्रावधानों अथवा उनके अधीन किए गए आदेशों के अनुसार कार्य करेगा ।

तेल खान विनियम, 2011

(2) सक्षम व्यक्ति निम्न नहीं करेगा -

(क) अपने उच्च अधिकारियों के अनुमोदन के बिना किसी अन्य व्यक्ति की अपने काम पर प्रतिनियुक्त करना ;

(ख) ऐसे अधिकारी से अपनी अनुपस्थिति की अवधि की पूर्व अनुमति लिये बगैर अथवा यथा सक्षम व्यक्ति द्वारा भारमुक्त किये बगैर अनुपस्थित रहना ;

(ग) ऐसे अधिकारी से बगैर अनुमति के, अपनी पारी के दौरान जिन कर्तव्यों के लिये वह नियुक्त किया गया है, उनके अलावा अन्य कर्तव्य-निर्वहन करना;

(3) सक्षम व्यक्ति अपने कार्य स्थल पर किसी जोखिमपूर्ण स्थिति घटित होने पर, जोखिम को खत्म करने के लिये त्वरित सुधारात्मक कदम उठायेगा।

अध्याय -5
ड्रिलिंग टो, वर्कओव।

48. डेरिक :

- (1) डेरिक के प्रत्येक भाग के निर्माण की स्थिति दृढ़ होगी और पर्याप्त रूप से मजबूत होगा और इस सुरक्षित कार्य अवस्था में रखा जायेगा।।
- (2) ओवरटर्निंग से बचाने के लिए डेरिक को पूरी तरह सुरक्षित रखा जाएगा।

49. डेरिक प्लेटफॉर्म टो, आर्योए :

- (1) प्रत्येक डेरिक एवं सुबाह्य मास्ट पर क्राऊन ब्लॉक के कम से कम एक तरफ इसके बाह्य किनारे पर दो रेडिंग रेलिंग जिसकी ऊँचाई एक मीटर एवं टो बोर्ड जिसकी ऊँचाई 0.15 हो वाला 0.6 मीटर चौड़ा एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक डेरिक पर व्यक्तियों को पाइप संचालन या अन्य रैक किए गए उपकरणों को चलाने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रदान किया जाएगा जो प्लेटफॉर्म के कार्यरत किनारे से पाद तक एवं डेरिक के गर्त के स्थान को ढंकेगा तथा सुरक्षित रखेगा।
- (3) मंकी बोर्ड प्लेटफॉर्म के कार्यरत किनारे को इस प्रकार रखा जाएगा ताकि ट्रैवलिंग ब्लॉक का सुरक्षित पैसेज पर्याप्त तौर पर निर्विघ्न हो।
- (4) प्लेटफॉर्म, सतहों और भ्रमणकारी पथों को खतरनाक प्रक्षेपण और बाधाओं से मुक्त रखा जाएगा और टो प्रकार देख-रेख किया जाएगा ताकि फिसलन के प्रति पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जा सके।

50. सीढियाँ :-

- (1) प्रत्येक डेरिक को आर्योए प्रबंध से युक्त रखा जाएगा ताकि सभी वाकिंग एवं वर्किंग प्लेटफॉर्म तक पहुँच सुनिश्चित की जा सके।
- (2) आर्योए से लेकर वर्किंग प्लेटफॉर्म तक की दूरी अच्छी तरह रेलिंग एवं टो बोर्ड से सुरक्षित रखा जाएगा।
- (3) प्रत्येक आर्योए में बराबर स्थान पर डंडा लगा होगा और प्रत्येक आर्योए भाग का अंतिम सिरा प्लेटफॉर्म के उपर कम से कम 1 मीटर तक फैला रहेगा।
- (4) आर्योए के 6 मीटर से अधिक तथा अधिकतम 9 मीटर अटूट लम्बाई पर लेंडिंग प्लेटफॉर्म या कटघरा प्रदान किया जायेगा।
- (5) सभी लेंडिंग प्लेटफॉर्म रेलिंग एवं टो-बोर्ड से युक्त होना चाहिए ताकि आर्योए तक सुरक्षित पहुँच हो सके। परन्तु मुख्य निरीक्षक किसी खान या उसके किसी हिस्से में लेंडिंग प्लेटफॉर्म के बदले किसी भी वैकल्पिक पूर्वावधानी उपाय के लिए अनुमति प्रदान कर सकेगा...
- (6) डेरिक प्लेटफॉर्म से मंकी बोर्ड तक जानेवाले सभी आर्योए को अनुमोदित प्रकार का फॉल प्रिवेन्टर या ऐसा अन्य युक्ति प्रदान किया जाएगा जो व्यक्तियों को गिरने से रोके।
परन्तु जहाँ विशेष दशा लागू है जिसके कारण इस उपविनियम के प्रावधानों का अनुपालन जो उचित तौर पर व्यवहार्य नहीं है, मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश के द्वारा एवं ऐसी दशाओं के आधार पर जैसा कि उसमें उनके द्वारा उल्लिखित है इन प्रावधानों से मुक्त या शिथिल कर सकेगा...

51. सुरक्षा बेल्ट †० जीवन रेखा :-

- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो डेरिक के प्रथम गर्त के ऊपर कार्य करता है को पूर्ण शारीरिक हार्नेस †० जीवन रेखा के साथ अनुमोदित प्रकार का सुरक्षा बेल्ट प्रदान किया जाएगा और जब अन्य तरीके से ऊँचाई से गिरने के खतरे से उसका बचाव न हो तो वह उसका प्रयोग करेगा।
- (2) कोई भी व्यक्ति यदि उसका बचाव पूर्ण शारीरिक हार्नेस एवं जीवन रेखा सहित अनुमोदित प्रकार के सुरक्षा बेल्ट द्वारा नहीं किया जाता है तो वह कार्य या यात्रा नहीं करेगा जहाँ कि उसे 1.8 मीटर से अधिक गिरने की संभावना हो और जब वह कार्य पर रहेगा तब उसका प्रयोग करेगा।

52. आपात निकास उपाय :-

- (1) प्रत्येक डेरिक पर एक निकास पंक्ति की प्रस्थापना एवं रख-रखाव किया जाएगा। यह एक पर्याप्त मजबूत स्लाइड के साथ अनुमोदित बचाव उपायों के साथ इस प्रकार युक्त होगा कि व्यक्ति आपात स्थिति ० (यक्ष †०००० की स्थिति हो) मंकी बोर्ड से ग्राउण्ड लेवल या मुख्य डेक लेवल तक सुरक्षित आ सके।
- (2) मंकी बोर्ड के ठीक ऊपर गर्त तक बचाव रेखा को सुरक्षित कसा जाएगा और इसे ग्राउण्ड से कम से कम मंकी बोर्ड की ऊँचाई तक एक निश्चित दूरी पर ग्राउण्ड से लगाया जाएगा।
- (3) उतरनेवाली जगह को पर्याप्त मात्रा की बालू या अन्य उचित सामानों द्वारा युक्त रखते हुए कठिन लैंडिंग को रोकने के लिए लचीला किया जाएगा।
- (4) प्रत्येक ग्राउण्ड ट्रीप में या सप्ताह में कम से कम एक बार जो भी पूर्व में आए एक सक्षम व्यक्ति द्वारा ० आपात बचाव युक्ति की ०००० की जाएगी एवं इस उद्देश्य के लिए प्रत्येक निरीक्षण का एक रिकॉर्ड सजिल्द नम्बरदार खाते में रखा जाएगा और इसमें उनका हस्ताक्षर भी होगा जिनके द्वारा निरीक्षण किया जाएगा।

53. वजन सूचक :-

- (1) प्रत्येक रीग पर एक वजन सूचक होगा और इसका प्रयोग केसिंग लाईन से निलंबित लोड के निकट सूचन को रजिस्टर करने के लिए किया जाएगा।
- (2) वजन सूचक का देख-रेख अच्छी तरह की जाएगी और यह चालू हालत में होगा।

54. निकास पथ :-

रिग फ्लोर क्षेत्र, और प्रत्येक कार्यरत इंजन फ्लोर क्षेत्र और प्रत्येक आवासीय स्थान के विपरीत तरफ अबाधित निकास प्रदान करने के लिए कम से कम दो पथ निकास होंगे।

55. गार्डरिल, हैन्डरेल †० कवर :-

- (1) फ्लोर ओपनिंग †० फ्लोर होल मानक रेलिंग एवं टो-बोर्ड या कवर द्वारा रक्षित होगा।
- (2) समीपवर्ती फ्लोर खुला किनारायुक्त या प्लेटफॉर्म, जहाँ किसी व्यक्ति को कम करने या गुजरने की अनुमति दी जाती है, को अच्छी रेलिंग द्वारा घेरा जाएगा।
- (3) सभी मंड टैंक रनवे के अन्दर किसी व्यक्ति को मड टैंक में गिरने से बचाने के लिए जब कोई अन्य साधन मौजूद न हो, एक मजबूत रेलिंग द्वारा घेरा जाएगा।
- (4) ऊपर या समीपवर्ती उपकरण के निकट तथा समान प्रकार के जोखिमवाले स्थानों से होकर खुले किनारे वाले फ्लोर, पगदण्डी, चबूतरा या रनवे को एक मजबूत रेलिंग तथा टो-बोर्ड से घेरा जाएगा।

56. ड्रा-वर्क :-

- (1) आपातकाल में ड्रा-वर्क को रोकने के लिए ड्रिलर स्टैण्ड के निकट कंट्रोल से युक्त एक उचित युक्ति आरंभ की जाएगी।
- (2) जब तक सभी गार्ड अपने स्थान में न हों तथा जब तक उनका रख-रखाव नहीं किया जाता है, किसी ड्रा-वर्क को संचालित नहीं किया जाएगा।
- (3) यदि लुब्रिकेशन संयोजन गार्ड के साथ उचित समागम नहीं बनाता है तो मशीन को ग्रीसींग एवं आयलिंग के लिए बंद कर दिया जाएगा।
- (4) प्रत्येक 24 घंटे में ब्रेक, लिफ्ट तथा ड्रा-वर्क का ब्रेक फ्लैजेज को एक सक्षम अधिकारी द्वारा जाँच किया जाएगा तथा इस दौरान कोई त्रुटि पाये जाने पर उसे सुधार किए जाने तक ड्रा-वर्क स्थगित रहेगा।
- (5) ड्रा-वर्क-विनियम (4) के तहत विनिर्दिष्ट प्रत्येक जाँच का नतीजा सक्षम निरीक्षण अधिकारी द्वारा रिकॉर्ड किया जाएगा।
- (6) ड्रा-वर्क में एक ऑटोमेटिक उपकरण लगा होगा जो एक सिरे पर क्राउन ब्लॉक से दो मीटर से अधिक निकट आने से ट्रेवलिंग ब्लॉक को तथा दूसरे सिरे पर सेटरी टेबल पर क्लैशिंग को आने से रोकेगा। परन्तु जहाँ विशेष दशायें विद्यमाना हो, जो तार्किक रूप से इस ड्रा-वर्क-विनियम के प्रावधानों के अनुपालन को व्यवहार्य नहीं बनाती है, वहाँ मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश तथा शर्तों के आधार पर इन प्रावधानों से छूट दे सकता है।

57. कैटहेड †, कैटलाइन :-

- (1) मानवचालित कैटहेड को लाइन या रस्से के पहले ऍंठन से अलग रखने को सुनिश्चित करने के लिए गाइड डिवाइडर के साथ लगाया जाएगा।
- (2) कैटहेड पर मूल सीट तथा प्रोजेक्टिंग की को एक चिकना थिम्बल या प्लेट से ढका जाएगा।
- (3) जब कैट हेड व्यवहार में लाया जाता है, तो कंट्रोल एक सक्षम व्यक्ति के नियंत्रण में रहेगा तथा आपातकाल की स्थिति में वह तत्काल कैटहेड के चक्रण को रोकेगा।
- (4) कैटहेड का प्रचालक अपने प्रचालन क्षेत्र को साफ रखेगा तथा कैटलाइन के हिस्से को ऍंठनयुक्त या चरखीयुक्त नहीं करेगा।

58. टॉग्स :-

- (1) संयोजन को बनाने या तोड़ने के समय पाइप के अनियंत्रित घूर्णन को प्रभावी तरीके से रोका जाएगा तथा जहाँ कहीं भी आवश्यकता हो एक बैक-अप टॉग्स का प्रयोग किया जाएगा।
- (2) आकस्मिक संपर्क को रोकने के लिए गार्ड में टॉग्स काउन्टर बैलेंस भार तथा लाइन को लगाया जाएगा।
- (3) टॉग्स सेफ्टी लाइन के छोर को कम से कम तीन वायर लाइन क्लैम्प से सुरक्षित किया जाएगा या उसका क्रिम्पिंग किया जाएगा।

59. सुरक्षा चैन या वायर लाइन :- टॉग्स, रोटरी होज के किनारों तथा सस्पेंशन चकरी को सुरक्षा चैन या वायर लाइन से जोड़ा जाएगा।

60. केसिंग लाइन :-

- (1) प्रत्येक सात दिन में कम से कम एक बार सक्षम व्यक्ति द्वारा सभी केसिंग लाईन का दृश्य निरीक्षण किया जाएगा तथा तार के घिसने, क्षरण, भंगुर तथा टूटने की दशा को नोट किया जाएगा तथा इस प्रकार की

तेल खान विनियम, 2011

प्रत्येक जाँच रिपोर्ट को सजिल्द खाते में दर्ज कर निरीक्षण अधिकारी द्वारा उस पर हस्ताक्षर किया जाएगा तथा तारीख अंकित की जाएगी...

(2) ऊपर बताए गए किसी जाँच के समय यदि कोई कमी या त्रुटि पाई जाती है, जिससे लोगों की सुरक्षा का खतरा हो तो ऐसी कमी या त्रुटि की लिखित सूचना तत्काल संस्थापन प्रबंधक को दी जाएगी और त्रुटि या कमी के उपचार के बाद ही केसिंग लाईन को प्रयोग में लाया जाएगा।

(3) प्रत्येक केसिंग लाईन का घिसावट बिन्दु, प्रत्येक 3,000 टन किलोमीटर या जरूरत अनुसार छोटे अंतराल पर जहाँ केसिंग लाईन की अत्यधिक घिसाई को रोकने ही के लिए आवश्यक हो, को केसिंग लाईन की कम से कम 30 मीटर कटिंग करके बढ़ाया जाएगा जो ड्रिलर या अन्य सक्षम अधिकारी के पर्यवेक्षण में किया जाएगा और यह व्यक्ति उसके अन्य विवरण एवं तारीख को रिकॉर्ड करेंगे तथा उसपर हस्ताक्षर कर तारीख देंगे।

परन्तु, •0A0 ×00;000 म;00< विद्यमान A1 जो इस विनियम के प्रावधानों के अनुपालन को तार्किक तौर पर व्यवहार्य नहीं बनाती है वहाँ मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश तथा शर्तों के आधार पर इन प्रावधानों से छूट दे सकेगा...

61. सामग्री हथालन के लिए रिगिंग उपकरण :-

(1) रिगिंग उपकरण जिनमें सामग्री संचालन के लिए क्रेन 000'00000 है, को प्रयोग के पूर्व तथा इस्तेमाल के दौरान सुनिश्चित कर यह देखा जाएगा कि यह सुरक्षित है।

(2) रिगिंग उपकरण में निर्धारित सुरक्षित भार से ज्यादा भार नहीं लादा जाएगा।

(3) ओवरहेड विद्युत चालन लाईन के समीप क्रेन चलाने के दौरान बिजली के तार को सम्पर्क से बचाए रखने के लिए पर्याप्त सावधानी बरतते हुए विद्युत प्रवाह तबतक बन्द रखा जाएगा जब तक क्रेन चलाई •00 ,A0 A0...

(4) ऐसे अन्तराल पर सभी रिगिंग उपकरण तथा क्रेन की जाँच प्रबंधक या संस्थापन प्रबंधक द्वारा निर्धारित क्रियाविधि के अनुरूप सक्षम व्यक्ति द्वारा किया जाएगा जो निरीक्षण के नतीजों को अभिलिखित करेगा।

62. सामग्री का भंडारण :-

(1) पंक्ति में रखी गई सभी सामग्री को इकट्ठा कर ढेर बनाया जाएगा या उसे इस प्रकार सुरक्षित किया जाएगा कि वह फिसले, गिर या ढहे नहीं।

(2) सामग्री संचालन करनेवाले उपकरण या व्यक्तियों के मुक्त †0, सुरक्षित आवागमन के लिए रास्ते को साफ रखा जाएगा।

63. पाइप रैक का निर्माण †0, लोडिंग :-

(1) पाइप रैक का निर्माण उस पर किसी भी प्रकार के 300, को वहन करने के हिसाब से डिजाइन किया जाएगा।

(2) पाइप रैक से लुढ़कने से बचाने के लिए पाइप -ट्यूबलर सामग्री या अन्य गोल सामग्री के लिए पर्याप्त प्रावधान किया जाएगा।

(3) पाइप रैक तथा पाइप के लोडिंग, अनलोडिंग एवं स्थानान्तरण कार्य के दौरान किसी भी व्यक्ति को इनके बीच जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी जबतक कि गतिमान पाइप के किसी भी भार से चोट खाने से बचाने के लिए वहाँ पर प्रभावी सुरक्षा उपाय या प्रणाली नहीं दी गई A0...

64. रिग का लगाना तथा डिस्मेंटल करना :-

(1) कार्य-AE00 †0, जब तक पर्याप्त सामान्य प्रकाश की व्यवस्था नहीं की जाती है तब तक अधिक भार को उठाने एवं लगाने का कार्य दिन में किया जाएगा।

- (2) गतिशील स्थापन प्रणाली इस प्रकार डिजाईन किया जाएगा ताकि प्रणाली के असफल, क्षतिग्रस्त और दुर्घटना की अवस्था में कायम रखा जा सके।
- (3) समुद्रीय संचालन के दौरान आवश्यक कार्रवाई इस प्रकार की जाएगी जिससे दुर्घटना $\frac{1}{10}$ खतरे की $\frac{1}{100}$ की संभावना में कमी आए तथा प्रचालन से जुड़े लोगों को क्षति न पहुँचे...
- (4) ऐसे प्रचालन के कार्यान्वयन के दौरान जहाज एवं सुविधाओं के संदर्भ में स्थिति को बरकरार रखने के लिए आवश्यकताओं का निर्धारण किया जाएगा तथा गतिविधियों के प्रारंभ एवं निलंबन हेतु मानदण्ड निर्धारित किए जाएँगे।

68. मड टैंक $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$:-

- (1) कूप के प्रभावी नियंत्रण हेतु मड टैंक $\frac{1}{10}$ मड पम्प की पर्याप्त क्षमता की पूर्ति की जाएगी तथा उसका रख-रखाव किया जाएगा।
- (2) मड टैंक को आंतरिक दहन इंजन से इतना $\frac{1}{10}$ पर रखा जाएगा ताकि जलनशील गैस के जमाव से होनेवाली आग से बचाव हो सके।
- (3) मड टैंक को इस प्रकार डिजाईन कर लगाया जाएगा जिससे मड पम्प का सक्शन सही हो...
परन्तु मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा खान के किसी भी हिस्से को इस सावधानी के बरते जाने से $\frac{1}{10}$ संकेतित यदि वह मानता है कि इसका पालन अपेक्षित नहीं है।
- (4) ड्रीलिंग रिग से जुड़े सभी मड पम्प को प्रणाली में सुरक्षा दाब रिलिफ वल्व तथा ऑपरेटिंग गेज से सुसज्जित किया जाएगा।
- (5) वल्व को पम्प, पाईप एवं फिटिंग के स्थापित कार्य दाब से अधिक $\frac{1}{10}$ पर डिस्चार्ज करने हेतु सेट नहीं किया जाएगा।
- (6) सुरक्षा दाब $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ से डिस्चार्ज पाईप द्वारा ऐसे स्थान पर किया जाएगा जहाँ इससे लोगों को खतरा न हो।
- (7) $\frac{1}{10}$ $\frac{1}{10}$ सुरक्षा दाब रिलिफ वल्व के बीच कोई वल्व नहीं होगा।

69. फटन निरोधी संयोजन - ड्रिलिंग :-

- (1) किसी कूप में सर्फेस केसिंग लगाए जाने के उपरान्त ड्रिलिंग कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जबतक कि फटन निरोधी, संयोजन को सुरक्षित तरीके से लगाकर रख-रखाव नहीं किया गया हो।
- (2) फटन-निरोधी संयोजन निम्नलिखित का बना होगा :-
का. $\frac{1}{10}$ में प्रयोग हेतु रेटेड वर्किंग प्रेशर 136 किलो ग्राम प्रति सेन्टी मीटर (2000Psi) का खुले छिद्र को बन्द करने के लिए एक ब्लाइंड या ब्लाइंड सियर रैम प्रिवेन्टर तथा ट्यूबरल को बंद करने हेतु एक पाईप रैम प्रिवेन्टर,
ख. $\frac{1}{10}$ -विनियम 2(क) में बनाए प्रावधानों के अतिरिक्त 136 किलो ग्राम/से.मी.² (2000Psi) से अधिक एवं 340 किलो ग्राम/से.मी.² (5000Psi) तक रेटेड कार्य दाब के लिए एक वलयाकार प्रिवेन्टर प्रदान किया जाएगा।
ग. $\frac{1}{10}$ -विनियम 2(क) में बनाए गए प्रावधानों के अतिरिक्त अधिकतम पूर्वानुमानित सतह दाब के अनुसार 340 किलो ग्राम/से.मी.² (5000Psi) $\frac{1}{10}$ कार्य दाब के लिए एक वलयाकार प्रिवेन्टर $\frac{1}{10}$ एक पाईप रैम प्रिवेन्टर प्रदान किया जाएगा।

72. प्रिवेन्टर एसेम्बली की जाँच :-

- (1) प्रिवेन्टर के सभी घटक को प्रस्थापन पर तथा प्रत्येक मरम्मत या पुनर्स्थापन पर जाँच किया जाएगा किन्तु जाँच की आवृत्ति 21 दिन से अधिक नहीं होगी।
- (2) जाँच को आरंभ में 15 से 20 किलोग्राम प्रति वर्ग से.मी. (200से 300Psi) पर किया जाएगा तदोपरान्त उसे उच्च दाब पर जाँच किया जाएगा जो अधिकतम प्रत्याशित सर्फेस दाब से अधिक होगा।
- (3) निम्न एवं उच्च दाब परीक्षण को कम से कम 5 मिनट के लिए बरकरार रखा जाएगा।
- (4) उपरोक्त वर्णन के बलोआऊट प्रिवेन्टर को इसके निर्धारित दाब से 70% अधिक दाब के लिए इस्तेमाल किया जाएगा।
- (5) बलोआऊट प्रिवेन्टर एसेम्बली के सभी कार्यकारी घटक को सप्ताह में कम से कम एक बार कार्य जाँच के लिए लगाया जाएगा।
- (6) उपरोक्त वर्णित सभी जाँचों के सम्पूर्ण विवरण को दैनिक रिपोर्ट में अंकित किया जाएगा तथा प्रेशर जाँच के मामले में आरोपित दाब तथा जाँच की अवधि को जाँच करनेवाले व्यक्ति द्वारा अभिलिखित किया जाएगा।
- (7) किसी भी जाँच के दौरान यदि बलोआऊट प्रिवेन्टर एसेम्बली या उसका कोई हिस्सा दोषपूर्ण पाया जाता है ऐसे दोष को सामान्य ड्रिलिंग या सम्पादित कार्य को पुनः करने के पूर्व ठीक किया जाएगा।
- (8) सभी बलोआऊट प्रिवेन्टर की निर्धारित दाब को कम से कम 3 साल में एक बार कार्य-निष्कर्ष जाँच किया जाएगा तथा जाँच-निष्कर्ष को अभिलिखित कर प्रस्थापन स्थल पर उपलब्ध कराया जाएगा।

73. फटन के प्रति ध्यानियँ :-

(1). ड्रिलिंग मड प्रणाली के लिए निम्नलिखित नियंत्रण उपकरण प्रयोग किये जाएंगे और ड्रिलिंग प्रचालन के दौरान प्रयोग में लाया जाएगा :-

- क. एक पिट लेवल संकेतक जो ड्रिलिंग मड आयतन में वृद्धि या कमी को रजिस्टर करेगा तथा इसमें ड्रिलर स्टैण्ड के समीप ऑडियो विजुअल चेतावनी उपकरण लगा होगा।
- ख. प्राथमिक सेल सेकर तथा ड्रिलर स्टैण्ड के समीप ऑडियो विजुअल अलार्म से जुड़ी गैस डिटेक्टर या एक्सप्लोसीमीटर।
- ग. स्ट्रिंग को खींचे जाने के दौरान कूप में मड भरे जाने को सुनिश्चित करने संबंधित उपकरण।
- घ. कूप के प्रतिक्षेप किए जाने के स्थिति में मड पम्प को बंद करने के लिए ड्रिलर स्टैण्ड के निकट नियंत्रण युक्ति तथा सूदूरतटीय रिग के मामले में सुरक्षित दूरी पर एक अतिरिक्त कंट्रोल युक्ति लगाया जाएगा परन्तु -

• प्रवधान के अनुपालन तार्किक तौर पर व्यवहारिक नहीं है वहाँ मुख्य निरीक्षक सामान्य या विशेष लिखित आदेश तथा शर्तों के आधार पर प्रवधान से छूट दे सकेगा...

- (2) यदि प्रवधान (1) में दर्शाया गया नियंत्रण उपकरण यदि इंगित करता है कि कूप में फॉर्मेशन द्रव प्रवेश कर रहे हैं तो कूप को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाएँ जाएँगे।
- (3) जब कूप प्रतिक्षेप करता है तो फटन प्रिवेन्टर एसेम्बली को लगाने से पूर्व कार्रवाई संबंधित अनुदेश दिए जाएँगे जिसमें रिग पर नियोजित और ऐसे अन्य व्यक्तियों के कार्य का ब्यौरा होगा जिसे अपेक्षित माना जाएगा और इन अनुदेशों की एक प्रति रिग के समीप लगाया जाएगा।

- (4) रिग पर नियोजित प्रत्येक व्यक्ति को किक या प्रतिक्षेप की चेतावनी संकेत का पर्याप्त गान होगा तथा विनियम (3) में संदर्भित अनुदेशों, ब्लोआऊट प्रिवेन्टर एसेम्बली की जानकारी होगी तथा ब्लोआऊट प्रिवेन्टर के नियंत्रण को प्रचालित करने में सक्षम होगा।
- (5) ब्लोआऊट निरोधी ड्रिल को सात दिन में एक बार प्रयोग किया जाएगा।
- (6) कूप के नजदीक उचित नियंत्रण वल्व लगाए जाएँगे जो आपातकाल में कूप को नियंत्रित करने के लिए इस्तेमाल किए जा सकते हैं।
- (7) टविंग को अन्दर या बाहर ले जाने के दौरान डेरिक फ्लोर पर उचित तंत्र तैयार अवस्था में उपलब्ध होगा जो टविंग के अनियंत्रित बहाव या गति को रोकेगा।

74. फटन होने के पश्चात् बरती जानेवाली धानियाँ :-

- (1) कूप के फटन होने के चिन्ह दिखाई पड़ने पर फटन को नियंत्रित करने के लिए उपस्थित रहनेवाले व्यक्तियों को छोड़ करके सभी व्यक्तियों को तत्काल प्रस्थापन से बाहर निकाला जाएगा तथा रेग्यूलेशन 111 के तहत निर्मित आपातकाल योजना में सूत्रबद्ध प्रक्रिया के अनुसार उचित कार्रवाई की जाएगी।
- (2) सम्पूर्ण काल के दौरान फटन को नियंत्रित करने के कार्य की प्रगति पर होने की दशा में निम्नलिखित धानी बरती जाएगी -
 - क. घटनास्थल पर हर समय सक्षम व्यक्ति रहेगा।
 - ख. कूप के 500 मीटर के अन्दर निचली वायु की दिशा में मौजूद क्षेत्र को खतरा क्षेत्र माना जाएगा।
 - ग. खतरा क्षेत्र के तहत सभी विद्युतीय प्रस्थापनों को विद्युत रहित बनाया जाएगा।
 - घ. खतरा क्षेत्र में केवल मानक सुरक्षा दीप या टॉर्च ही प्रयोग की जा सकेगी...
 - ङ. खतरा क्षेत्र के अन्दर खुला प्रकाश या यातायात वाहन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - च. जहाँ तक व्यक्ति की सुरक्षा का प्रश्न है, सक्षम व्यक्ति मानक उपकरण के द्वारा संवातन तथा गैस की उपस्थिति की दशा सुनिश्चित करेंगे।
 - छ. स्थान पर या उसके निकट आपातकाल में प्रयोग हेतु पर्याप्त संख्या में मानक प्रकार के स्वधारित श्वसन उपकरण या अन्य उपकरणों की व्यवस्था की जाएगी...
 - ज. तत्काल प्रयोग हेतु पर्याप्त अग्निरोधी उपकरण तैयार अवस्था में रहेंगे।
 - झ. क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा अपेक्षित अन्य उपकरण भी तैयार अवस्था में उपलब्ध रहेंगे।

75. ड्रिलिंग प्रचालन :-

- (1) प्रत्येक सिफ्ट के आरंभ में ड्रिलर स्टैण्ड पर मौजूद उपकरण एवं कंट्रोल, ड्रॉ वर्क, मड पम्प, सेन्सिंग मॉनीटरिंग उपकरण, मड लौगिंग, केसिंग लाईन, कैट लाईन तथा ब्लोआऊट प्रिवेन्टर एसेम्बली की जाँच द्वारा की जाएगी और उसका समाधान होगा कि ये अच्छी हालत में हैं।
- (2) प्रत्येक खान का प्रबंधक सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षा तथा भू-तकनीकी मामलों से जुड़े प्रचालन का विस्तृत प्लान किसी खास कूप को ड्रिलिंग करने के पूर्व बनाया जाता है तथा प्रबंधक अन्य संबंधित अधिकारियों एवं सक्षम व्यक्तियों को प्रचालन कार्य शुरू करने के पूर्व उपलब्ध कराया जाएगा।
- (3) कूप ड्रिलिंग ऑपरेशन शुरू करने के पूर्व ड्रिलिंग एवं अन्य संबंधित क्रियाकलापों के सुरक्षित प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए एवं जाँच के लिए प्री-स्पडिंग अंकेक्षण किया जाएगा। इस संपरीक्षा के परिणाम को अभिलेखित किया जाएगा एवं सदस्यों का हस्ताक्षर होगा।

तेल खान विनियम, 2011

- (4) ड्रिलर यह सुनिश्चित करेगा कि रोटरी टेबल के गतिमान होने के पूर्व रोटरी टेबल पर या उसके निकट कोई भी व्यक्ति खतरे की स्थिति में नहीं है।
 - (5) सीढ़ी के ऊपर या नीचे टूल या अन्य सामान नहीं ले जाया जाएगा जबतक हाथ छोड़कर ऊपर चढ़ने के लिए शरीर पूरी तरह सुरक्षित न हो जाए।
 - (6) क्राऊन ब्लॉक एवं किसी भी ट्रेवलिंग ब्लॉक सीव, लाईन स्पूलर, लाईन स्टेबलाईजर, वजन सूचक को छोड़कर डेरिक में किसी सामान के साथ डेरिक सदस्य या फाऊल का केसिंग लाईन से सीधा सम्पर्क नहीं होगा।
 - (7) सीमेंटिंग किए जाते समय किसी भी व्यक्ति को कूप शीर्ष के निकट रिग फ्लोर, सम्पर्क लाईन एवं उपकरण के निकट रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
 - (8) सीमेंटिंग ऑपरेशन शुरू किए जाने के पूर्व लोचदार बिन्दुओं से लगाए गए सभी उच्च दाब वाले पाईप को उचित प्रकार से एंकर किया जाएगा एवं दाब का परीक्षण किया जाएगा।
 - (9) ऑपरेशन सीमेंटिंग के पश्चात एवं छेदन के पूर्व केसिंग वायुरूद्धता की जाँच केसिंग विस्फोट दाब के 70% दाब पर किया जाएगा।
 - (10) रेलवे, सार्वजनिक पथ या किसी सार्वजनिक कार्य या अन्य स्थायी संरचना जिसपर खान आँसू का स्वामित्व न हो के 45 मीटर के भीतर किसी भी कुएँ का ड्रिल नहीं किया जाएगा।
- परन्तु आँसू का ड्रिलिंग के प्रावधान का अनुपालन तार्किक तौर पर व्यवहार्य नहीं है, वहाँ मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश तथा शर्तों के आधार पर जैसा कि वह उसमें उल्लेख करे उपरोक्त प्रावधान से छूट दे सकेगा...

76. †ड्रिलिंग प्रचालन :-

(1) आँसूस्थापन की संपूर्णता -

- a. स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक समीप में ड्रिलिंग प्रस्थापन या कोई अन्य प्रस्थापन या संरचना या पाईप लाईन को क्षति से बचाने के लिए उचित उपाय करेगा।
- b. खंड (क) †निर्दिष्ट क्षति को रोकने के उपाय में निम्नलिखित उपाय सम्मिलित होंगे :-
 - i. सुनिश्चित करना कि आँसूस्थापन के लिए ओसनोग्राफी, मौसम वै-नानिक, पर्यावरणिक तथा समुद्र -पेटी की दशाएँ उपयुक्त हैं।
 - ii. †आँसू-पास की कोई अन्य संरचना या पाईप लाईन के संदर्भ में ड्रिलिंग-स्थान की उपयुक्तता सुनिश्चित करना या,
 - iii. ड्रिलिंग स्थान तक आँसूस्थापन के संचालन, इसके स्थिति की आशंका तथा ड्रिलिंग पूरा होने पर उसे वहाँ से ले जाना।

(2) कूप नियंत्रण :-

- क. आँसू, अभिकर्ता या प्रबंधक निम्नलिखित कार्य करेंगे -
 - i. ड्रिलिंग एवं कूप गतिविधि प्रचालन के दौरान कूप को नियंत्रण में बनाए रखने के लिए उचित उपाय करेंगे।
 - ii. कूप द्रव के अनियंत्रित बहाव को रोकेंगे।
 - iii. †विनियम के अनुसरण में दिए गए उपकरण तथा किए गए †आपातकाल में प्रभावी रूप से काम करने में सक्षम है यह सुनिश्चित करने का यथासंभव व्यवहारिक तौर पर प्रयास करेंगे।

अध्याय-6

उत्पादन

78. x''|ण :-

1. बारूद या विस्फोटक अधिनियम, 1884 के अधीन अनु-नप्ति प्राधिकरण द्वारा मान्यताप्राप्त बारूद घर में ही विस्फोटक का भंडारण किया जाएगा तथा उनका परिवहन उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार किया जाएगा।
2. कोई भी व्यक्ति इन विनियमों के अधीन प्रदत्त वैध शॉटफायरिंग प्रमाण-पत्र के बिना शॉटफायरिंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त नहीं किया जाएगा।
3. शॉटफायरिंग ऑफिसर के निजी पर्यवेक्षण के अधीन उसके द्वारा ही चार्ज की तैयारी तथा x''|ण टक "ार्जिंग किया जाएगा तथा वह स्वयं ही शॉट की फायरिंग करेगा...
4. छिद्रण प्रचालन से x''|ण फायरिंग ऑफिसर निम्नलिखित बातें सुनिश्चित करेगा -
 - क. अन्डर बैलेन्स परफॉरेशन या छिद्रण के मामलों के सिवाय बॉटम होल दाब को नियंत्रित रखने के लिए कूप को मड या ब्राइडन से पर्याप्त रूप से भरा गया है।
 - ख. ब्लोआऊट प्रिवेन्टर असेम्बली का दाँ एवं कार्य की जाँच कर ली गयी है तथा सक्षम व्यक्ति «०,० •ाँच कर जाँच निष्कर्ष को अभिलेखित कर लिया गया है।
 - ग. छिद्रण गन को सुरक्षित कूप के नीचे उतारा गया है।
 - घ. टयूबिन के माध्यम से छिद्रण कार्य के दौरान कूपशीर्ष पर लूब्रिकेटर तथा वायर लाइन 2»ीआऊट प्रिवेन्टर का प्रयोग किया जाता है।
 - ङ. x''|ण के लिए ड्रिलिंग रिग तथा केबल के साथ प्रयुक्त सभी उपकरणों का प्रभावी भू-नियोजन किया गया है।
 - च. विस्फोट चार्ज के साथ जोड़ने के पूर्व कूप शीर्ष (well head) १०E०० ~००कर के बीच ३०=१० संयोजन किया गया है।
 - छ. आग एवं †००x''|ण x''|ण से होनेवाले खतरों से बचाव के उपाय वायरलेस उपकरण तथा मोबाईल फोन बंद रखे जाएँगे।
 - ज. x''|ण गन को कूप में उतारने के ठीक पूर्व ही प्राइम किया जाएगा। डेटोनेटर से जोड़ने के समय लॉगिंग केबल को लॉगिंग यूनिट में सुरक्षित स्थिति में रखा जाए।
 - झ. x''|ण दल कोई भी सिन्थेटिक वस्त्र इस्तेमाल नहीं करेगा।
 - ञ. x''|ण प्रचालन में लगे व्यक्तियों से भिन्न अन्य सभी व्यक्ति सुरक्षित दूरी पर रहेंगे।
5. कूप छिद्रण कार्य रात में या बिजली चमकने, गरजने, तेज वायु तथा भारी वर्षा के समय नहीं किया जाएगा।
6. कूप में सामान्य कार्य तब तक प्रारम्भ नहीं किया जायेगा, जब तक कि चार्ज की फायरिंग पूरी ना हो जाये, †०, ००-००, ०० «०,० x''|ण उपकरण स्थल से निकाल ना लिया जाये।
7. समूचे काल में छिद्रण कार्य के दौरान स्थान पर पर्याप्त अग्निशामक उपकरण १०, १० उपलब्ध रहेंगे।
8. विस्फोटकों या बारूद का निर्गत, व्यवहार तथा वापसी का सभी लिखित रिकॉर्ड एक सजिल्द खाते में किया जाएगा जिसपर सक्षम व्यक्ति का हस्ताक्षर तथा दिनांक अंकित होगा।

79. कूप परीक्षण एवं सक्रियन :-

1. कूप का परीक्षण या सक्रियन करने के पूर्व क्रिसमस वृक्ष तथा फ्लोलाईन जिनमें संबद्ध फिटिंग्स सम्मिलित हैं, को अधिकतम सम्भावित दाब के तहत लगाया जाएगा तथा ऐसे परीक्षणों के निष्कर्षों को परीक्षण करनेवाले व्यक्ति द्वारा किया जाएगा।
2. कूप परीक्षण स्थापन प्रबंधक के या इस प्रयोजन के लिए लिखित रूप से प्राधिकृत अधिकारी के अभिलेखित में किया जाएगा, जो सुनिश्चित करेगा कि :-
 - क. कूप को सक्रिय करने का कोई भी कार्य रात में नहीं किया जा रहा है ;
 - ख. सभी फ्लोलाईन को मजबूती से जमीन में गाड़ा गया है;
 - ग. परीक्षक सुरक्षा वल्व सहित कार्य दशा में है तथा उचित रूप से समायोजित है;
 - घ. आसन्न प्रयोग हेतु पर्याप्त अग्निशामक उपकरण तुरंत उपलब्ध है ;
 - ङ. कूप के उत्पादों को टंकी या गड्ढे में सुरक्षित एकत्रित करने के लिए पर्याप्त सुविधाएँ प्रदान की गयी हैं।
3. कूप परीक्षण के दौरान किसी प्रकार का तेल या गैस रिसाव होने पर कूप को नियंत्रित करने के लिए तत्काल कदम उठाये जाएँगे।

80. समूह एकत्रण स्टेशन :-

1. जब कोई नया समूह एकत्रण स्टेशन बनाने का आशय किया जाता है या किसी समूह एकत्रण स्टेशन का परिवर्तन किया जाय, अभिकर्ता या प्रबंधक निर्माण या परिवर्तन को शुरू करने के 90 दिन पूर्व इस प्रकार के निर्णय को प्रथम अनुसूची के VI में लिखकर मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट को देगा तथा प्रत्येक सूचना के साथ ग्रुप गैदरिंग स्टेशन के प्रस्तावित स्थल का अद्यतन नक्शा की दो प्रतियाँ होगी, जिनमें प्रस्थापन का नाम एवं स्थान, अन्य समूह एकत्रण स्टेशन का नाम एवं स्थान तथा उक्त स्थल से 500 मीटर के दायरे में कार्बन पाइप लाइन, स्टेशन से जुड़े प्रत्येक कूप के नाम, स्थल का विस्तार जिसपर उपयोग के अधिकार को दर्शाया गया है, प्रस्थापन के 60 मीटर के दायरे में कोई रेलपथ, आम सड़क, लोक स्थल, भवन या अन्य कोई रचना का उल्लेख होगा।

परन्तु जहाँ खान या उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के हित में किसी समूह एकत्रण स्टेशन में तत्काल परिवर्तन अपेक्षित होता है तो इस विनियम के उपबंधों का अनुपालन हुआ समझा जाएगा यदि परिवर्तन कार्य आरंभ होने के साथ ही उक्त सूचना क्षेत्रीय निरीक्षक को दी जाती है।

परन्तु यह और कि वैसे समूह एकत्रण स्टेशन के मामले में जहाँ भंडारित या संचालित पेट्रोलियम गैस या द्रव की मात्रा क्रमशः 300 टन तथा 1000 टन से अधिक होती है तो इस विनियम के अधिन सूचना को प्रथम अनुसूची के VII में भी सुरक्षा रिपोर्ट भरकर दिया जाएगा तथा इसके उपरान्त प्रत्येक तीन वर्षों में कम से कम एक बार या इससे पहले यदि किसी सामग्री में परिवर्तन किया जाता है, सुरक्षा रिपोर्ट को नयी तकनीकी जानकारी या प्रस्तावित परिवर्तन के संभावित संवीक्षा पुनर्विलोकन किया जाएगा, सुरक्षा एवं जोखिम निर्धारण को प्रभावित कर सकते हैं तथा इसकी एक प्रति मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेटों को दिया जाएगा।

परन्तु यह भी कि विद्यमान समूह एकत्रण स्टेशन के मामले में -

तेल खान विनियम, 2011

उपरोक्त वर्णित रेखांक की प्रतियों तथा सूचना एवं सुरक्षा रिपोर्ट में दिया जानेवाला विवरण को इन विनियमों के लागू होने के क्रमशः छः माह तथा पाँच वर्षों के अन्दर मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक व मजिस्ट्रेट को देना होगा।

2. यदि क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित में अपेक्षा करता है तो संयोजन या परिवर्तनों को प्रस्थापन में किया जाएगा जैसे वह आदेश में विनिर्दिष्ट करे...

3. समूह एकत्रण स्टेशन को लगाया जा चुका है तो, अभिकर्ता या प्रबंधक इसे लगाये जाने की वास्तविक तारीख की तत्काल सूचना मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक तथा जिला मजिस्ट्रेट को देगा।

4. समूह एकत्रण स्टेशन या प्रक्रिया कम्प्लेक्स या प्रक्रिया प्लेटफार्म युक्त, कूप सह का स्वीकृत मानकों के अनुरूप इस प्रकार डिजायन, निर्माण, प्रचालन तथा अनुरक्षण किया जाएगा, जिससे मजबूत बनावट के तथा शक्तिशाली हो एवं सुरक्षित कार्यदशा में अनुरक्षण किए जा रहे हों।

81. पाइपिंग तथा इन्स्ट्रुमेंटेशन डायग्राम :-

प्रत्येक प्रक्रिया कम्प्लेक्स का विस्तृत पाइपिंग एवं इन्स्ट्रुमेंटेशन डायग्राम का अनुरक्षण और अद्यतन बनाया जाएगा तथा उसकी एक प्रति प्रक्रिया कम्प्लेक्स में उपलब्ध करायी जाएगी...

82. सुदूरतटीय प्लेटफॉर्म पर चिन्हांकन :-

1. प्रस्थापन का चिन्हांकन अन्तर्राष्ट्रीय लाइट हाउस प्राधिकरण संगम द्वारा किया जाएगा।

2. हेलिकॉप्टर प्रचालन हेतु हेलिकॉप्टर डेक तथा अन्य मार्किंग तथा उनका रख-रखाव अन्तर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन संगठन के अनुसार किया जाएगा।

83. तृतीय प्रचालन कार्य के दौरान पूर्वावधानियाँ :-

1. कूप में अम्लीकरण प्रचालन इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत पदधारी के प्रत्यक्ष निजी पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

2. अम्लीकरण प्रचालन के पूर्व सभी उपकरण तथा सम्बद्ध उपकरणों की प्रत्याशित कार्यकारी डेढ़ गुणा अधिक तक की जाँच की जाएगी।

3. यथाव्यवहार्य कूपशीर्ष के समीप लाइन में गैर-वापसी वाल्व लगाया जाएगा।

4. निरीक्षण का कार्य यह देखना होगा कि :-

क. अम्लीकरण कार्य में जुड़े लोगों को छोड़कर अन्य कोई भी व्यक्ति कूप के समीप न रहे।

ख. अम्लधारक या अम्लकार्य करनेवाले प्रत्येक व्यक्ति को बाहरी सुरक्षा के कपड़े, चश्मे, दस्ताने,

और प्रयोग करवाये जाएँ, और

ग. अम्ल के छलकने या गिरने पर उसे निष्प्रभावी बनाने के लिए पर्याप्त मात्रा में चूना या अन्य उचित रसायन तैयार तथा प्रयोग में लाये जायें...

84. फ्रेक्चरिंग प्रचालन के दौरान पूर्वावधानियाँ :-

1. कूप में फ्रेक्चरिंग कार्य इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत पदधारी के प्रत्यक्ष निजी पर्यवेक्षण में किया जाएगा।

2. फ्रेक्चरिंग कार्य के पूर्व कूप शीर्ष पर अंतिम वाल्व तक डिस्चार्ज पाईपलाईन को प्रत्याशित कार्यकारी डेढ़ गुणा अधिक दाब पर जाँच किया जाएगा।

3. यथाव्यवहार्य कूप शीर्ष के समीप प्रत्येक डिस्चार्ज पाईपलाईन में एक गैर-वापसी वाल्व लगाया जाएगा।

4. सभी डिस्चार्ज एवं स्त्रावक लाईन को सुरक्षित तरीके से गाड़ा जाएगा। ये स्त्रावक लाईन खुली टंकियों या गड्डे में खुलेंगे।
5. फ्रेक्चरिंग कार्य के दौरान देखेगा कि कूप के 30 मीटर के अन्दर -
 - क. फ्रेक्चरिंग कार्य में जुड़े व्यक्तियों के सिवाय कोई भी व्यक्ति उपस्थित नहीं है।
 - ख. कोई भी खुला प्रकाश या प्रज्ज्वलन के अन्य स्रोत की अनुपस्थिति नहीं होगी।
 - ग. आभी विद्युतीय उपकरणों को निष्प्रभावी बनाया जाएगा तथा,
 - घ. तत्काल प्रयोग हेतु अग्निशामक उपकरण पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है।
6. कूप शीर्ष से कम से कम 15 मीटर दूर पम्प इकाईयों को क्रॉस वायु में लगाया जाएगा तथा पम्पिंग कार्य दिन में किया जाएगा।

परन्तु जहाँ कठिनाईयाँ विद्यमान हैं मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा उसमें विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन इन विनियमों के अन्तर्गत छूट दे सकेगा।

85. पेट्रोलियम टैंकर के लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य के दौरान ध्यानियें :-

- (1) प्रत्येक टैंकर के लोडिंग या अनलोडिंग किए जाने के दौरान तथा जब तक कि इसके वल्व को बंद नहीं किया गया है तथा इसके फीलिंग पाईप तथा डिस्चार्ज टॉपी को बन्द नहीं किया जाता है तब तक इसकी देखरेख इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत सक्षम व्यक्ति करेगा...
- (2) पेट्रोलियम ढोनेवाले टैंकरों का लोडिंग एवं अनलोडिंग कार्य दिन में किया जाएगा।
- (3) लोडिंग एवं अनलोडिंग क्षेत्र में सभी पाईप लाईन, फीटिंग तथा डेलिवरी होस या धातु के पाईप, धातु के लोडिंग आर्म घुमावदान जोड़, टैंकर के शैशीस में विद्युत निरंतर बनी रहेगी, उपकरणों को प्रभावी तरीके से भू-योजित रहेंगे।
- (4) टैंकर पर कोई भी यंत्र टैंकर को तब तक लोड या अनलोड नहीं किया जाएगा जब तक कि इसके इंजन को बंद नहीं किया जाता है तथा विद्युतीय परिपथ से बैटरी को पृथक नहीं किया जाता है और इंजन को तबतक चालू नहीं किया जाएगा तथा बैटरी को विद्युतीय परिपथ में नहीं लगाया जाएगा जब तक कि टैंकर टैंक तथा उसके वल्व को सुरक्षित तरीके से बंद न कर दिया गया हो।

परन्तु मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश द्वारा जो इस उपविनियम के किन्हीं उपबंधों के अनुपालन को व्यवहार्य नहीं बनाती हों, उनमें से कुछ को छोड़कर उपलब्ध रहेंगे।
- (5) टैंकर के लोडिंग तथा अनलोडिंग कार्य के दौरान तत्काल प्रयोग हेतु पर्याप्त संख्या में अग्निशामक उपकरण उपलब्ध रहेंगे।

86. भंडारण टैंक :-

- (1) मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित साधारण या विशेष लिखित आदेश के माध्यम से विशिष्टियों के अनुसार पेट्रोलियम के वृहद भंडार के लिए प्रत्येक टैंक लोहा से निर्मित होगा।
 - (2) इन्जीनियरिंग व्यवहार के अनुसरण में अज्ञानशील सामग्री के नीचे या ठोस पर टैंको को निर्मित किया जाएगा।
 - (3) भंडारण टैंक की ऊँचाई इसकी व्यास से डेढ़ गुणा या 20 मीटर, इनमें से जो भी कम हो, से अधिक नहीं होगी।
- आवृत्तिकरण :-** उपविनियम के प्रयोजनों के लिए टैंक की ऊँचाई इसके तल से शीर्ष मुड़े कोण तक की ऊँचाई होगी।

- (4) प्रत्येक टैंक टैंक की कुल धारिता का 5% या उपविनियम (1) निर्दिष्ट विनिर्देश में इनमें से जो भी कम हो, वायु-स्थान रिक्त रहेगा।
- (5) प्रत्येक टैंक को लगाने या पुनः लगाने पर प्रयोग में लाने से पूर्व सक्षम व्यक्ति द्वारा जाँच कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि यह रिसाव मुक्त है तथा पेट्रोलियम के भंडारण के लिए उपयुक्त परीक्षक की रिपोर्ट परीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा की जाएगी।
- (6) 1000 घन मीटर से अधिक क्षमतावाले प्रत्येक टैंक को जमीन के ऊपर लगाने के समय भू-डाईक या बंद संरचना द्वारा पृथक रूप से घेरा जाएगा जो टंकी की धारिता से अधिक आयतन वाला होगा।
- (7) रेग्यूलेशन (6) में वर्णित इन्क्लोजर में तेल या जल के जमाव को रोकने के लिए उचित प्रणाली होगी।
- (8) प्रत्येक भंडारण टैंक तथा सभी धातु के संयोजन को प्रभावी से भूमि में दो पृथक तथा भिन्न संयोजन द्वारा टंकियों के दो विपरीत छोरों पर लगाकर विद्युतीय रूप में भू-योजित किया जाएगा।
- (9) भू-योजन की प्रभावोत्पादकता की परीक्षा बारह महीने में एक बार की जाएगी तथा ऐसे प्रत्येक परीक्षा के निष्कर्षों को सजिल्द पुस्तिका में उभिलेखित कर परीक्षा करनेवाला व्यक्ति उस पर हस्ताक्षर करेगा तथा तारीख लिखेगा...
- (10) प्रत्येक भंडारण टैंक को उचित तड़ित चालक द्वारा बिजली से बचाया जाएगा।
- (11) किसी भी व्यक्ति को टैंक की सफाई करने या उसका अनुरक्षण करने के लिए उसमें प्रवेश करने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी, जबतक कि सक्षम व्यक्ति द्वारा उसका जाँच कर उसे गैस मुक्त नहीं घोषित किया गया है।
- (12) जब किसी ऐसे टैंक में प्रवेश करना आवश्यक है जो गैस मुक्त नहीं है तो प्रवेश करने के लिए अपेक्षित व्यक्तियों को अनुमोदित प्रकार का स्वधारित श्वसन यंत्र या श्वसन वायु युक्त प्रेशर आपूर्तिवाला पूर्ण फेस पीस मास्क उपलब्ध कराया जाएगा।
- (13) सम्पूर्ण काल के दौरान जब टंकी के अन्दर सफाई या अनुरक्षण का कार्य प्रगति पर है -
- (i) समय कार्य स्थल पर कृत्रिम श्वसन तथा प्राथमिक सहायता उपलब्ध कराने में योग्य व्यक्ति उपस्थित रहेगा;
 - (ii) मान्यता प्राप्त हाथ में ढोये जानेवाले लैम्प को कार्य में प्रयोग किया जाएगा,
 - (iii) आपातकाल में प्रयोग हेतु पर्याप्त संख्या में अनुमोदित प्रकार का स्वधारित श्वसन यंत्र या पूर्ण फेस मास्क को उपलब्ध कराकर अनुरक्षित किया जाएगा।

87. सुदूरतटीय कूपों में आपातकाल बन्द प्रणाली तथा सुरक्षा :-

- (1) प्रत्येक कूप में अन्य कूप शीर्ष वल्व के अतिरिक्त अनुमोदित मानक के सतह से नियंत्रित किया जानेवाला सब-सुरक्षा वल्व तथा कूप-सतह सुरक्षा वल्व लगाकर उसका अनुरक्षण किया जाएगा।
- (2) प्रत्येक प्रोसेस कंप्लेक्स में आपातकाल तालाबन्दी प्रणाली तथा आग निरोधी प्रणाली का प्रबंध किया जाएगा।
- (3) उपविनियम (2) विनिर्दिष्ट आपातकाल बन्दी प्रणाली निम्नलिखित में सक्षम होगी -
- (i) प्रक्रिया कंप्लेक्स पर आपातकाल से निपटे जानेवाली प्रणालियों को छोड़कर सभी कूपों तथा गतिविधियों को बन्द कर देगी...
 - (ii) इन से पेट्रोलियम का रिसाव करेगी...

- (4) उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट अग्निरोधी प्रणाली उपविनियम (3) 1 विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में स्व-अग्निशमन प्रणाली को सक्रिय करने में सक्षम होगी...
- (5) उपविनियम (2) में विनिर्दिष्ट प्रणाली के स्वीचों को रणनीतिक बिन्दुओं पर आसानी से लगाया जाएगा तथा उसे अच्छी तरीके से चिन्हित किया जाएगा।

88. कूप सर्विसिंग कार्य :-

- (1) प्रत्येक डेरिक को कूप सर्विसिंग कार्य के पूर्व सक्षम व्यक्ति द्वारा जाँच किया जाएगा तथा ओवरटर्निंग से बचाने के लिए इसे पर्याप्त तरीके से सुरक्षित बनाया जाएगा।
- (2) x''||ण या कंप्लीशन एसेम्बली को नीचे करने के पूर्व केसिंग को फॉर्मेशन 20 से कम से कम 10% अधिक प्रेशर पर वायु रूद्ध परीक्षण किया जाएगा।
- (3) क्राऊन ब्लॉक, ट्रेवलिंग ब्लॉक, वायर लाईन हूक एवं एलिवेटर के इस्तेमाल के पूर्व सक्षम व्यक्ति द्वारा सावधानी से जाँच किया जाएगा।
- (4) स्थिर डेरिक से प्रचालन कार्य किया जाता है तो ब्लॉक के टोस आश्रय द्वारा कसा जाएगा।
- (5) ब्लॉक के बीच वायरलाईन को प्रत्येक व्यक्ति साफ रखेगा।
- (6) सफाई कार्य के दौरान सभी व्यक्ति वेलिंग लाईन से सुरक्षित दूरी पर रहेंगे।
- (7) ट्यूबिंग को अन्दर जाने या बाहर खींचने के समय इसकी अनियंत्रित गति को रोकने के लिए डेरिक पर उचित प्रणाली तैयार अवस्था में उपलब्ध रहेगा।
- (8) चालू कूप में कोई भी सर्विसिंग कार्य तब तक नहीं किया जाएगा जब तक कि उचित ब्लोआऊट प्रिवेन्टर एसेम्बली को सुरक्षित तरीके से लगाकर उसका अनुरक्षण नहीं किया जा रहा हो।
- (9) कूप सर्विसिंग कार्य के शुरू करने के पूर्व ब्लोआऊट प्रिवेन्टर एसेम्बली के एवं कार्य का परीक्षण किया जाएगा...
- (10) कोई भी ट्यूबिंग को कूप से तब तक नहीं निकाला जाएगा जब तक कि कूप को उचित तरीके से विफल नहीं किया गया हो।
- (11) कूप सर्विसिंग कार्य को शुरू करने के पूर्व तथा अन्य गतिविधियों की जाँच एवं सुरक्षित प्रचालन सुनिश्चित करने के लिए कार्य पूर्व सम्मेलन आयोजित किया जाएगा।

89. कृत्रिम तरीके से तेल उत्पादन :-

- (1) यदि प्रयोजन के लिए समरसिबल पम्प का इस्तेमाल नहीं किया जाता है कूप के उस स्थान पर जहाँ कृत्रिम उत्पादक उपष्कर किया जाना है, वहाँ कूप में एक उचित ढंग से संनिर्मित कार्य प्लेटफॉर्म दिया जाएगा।
- (2) यदि पम्पिंग यूनिट बन्द नहीं किया जाता है कोई भी मरम्मत, लुब्रिकेशन या प्रेसिंग का कार्य नहीं किया जाएगा।
- (3) आवर्ती गैस लिफ्ट या मुक्त प्लंजर लिफ्ट प्रणाली हेतु सभी ह नियंत्रण वाल्व को तत्काल पहचान हेतु स्पष्ट चिन्हित किया जाएगा।
- (4) कृत्रिम, द्वितियक या कार्य को शुरू करने के पूर्व जोखिम निर्धारण किया जाएगा तथा उनके लिए उचित तकनीकी एवं अन्य नियंत्रक उपाय निश्चित किए जाएँगे।
- (5) प्रबंधक द्वारा सुरक्षित कार्य व्यवहार विरचित कर इसमें नियोजित व्यक्तियों को परिचालित कि < 00 < ग...

90. उत्पादक कूपों का अस्थायी बन्दीकरण :-

(1) जब 30 से अधिक दिनों के लिए किसी उत्पादक कूप को अस्थायी तौर पर बंद करने का विचार किया जाय तो पंक या तेल या नमक का घोल अन्य विशेष रसायन से भरा जाएगा ताकि द्रव स्तंभ का स्थैतिक संभवन को रोककर कूप शीर्ष के ऊपर पेट्रोलियम के बहाव को रोक सके।

परन्तु सुदूरतटीय कूपों के मामले में सभी कूप वल्व जिनमें सुरक्षा कूपों को बंद किया जाएगा तथा उन्हें प्रबंधक द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट समय अन्तराल पर निरीक्षण किया जा सकेगा...

(2) क्रिसमस वृक्ष का नियंत्रण वल्व पूर्ण रूप से बन्द रहेगा और अनाधिकृत प्रचालन को रोकने के लिए उपाय किए जाएंगे।

(3) 30 दिन में कम से कम एक बार इस प्रयोजन के लिए प्राधिकृत सक्षम व्यक्ति द्वारा रिसाव हेतु क्रिसमस वृक्ष का निरीक्षण किया जाएगा तथा ऐसी परीक्षण के दौरान रिसाव पाए जाने पर सक्षम व्यक्ति उन्हें बन्द करने हेतु तत्काल कदम उठाएगा।

(4) प्रत्येक परीक्षण की रिपोर्ट को इस प्रयोजन के लिए रखी गई पुस्तिका में अभिलेखित किया जाएगा जिस पर जाँच करनेवाले अधिकारी का हस्ताक्षर तथा तारीख अंकित होगा।

91. परित्यक्त कूपों को बन्द करने की अपेक्षाएं :-

(1) जब किसी कूप को बन्द करने का विचार किया जाता है तो -

क. सभी पारगम्य रचनाओं को सीमेंट से बंद कर पृथक किया जाएगा।

ख. कूप के तल में 50 मीटर के न्यूनतम लम्बाई के सीमेंट प्लग को लगाया जाएगा।

ग. सर्फेस केसिंग के मुँह से होकर 50 मीटर के न्यूनतम लम्बाई का सीमेंट प्लग लगाया जाएगा।

परन्तु सुदूरतटीय कूपों के मामले में सबसे बाहरी केसिंग की तली के नीचे लगाया जाएगा तथा समुद्र की पेट्टी को सभी अवरोधों से मुक्त रखा जाएगा।

घ. कूप के चारों तरफ के तलगृह या गड्डे को भरा जाएगा तथा भूमि को या स्तर पर लाया जाएगा। और,

ङ. छेदन के ऊपर तीन मीटर सीमेन्ट प्लग से ब्रिज प्लग को रखकर कूप को परित्यक्त किया जा सकेगा...

परन्तु समुद्र से दूर प्रस्थापन की अवस्था में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कूप इस प्रकार ढाँचा एवं निर्मित किया जाए कि इसे सुरक्षित ढाँचे में परित्यक्त किया जा सकता है एवं इसके परित्याग के पश्चात गैर योजना तरीके से द्रव इससे या कुंड से नहीं निकल पाए और क्षेत्र में इससे नौ-संचालन यानों संचालन पर कोई खतरा नहीं होगा।

(2) साइट एवं प्लान पर प्रत्येक परित्यक्त कूप की स्पष्ट पहचान की जाएगी...

92. उत्पादन एवं प्रक्रिया सुविधाएँ :-

(1) स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक निम्नलिखित के लिए उचित उपाय करेंगे -

क. अवांछनीय घटना से पेट्रोलियम के निकलने का संभावना हो, को रोकने के लिए,

ख. पेट्रोलियम के बहाव या रिसाव या अति बहाव को रोकने के लिए यदि ऐसा हो, तो प्रक्रिया या प्रभावित प्रक्रिया क्षेत्र को बंद करने के लिए,

ग. निकलनेवाले पेट्रोलियम को ज्वलनशील होने से रोकने के लिए।

तेल खान विनियम, 2011

- (2) उप विनियम (1) में निर्दिष्ट अतिरिक्त उपायों में निम्नलिखित सम्मिलित होगा -
- क. अनुमोदित मानकों के अनुरूप प्रक्रिया की डिजाईनिंग, संनिर्माण एवं सहायक सुविधाएँ,
ख. यह सुनिश्चित करना कि प्रोसेस सुविधाएँ निर्धारण के परिणाम के आधार पर डिजाईन किया गया है।
ग. ऑलन, अनुरक्षण, उपान्तरण एवं परीक्षण के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना।
घ. अनुमोदित औद्योगिक व्यवहार के अनुरूप परीक्षण एवं कूपों की पूर्णता के लिए प्रक्रियाओं की स्थापना।
ङ. यह सुनिश्चित करना कि प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए अपेक्षित कार्मिक सक्षम हैं।
- (3) कुएँ से निकले पानी की उपचार प्रणाली को इस प्रकार से डिजाईन किया जाना चाहिए कि प्रत्येक निस्सारण प्रवाह में तेल की मात्रा वन एवं पर्यावरण मंत्रालय द्वारा निर्धारित शर्त को पूरा करता हो।
- (4) कूपों से निकलनेवाले जल के निस्सारण बिन्दु को इस प्रकार रखा जाएगा कि वो सामुद्रिक पर्यावरण को क्षति न पहुँचाए।

अध्याय - 7

पाईपलाईन से परिवहन

93. लागू होना :- यह अध्याय विनियम 28 ० यथा निर्दिष्ट किसी खान के सीमान्तर्गत पाईपलाईन द्वारा पेट्रोलियम के परिवहन मात्र पर लागू होगा।

94. पाईपलाईन के मार्ग एवं डिजाइन का अनुमोदन :-

1. पाईपलाईन को बिछाने के लिए क्षेत्रीय निरीक्षक की लिखित अनु-00 <A00 000 के अनुसार ली जाएगी जिन्हें वह निम्नांकित पाईपलाईन की बाबत विनिर्दिष्ट करता है :-

क. सभी गैस पाइपलाईन,

ख. 60 किलोग्राम/वर्ग से.मी. से अधिक 20 वाले सभी ट्रंक पाईपलाईन तथा फीडर लाईन।

2. उप विनियम (1) के अधीन अन-00 हेतु प्रत्येक आवेदन को प्रथम अनुसूची के प्र०१० VIII में भरकर क्षेत्रीय निरीक्षक को सौंपा जाएगा तथा इसकी एक प्रति मुख्य निरीक्षक व जिला मजिस्ट्रेट को दी जाएगी।

3. उप विनियम (1) के अधीन अनु-00 A00 आवेदन के साथ क्षेत्र के अद्यतन नक्शा की दो प्रतियाँ दी जाएगी, जहाँ पाईपलाईन बिछाने का प्रस्ताव है तथा उसमें क्षेत्र का विस्तार दर्शाया जाएगा जहाँ ०योग का अधिकार दिया गया है १०, जिलों एवं राज्यों से पाईपलाईन के गुजरने का मार्ग स्पष्ट रूप से दर्शाया जाएगा :

परन्तु किसी पाईपलाईन या पाईपलाईन प्रणाली स्थिति में आवेदन के साथ अपेक्षित उपरवर्णित रेखांक की प्रतियाँ तथा विशिष्टियों को इन विनियमों के प्रवृत्त होने के छः माह के अन्दर मुख्य निरीक्षक, क्षेत्रीय निरीक्षक १०00 जिला मजिस्ट्रेट को सौंपा जाएगा...

परन्तु जहाँ विशेष दशायें विमान हो वहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित आदेश तथा ऐसी शर्त के अधीन जो वह विनिर्दिष्ट करें इन प्रावधानों के विपरीत पाईपलाईन बिछाने की अनुमति दे सकेगा।

4. जहाँ किसी रेल या सार्वजनिक कार्य जिसके सं०१० में यह विनियम केन्द्रीय सरकार के साधारण या विशेष आदेश के कारण लागू होता है, से 45 मीटर के अन्दर पाईपलाईन बिछाने का प्रस्ताव है, या सार्वजनिक मार्ग या भवन या अन्य स्थायी संरचना जो खान A00 00 से संबंधित नहीं है, १०० उप विनियम (1) के अधीन अनुमति पाने हेतु प्रत्येक आवेदन तथा रेखांक में रेलवे, सार्वजनिक मार्ग या भवन कार्य के सं०१० में पाईपलाईन की स्थिति विनिर्दिष्ट की जाएगी तथा आवेदन की एक प्रति रेल के मामले में संबंधित रेल प्रशासन को १०00 ०० बताए गए अनुसार सार्वजनिक कार्य के मामले में ऐसे प्राधिकरण को भेजी जाएगी जिसे केन्द्रीय सरकार साधारण या विशेष आदेश द्वारा निदेशित करे...

95. पाईपलाईन का डिजाइन एवं फिटिंग्स :-

1. सभी पाईप, वल्व फ्लेन्ज तथा अन्य फिटिंग्स भारतीय मानक विनिर्देशन या मुख्य निरीक्षक द्वारा मान्य इसके समतुल्य मानकों के अनुरूप होंगे।

2. पाईपलाईन प्रणाली जिनमें राइजर A00 ०00 हैं को इस 000 ० डिजाइन किया जाएगा जो कार्य एवं पर्यावरणीय लोड के तहत इसकी संरचनात्मक संपूर्णता को सुनिश्चित करेगा।

3. राइजर को लैंडिंग स्टेशन केन प्रचालन तथा यान प्रचालन से दूरस्थ क्षेत्र में स्थापित किया जाएगा।

4. पाईपलाईन प्रणाली को आंतरिक रख-रखाव के अनुरूप डिजाइन किया जाएगा।

5. सफाई व निरीक्षण उपकरण हेतु लॉचर तथा रिसीवर को इस प्रकार डिजाइन किया जाएगा कि वे दाब के अधीन नहीं खुले।

6. लोचदार पाईपलाईन प्रणाली तथा इस्पात से भिन्न सामग्री के बने पाईपलाईन प्रणाली प्रयोग कारक तथा यदि उपयोज्य हो, तो लोड एवं सामग्री कारक का निर्धारण किया जाएगा ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि ऐसी प्रणालियों का सुरक्षा स्तर इस्पात के बने पाईपलाईन एवं राइजर के सुरक्षा स्तर से नीचे नहीं है।

7. पाईपलाईन में पृथक्करण वल्व होगा जो रिसाव या आपदा के दौरान आशयित सुरक्षा कार्यों को पूरा करने में सक्रिय होगा।

परन्तु जहाँ विशेष दशायें विद्यमान हैं वहाँ मुख्य निरीक्षक लिखित आदेश तथा A_{00} शर्तों के अधीन जो A_{00} में विनिर्दिष्ट करे इन विनियमों के प्रावधानों से छूट दे सकेगा...

96. पाईपलाईन का बिछाया जाना :-

1. उन विशेष दशाओं के सिवाय जहाँ पाईपलाईन को भू-तल से ऊपर बिछाया जाना आवश्यक है, उन्हें अन्य स्थानों पर भू-तल से कम से कम एक मीटर नीचे बिछाया जाएगा।

2. पाईपलाईन के भूमिगत सेक्शन के मार्ग को मार्कर द्वारा दर्शाया जाएगा तथा मार्ग में किसी भी बिन्दु से कम से कम ऐसे दो मार्कर दिखाई पड़ेंगे।

3. मुख्य निरीक्षक की राय में ऐसा करना जन सुरक्षा के हित में है, तो वह लिखित आदेश A_{00} A_{00}, अभिकर्ता या प्रबंधक A_{00} अपेक्षानुसार जैसा ऐसे आदेश में विनिर्दिष्ट किया जाए पाईपलाईन के पुनः बिछाने, नया करने या मरम्मत करने की मांग कर सकेगा...

4. सार्वजनिक संरचनाओं जैसे सड़क, रेलवे, नदी आदि को पार करने के लिए सक्षम प्राधिकरण से अनु-प्राप्त की जाएगी...

5. जब तक कि भूमि A_{00} A_{00} का पूर्णनियंत्रण नहीं होता है या प्रयोग का अधिकार प्राप्त नहीं A_{00} A_{00}, तबतक पाईपलाईन नहीं बिछाई जाएगा...

6. पाईपलाईन को लगाने के पूर्व पाईपलाईन की सम्पूर्ण लंबाई को अधिकतम मान्य कार्यकारी A_{00} के कम से कम डेढ़ गुणा अधिक A_{00} पर हाइड्रोलिक परीक्षण किया जाएगा तथा प्रत्येक परीक्षण का परिणाम सक्षम व्यक्ति द्वारा अभिलेखित किया जाएगा, जिसपर उप प्रबंधक या प्रबंधक A_{00} A_{00} द्वारा कर तारीख अंकित करेंगे।

7. गैस पाईपलाईन को निम्नांकित से बचाने का पर्याप्त व्यवस्था की जाएगी :-

क. हाइड्रेट फार्मेशन तथा,

ख. 60 किलोग्राम/वर्ग से.मीटर से ऊपर A_{00} के मामले में उच्च एवं निम्न A_{00} A_{00}...

8. पाईपलाईन की स्थिति की निगरानी करने के लिए नियमित अन्तराल पर मानिट A_{00} किया जाएगा जिस संक्षारण परीक्षण भी सम्मिलित होगा।

9. उन स्थानों पर जहाँ पाईपलाईन सार्वजनिक संरचनाओं, रोड, रेल, नदी आदि को पार करते हैं, A_{00} A_{00} निरीक्षण किया जाएगा।

10. सुरक्षित कार्य व्यवहार के अनुसार पाईपलाईन में रिसाव का सुरक्षित एवं सक्षम तरीके से पता लगाने, उन्हें पृथक् करने तथा मरम्मत करने के संबंध में रख-रखाव अनुसूची बनाई जाएगी A_{00} A_{00} का कार्यान्वयन किया जाएगा।

97. सामुद्रिक पाईपलाईन तथा राइजर का बिछाया जाना तथा इनका अनुरक्षण :-

1. A_{00} A_{00} सामुद्रिक पाईपलाईन तथा राइजर को स्वीकृत मानक के अनुरूप बिछाया, संरक्षित और अनुरक्षित किया जाएगा।

2. सभी पाईपलाईन तथा राइजर को आकस्मिक भार तथा यांत्रिक क्षति से बचाया जाएगा।

तेल खान विनियम, 2011

3. पाईपलाईन को इस पर बिछाया जाएगा, जिससे उसका निरीक्षण अनुरक्षण तथा मरम्मती कार्य सुविधाजनक हो।
4. ^0-सामुद्रिक पाईपलाईन के मार्ग को इस ,000 सीमांकित किया जाएगा कि आसपास के जहाज से पाईपलाईन को क्षति न पहुँचे।

तेल खान विनियम, 2011

अध्याय -8 †-०००० सुरक्षा जोन

98. सुरक्षा जोनों को स्थापित करना

- (1) यदि यह सुरक्षा को घ्यान में रखते हुए आवश्यक सम-ना जाए, तो मुख्य निरीक्षक उप-समुद्री सुविधा, पाइपलाइन और केबुल के सिवाय किसी भी भौगोलिक क्षेत्र के †-०००-पास को सुरक्षा जोन घोषित कर सकेगा...
- (2) यदि मुख्य निरीक्षक द्वारा अन्यथा विनिर्दिष्ट न किया गया हो तो, सुरक्षा जोन, सीधे सतह में किसी सुविधा के सर्वोच्च विंदु के उपर, समुद्र तल से अधिकाधिक 500 ००. तक ही फैलाया जाएगा, और क्षैतिज स्थिति म 500 ००. तक सुविधाओं के सिरे से बाहर, जहाँ कहीं भी वह किसी समय में हो, फैलाया जा सकेगा।
- (3) बिना अनु-०० के, कोई भी अप्राधिकृत यान एयरक्राफ्ट †-००० सुरक्षा जोन में, प्रवेश, पार, रुकना अथवा †-०००००० नहीं किया जाएगा।

99. आपातकालीन समय में विनिर्दिष्ट सुरक्षा जोनों की स्थापना एवं प्रतिसंहरण

आपातकालीन समय में मुख्य निरीक्षक पहले से मौजूद, सुरक्षा जोन को आवश्यकतानुसार विस्तार म सकेगा, †-०००० सीमा के अन्दर नए सुरक्षा जोन की स्थापना कर सकेगा यदि वहाँ नियुक्त लोगों की सुरक्षा के विषय में सम्पत्ति के नुकसान को रोकने या पर्यावरण क्षति तथा ऐसे ही अन्य नुकसान को रोकने कि लिए यदि आवश्यक सम-०० •००< ...

100. सुरक्षा जोनों की मानिट,†

स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा निम्न किया जाएगा-

- (a) सुरक्षा जोनों के अन्तर्गत, सभी क्रियाकलापों की मानिटरी
- (b) सुरक्षा जोनों के भीतर अतिक्रमणकारी यानों को सतर्क करना †-००० सुरक्षा जोन के बाहर के पोतों को भी इसक † जानकारी देना यदि यानों, पेट्रोलियम क्रियाकलापों की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न कर सकते हैं, और
- (c) यदि स्थिति ऐसी अपेक्षा करे †-०,०००० यान के प्रवेश † इंकान अथवा रोक लगाना †,† तट रक्षक तथा अन्य सक्षम †धिकारी को † †-००० करना...

101. सुरक्षा जोनों की स्थापना और प्रतिसंहरण करने संबंधी †-०० सूचना

स्वामी, अभिकर्ता, प्रबंधक या संस्थापिन प्रबंधक †-०, †-०००० †-० †-००० की स्थापना एवं उसकी गतिविधियां †-०००-००० अभिकरणों और सक्षम प्राधिकारियों को अधिसूचित की जाएगी।

102. सुरक्षा जोनों में नियंत्रण

- (1) †-०० यान एवं, ऑफ टैंक टैंकर अथवा हेलीकाप्टर सुरक्षा जोनों में हो तो इसका मास्टर संस्थापन प्रबंधक †-०, †-०० गए निर्देशों का पालन करेगा...
- (2) यान टैंकर या हेलीकाप्टर का मास्टर उनके †-० चालन के लिए पर्याप्त सावधानियाँ †-००००, †-०,† यान या टैंकर या हेलीकाप्टर के सुरक्षित संचालन तथा कर्मिंदल की सुरक्षा और संस्थापन या सहबद्ध प्रसुविधाओं से टक्कर से बचाने के लिए उत्तरदायी होगा।

अध्याय -9

गैस, आग से सुरक्षा एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली

103. ज्वलनशील पदार्थों का भंडारण एवं प्रयोग

- (1) कार्य हेतु के उपकरण के टैंक में ईंधन के सिवाय कोई भी ज्वलनशील पदार्थ, किसी भी कुएँ से 30 मीटर की दूरी के भीतर भंडार नहीं किया जाएगा।
- (2) ज्वलनशील द्रवों के हथालन और प्रयोग हेतु सेफ्टी कैनों का प्रयोग किया जाएगा।
- (3) ईंधन के भण्डारण से नाली की दिशा कुएँ एवं उपकरण से दूर होगी...
- (4) किसी भी ज्वलनशील द्रवों का जिसका फ्लैश प्वाँइट 65 डिग्री सेल्सियस से कम है, को सफाई के प्रयोजन में प्रयोग करने के पूर्व लिखित में प्रबंधक, उप प्रबंधक या संस्थापन प्रबंधक की पूर्व अनुमति के बिना प्रयोग नहीं किया जाएगा।

104. हानिकारक एवं ज्वलनशील गैसों के विरुद्ध सावधानियाँ

- (1) किसी भी व्यक्ति को तहखाना, तालाब, गड्ढे किसी सीमित जगह अथवा 'O' खतरनाक जोन अथवा जगह जहाँ लौ किसी कारणवश बुना गया हो, जब तक सक्षम व्यक्ति यह संकेत न दे-दे कि उपरोक्त संकरा क्षेत्र गैस रहित हो चुका है, में तब तक प्रवेश न करने अथवा प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (2) जहाँ उप नियम (1) में वर्णित कोई परीक्षण ज्वलनशील गैस के सांद्रण को उसके निम्न विस्फोटक सीमा से 20 प्रतिशत ज्यादा दर्शाता हो, वहाँ प्रतिष्ठापन के 30 मीटर के मौजूद सभी क्षेत्रों से तुरंत विद्युत उर्जा काट दी जाएगी और कहे हुए क्षेत्र से ज्वलन के सभी स्रोतों को भी हटा दिया जाएगा और जब तक जगह को गैस रहित न कर दिया जाय, तब तक सामान्य काम पुनः प्रारंभ नहीं किया जाएगा।
- (3) स्वचालित मॉनिटरिंग प्रणाली स्थापित की जाएगी एवं अनुरक्षण किया जाएगा जिसमें रणनीतिक बिन्दुओं पर सेंसर स्थित होगा, ताकि चेतावनी प्रणाली सक्रिय हो सके।
- (4) हाइड्रोजन सल्फाइड का पता चलने पर सभी व्यक्तियों जो वेल हेड के उपर या आसपास, ड्रिलिंग, शैकेर क्षेत्र, मड पंप और टैंक के निकट श्वसन उपकरण लगा लेंगे।
- (5) नियंत्रित करने हेतु अपेक्षित व्यक्तियों को छोड़कर शेष अन्य व्यक्तियों को सुरक्षित स्थान पर रखा जाएगा।
- (6) हाइड्रोजन सल्फाइड गैस संसूचकों से पूर्ण की जाएगी और सामान्य प्रचालन पुनः तब ही प्रारंभ किया जाएगा, जबकि संस्थापन प्रबंधक उस क्षेत्र विशेष को गैस रहित न धोषित कर दे।
- (7) ज्वलनशील गैस कब और कहा गयी, उसे कैसे हटाया गया और उसके बाद की गैस की प्रतिशतता का विस्तृत विवरण, इस उद्देश्य के लिए रखी गयी पुस्तक अभिलेखित किया जाएगा। तैयारी, रखरखाव, सफाई, बनाने वाले सक्षम व्यक्ति तारीखबद्ध तैयारी तथा संस्थापन प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित होगा।

105. सुरक्षित दूरी

- (1) कोई भी व्यक्ति कुकर, ऑटोमैटिक, पेट्रोलियम भंडारण टैंक अथवा अन्य ज्वलनशील गैस के स्ट्रॉट आ, 30 मी. के आसपास धूम्रपान नहीं करेगा, न इसकी अनुमति दी जाएगी।
- (2) प्रत्येक खदान में स्पष्ट तौर से 'धूम्रपान निषेध' क्षेत्र निर्धारित किया जाएगा।
- (3) किसी कुएँ स्थान, जहाँ पेट्रोलियम का भण्डार है, 30 मी. की दूरी तक खुली रोशनी अथवा खुली लौ अथवा किसी स्पार्क की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (4) किसी कुएँ, सेपरेटर, पेट्रोलियम भंडारण टैंक से 30 मी. की दूरी तक फ्लेम टाईप ट्रीटर अथवा कच्चा तेल ट्रीटर या अन्य फ्लेम प्रकार के उपकरणों को नहीं रखा जाना चाहिए सिवाय उसके जहाँ फ्लेम प्रकार के उपकरण फ्लेम एरेस्टर के साथ फिट हों।
- (5) पेट्रोलियम भंडारण टैंक अथवा उत्पादन संस्थापन के किसी हिस्से से फ्लेयर-स्टैक 90 मी. आ कम दूरी पर अवस्थित नहीं होगी...

परन्तु जहाँ उपरोक्त प्रावधान किसी कारणवश यदि यह व्यवहारिक न हो तो मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट करके इन विनियमों के विषय में कुछ शर्तों के साथ छूट दी जा सकेगी...

106. आग के विरुद्ध सावधानियाँ

- (1) मृत पत्ते या सूखे वनस्पतियों का संचय या जलाने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और 24 घण्टों की अवधि के उपयोग के लिये जरूरतमंद सामग्रियों के अलावा, किसी भी तेल या गैस का कुआँ या ईंधन टैंक संचय क्षेत्र के 15 मीटर के दूरी के आसपास, दहनशील सामग्रियों संग्रहीत नहीं की जाएगी ...
- (2) जहाँ, किसी कुआँ, सेपरेटर, या संचय टैंक के 30 मीटर के दायरे के आसपास कोई आन्तरिक दहन इंजन स्थित हो,
 - (क) उसका निकास पाईप विद्युत्प्ररोधी होगा, या पर्याप्त रूप से शीत होगा और निकास पाईप का छोर, कुआँ के मुख से दूर, किसी दूसरी दिशा में होगा।
 - (ख) निकास हेतु विविध प्रकार की वस्तु को कवच सील करके रखना चाहिए, ताकि वह उन तरल पदार्थों एवं गैसों के संपर्क से दूर रहे जो उस पर गिर सकता है।
- (3) कुआँ के 30 मीटर के दायरे के अंदर, डीजल इंजन स्थित हो, उसमें शीघ्र ही सुलभ व दूर से नियंत्रण व्यवस्था के साथ एक वायु अंतग्रहण शर्ट ऑफ वाल्व लगा रहेगा।
- (4) फ्लेयर, सेपरेटर, टैंक एवं फ्लेयर लाईन को रिमोट इग्निशन के लिए उचित फ्लेयर के साथ मुहैया कराना चाहिए।
- (5) किसी भी अचल विद्युतीय चार्ज के अपव्यय के लिए सभी संयंत्र, मशीनरी एवं भारी वजन उठाने वाले यंत्रों को अर्थ-संपर्कित किया जाएगा।

107. वेल्डिंग के दौरान सावधानियाँ

- (1) फ्लेम अथवा विद्युतीय वेल्डिंग उपकरण का प्रयोग वेल्डिंग अथवा कटिंग जैसे कार्य हेतु वैसे सक्षम वेल्डर, जो लिखित रूप में प्रबंधक, संस्थापन प्रबंधक अथवा इंजीनियर द्वारा अधिकृत किए गए हो, सिवाय कोई अन्य व्यक्ति को नहीं करेगा।
- (2) द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्रबंधक, उपप्रबंधक या संस्थापन प्रबंधक या प्राधिकृत फ्लेयर द्वारा जब तक लिखित अनुमति, जो कि 'हॉट वर्क अनुमति' कहलाती है, वेल्डर को जारी न

तेल खान विनियम, 2011

किया जाय, जब तक किसी भी वर्गीकृत खतरनाक क्षेत्र में किसी भी वेल्डर द्वारा कोई वेल्डिंग या कटिंग कार्य नहीं किया जाएगा और ऐसी 'हॉट वर्क अनु-00' की प्रतियों को इस कार्य के लिए रखी गई सजिल्द पुस्तक पर भी 00000000 किया जाएगा।

- (3) खतरनाक क्षेत्र में कोई भी वेल्डिंग या कटिंग का कार्य नहीं किया जाएगा, जब तक कि प्राधिकृत सक्षम व्यक्ति द्वारा उचित समय पर, सही तरीके से निरीक्षण न किया गया हो, †00 इस कार्य के लिए रखी गई सजिल्द किताब, जो कि निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा उचित तरीके से तारीख सहित हस्ताक्षरित है में ऐसे निरीक्षण को अभिलिखित किया जाएगा...
- (4) वेल्डिंग एवं कटिंग प्रक्रिया के दौरान वेल्डर को यह सुनिश्चित कि -
 - (क) उस क्षेत्र के सभी ज्वलनशील पदार्थ, तेल ग्रीज, तेल 0 †00;00:00:0000 x 0/4B को हटा दिया जाय ;
 - (ख) कोई माचिस, लाईटर अथवा धुआँ वाले उपकरण अथवा अन्य स्रोत, जिसमें ज्वलनशील गैस को, जलाने की क्षमता हो उसके कार्यस्थल तथा आस-पास के जगहों पर ना हो ;
परन्तु यह कि इस खंड की कोई बात वेल्डिंग टार्च के जलाने या दुबारा जलाने के प्रयोजन के लिए उपयुक्त 00000000 के उपयोग को प्रतिषिद्ध करने वाली नहीं सम-नी जाएगी।
 - (ग) स्पार्क, स्लैग अथवा गर्म धातु से लगने वाले आग को रोकने के लिए पर्याप्त सावधनियाँ ली जाय;
 - (00) तत्काल प्रयोग के लिए पर्याप्त संख्या में अग्निशामक एवं आग से रोकथाम हेतु, अन्य उपकरणों को तैयार रखा जाए ;
 - (00) जब संकरे स्थान पर कार्य चल रहा हो, तब ज्वलनशील गैसों के संचय को रोकने के लिए यांत्रिक साधन द्वारा पर्याप्त वेंटीलेशन लगातार मिलता रहे ;
 - (00) पाईपलाइन जिसमें ज्वलनशील तरल हो, उन पर कार्य के दौरान पाईप को अलग कर दिया जाय, तथा लाईन को सबसे अलग कर दिया जाय। हॉट वर्क हाथ में लेने से पूर्व तरल बहा दिया जाय, या निष्क्रिय गैस या पानी से साफ कर दिया जाय, और हॉट वर्क चलने के दौरान, दबाव के धीरे धीरे बढने के 00000000 पर्याप्त सावधनियाँ बरती जाय।
परन्तु यह कि इस खंड की कोई बात प्रबंधक या संस्थापन प्रबंधक के पहले से लिखित अनु-00 के साथ बहते हुए पाईपलाईन पर हॉट टेपिंग मशीन के प्रयोग 00000000 करनेवाली नहीं सम-नी जाएगी।
- (5) संस्थापन प्रबंधक या इंजीनियर को यह सुनिश्चित करेगा कि जहाँ हॉट वर्क कि अनु-00 जारी की गई है, वेल्डिंग और काटने की कार्य उक्त अनु-00 के अनुसार हो...

108. कोल्ड वर्क अनु-00

- (1) कोल्ड वर्क की अनु-00 020-00क, संस्थापन प्रबंधक या 0000कृत 0000, B द्वारा ही जारी की जाएगी जहाँ अलग-अलग क्रियाकलापों के बीच कार्य माँगों का समन्वय हो जिससे कि नियंत्रण और अनियमित कार्यों के सख्त प्रणाली से उत्पन्न रिस्क से लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित हो
- (2) कार्यस्थल, समय, तारीख और ऐसे कार्य की अवधि, बरती जाने वाली सावधनियाँ, जरूरी कार्यकर्ता, बचाव उपकरण और अन्य सुसंगत विवरण विनिर्दिष्ट करनेवाली, तृतीय अनुसूची 0 विनिर्दिष्ट प्ररूप में ही कोल्ड वर्क की अनु-00 होगी।
- (3) किसी कोल्ड वर्क अनु-00 000 0 कोई यांत्रिक पृथक्करण कार्यप्रणाली समाप्त होगी 000 भौतिक तालाबन्दी और आवश्यक सक्शनों एवं वाल्व को सम्मिलित करे।

तेल खान विनियम, 2011

- (4) कोल्ड वर्क की जारी की गई अनु-00 पत्र की प्रतियाँ, इस प्रकार †×0Ä0×'000 स्थान में प्रदर्शित की जाएगी जिससे कार्यरत व्यक्ति तुरंत ही वह देख और जाँच सके, कि प्रणाली का कौन सा भाग देख-रेख के आधीन है और कार्य के लिए अनुपलब्ध है।
- (5) कोल्ड वर्क अनु-00 पत्र के कार्यान्वित करने के लिए सभी संबंधित व्यक्तियों को, सुसंगत निर्देश जारी किए जाएंगे...

109. अग्नि शामक उपकरण

- (1) प्रत्येक ड्रिलिंग रिग पर निम्नलिखित अग्निशामक प्रणाली और उपस्कर AE0गी-
 - (क) पर्याप्त जल भंडारण, पंपिंग की सुविधाएँ, AE0•0•0 और नोजल,
 - (ख) डेरिक जमीन मुख्य इंजन क्षेत्र, विद्युत यंत्र कीचड की टंकी का क्षेत्र, डीजल भंडारण क्षेत्र और अन्य कमजोर जगहों पर पर्याप्त मात्रा में वाहनीय आग बु-ाने वाले यंत्र...
- (2) हर सामूहिक जमा00 स्टेशन †0, 000000 भंडारण टंकी में निम्नलिखित अग्निशामक प्रणाली और उपस्कर की व्यवस्था की जाएगी...
 - (क) निश्चित स्थानों पर पर्याप्त जल के भण्डारण के साथ पानी का मुख्य धेरा, नलके और वाटर मोनिटर्स को पानी देने वाले पंप व्यवस्थित एवं उसका रख रखाव किया जाएगा, और
 - (ख) स्थायी फोम कनेक्शन के साथ स्थायी छत भंडारण टंकी भी व्यवस्थित की जाएगी।
- (3) उपनियम (1) <00 (2) के प्रावधान के अतिरिक्त क्षेत्रीय निरीक्षक लिखित रूप 0 †0000 «0, 0, <Ä0 ×वशिष्ट विवरण के सचल अग्निशामक उपकरणों के रख रखाव की अपेक्षा कर सकेगा, •00 00E †000 0 ×0निर्दिष्ट करें...
- (4) क्रिसमस ट्री के साथ वेल हेड क्षेत्र के सभी 00AE00 0न आसानी से सुलभ होंगे ताकि बिना कि000 बाधा के बाहरी अग्निशामक का सहयोग हो सके।
- (5) फायर टेण्डर या उप00कर, पर्याप्त संख्या में आपातकालीन समय के लिए उचित जगहों पर 00000 तैयार रखे जाएंगे...
- (6) कोई सक्षम व्यक्ति कम से कम तीन महीने में एक बार हर अग्निशामक का निरीक्षण करेगा और यह सुनिश्चित करने के लिए वह ठीक ठाक काम कर रहा है जितना आवश्यक हो उतना अग्निशामक के गैस को निष्काषित और दुबारा भरेगा...
- (7) †Ä0 ×0नियम के अधीन <Ä00 AE, परीक्षण या दुबारा भरने की क्रिया की रिपोर्ट, दोबारा भरने की क्रिया, और परीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा सम्यक रूप से हस्ताक्षरित और तारीखबद्ध इस प्रयोजन के लिए रखी गई सजिल्द पुस्तक में अभिलेखित किया जाएगा।
परन्तु क्ष00य निरीक्षक, लिखित आदेश द्वारा <Ä00 जगहों में <Ä0 अतिरिक्त अग्निशामक की व्यवस्था की अपेक्षा कर सकेगा, •0Ä00 00E †000 0 ×0निर्दिष्ट करें...

110. अग्नि शामक उपकरण का उपयोग

ड्रिलिंग रिग, वर्क ओवर रिग, वेल हेड संस्थापन, सामूहिक जमा स्टेशन भंडारण टंकी या ऐसे कार्य जहाँ अग्नि शामक उपकरणों के उपयोग की आवश्यकता हो, वहाँ हर कार्यरत व्यक्ति को, नियमित फायर ड्रिल का संचालन करके, ऐसे उपकरणों के प्रयोग का प्रशिक्षण दिया जायगा।

111. आपातकालीन योजना

- (1) प्रबंधक एक आपातकालीन योजना बनाएगा, †0, उसकी एक प्रति क्षेत्रीय निरीक्षक को 000000 करेगा जो उसे 000000 000000 0 000000 ऐसे योजको या परिवर्तनो के साथ जो वह उचित सम-0 अपनी स्वीकृ00 मं सकेगा,
- (2) निम्न आपात स्थितियों के ध्यान में रखते हुए जोखिम निर्धारण करने के 000000 आपातकालीन योजना तैयार की जाएगी :
 - (क) अग्नि;
 - (ख) 2000 †0 ट, विस्फोट, ज्वलन, ज्वलनशील या हानिकारक गैसों का अन्तप्रवाह;
 - (ग) उपकरणों, पाइपलाइनों का फटना होना अथवा पेट्रोलियम का अनियंत्रित रिसाव होना;
 - (0) संरचनाओं की विफलता;
 - (') नौका, हेलीकाप्टर इत्यादि की दुर्घटना;
 - (00) रसायन का फैलना;
 - (") नैसर्गिक आपदायें;
 - (•0) मेन ओवरबोर्ड चिकित्सा हेतु खाली करना; †0,
 - (-0) कोई अन्य आपात स्थिति...
- (3) आपात योजना में निम्न लिखित अंतर्विष्ट होगा-
 - (क) उठाये जाने वाले कदम कब और कहाँ लिए जाने है समेत किसी बड़ी दुर्घटना में उठाये गए कदम...
 - (ख) आदेश के कथन को साफ तौर पर वर्णित करती हुई और आपात स्थितियों में प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारियों को वर्णित करता हुआ संगठन योजना ।
 - (ग) 000000 000000 के संबंध में उप000000 योजना अर्थात निर्माण प्रकार, क्षमता, स्थान , कार्यस्थल और कार्यप्रणाली और
 - (0) किसी विशिष्ट आपातकालीन समय 0, उठाए जाने वाले कदमों की संख्या का विशिष्ट विवरण करती हुई रणनीतिक योजना...
- (4) कार्य योजना स्पष्ट रूप से निम्नलिखित अनुबद्ध करेगी:
 - (i) †000000 < वं संसूचना प्रणाली...
 - (ii) 000000 को अधिसूचित करने की प्रणाली...
 - (iii) †0 000000 000000 के परिणाम को न्यूनतम करने या रोकने के लिए उठाने वाले कदम 000000 प्रत्येक मुख्य कार्मिक के कर्तव्य और उतरदायित्व...
 - (iv) 000000 कब और कैसे †000000 000000 होगा, 000000 क्या और कैसे कार्य होगा ।
 - (v) सहयोगी और बाहरी अभिकरणों समेत सरकारी अभिकरणों 000000 000000 सहायता एवं जानकारीयों ।
 - (vii) कार्य को समाप्त करने के लिए मार्गनिर्देश ।
 - (viii) कार्मिकों को प्रशिक्षित करने और मॉक ड्रिल के लिए योजना ।
- (5) यह प्रबंधक का कर्तव्य होगा कि यह सुनिश्चित किया जाए, कि
 - (क) आपातकालीन योजना के साथ अन000000 के लिए 000000 पर सभी उप000000, सक्षम कार्य ढंग और अच्छे सुधार के अधीन, 30, 000000 000000 000000 000000 अनुरक्षित हों ।
 - (ख) किसी स्वतंत्र सक्षम व्यक्ति द्वारा , सभी आपातकालीन उप000000 के प्रणालीबद्ध परीक्षा के लिए, एक उचित और उपयुक्त स्कीम 000000...

तेल खान विनियम, 2011

- (6) आदेशों पर उपकरण के प्रथम उपयोग के पहले और साथ ही किसी सुधार या संशोधन के ठीक पूर्व, उसकी जाँच की प्रकृति और, प्रबंधक द्वारा विनिर्दिष्ट की जाएगी...
- (7) प्रबंधक योजना को कालिक तौर पर विशेषकर पर कोई परिवर्तन किए जाने से पहले योजना का पुनर्विलोकन करेगा उपांतरण करेगा, अनुमोदन के लिए एक प्रति क्षेत्रीय निरीक्षक को भेजेगा करेगा।

112. सुरक्षा प्रबंधन योजना -

- (1) खदान में होने वाले कार्यों के संबंध में आदेश, अभिकर्ता या प्रबंधक, सुरक्षा प्रबंधन योजना तैयार करेगा :-
 - (क) अधिनियम और इन विनियमों और इनके अधीन बनाई गई उपविधियों और मशीनों की अपेक्षाओं का अनुपालन किसी गतिविधि या उसके संबंध में हो...
 - (ख) सुरक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी निष्पादन सुनिश्चित करने के उद्देश्य से संगठनात्मक संरचना यथास्थान हो।
 - (ग) सुरक्षा एवं स्वास्थ्य के जोखिम का मूल्यांकन हो और व्यक्तियों को जोखिम मशीन या उपकरण जिनके प्रभावित होने की संभावना है, को क्षति को कम करने के लिए, कदम उठाए जाएं...
 - (घ) सुरक्षा एवं स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने और प्रोत्साहन देने विनिश्चय के कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए उचित नियंत्रण हो
 - (ङ) यह विस्तृत एवं समग्र हो...
 - (च) खतरों की पहचान एवं जोखिमों के निर्धारण उपबन्ध है...
 - (छ) यह खतरों को हटाने या जोखिम निर्धारण का उपबन्ध हो...
 - (ज) उपकरण और मशीन के निरीक्षण, परीक्षण, अनुरक्षण का का उपबन्ध हो...
 - (झ) पर्याप्त संसूचना का उपबन्ध हो...
 - (झ) सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक किसी अन्य बात का का उपबन्ध हो।
 - (ञ) मानीटरी संपरीक्षा, पुनर्विलोकन, प्रशिक्षण और निरन्तर वहनीय आदेश का उपबन्ध हो।
 - (ट) मुख्य निरीक्षक द्वारा लिखित में विनिर्दिष्ट किसी और गतिविधि या कार्य का उपबन्ध हो...
- (2) आदेश, अभिकर्ता या प्रबंधक, सुरक्षा प्रबंधन योजना के लिए एक निर्देशिका तैयार करेगा, निर्देशिका की एक प्रति खदान के कार्यालय में उपलब्ध करवाया जाएगी...
- (3) अधिनियम (2) में विनिर्दिष्ट निर्देशिका की एक प्रति, इन विनियमों के होने की तारीख से 180 दिन के अंदर, मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक को प्रस्तुत की जाएगी...
- (4) मुख्य निरीक्षक, उप विनियम (3) के अधीन प्रस्तुत की गई निर्देशिका को या तो अनुमोदन म सकेगा या इसे उपांतरणों के साथ अनुमोदन कर, आदेश भेजेगा...
- (5) सुरक्षा प्रबंधक योजना का समय-समय पर और क्षेत्रीय तौर पर किसी की बदलाव या प्रणाली में परिवर्तन किए जाने के पहले पुनर्विलोकन किया जाएगा, तुरन्त, एक प्रति मुख्य निरीक्षक और क्षेत्रीय निरीक्षक दोनों को भेजेगा...

अध्याय - (10)

अपतट संस्थापनों की सुरक्षा का प्रबंधन

113. सुरक्षा कवच बनाना

- (1) प्रत्येक संस्थापन के साथ-साथ संयुक्त कार्य, यदि कोई हो तो, मालिक, अभिकर्ता या प्रबंधक एक सुरक्षा कवच बनाएगा जो :-
 - (क) डिजाईन तथा प्रचालन के संबंध में सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली पर्याप्त है...
 - (ख) संस्थापन खतरा कार्मिकों पर इसका जोखिम को पहचान, तथा नियंत्रण का उपबंध करें।
 - (ग) संस्थापन में कोई बड़ी आपातस्थिति के समय, व्यक्तियों के लिए पर्याप्त शरणस्थल, तथा इनके सुरक्षित निष्कासन, बचाव तथा खतरों से बचाने का उपाय सुनिश्चित करें ...
- (2) विनियम (1) के अधीन चिन्हित सुरक्षा कवच की एक प्रतिलिपि तथा प्रबंधन द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किया हुआ, संस्थापन में कार्य आरंभ करने के कम से कम 90 दिनों के पहले मुख्य निरीक्षक या क्षेत्रीय निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा ...

परंतु उन संस्थापनों की बाबत जहाँ कार्य प्रारंभ हो चुका हो, सुरक्षा कवच को बनाकर तथा इन विनियमों के लागू होने की तारीख से 180 दिनों के अंदर जमा किया जाएगा ...
- (3) विनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट, सुरक्षा कवच का प्रत्येक पाँच साल में एक बार, या आवश्यकतानुसार कम अन्तराल पर संशोधन तथा आधुनिक बनाया जाएगा तथा इनकी एक प्रति प्रबंधक द्वारा विधिवत् हस्ताक्षर कर क्षेत्रीय निरीक्षक को प्रस्तुत किया जाएगा।
- (4) क्षेत्रीय निरीक्षक सुरक्षा संबंधी उपांतरण की अपेक्षा कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे...

114. अपतट संस्थापनों की उपयुक्तता

- (1) मौसम की पूर्व जानकारी, सामुद्रिक दशा, वातावरण तथा समुद्र-तल की दशा के अधीन अपतट पर बनने वाला, लगने वाला अपतट संस्थापन उसके रख-रखाव के लिए उचित आवश्यक कदम उठाए जाएंगे...
- (2) विनियम (1) के आधार पर, अधीन विनिर्दिष्ट कदम के तहत संस्थापनों की आकृति तथा बनाबट का आकलन होगा एवं वातावरण जिसके तहत यह मान्य स्तर पर व्यवहार किया जाता है, से संबंधित होगा।
- (3) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 के उपबंधों के अधीन समुद्र किनारे स्थित सभी संस्थापनों के पास एक मान्य उपयुक्तता प्रमाण होगा ...

परन्तु इन विनियमों के लागू होने के पहले यदि यह संस्थापन के लिए आवश्यक, तो विनियमों के लागू होने के छः महीने के भीतर उपयुक्तता प्रमाण प्राप्त किया जाय।

115. अपतट संस्थापनों की पहचान-

प्रत्येक अपतट संस्थापन में इनका नाम या अन्य पदनाम, इस ढुबऱु ० ०ऱुऱुऱु किया जाएगा, कि जलयान या वायुयान ० संस्थापन को शीघ्र पहचाना जा सके तथा इस तरह सुसज्जित किया जाएगा, जिससे अंधकार के समय तथा खराब मौसम में दिखाई देने या सूचित करने में सहायक हो ...

116. पानी के अंदर अभियान-

- (1) ०ऱुऱु ०ऱु, अभिकर्ता या प्रबंधक यह सुनिश्चित करेगा कि सुरक्षित ०चालन के लिए सभी तरह के गोता वाला क्रिया-कलाप सुरक्षा प्रबंधन तंत्र के साथ तालमेल में होगा...
- (2) गोता वाला सुरक्षा प्रबंधक तंत्र संबंधित निरीक्षण अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त स्तर पर आधारित होऱु ०ऱुऱु इनमें रूपरेखा, रख-रखाव तथा गोता डुकाई एवं उपकरण की जाँच, गोता लगाने वाला व्यक्ति का प्रशिक्षण, जोखिम का विश्लेषण जिसमें टकराव से बचाव, सुरक्षित कार्य मैनुअल या कार्य विधि द्वारा गोता के विभिन्न स्तर पर होगा ...
- (3) जोखिम तथा दुर्घटना जिसमें लापता घंटी तथा फंसे हुए चालक होते हैं, की विशेष परिस्थिति के लिए आपातकालीन पद्धति को बनायऱु ०ऱुऱु ०ऱुऱु किया जाएगा ...

117. खराब मौसम में अभियान-

- (1) ०ऱुऱु ०ऱु, अभिकर्ता, प्रबंधक या संस्थापन प्रबंधक खराब मौसम की पहचान करेगा ०ऱुऱु ०ऱुऱु परिस्थिति तथा ज्यादा लहरों के उठने की स्थिति में पर्याप्त पूर्वावधानिया बरतेगा। परन्तु खराब मौसम ० कार्य को स्थगित किया जाएगा, तथा कार्यरत व्यक्तियों को पहले ही सुरक्षित स्थान में निकाल लिया जाएगा ...
- (2) ०ऱुऱु ०ऱु, अभिकर्ता, प्रबंधक या संस्थापन प्रबंधक यान और संस्थापन के बीच में व्यक्तियों तथा सऱुमान को सुरक्षित स्थान में निकालने का प्रबंध सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त कदम उठाएगा...
परन्तु ०ऱु ०ऱुऱु ०ऱु या अनुपयुक्त होने पर उपर्युक्त कार्य बंद कर देंगे।

118. छोड़ने के पहले कुएं की सुरक्षा-

- (1) सभी कुओं को छोड़ने के पहले अच्छी तरह सुरक्षित किया जाएगा, ताकि इनको छोड़ने के दौरान इनकी अखंडता बना रहे।
- (2) यदि कुंओं को ०ऱुऱु महीनों से ज्यादा दिनों तक अस्थायी रूप से बंद करने की योजना बनाई गई है तो उप समुद्र में पूर्ण कुंओं की अखंडता को मानीटर किया जाएगा ...
- (3) कुंओं की अखंडता के नियंत्रण को अस्थाई तौर पर बंद कुंओं द्वारा पुनः जोड़कर सुनिश्चित किया जाएगा।

- (4) कुंओं में विकिरण युक्त स्रोतों को नहीं छोड़ा जाएगा ...परन्तु विकिरण युक्त स्रोतों का पता लगाना † ॐ३०॥ होने पर परमाणु उर्जा विभाग, भारत सरकार के *५०००-निर्देश के अनुसार इन्हें उचित बंद करने वाला तरीके को अपनाकर छोड़ दिया जाएगा ...

119. कार्य करने का अनु-०० ०००-

- (1) ॐ० ०० तट से दूर एक ५० ६३ ००, ००६००० ०० जहाँ कार्य के दौरान जोखिम उठता हो तथा वहाँ सुरक्षा के कठोर तंत्र के सुनिश्चितता की आवश्यकता है, तो यह सुनिश्चित किया जाएगा कि इस तरह का कार्य ॐ००००००० प्रबंधक द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा लिखित निदेश के अनुसार किया जाएगा ...
- (2) कार्य अनु-०० स्थान, तारीख, समय, इस तरह के कार्य अवधि सावधानियों † ००, लागू करने के लिए *०० ००००, व्यक्ति को विनिर्दिष्ट किया जाएगा...
- (3) कार्य प्रणाली की अनु-०० सुरक्षा प्रबंधन योजना का भाग होगा।
- (4) विभिन्न रंगों का अनु-०० पत्र विभिन्न तरह के कार्य के लिए तथा अवधि, जिसमें कार्य की अनु-०० मान्य रहेगी जारी किया जाएगा ...
- (5) कार्य पद्धति की सभी अनु-०० को एक यांत्रिक पृथक पद्धति में समाविष्ट किया जाएगा जो वास्तविक बंदी को शामिल करता हो तथा अलग करने वाला वाल्व को दर्शाता हो।
- (6) कार्य करने की अनु-०० तथा इनका अंततः अलगाव दोनों यांत्रिक तथा विद्युतीय, जिनके लिए अनु-०० पत्र पर हस्ताक्षर किया गया हो को प्रर्याप्त रूप में काम होने तक तथा उपकरणों के अभियान में लौटने तक जारी रखा जाएगा ...
- (7) सभी जारी अनु-०० पत्र क० प्रति को एक सुविधाजनक जगह पर प्रदर्शित किया जाएगा तथा इस तरीके से कि यह देख सके कि कौन सा उपकरण रख-रखाव के अधीन है, तथा कार्य के लिए ०००००००० नहीं ६ ...
- (8) ॐ००० ००, अभिकर्ता तथा प्रबंधक सभी व्यक्तियों, अपना तथा ठीकेदार का, प्रशिक्षण-प्राप्त कराने के लिए उत्तरदायी होंगे। कार्य के तरीके को विस्तृत अनु-०० के तहत जहाँ इन व्यक्तियों को पद के अनुसार कार्य या प्राधिकृत कार्य की जरूरत ०० ६० † ०, इस तरह के प्रशिक्षण के अभिलेख को रखा जाएगा तथा व्यक्तियों द्वारा इस तरह के लिए हुए प्रशिक्षण का लिखित प्रमाण रखा जाएगा।

120. कार्य के लिए अनु-०० को स्थगित करना-

- (1) शिफ्ट के अंत में जब कार्य को स्थगित करना है, कार्य कराने वाले प्राधिकारी के द्वारा कार्यस्थल के निरीक्षण के बाद अनु-०० पर यह दर्शाते हुए कि, कार्य स्थगित किया जाता है, हस्ताक्षर किया जाएगा तथा इसे मनोनीत प्राधिक०,० को लौटा दिया जाएगा।
- (2) मनोनीत प्राधिक०,० कार्य के सुरक्षित स्थगन क० सुनिश्चितता के लिए कार्यस्थल का निरीक्षण करेगा, तथा अनु-०० ००० ००, तदनुसार हस्ताक्षर करेगा...
- (3) अनु-००, स्थगित अनु-०० के साथ, अनु-०० कार्यालय अथवा नियंत्रण कक्ष में, एक प्रमुख स्थान ॐ०००० ०० से अवस्थित किया जाएगा।

तेल खान विनियम, 2011

- (4) कार्य की अनुमति को दूबारा जारी करने के पूर्व, नामित प्राधिकारी को यह सुनिश्चित करना होगा कि कार्यस्थल का दुबारा निरीक्षण किया गया है तथा यह सुनिश्चित करेगा कि जरूरत की चीजें अभी तक अपनी जगह पर हैं ।

121. अपतट संस्थापनों पर आग तथा विस्फोटको से रोकथाम-

- (1) अधिकारी, अभिकर्ता या प्रबंधक संस्थापन में आग के खतरों से संबंधित एक विश्लेषण क्षेत्रीय निरीक्षक को कार्य शुरू करने के 30 दिन पहले जमा करेगा ...

परंतु विद्यमान संस्थापनों के मामले में आग से संबंधित विश्लेषण को इस नियम के लागू होने के 60 दिनों के अंदर जमा किया जाएगा...

- (2) आग तथा विस्फोटकों से बचाव को सक्रिय तथा निष्क्रिय रूप से संस्थापन के ढांचा में सम्मिलित करना या दोनों का संयोजन कर उनका पूर्णतया का आकलन करके कम करने का उपाय सहित, पेट्रोलियम संपत्ति सूची को कम करना, ज्वलनशील तरल के कचरा का निकालना संयंत्र में दोषपूर्ण क्षेत्र के अधिक खतरनाक क्षेत्र से अलग करने का खाका तैयार करना, रिसाव को छितराने के लिए वायु संचार, ज्वलनशील को अलग करना, आग तथा गैस को जल्दी पहचान करने वाला यंत्र, आगरोधी दीवार, फर्श तथा छत से आग को सीमित करना, संयंत्र के बनाबट द्वारा अत्यधिक दबाव को कम करना, छिद्र तथा प्रक्षेपास्त्र को कम करना भी सम्मिलित होगा...

- (3) अन्य उपाय, आग प्रभावित तंत्र सहित, जो आग से लड़ने के लिए इस तरह बनाया जाएगा कि गंभीर दुर्घटना में भी सक्रिय रहे ।

122. आपातकालीन शट-डाउन प्रणाली तथा आग शट-डाउन प्रणाली -

- (1) प्रत्येक प्रकिया समूह में एक आपातकालीन शट-डाउन प्रणाली तथा आग शट-डाउन प्रणाली मौजूद जाएगी ।

- (2) विनियम (1) के में निर्दिष्ट आपातकालीन शट-डाउन प्रणाली में सभी कुएँ तथा सभी चालू गतिविधि को, आपातकालीन समय में जरूरत होने वाला उपक्रम को छोड़कर, बंद करने में सक्षम होगा ...

- (3) आपात कालीन शट-डाउन प्रणाली एवं आग शट-डाउन प्रणाली फ्लो लाइन से पेट्रोलियम के ब्लिडिंग फ्लो में सक्षम होगी...

- (4) आग से प्रभावित क्षेत्र में, आग शट-डाउन प्रणाली स्वचालित आग बु-ाने में सक्रिय करने में सक्षम होगी ।

- (5) विनियम में विनिर्दिष्ट प्रकिया के अधिकारी को सुविधाजनक रणनीतिक बिन्दु पर तथा अच्छी तरह चिन्हित किया जाएगा...

123. तट कुआँ में सुरक्षा वाल्व -

प्रत्येक वाल्व हेड के अतिरिक्त, अनुमोदित मानक स्तर के अनुसार सब-ऑफिशियल तट कुआँ हेड सारफेस सेफ्टी वाल्व को प्रत्येक कुएँ के ऊपर अच्छी तरह रख-रखाव के साथ अन्य ऊपरी तट पर उपलब्ध कराया जाएगा ।

124. आपातकालीन जीवन बचाव यान-

- (1) प्रत्येक अपतट संस्थापन 100 तरह बंद मोटर चालित जीवित बचाव यान जिसमें पूरी तरह, प्रयाप्त मात्रा में संयंत्र में काम करने वालों में से 150% व्यक्ति समा सके तथा यह अस्थायी सुरक्षा रेप्युज के पहुँच में होगा ।
- (2) प्रत्येक 1000 संस्थापन पर लाईफ राफ्ट जिसमें कुल प्रयाप्त मात्रा में सुरक्षित तरीके से कम से कम संस्थापन 10 मौजूद व्यक्ति समा सके, उपयुक्त रस्सियों या चढ़ने के लिए जालों के साथ उपलब्ध कारवाई जाएगी, जिसमें उन्हें पानी में उतारने या तैनात करने के पश्चात् व्यक्तियों की पहुँच सुगम हो सके...
- (3) किसी अपतट संस्थापन या अपतट संस्थापन के समूह के आसान पहुँच के अंदर, निश्चल स्थिति में जलयान 100 कराया जाएगा, जो निम्नलिखित सुविधाओं के साथ युक्त और अनुरक्षित होगा...
 - (क) इनकी गतिविधियाँ बहुत ही नियंत्रित, योजना बद्ध होगी और यह अपनी जगह बनाए रखने में 100 होगा ...
 - (ख) यह पुल से हर दिशा में वाटर लाईन को पूर्ण रूप से दृष्टिगोचर होगा...
 - (ग) इसके पास कम से कम 360 डिग्री सर्च लाइट होगी जो रिमोट द्वारा नियंत्रित हो सके ।
 - (घ) इसके पास दो तेज गति बचाव नाव होंगे 10 सामान्य समुद्र की स्थिति में 25 नॉअ पर यात्रा करने के योग्य हो ।
 - (ङ) खंड (घ) में निर्दिष्ट 10 गति बचाव नाव रेडियो संपर्क सुविधाएँ एवं प्रयाप्त वहनीय सर्च लाइट के साथ व्यवस्थित किया जायेगा ।
 - (च) 10 बचाव नाव को शीघ्र पानी में उतारने के साधन होंगे...
 - (छ) 10 गति बचाव नावें, संस्थापन, नजदीकी जलयान और तट के साथ रेडियो द्वारा संपर्क के प्रयाप्त साधन होंगे ...
 - (ज) इसके पास समुद्र से उत्तरजीवियों के पुनः प्राप्ति की कम से कम दो विधियाँ होंगी...
 - (झ) इसमें समुचित संख्या में कर्मीदल सदस्य रहेंगे और यह सभी समय कार्य करने की स्थिति में होगा ।
 - (ञ) निश्चल स्थिति में जलयानों के नाविक दल को उत्तरजीवियों के बचाव के व्यवहारिक पहलू समेत प्रयाप्त प्रशिक्षण प्रदान किए जायेंगे और तट पर अभिलेख अनुरक्षित किया जाएगा...
- (4) संस्थापन 100 संस्थापन प्रबंधक या अन्य व्यक्ति आपातकालीन स्थिति में ड्रिल तथा कार्य के दौरान निर्णय लेने के लिए प्रशिक्षित होंगे ...
- (5) ड्रिल तथा कार्य में सावधानियों का निश्चित अंतराल पर आकलन किया जाएगा तथा इस तरह के आकलन का अभिलेख रखा जाएगा ।

125. हेलीकाप्टर से परविहन-

- (1) हेलीकाप्टर, संस्थापन तथा बेस के बीच जबतक रेडियो तथा दृष्टि संपर्क ना हो तब तक कोई भी हेलीकाप्टर, संस्थापन से नहीं उड़ेगा और न उस पर उतरेगा ।
- (2) हेलीकाप्टर के गतिविधि के दौरान संस्थापन तथा उनके आस-पास में मौजूद व्यक्तियों के सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सभी तरह के सुरक्षा उपाय किया जाएंगे जिसमें निम्नलिखित सम्मिलित -

तेल खान विनियम, 2011

- (a) यान •00 †0Ä0- ास हो सकत Ä ; †0,|
- (b) क्रेन का चलना-फिरना जो हैलीकाप्टर के प्रचालन को खतरा पैदा कर सकता है ।
- (3) किसी भी समय वायुगति तथा दिशा, हवा का तापमान तथा बैरोमीटर का दबाव सुनिश्चित करने के लिए उचित व्यवस्था होगी ...
- (4) संस्थापन के संदर्भ में एक तरीके का निर्माण किया जाएगा •00 ^0*00नियम(3) के अधीन विनिर्दिष्ट आँकड़ा पर निरंतर तथा क्रमवार निर्धारण तथा स्पष्टता, बादल से भरा तथा ढकाँ हुआ भी दर्ज होगा...
- (5) नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा निर्देशित हैलीकाप्टर के गतिविधि को सुनिश्चित करने के लिए प्रयाप्त तथा उचित उपकरण दिया जाना चाहिए ।
- (6) प्रबंधक द्वारा सिविल एविएशन के महानिदेशक के साथ परामर्श कर सावधानियों का संकेत, जो सुरक्षा दिशानिर्देश को चिन्हित करता हो,- हैलीकाप्टर के रख-रखाव, इंधन भरना, प्रत्येक दिन की जाँच, विभिन्न व्यक्तियों का कार्य, हैलीकाप्टर के गतिविधि का चेकलिस्ट बनाकर संबंधित व्यक्तियों को ^0»02-0 कराएगा...
- (7) Ä0 0;| 00™ Ä0 म, 0ÄE0V0 संस्थापन पर हैलीडेक गतिविधि के नियंत्रण हेतु संस्थापन पर नियुक्त दक्ष व्यक्ति मौजूद रहेगा...
- (8) अपतट संस्थापन पर हैलीकाप्टर के उड़ने तथा उतरने के पहले उपयुक्त कर्तव्य एक दक्ष व्यक्ति द्वारा किया जाएगा...
- (9) संस्थापन तथा व्यक्तियों को संकट में डाले बिना, हैलीकाप्टर के सुरक्षित उड़ने तथा उतरने के लिए उपकरण तथा प्रक्रियाओं का निर्माण किया जाएगा...

126. उतरन का क्षेत्र-

- (1) हैलीकाप्टर के उतरने का क्षेत्र जहाँ निर्धारित किया गया है, सीमा का निर्धारण तथा रख-रखाव नागर विमानन के महानिदेशक द्वारा तय मापदण्ड के अनुरूप होना चाहिए ।
- (2) संस्थापन 0, 0ÄE0V0 Ä»0ीपेड की Ä0V0Ä †Ä0 00,Ä की होगी जो प्रयाप्त मात्रा में घर्षण को सह सके तथा हैलीकाप्टर के फिसलन को रोके ।

127. हैलीकाप्टर की गतिविधि का नियंत्रण-

- (1) प्रत्येक संस्थापन पर हैलीकाप्टर अवतारण पदधारी के रूप में एक सक्षम व्यक्ति की नियुक्ति होगी, •00 संस्थापन पर हैलीकाप्टर के गतिविधि के नियंत्रण का जिम्मेवार होगा ।
- (2) हैलीक0™, अवतारण पदधारी के रूप में कोई भी व्यक्ति की नियुक्ति तब तक नहीं होगी, जब तक कि वह प्रयाप्त स्तर पर प्रशिक्षण तथा लिखित रूप से संस्थापन प्रबंधक द्वारा अधिकृत नहीं होगा ।
- (3) संयंत्र अथवा बेस अथवा हेलीकॉप्टर के आसपास, हेलीकाप्टर की गतिविधि में जुड़े सभी व्यक्तियों को शीघ्र तथा प्रभावशाली तरीके हेलीकाप्टर अवतारण पदधारी के नियंत्रण में होना चाहिए ।

128. Ä0 0;| 00V0 Ä0 परिवहन

- (1) समुद्र में व्यक्तियों के संस्थापन से परिवहन के दौरान उनकी सुरक्षा के लिए प्रयाप्त सावधानियाँ 20, 00B जाएगी...

तेल खान विनियम, 2011

- (2) यह सुनिश्चित किया जाएगा कि, जब कोई व्यक्ति को यान $\bar{A}\bar{O}$ संस्थापन या संस्थापन $\bar{A}\bar{O}$ यान \bar{O} स्थानांतरित हो रहा हो, इनके सुरक्षित स्थानांतरण के लिए प्रर्याप्त व्यवस्था।
- (3) कोई भी स्थानांतरण यान $\bar{A}\bar{O}$ संस्थापन में अथवा उल्टा अशांत समुद्र में नहीं किया जाएगा...
- (4) सावधानियों का संकेत, जो सुरक्षा दिश \bar{O} -निर्देश को चिन्हित करता हो, पोत के रख-रखाव, प्रत्येक दिन की जाँच, व्यक्तियों के कार्य तथा पोत का चेकलिस्ट, प्रबंधक द्वारा तैयार कर संबंधित व्यक्तियों को उपलब्ध कराया जाएगा।

129. संस्थापन के लिए जीवन रक्षक उपकरण

- (1) वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम के प्रावधानों के अनुसन्धान में, प्रत्येक संयंत्र में उचित जीवन रक्षक उपकरण जैसे - $\bar{O}\bar{O}\bar{O}\bar{O}$, $\bar{O}\bar{O}\bar{O}\bar{O}$, $\bar{O}\bar{O}\bar{O}\bar{O}$ - बोर्ड, लाइफ जैकेट, वर्किंग वेस्टस, स्क्रम्बलिंग नेट, एवं बचाव लेडर्स, बचाव कैप्सूल इत्यादि को प्रर्याप्त मात्रा में उचित रख रखाव के साथ, $\bar{O}\bar{O}\bar{O}\bar{O}$ कराया जाएगा।
- (2) $\bar{O}\bar{O}$ -विनियम (1) \bar{O} वर्णित जीवन-रक्षक उपकरण निम्नलिखित प्रकार का होगा -
(क) संख्या ग्रहिता, प्रकार, तथा बनावट मान्य स्तर के अनुसार...
(ख) अच्छा रख-रखाव तथा कार्यरत स्थिति में होना।
- (3) उप विनियम (1) में वर्णित सभी व्यक्तियों को जीवन-रक्षक उपकरण के प्रभावी तरीके से उपयोग हेतु अच्छी तरह प्रशिक्षित किया जाएगा...
- (4) अंधकार में व्यक्तियों को खोजने में सहायता के लिए, लाइफ जैकेट में छोटा ट्रांस $\bar{O}\bar{O}$, $\bar{O}\bar{O}\bar{O}\bar{O}$ डिटेक्टर हो \bar{O} , गाढ़ा एवं चमकीला धारी नारंगी रंग से अलग रंग का $\bar{A}\bar{O}$ \bar{O} , $\bar{A}\bar{O}\bar{O}$...

130. संस्थापन से बचाव के साधन तथा मार्ग

- (1) प्रत्येक संस्थापन पर परित्यक्त क्षेत्र तथा समुद्रतल से निष्कासन का रास्ता प्रर्याप्त तथा उचित रख-रखाव के साथ हो \bar{O} ...
- (2) बचाव का रास्ता :
(क) अवरोध रहित एवं उचित रख रखाव वाला होगा ;
(ख) चमकने वाल चिन्ह से अच्छी तरह चिन्हित होगा ;
(ग) असरदार सुरक्षित होगा।
- (3) बचाव के साधन, जो उपकरण का भाग हो, तथा जो $\bar{A}\bar{O}\bar{A}\bar{O}$ पन का भाग न बनता हो, को अच्छी तरह चिन्हित करके इस तरह रखा जाएगा, कि तुरंत उपयोग के लिए उपलब्ध हो सके।

131. मानवरहित प्लेटफार्म

- (1) किसी अलग किए हुए क्षेत्र में कार्य हेतु अथवा मानव रहित प्लेटफार्म पर दो व्यक्ति से कम को जाने या रहने की अनुमति नहीं दी जाएगी...
- (2) सभी मानवरहित प्लेटफार्म को प्रर्याप्त तरीके से सुसज्जित किया जाएगा, जिससे कार्यरत व्यक्तियों सुरक्षित वातावरण मिले ...

132. जहाज पर चिकित्सा अधिकारी

- (1) प्रबंधक अथवा अभिकर्ता को यह सुनिश्चित करेगा, कि प्रत्येक मानव युक्त संस्थापन, इनके आकार पर निर्भर करता है एक प्रशिक्षित चिकित्सा अधिकारी अथवा एक पैरामेडिक हर वक्त उपस्थित रहेगा...
- (2) जहाज में मौजूद चिकित्सा अधिकारी बिमारी अथवा चोट के रोकथाम के लिए, अच्छे स्वास्थ्य को निम्नलिखित के द्वारा बढ़ावा देगा...
 - (क) कार्यस्थल के ऐसे लक्षण जो स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकते हैं, पर जानकारी का संग्रह एवं रिकॉर्डिंग;
 - (ख) यह सुनिश्चित करना, कि स्वच्छता का पर्याप्त स्तर बना रहे;
 - (ग) उसके जिम्मे के क्षेत्र के अंतर्गत पर्याप्त निवारक कार्रवाई करना;
 - (घ) बिमारी और चोट की पहचान तथा ईलाज और दुर्घटना के बाद प्राथमिक चिकित्सा;
 - (ङ) बिमार और घायल के अवाजाही समेत स्वास्थ्य के आपातकालीन तैयारी को सामान्य आपातकाल तैयारी में सम्मिलित करना;
 - (च) संस्थापन पर संक्रामक बिमारियों के फैलाव के रोकथाम के लिए कदम उठाना।

133. आरक्षण देना

- (1) किसी प्रकार सुविधा दिए गए व्यक्तियों की संख्या, उस संख्या से अधिक नहीं होगी, जितने के लिए यह सुविधा तैयार की गई हो।
- (2) किसी प्रकार सुविधा दिए गए व्यक्तियों की संख्या, आपातकालीन स्थितियों में और सुरक्षा पदाधिकारी के विचार-विमर्श के बाद उस संख्या से ज्यादा नहीं हो सकेगी, जितने के लिए यह सुविधा तैयार की गई है...
- (3) विनियम के अधीन आरक्षण की अवधि तथा सीमा के संबंध में जब निर्णय लिए जाएंगे परिणाम पर विचार किया जाएगा, और सुरक्षा और बाकी बचे मुआवजों को सुनिश्चित करने के लिए क्षतिपूर्ति कार्रवाई की जाएगी...

अध्याय -11

मशीन, संयंत्र तथा उपकरण

134. कतिपय मशीनों तथा उपकरणों का उपयोग

- (1) मुख्य निरीक्षक समय-समय पर, अधिसूचना द्वारा कलपुर्जे, उपकरण, मशीने तथा अन्य सामान, जो खान में उपयोग किया जा सके को, चिन्हित कर सकेगा, जो इस तरह तथा मापदंड के अनुरूप और मुख्य निरीक्षक द्वारा, साधारण आदेश द्वारा स्वीकृत तथा जहाँ मुख्य निरीक्षक द्वारा चिन्हित, अन्य तरह के पुर्जों उपकरण तथा मशीन तथा अन्य सामग्री के अलावा, कोई भी पुर्जे, उपकरण तथा मशीन या सामग्री, जो मुख्य निरीक्षक द्वारा स्वीकृत न हो, को भी खदान में उपयोग नहीं किया जाएगा...
- (2) जहाँ मुख्य निरीक्षक या क्षेत्रीय निरीक्षक के विचार में कोई भी पुर्जे, उपकरण तथा मशीनें या अन्य सामग्री, जो उपविनियम (1) के अधीन अधिसूचित न हों, खान में नियुक्त व्यक्ति की जीवन या सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो मुख्य निरीक्षक लिखित रूप में इस तरह के पुर्जे, उपकरण तथा मशीनों का किसी भी खान में उपयोग वर्जित कर सकेगा।

135. चलन्त क्रेन का उपयोग-

- (1) चलन्त क्रेन का निर्धारित क्षमता से ज्यादा भार उठाने में उपयोग नहीं किया जाएगा...
- (2) चलन्त क्रेन में, निर्धारित भार से ज्यादा होने की चेतावनी देने के लिए सुरक्षित भार सूचक होगा।
- (3) सुरक्षित कार्यभार दर्शाने के लिए भार रेडियस सूचक रखा जाएगा, जिसको क्रेन चालक आसानी से देख सके।
- (4) क्रेन के उठाव, लहराने तथा बूम के फैलाव को सीमित रखने के लिए एक गति रोधक उपकरण रखा जाएगा।
- (5) क्रेन में असरदार ऑडियो विजुअल अलार्म होगा, जो क्रेन के उल्टी दिशा में चलने पर स्वतः शुरू होगा...
- (6) संचालित भार की निगरानी के लिए क्रेन चालक को दृष्टि साफ होगी, तथा जहाँ यह संभव नहीं, वहाँ उचित सिग्नल प्रणाली होगी, जो सुरक्षित संचालन कर सके।
- (7) केवल प्रमाणित तथा सुरक्षित स्लिंग का उपयोग किया जाएगा...
- (8) केवल दक्ष तथा प्रशिक्षित क्रेन चालक को ही चलाने की अनुमति दी जाएगी।
- (9) दक्ष व्यक्ति द्वारा एक निश्चित अवधि पर, चलन्त क्रेन का परीक्षण किया जाएगा, तथा प्रबंधक तथा प्रबंधक या संस्थापन प्रबंधक के द्वारा तय मानक के तहत जाँच की जाएगी तथा निरीक्षण करने वाले व्यक्ति द्वारा निरीक्षण को दर्ज किया जाएगा।

136. उठाव वाले कल उपकरण तथा गिर्यस-

- (1) व्यक्तियों की सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए, उठाव वाले यंत्र, गियर प्रणाली का रख-रखाव तथा प्रचालन किया जाएगा।

- (2) आकृति संरचना, उठाने वाले उपकरण का संस्थापन, गियर्स, तार प्रमाणित मापदंड के अनुसार...
- (3) चयनित उपकरण तथा गियर्स, *0000 प्रयोजन के लिए है, वे उनके अनुरूप हों।
- (4) उठाव कार्य में लगे व्यक्ति को सुरक्षित कार्यान्वयन के लिए कार्य से संबंधित प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा...

137. खतरनाक क्षेत्र का वर्गीकरण:

मुख्य निरीक्षक या इस तरह के सहायक द्वारा सहयोगित निरीक्षक तथा इस तरह का अन्वेषण के आवश्यक आ-खान के क्षेत्रों को विभिन्न संभावित खतरों की डिग्री के आधार पर वर्गीकृत किया जाएगा।

138. खतरनाक क्षेत्र में विद्युतीय उपकरणों का उपयोग:

- (1) जोन 'O' खतरनाक क्षेत्र में विद्युतीय उपकरण, उपकरण या मशीनरी प्रकाशीय यंत्र के उपयोग नहीं की जाएगी...
- (2) मुख्य निरीक्षक समय-समय पर, 0.0000 0 1x000000 द्वारा जोन 1 तथा जोन 2 के खतरनाक क्षेत्र में उपयोग करने या कर सकने वाला उपकरण, उपकरण तथा मशीनरी चिन्हित कर सकेगा... 0000 तरह के उपकरण, उपकरण या मशीनरी को मुख्य निरीक्षक द्वारा स्वीकृत प्रकार; मानकता को लिखित रूप में साधारण या विशेष आदेश के तहत दिया जा सकता है। कोई उपकरण, उपकरण या मशीनरी जो मुख्य निरीक्षक द्वारा स्वीकृत न हों, खतरनाक क्षेत्र में उपयोग नहीं किया जाएगा।

139. मशीनरी का निर्माण तथा रख-रखाव:

सभी तरह के पूर्ण तथा कार्यरत गियर जो बैठाया हो या सहायक यंत्र के साथ हिल सकने वाला तथा व्यवहार में आया उपकरण खान उपयोग संयंत्र का भाग तथा स्थापित या कोई भी जुड़ा हुआ उपकरण अच्छी तरह निर्मित सामग्री, पर्याप्त दृश्यमान से मुक्त होगा और उचित रख रखाव किया जाएगा।

140. रख-रखाव का तरीका:

- (1) संस्थापन में सभी तरह के मशीनरी तथा सग्री को रक्षपूर्ण कार्यादेश तथा अ 0000 0000 0 रखरखाव किया जाएगा।
- (2) मशीनरी तथा यंत्र के रख-रखाव की एक प्रक्रिया तैयार की जाएगी।
- (3) उपविनियम (2) में निर्दिष्ट प्रक्रिया :
 - (क) परीक्षण की प्रकृति और बारंबारता को विनिर्दिष्ट करेगी,
 - (ख) स्थापित मशीनरी तथा उपकरण को उपयोग में लाने के पहले तथा भारी परिवर्तन तथा मरम्मत के पहले तथा बाद में जहाँ उचित हो परीक्षण का उपबंध करेगी।
- (4) 0000000000 (3) के अन्तर्गत परीक्षण की मशीनरी तथा यंत्रों की गंभीरता पूर्वक पड़ताल, चालू या खराब स्थिति में होना उपयुक्त हो जाँच के साथ उचित तकनीक का उपयोग 00 00:
 - (क) उद्देश्य के लिए उपयुक्तता आकलन, जिसे के लिए इनका उपयोग करना है;
 - (ख) इनके सही स्थिति का आकलन तथा
 - (ग) कोई भी सुधारात्मक उपाय अवधारित करना

- (5) विनियम के तहत स्थापित प्रक्रिया में चिन्हित निदानों को लागू करने की योजना सम्मिलित की जाएगी...
- (6) सभी मापक गजेट, मीटर, रिलिफ वाल्व इत्यादि को निर्माता द्वारा चिन्हित निश्चित अवधि के अंतराल पर परखा जाएगा...

141. अर्न्त वाह्य इंजन :

- (क) 30 अश्व शक्ति से अधिक के अर्न्तः दहन इंजन को चालु करने के लिए हस्तचलित के अलावा दूसरा तरीका भी उपबंधित किया जाएगा... परन्तु इस विनियम की कोई बात में आपातकाल में हस्तचालित उपाय को प्रतिषिद्ध करनेवाली नहीं सम-ी जाएगी...
- (ख) इंजन का चालु करने के लिए संकुचित वायु का उपयोग होता होता है एक नॉन रिटर्न वाल्व पीछे न आने वाला इंजन के नजदीक उपयुक्त जगह पर संकुचित वायु मार्ग में लगाया जाएगा...
- (ग) इंजन के निष्कासन पद्धति में एक उचित उपकरण लगाया जाएगा जो निष्कासन के समय खुली धुआँ तथा चिनगारी को रोक सके...
- (घ) अंतः दहन इंजन के निकट ज्वलनशील वाष्प के बढ़ावा को रोकने के लिए उचित सावधानियाँ बरती जाएगी...
- (ङ) अंतः दहन इंजन के विद्युत सहायक यंत्र भारतीय विद्युत नियम, 1956 के उपबंधों के अनुरूप होंगे।

142. दबाव में उपकरण:

- (1) खान में प्रयुक्त सभी उपकरण या कोई यंत्र बनाने वाले भाग, जिसमें हवा, गैस या पेट्रोलियम भाप हो या बनाता है तथा जो वातावरण के दबाव से ज्यादा दबाव के हो, को इस तरह बनाया स्थापित किया जाएगा तथा रखा जाएगा कि आग, विस्फोट होने तथा जहरीली गैसों के उत्पन्न होने के खतरा बचा जा सके।
- (2) दबाव में पेट्रोलियम या गैस या वाष्प को रखने में व्यवहृत सभी तरह के वायु ग्रहिता या कंटेनर या सेपरेटर में सुरक्षा बाल्व तथा दबाव मापक यंत्र लगाया जाएगा, जो वायुमंडल के दबाव से अधिक दबाव को दर्शाता है...
- (3) वायुग्रहिता या कंटेनर जिसमें पेट्रोलियम या गैस या वाष्प को बंदकर चालू करने के पहले, एक दक्ष व्यक्ति द्वारा कम से कम अनुमति प्राप्त वर्किंग दबाव से $1^{1/2}$ ज्यादा पर हाइड्रोलिक टेस्ट करेगा... की जाँच, प्रत्येक नवीनीकरण, मरम्मत तथा कम से कम तीन साल के अंतराल में की जाएगी, या मुख्य निरीक्षक द्वारा अंतराल कम किया जा सकता है। प्रत्येक जाँच को जा दक्ष व्यक्ति द्वारा किया गया हो, को दर्ज कर प्रबंधक, उप-प्रबंधक प्रतिष्ठापन प्रबंधक द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित कराया जाएगा...
- (4) दबाव उपकरण की निस्सारण लाईन में दबाव हटाने वाला एक सुरक्षा वाल्व लगाया जाएगा...
- (5) दबाव उपकरण तथा दबाव हटाने वाले उपकरण के बीच या उपकरण तथा निरस्त बिंदु के बीच कोई वाल्व अथवा फिटिंग नहीं होगी, जो यंत्र को भावहीन कर देगा...
- (6) दबाव युक्त करने वाला यंत्र को अत्यधिक कार्य दाब से 10 प्रतिशत अधिक पर खुलने के लिए निर्धारित किया जाएगा...

तेल खान विनियम, 2011

- (7) प्रत्येक व्यक्ति करने वाला सुरक्षा यंत्र कम से कम साल में 1 बार जाँच तथा अंशशोधन किया जाएगा, तथा इस तरह के प्रत्येक जाँच का अभिलेख इसके लिए बना सजिल्द किताब में जाँच करने वाले व्यक्ति «0,0 तारीख देकर हस्ताक्षर किया जाएगा।
- (8) सेपरेटर के रिलिफ वाल्व के खुला (मुक्त) छोर, हीट ट्रीटर तथा अन्य बवाब नली इत्यादि को टैंक में जाने वाला उचित पाइप से जोड़ा जाएगा...
परन्तु अन्य उचित तरीका भी दिया जा सकता है, *00000 रिलिफ वाल्व के खुलने पर तेल तथा गैस रिसाव से बचा जा सके।
- (9) गैस कंप्रेसर से जुड़ा सभी अंदर आने वाला गैस लाइन में एक बंद करनेवाला वाल्व कंप्रेसर के बाह्य सुरक्षित दूरी पर होगा...
- (10) गैस कंप्रेसर तथा पाईपलाईन या इससे जुड़ा फिटिंग के उपर कोई भी मरम्मत का कार्य नहीं किया जाएगा। जब तक कि अन्दर आने वाला तथा निरस्त छोर पर ताला लगा कर बंद न कर दिया गया हो।

143. मशीन के घुमने वाले *00000 के संदर्भ में सावधानियाँ:

- (1) प्रत्येक विंच के साथ एक कार्यरत स्टॉपर, पावल अथवा अन्य विश्वसनीय होल्डर होगा...
- (2) प्रत्येक फ्लाइंग तथा किसी मशीन के अन्य प्रत्येक, बाहर की ओर निकले हुए, खतरनाक हिस्से जो मशीन का अंग बनाता हो, को खतरा को कम करने के लिए समूचित बनावट के घेरा से अच्छी तरह '0,0 जाएगा ताकि कोई परीक्षण में समायोजित करने या मरम्मत करते समय इसको हटाया जा सके।
- (3) जब किसी भी व्यक्ति को गतिशील मशीन को मरम्मत करने, समायोजित करने, साफ करने या स्नेहन करने की अनुमति नहीं दी जाएगी जहाँ क्षति का जोखिम हो।
- (4) जब मशीन गति में हो तो किसी भी व्यक्ति को ड्राइविंग बेल्ट, चैन या तार की समायोजन नहीं करने दिया जाएगा,
- (5) गतिशील मशीन के नजदीक कोई भी व्यक्ति ढीला कपड़ा नहीं पहनना या पहनने की अनुमति नहीं दी जाएगी...
- (6) कोई भी इंजन रूम गैस टर्बाइन, कंप्रेसर या अन्य मशीन क्षेत्र में किसी अनाधिकृत व्यक्ति को नहीं आने दिया जाएगा, अथवा अन्य किसी भी अन्य तरीके से मशीन के साथ छेड़छाड़ नहीं करने दी जाएगी।

144. इंजन रूम एवं इसका निकास:

- (1) प्रत्येक इंजन, मोटर, क 000, 0000 000 000 000 प्रत्येक कमरा जिसमें अत्यंत ज्वलनशील पदार्थ रखा 00, 0000 रखा जाएगा तथा इनमें दो निकास द्वार होंगे...
- (2) प्रत्येक निकास द्वार साफ तौर पर चिन्हित, अच्छी तरह से अनुरक्षित 0000 †00रोधक से मुक्त होगा।

145. मशीनरी का कार्य तथा परीक्षण

- (1) मशीन को अन्यथा नहीं चलाया जाएगा। अथवा सक्षम व्यक्ति के देखरेख के अन्तर्गत चलाया जाएगा।

तेल खान विनियम, 2011

- (2) प्रत्येक व्यक्ति जो प्रभार में है, कोई भी मशीन या उपकरण अथवा यंत्र को, कार्य प्रारंभ करने के पहले, यह सुनिश्चित करेगा कि मशीन सही स्थिति में हो, यदि कोई दोष का पता चलता है, तो १०,१० संस्थापन प्रबंधक या अन्य सक्षम व्यक्ति को इसकी सूचना देगा।...
- (3) जो व्यक्ति एयर रिसिस्वर के प्रभार में हो, यह सुनिश्चित करेगा, कि सुरक्षा वाल्व में कोई अतिविक्रम भार न दिया गया हो, तथा हवा का अनुमती दबाव ज्यादा न हो।
- (4) कोई सक्षम व्यक्ति या, जो व्यक्ति, इस कार्य के लिए नियुक्त हो, प्रत्येक सात दिन में कम से कम एक बार मशीनरी तथा प्लान्ट जो उपयोग में हो, का निरीक्षण कर इनका परिणाम दर्ज करेगा।
- (5) विद्युत मशीनरी तथा संयंत्र के संबंध में सक्षम व्यक्ति भारतीय श्रम विनियम, 1956 के अधीन विनिर्दिष्ट योग्यता रखने वाला व्यक्ति होगा।

अध्याय-12

साधारण सुरक्षा

146. घर का रख-रखाव

- (1) कार्यस्थल तथा आने जाने के रास्ते में खुली हुई वस्तु, जिनकी आवश्यकता नहीं है, उन्हें खुला नहीं छोड़ा जाएगा, जिससे खतरनाक अवरोध उत्पन्न हो।
- (2) सभी बाहर निकली हुई काँटी तथा रेलिंग के किनारे को मोड़ दिया जाएगा, ताकि जख्म से बचाव हो...
- (3) कार्यस्थल में, प्रवेश तथा निकास में कूड़ा कचरा, सड़ा हुआ सामान जमा करना अनुनात नहीं किया जाएगा...
- (4) कार्यस्थल, आने-जाने के रास्ते में तेल, कीचड़ अथवा अन्य कारणों से फिसलन हो सकता है, इस कारण इन स्थलों को साफ कर सुरक्षित बनाया जाएगा...
- (5) पोटेबल उपकरणों को उपयोग के बाद उसके भंडारण स्थान पर लौटा दिया जाएगा...
- (6) उपकरण, मशीन तथा छोटे वस्तुओं को जहाँ-तहाँ नहीं छोड़ा जाएगा, इसके कारण व्यक्तियों को दुर्घटना-फिरते समय दुर्घटना हो।

147. साधारण रोशनी

- (1) निम्नलिखित जगहों पर कार्य के दौरान साधारणतय: अच्छी रोशनी की व्यवस्था होनी चाहिए।
 - (क) प्राकृतिक रोशनी कम हो।
 - (ख) डेरिक फर्श
 - (ग) ड्रिलर स्टेण्ड और नियंत्रण पैनल
 - (घ) मंकी बोर्ड
 - (ङ) प्रत्येक इंजन तथा पंप घर
 - (च) ब्लोआउट प्रिवेन्टर कंट्रोल के निकट डेरिक उप-संरचना
 - (ज) प्रत्येक वह स्थान, जहाँ व्यक्ति कार्य करता हो
 - (झ) प्रत्येक प्रवेश, निकास तथा बचाव वाला स्थान
- (2) खान में रोशनी की यथा संभव ऐसी व्यवस्था की जाएगी, जिससे चमक तथा आँखों में जोर न पड़े।

148. विद्युतीय प्रकाश

- (1) खतरनाक क्षेत्र में उपयोग होने वाला प्रत्येक विद्युत उपकरण एक ही प्रकार का तथा मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित होगा।
- (2) खान में संस्थापित प्रकाश-व्यवस्था भारतीय विद्युत नियम, 1956 के अनुसूची के अनुरूप होगी...
- (3) प्रत्येक विद्युत उपकरण पर सुरक्षात्मक चिह्न लगाया जाएगा, जो दुर्घटनाग्रस्त क्षति से सुरक्षित रह सके।

149. प्रकाश का मानक:

मुख्य निरीक्षक समय-समय पर, खान में अधिसूचना जारी कर चिन्हित क्षेत्र या खान के स्थानों पर विनिर्दिष्ट कर सकेगा...

150. आपातकालीन प्रकाश-

अनुमोदित प्रकार के पोर्टेबल हैन्ड लैम्प को अथवा अन्य प्रकार के स्वतः- नियंत्रित होने वाले पावर सॉलर को पर्याप्त मात्रा में आपात कालीन स्थिति में उपयोग हेतु रखा जाएगा...

151. रक्षात्मक जूतों की आपूर्ति तथा उपयोग-

- (1) खदान के अंदर कार्य करने अथवा जाने के लिए तब तक किसी भी व्यक्ति को अनुमति नहीं दी जाएगी जब तक कि मुख्य निरीक्षक द्वारा अनुमोदित लिखित सामान्य अथवा विशेष आदेश के अनुसार बचाव के लिए जूते नहीं पहने गए हो।
- (2) मुख्य निरीक्षक द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेश के आलोक में रक्षात्मक जूतों की आपूर्ति उप विनियम (1) के तहत $\text{A} \cdot \text{B}$, अभिकर्ता या प्रबंधक द्वारा अंतरालों में लेकिन अधिक से अधिक 1 वर्ष से ज्यादा का अंतराल नहीं, में मुफ्त में की जाएगी...
- (3) $\text{A} \cdot \text{B}$, अभिकर्ता या प्रबंधक, प्रत्येक समय पर्याप्त मात्रा में सुरक्षात्मक जूतों की उपलब्धता सुनिश्चित करेगा ताकि जरूरत पड़ने पर, तुरंत आपूर्ति किया जा सके।

152. सुरक्षात्मक हेलमेट तथा जूतों की आपूर्ति और उपयोग -

- (1) किसी भी व्यक्ति को, कार्यस्थल जैसे ड्रिलिंग रिग अथवा कार्य समाप्ति रिग, अथवा रिग बिल्डिंग अथवा रिग डिसमेन्टिंग अथवा इसी तरह के कार्यस्थल पर जहाँ हानिकारक तत्व गिरता या उड़ता हो, वहाँ मुख्य निरीक्षक द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेश द्वारा स्वीकृत हेलमेट पहने बगैर जाने की अनुमति नहीं दी जाएगी...
- (2) मुख्य निरीक्षक द्वारा साधारण या विशेष लिखित आदेश के आलोक में; जो उप-विनियम (1) के अंतर्गत, $\text{A} \cdot \text{B}$, अभिकर्ता या प्रबंधक कुछ अंतरालों में; पर तीन वर्ष से अधिक ना हो, मुफ्त में उपलब्ध कराएगा, ताकि आवश्यकता पड़ने पर तुरंत इनकी आपूर्ति की जा सके। परन्तु यदि, हेलमेट, व्यवहार में होने के दौरान क्षतिग्रस्त हो, तो इसे तत्काल मुफ्त में बदल दिया जाएगा...
- (3) $\text{A} \cdot \text{B}$, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक मुफ्त में, फुटवियर तथा हेलमेट उपलब्ध कराएगा...
- (4) प्रत्येक व्यक्ति कार्य के दौरान सुरक्षात्मक जूते एवं हेलमेट पहनेगा...

153. सुरक्षात्मक उपकरण-

- (1) प्रत्येक व्यक्ति जो कार्य में व्यस्त हो, तथा अन्य व्यक्ति जो कार्य से उत्पन्न चोट, विषपान या $\text{A} \cdot \text{B}$ -ता है, उन्हें निम्न उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे...
 - (क) जोखिम के अनुरूप, उचित सुरक्षात्मक उपकरण, श्वास की रक्षा करने वाला उपकरण, आँख को बचाने वाला, दस्ताना, पूरे शरीर को ढँकने वाला तथा एप्रन और
 - (ख) उचित सुरक्षात्मक बाह्य कपड़े जो, बरसात में तथा चरम स्थिति के मौसम में उपयोग में लाया जा सकें...
- (2) सभी सुरक्षात्मक उपकरण को मुफ्त में उपलब्ध कराया जाएगा...
- (3) प्रत्येक व्यक्ति $\text{A} \cdot \text{B}$ सुरक्षात्मक उपकरण उपलब्ध कराया गया हो, कार्य के दौरान इनका प्रयोग करेगा...

154. अपतट संस्थापनों के लिए व्यक्तिगत बचाव तथा पलायन उपकरण-

- (1) प्रत्येक व्यक्ति को संस्थापन पर निम्न चीजों को उपलब्ध कराया जाएगा
 - (क) व्यक्तिगत बचाव के कपड़े
 - (ख) जीवन रक्षक जैकेट
 - (ग) धुएँ को निकालने के लिए एक साधारण फिल्टर प्रकार स्मोक हुड जो कम से कम 10 मिनट तक पलायन के समय रक्षा करे या अस्थायी सुरक्षा के समय काम दे।
- (2) आग रोधी दस्ताना
- (3) स्थापित संयंत्र में कार्यरत व्यक्तियों से कम से कम डेढ़ गुणा ज्यादा सुरक्षात्मक सामान, जीवन रक्षक जैकेट तथा स्मोक हुड संस्थापन में एक उचित स्थान पर एक कंटेनर में भंडारित किए जाएंगे...
- (4) जीवन रक्षक जैकेट में एक छोटा ट्रांसमीटर अथवा डिटेक्टर होगा, जो अंधकार में चमके।

155. शोर प्रबंधन:

- (1) शोर, अभिकर्ता अथवा प्रबंधक शोर का स्तर कम करने का उपाय करेंगे तथा कार्यरत व्यक्तियों को शोर से बचाने का उपाय जाएगा...
- (2) वैसे क्षेत्र जहाँ लगातार 90 dB (A) से ज्यादा शोर हो रहा, वहाँ किसी भी व्यक्ति को कान के बचाव के उचित उपकरण के बगैर कार्य की अनुमति नहीं दी जाएगी...
- (3) किसी भी व्यक्ति को 140 dB (A) या उससे अधिक स्तर का आवाज होने पर उस क्षेत्र में धुसने की अनुमति नहीं दी जाएगी...
- (4) मुख्य निरीक्षक समय-समय पर शोर मापक द्वारा किसी क्षेत्र या खदान में अनु-शोर को निश्चित कर सकेगा...

156. सूचना

- (1) कार्यशील संस्थापनों और प्रबंधक कार्यालय तथा अन्य कार्यक्षेत्रों के मध्य एक दक्षतापूर्ण सूचना प्रणाली स्थापित किया जाएगा परंतु जहाँ संभव हो, रेडियो टेलीफोन और सिग्नलिंग का वैकल्पिक साधन भी प्रदान किया जाएगा। इसका अनुरक्षण किया जाएगा...
- (2) सूचना का उपकरण कार्य के जरूरत के अनुसार, गतिविधि के प्रकार तथा दुर्घटना की स्थिति के अनुसार होगा...
- (3) सूचना उपकरण तथा सहायक विद्युत आपूर्ति को इस तरह बनाया तथा सुरक्षित रखा जाएगा, कि जोखिम तथा दुर्घटना के समय भी कार्यरत रहे।
- (4) खदान में स्थापित सूचना तंत्र तथा सांकेतिक तंत्र भारतीय विद्युत नियम, 1956 के उपबंधों के अनुसार होगा...

157. कार्य करते वक्त सुरक्षा:

जहाँ कोई व्यक्ति 1.8 मी० ऊँचाई से ज्यादा पर कार्य करता है, वहाँ अभिकर्ता या प्रबंधक को एक सुरक्षा बेल्ट जो जोखिम वाले जगह के लिए उपयुक्त हो, उपलब्ध कराएगा, एक स्थिर छोर होगा...

158. जहरीला धूलकण, गैस तथा आइनोइजिंग विकिरण से सावधानियाँ:

- (1) जहरीला धूलकण, गैस तथा आइनोइजिंग विकिरण के उत्सर्जन को उत्सर्जित जगह से, या व्यवहारिक तरीके से रोका या नियंत्रित किया जाएगा।
- (2) धूलकण, गैस, धुआँ या आइनोइजिंग विकिरण के दायरे में आने वाले प्रत्येक व्यक्ति को इस प्रयोजन के लिए नियुक्त एक दक्ष व्यक्ति द्वारा सुरक्षित तकनीक एवं तरीके से कार्य करने का निर्देश दिया जाएगा।
- (3) मुख्य निरीक्षक समय-समय पर राजपत्र में अधिसूचना द्वारा धूलकण, गैसीय धुआँ तथा आइनोइजिंग विकिरण के मानक स्तर को निश्चित कर सकेगा...

159. सुरक्षा चेतावनी चिन्ह:

- (1) क्षरणशील, ज्वलनशील, विषैला तथा रेडियोधर्मी का भंडारण क्षेत्र तथा कन्टेनर सही तरीके से ग्राहिता के आधार पर चिन्हित किया जाएगा...
- (2) जोखिम भरा स्थिति को दर्शाने के लिए, चेतावनी चिन्ह को किया जाएगा...
- (3) जहाँ व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरणों की आवश्यकता हो, वहाँ चेतावनी चिन्ह को लगाया जाएगा...
- (4) आपातकालीन उपकरण तथा बाहर निकलने की दिशा को दर्शाने के लिए पहचान वाले चिन्ह को महत्वपूर्ण जगह पर लगाया जाएगा...
- (5) माप या तरल को उच्च दबाव के पाइप को दृश्यमान रूप से पहचान किया जाएगा...

160. वातावरण में प्रदूषण से बचाव-

- (1) कुएँ में कार्य संपन्न होने पर जाँच तथा मरम्मत के दौरान तेल के रिसाव को उपयुक्त तरह से बना हुआ तथा प्रर्याप्त रूप से घेरा हुआ, निष्पादन गड्ढे में जमा किया जाएगा। या प्रचालनों के मामले में एक विशेष तरह के तेज प्रज्ज्वालक के द्वारा जलाया जाएगा...
- (2) तेल के अभियान में तेल की छलकन की तैयारी और समाघात को कोस्ट गार्ड मुख्यालय द्वारा राष्ट्रीय आपातकालीन योजना, 1996 नई दिल्ली (रक्षा मंत्रालय) जो समय-समय पर होता है के अनुसार होगा...
- (3) किसी रेलवे, सार्वजनिक सड़क या कोई सार्वजनिक कार्यशाला या कोई स्थायी ढाँचा, जो संबंधित नहीं है के 45 मी० के अन्दर कोई भी निपटान संनिर्मित नहीं की जाएगी। जहाँ कोई विशेष परिस्थिति हो, तो मुख्य निरीक्षक, लिखित रूप से इस तरह की स्थिति का उल्लेख करते हुए तथा उन्हें निश्चित कर इन प्रावधानों को फेर-बदलकर इस तरह के निर्माण की अनुमति प्रदान कर सकेगा...
- (4) बिना संशोधित तेल, बना हुआ पानी, तेल, ड्रिलिंग, द्रव्य, निरर्थक पदार्थ, रसायनिक तत्व या कुएँ से परित्यक्त, होज या अन्य उत्पादन से जुड़े संस्थापन निम्नलिखित के लिए अनु-गत नहीं किए जाएंगे ;
 - (क) जनता के स्वास्थ्य तथा सुरक्षा में जोखिम उत्पन्न करना ;
 - (ख) स्वच्छ पानी संरचना में गिरना या दूषित करना या पानी पर किसी जगह पड़ा कचड़ा, स्वच्छ पानी या पानी को दूषित करे।
 - (ग) जमीन के उपर निकला तेल, राजमार्ग पर नक सड़क को नुकसान पहुँचाने...
 - (घ) निपटान।

तेल खान विनियम, 2011

- (5) कोई भी द्रव्य को समुद्र में या स्वच्छ पानी में या पानी के अन्य भाग में निपटान करने के पहले, इन्हें संशोधित किया जाएगा। तथा द्रव्य के नमूनों को निश्चित अंतराल में प्राप्त कर इसका विश्लेषण किया जाएगा तथा इस तरह के विश्लेषण परिणाम को, विश्लेषण करने वाला व्यक्ति के द्वारा रखा जाएगा...
- (6) लोहे के टुकड़े, जरूरत से अधिक या बिना उपयोग में आए तत्व को समुद्र में या संस्थापन के आस-पास जमा या निपटान करने की अनुमति नहीं दी जाएगी...
- (7) किसी भी संस्थापन से गैस को वातावरण में तब तक नहीं छोड़ा जाएगा, जब तक वह पूरी तरह जला हुआ न हो या मुख्य निरीक्षक द्वारा सामान्य या विशेष तथ्यों की इसकी स्वीकृति न दी गई हो...
- (8) खंड (क) निर्दिष्ट, गैस को जला कर फ्लेयर लाइन से निम्नलिखित रीति में निकाला जाएगा।
- (क) फ्लेयर लाइन कम से कम 9 मी० पर खड़े, उठाव पर खत्म होगी। या क्षेत्रीय निरीक्षक के द्वारा लिखित आदेश के तहत जरूरत की ऊँचाई तक होगी...
- (ख) फ्लेयर लाइन को पर्याप्त से उचित तरीके से स्थिर कर लौ को बुझाने से रोका जाएगा...
- (ग) जब गैस प्रवाह रुक-रुक कर हो, तो फ्लेयर लाइन को लगातार जलाने के लिए एक विद्युतीय रिमोट कंट्रोल लगाया जाएगा...
- (घ) फ्लेयर के चारों ओर उचित मोटाई का एक ग्रीन बेल्ट लगाया जाएगा।
परन्तु व्यावहारिक कठिनाईयाँ हो वहाँ क्षेत्रीय निरीक्षक इस विनियम के उपबंधों में अपेक्षित दशाओं के अधीन निर्णय दे सकेगा...

161. घेरा बनाना-

- (क) किसी भी कुआँ या भूमि पर जहाँ क्रिसमस ट्री दिया हुआ हो, को सुरक्षित तरीके से घेर कर प्रत्येक में ताला लगाया जाएगा।
- (ख) प्रत्येक प्रतिबंधित क्षेत्र के चारों ओर प्रत्येक ड्रिलिंग अथवा ईकाई में कार्य, उत्पादन ईकाई, स्टोरेज टैंक एवं फ्लेयर टैंक का घेरा 1.8 मी० की ऊँचाई से कम नहीं होगा...
- (ग) प्रवेश मार्ग से घेरा किए हुए जगह पर किसी भी अनधिकृत व्यक्ति के प्रवेश को रोकने के लिए सावधानियाँ बरती जाएगी...
- (घ) प्रत्येक घेरा को सक्षम व्यक्ति द्वारा सात दिन में एक बार जाँच किया जाएगा उद्देश्य के लिए बना सजिल्द किताब में इस तरह के निरीक्षण को तारीख तथा हस्ताक्षर सहित प्रत्येक निरीक्षण को दर्ज किया जाएगा...
- (ङ) यदि घेरा, गार्ड, बेरियर अथवा दरवाजा के संबंध में किसी प्रकार की शंका हो इस विनियम के अधीन, पर्याप्त, उचित अथवा सुरक्षित तरीके से प्रावधान है कि इसे मुख्य निरीक्षक के पास अग्रसारित करना चाहिए, जिसका निर्णय अंतिम होगा।

अध्याय-13

खान सुरक्षा

162. ठेकेदार और आग-प्रवृत्तियों-

ठेकेदार या आग-प्रवृत्तियों को बुलाने आग-प्रवृत्तियों तथा अभिकर्ता यह सुनिश्चित करेगा, कि जैसी आवश्यकता है उस अनुसार तथा अधिनियम 13000 उसके अधीन बनाए गए नियम, खान नियम, 13000-1 13000 13000 के अनुसार ठेकेदार तथा आग-प्रवृत्तियों आवश्यकतानुसार प्रशिक्षित तथा दक्ष हो ताकि जरूरत के अनुसार उनके लिए निर्धारित कार्य कर सके ।

163. सामान्य सुरक्षा-

कोई 300 •00 व्यक्ति लापरवाही आग या जानबूझकर कोई ऐसा कार्य नहीं करेगा, जो खान में जीवन को या शरीर के किसी अंग को खतरा, 13000 13000, 13000 जानबूझकर कोई लोप नहीं करेगा जो खान की सुरक्षा या उसमें नियोजित व्यक्तियों की सुरक्षा के लिए आवश्यक हो ।

164. सुरक्षा, तथा स्वास्थ्य शिक्षा और निर्देश-

प्रत्येक खान में कर्मचारियों को जागरूक करने के लिए लगातार सुरक्षा तथा स्वास्थ्य शिक्षा तथा निर्देश कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा 13000 प्रत्येक स्तर पर व्यवसायिक सुरक्षा तथा स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता की शिक्षा दी जाएगी ...

165. दुर्घटनास्थल के साथ छेड़छाड़ नहीं -

- (1) जब भी खदान या इसके इर्द-गिर्द दुर्घटना में जान की हानि या गंभीररूप से कोई घायल होता है, तो मुख्य निरीक्षक के आने के पहले या सहमति के बिना दुर्घटना स्थल से छेड़छाड़ नहीं की जाएगी... 13000 अधिनियम 13000 धारा (1) की धारा 23 के अधीन दुर्घटना के बारे में सूचना देना अपेक्षित है, यदि और दुर्घटना को रोकने, मृतक के शव को हटाने के लिए या खतरे से किसी व्यक्ति को बचाने के लिए 13000 बाधा या परिवर्तन आवश्यक नहीं है या सिवाय दुर्घटना स्थल पर कार्य स्थगित करने से खदान में कार्य 13000 गंभीर बाधा उत्पन्न होती है ...परन्तु जहाँ दुर्घटना स्थल पर मुख्य निरीक्षक या सहायक निरीक्षक 13000 घंटे के अंदर निरीक्षण करने में वे असफल रहते हैं तो दुर्घटना स्थल पर दुबारा कार्य प्रारंभ किया जा सकेगा...
- (2) किसी भी कारण से घातक, गंभीर दुर्घटना के क्षेत्र से छेड़छाड़ या बदलाव के पहले उस स्थान का रेखाचित्र, जो दुर्घटना तथा संबंधित विवरण को दर्शाता हो, इसकी प्रतिलिपि बनाई जाएगी 13000 13000 प्रबंधक या सहायक-प्रबंधक, सुरक्षा पदाधिकारी, सर्वेयर तथा कर्मियों के निरीक्षक या जहाँ कर्मियों के निरीक्षक न हो, कर्मियों द्वारा नामित कर्मी द्वारा विधिवत हस्ताक्षर किए जाएंगे। परन्तु यदि और दुर्घटना को रोकने या खतरे से व्यक्तियों को बचाने के लिए रेखाचित्र बनाने से पहले क्षेत्र से छेड़छाड़ या बदलाव किया जाता है तो उसे तत्काल उसके पश्चात् बनाया जाएगा ।
- (3) संबंधित निरीक्षक को प्रमाणित रेखाचित्र की एक प्रति भेजी जाएगी ।

166. निरीक्षण के दौरान उल्लंघन को इंगित करना-

- (1) यदि मुख्य निरीक्षक अथवा निरीक्षक किसी खान का निरीक्षण के दौरान अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए विनियम, या आदेश का उल्लंघन के संबंध में यह देखे कि वह उस पर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा और स्वयं इसके बारे में खान के अधिकारी, अभिकर्ता या प्रबंधक को इस उल्लंघन के बारे में सूचित करेगा...
- (2) अधिनियम (1) के अधीन सूचना को 3 दिन के अन्दर, अधिकारी, अभिकर्ता या प्रबंधक खान के सूचना पट पर कम से कम 15 दिनों के लिए चिपकाएगा। अपेक्षित होने पर अधिकारी, अभिकर्ता या प्रबंधक इसकी रजिस्ट्रीकृत या मान्यता प्राप्त श्रमिक संघ तथा संबंधित राज्य सरकार को देगा।
- (3) खान के अधिकारी, अभिकर्ता या प्रबंधक को उप विनियम (1) के अधीन सूचना की तारीख से पन्द्रह दिन से ज्यादा न हो का उल्लंघन के लिए किया गया प्रत्येक कार्य तथा उल्लंघनों को सूचित करने के तरीकों के बारे में क्षेत्रीय निरीक्षक को सूचित करेगा...
- (4) अभिकर्ता या प्रबंधक या उनकी अनुपस्थिति में खान के सबसे वरिष्ठ अधिकारी को निरीक्षण के दौरान मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक के द्वारा उल्लंघनों को तुरंत जगह पर नोट करेगा।
- (5) उप विनियम (1) के अधीन उल्लंघनों को हटाने के लिए किए गए कार्रवाई के ब्यौरे स्वामी, अभिकर्ता या प्रबंधक या मुख्य निरीक्षक या निरीक्षक जिन्होंने निरीक्षण किया हो, को सूचित करेगा।

167. विवरणी, सूचना तथा पत्राचार पर हस्ताक्षर-

अधिनियम के प्रावधानों के अधीन सूचनाओं, पत्राचार से संबंधित सूचना तथा आवश्यक रिटर्न एवं सूचनाओं को खान के अधिकारी, अभिकर्ता या प्रबंधक हस्ताक्षर किया जाएगा।

परन्तु स्वामी कार्य का प्रभार, मुख्तारनाम द्वारा किसी व्यक्ति को दे सकेगा...

परन्तु यह और कि दुर्घटना की सूचना के संबंध में प्रबंधक यह कृत्य किसी उप प्रबंधक/संस्थापन प्रबंधक को प्रत्यायोजित कर सकेगा...

168. मुख्य निरीक्षक द्वारा क्षेत्रीय निरीक्षक की शक्ति का उपयोग-

इन नियमों के अधीन क्षेत्रीय निरीक्षक को प्रदत्त कोई भी शक्ति, मुख्य निरीक्षक या मुख्य निरीक्षक द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी निरीक्षक द्वारा प्रयोग की जा सकेगी।

169. मुख्य निरीक्षक से अपील-

क्षेत्रीय निरीक्षक द्वारा किए गए आदेश के विरुद्ध मुख्य निरीक्षक के पास इन विनियमों के अधीन $\text{†}^{\text{0B}}\text{0}$ की जा सकेगी जो आदेशों को पुष्ट, उपांतरित या निरस्त कर सकेगा। आवेदक द्वारा आदेश 0 की रसीद प्राप्त होने के पन्द्रह दिन के 0B^{0} ऐसी प्रत्येक $\text{†}^{\text{0B}}\text{0}$ की जाएगी ...

170. आवेदन की प्रतिक्रिया

- (1) अधिनियम की धारा 12 के अधीन आवेदक चाहे, तो गठित समिति के समक्ष मुख्य निरीक्षक के किसी 0B^{0} के विरुद्ध आदेश प्राप्त होने के 20 दिनों के अंदर निवेदन कर सकेगा...
- (2) मुख्य निरीक्षक के प्रत्येक आदेश जिनके विरुद्ध उप 0B^{0} नियम (1) के अधीन निवेदन किया गया है, को समिति के निर्णय पर अपूर्ण (पेंडिंग) रसीद के साथ रखा जाएगा...
परन्तु 0B^{0} , अपील का निपटान लंबित रहने तक आवेदकों द्वारा दिए गए आवेदन पर, आदेश के प्रचालन को स्थगित कर सकेगी, जिसके विरुद्ध आवेदन किया गया है...

तेल खान विनियम, 2011

प्रथम अनुसूची

००१-०-१

(विनियम 3 तऱु 6 देखें)

खोलने, बन्द करने या नाम परिवर्तन करने की सूचना

प्रेषक,

.....
.....

आपऱु ०,

1. मुख्य खान निरीक्षक, धनबाद ।
2. क्षेत्रीय खान निरीक्षक क्षेत्र
- 3.
- 4.

महोदय,

० आऱु ०० की खान के संबंध में (1)
.....(नाम)

..... पर स्थिति के बारे में निम्नलिखित जानकारी ढऱु
Æ...

1. खान के नाम में परिवर्तन करने की दशा में :

खान का पुराना नाम परिवर्तन की तारीख

2. *(1) खान कहाँ †ऱुÆ०० Æ ;

ग्राम :
०×००० थाना :
×००० :
राज्य :

* (2) नई खान होने की दशा में खान कहाँ †ऱु स्थित है उसकी प्रविष्टियाँ :

डाकघर :
००, ० :
रेलवे स्टेशन :
वर्तमान : ० :

तेल खान विनियम, 2011

(3)* आओ उी; योम आ म्, प्रतिस्थापन से संबंधित सूचना -

समुद्र तट से प्रतिष्ठापन का नाम स्थान :
(म; उओओ / अक्षांश रेखांश)
प्रतिष्ठापन का प्रकार (स्थाई / गतिशील) :
प्रचालन का प्रकार (वेधन / पादन / बर्कओवर)

मान : :

4. (1) नाम और डाक पता (ii)

(<) आओ उी :

(बी अभिकर्ता, यदि कोई हो

(सी) प्रबंधक :

*(2) परिवर्तन की दशा में, परिवर्तन की तारीख :

*5. (1) प्रबंधक / प्रतिष्ठापन प्रबंधक जिसकी नियुक्ति समाप्त की गई है/ जिसे नियुक्त किया गया है का नाम
(iii)

(2) नियुक्ति / नियुक्ति की समाप्ति की तारीख

(iii)

*6. खान को खोलने / फिर से खोलने / परित्यक्त करने/ काम बन्द करने का आशय हो
(iii) तारीख :

*7. उक्त खान को खोलने / फिर से खोलने / परित्यक्त करने/ काम बन्द करने की वास्तविक
(iii) तारीख :

8. कोई अन्य सूचना :

भ व दी य

हस्ताक्षर :

पदनाम : आओ उी/अभिकर्ता / प्रबंधक

तारीख :

अनुदेश

*केवल ऐसे स्तंभों को भरे जिनकी बाबत सूचना दी गई है :

(i) इस मामले का उल्लेख करें जिसका सूचना से संबंध है।

(ii) यदि सूचना का संबंध मद 4 से है तो भरने की आवश्यकता नहीं है।

(iii) जो लागू न होता हो तो उसे काट दें।

तेल खान विनियम, 2011

ढुडू - II
(विनियम 4 देखें)

तारीख20 को समाप्त होने वाली तिमाही के लिए त्रैमासिक
विवरणी।

1. खान का नाम :

खान का डाक पता :

2. खान कहाँ †%0UA&0Y0 AE :

स्थान :

x•0»00 :

राज्य :

3. A%00`0B का नाम :

मालिक का डाक पता :

4. अभिकर्ता का नाम , यदि कोई हो :

अभिकर्ता का डाक पता :

5. प्रबंधक का नाम :

प्रबंधक का डाक पता :

सम्यक रूप से भरी गई सारणी क से ग तक संलग्न है।

प्रमाणित किया जाता है कि ऊपर और सारणी क से ग में दी गई सूचना, 0,B जानकारी के अनुसार सही है।

हस्ताक्षर :

पदनाम : A%00`0B/†भिकर्ता/प्रबंधक

तारीख :

तेल खान विनियम, 2011

सारणी- क
उत्पादन *

तेल / गैस बन्द करने का उत्पादन का प्रकार	गैस / तेल का उत्पादन	तेल/ गैस उत्पादो का मूल्य**	परीष्करण में	बाजार में	घरेलू उपभोग में	प्रेषण
1	2	3	4क	4ख	4ग	5

हस्ताक्षर :
पदनाम :/अधिकर्ता /प्रबंधक
तारीख :

अनुदेश :

* अंक किलोलीटर/क्यूबिक मीटर में उल्लिखित किए जाएँगे।

** मूल्य की संगणना खान में वास्तविक या प्राक्कलित विक्रय मूल्य पर की जाएगी। खान संपत्ति से बाहर के परिवहन में उपगत हुआ कोई प्रभार सम्मिलित नहीं है। स्वामित्व अंक स्वीकार नहीं किए जाएँगे।

तेल खान विनियम, 2011

सारणी - ख
मानव श्रम दिनों की संख्या, आदि।

तिमाही के दौरान किसी एक दिन नियोजित व्यक्ति की तारीख को संख्या अधिकतम..... (क) तिमाही के दौरान काम के दिनों की संख्या

वर्गीकरण	मानव श्रम दिनों की संकलित संख्या जिनमें काम किया गया है।	अनुपस्थिति के कारण व्यर्थ हुए मानव श्रम दिनों की संख्या
	(ख) (ग)	(घ) (ङ)
	०००० ००००	०००० ००००

-
- (a) लिपिक एवं सुपरवाइजर कर्मचारी
(i) लिपिक
(ii) निम्नलिखित काम पर नियोजित अन्य कामगार
(i) बेधन
(ii) उत्पादन
(iii) कायः ०००० + ००००.
(iv) अग्नि ००००
(v) प्रकीर्ण
-

कुल

यदि उपस्थिति या अनुपस्थिति में कोई विशिष्ट कमी या वृद्धि हुई है तो उसके कारणों का उल्लेख करें।

हस्ताक्षर :
पदनाम: स्वामी/अभिकर्ता/प्रबंधक
तारीख :

तेल खान विनियम, 2011

अनुदेश :

(क) सप्ताह का दिन तथा तारीख और मास लिखिए।

(ख) इस सूचना के अंतर्गत वे व्यक्ति आ जाने चाहिए जो खान में खान अधिनियम, 1952 की धारा (1) (•) में यथापरिभाषित रूप में "नियोजित" है और उनके अंतर्गत विद्युतीय तथा अधीनस्थ पर्यवेक्षीय कर्मचारी 300 A...

(ग) उन मानव श्रम दिनों की जिनमें काम किया गया है, कुल संख्या संपूर्ण तिमाही की दैनिक उपस्थिति को जोड़कर, निकाली जाएगी।

(घ) अनुपस्थिति के कारण नष्ट हुए मानव श्रम दिनों की कुल संख्या, संपूर्ण तिमाही की दैनिक अनुपस्थिति को जोड़कर निकाली जाएगी।

(ङ) अनुपस्थितियों के अंतर्गत वे सभी मामले आएँगे जिनमें व्यक्ति को काम पर आना चाहिए या काम पर उसके आने की आशा हो, लेकिन आता न हो। सभी स्थायी कर्मचारियों के बारे में यह सम-ा जाएगा कि उन्हें काम पर आना चाहिए। जहाँ तक अस्थायी या आकस्मिक कर्मचारियों का संबंध है, उस व्यक्ति के बारे में जहाँ पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान काम पर आया हो, तब तक उसे विचाराधीन सप्ताह के अधीन काम पर आना चाहिए था। यह सम-ा जाना चाहिए था, जब तक कि :

(i) उसने काम छोड़ने के अपने आशय की रिपोर्ट न कर दी हो ; या

(ii) उसकी सेवाओं को प्रबंधकों ने समाप्त न कर दिया हो ; या

(iii) संपूर्ण सप्ताह के दौरान वह काम पर न आया हो।

ऐसे किसी व्यक्ति के बारे में जिसने पूर्ववर्ती सप्ताह के दौरान काम न किया हो केवल उसी दिन से यह सम-ा जाएगा कि उसे काम पर आना चाहिए, जिस दिन वह विचाराधीन सप्ताह के दौरान काम पर आता है हड़, तालाबन्दी, काम बंदी या प्रसूति छुट्टी के कारण से हुई अनुपस्थिति के रूप में यहाँ सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(•) पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों में वरीय अधिकारी जैसे अभिकर्ता, प्रबंधक, सहायक प्रबंधक, कल्याण पदाधिकारी सम्मिलित नहीं है किन्तु केवल अधीनस्थ पर्यवेक्षकीय कर्मचारियों 300 A...

तेल खान विनियम, 2011

सारणी - ग
काम के घंटे का उपार्जन

तिमाही के अंतिम मास के दौरान काम के एक पूरे सप्ताह की बाबत सूचना दी जानी चाहिए।

1. (क) उपस्थितियां, मानव श्रम घंटे, और नकद उपार्जन।

वर्गीकरण	सप्ताह के दौरान औसत दैनिक संख्या (ख)	सप्ताह के दौरान मानवश्रम घंटों की संकलित संख्या (ग)	सप्ताह के दौरान किए गए कार्य के लिए नकद भूगतान (घ)
		मंहगाई भुगतान	अन्य मजदूरी भुगतान
			कुल नगद (ङ)

(क) लिपिकीय और पर्यवेक्षकीय कर्मचारिवृंद

(i) पर्यवेक्षक

(ii) लिपिक

(ख) निम्नलिखित पर नियोजित अन्य कामगार --

(i) बेधन

(ii) उत्पादन

(iii) कार्य, +

(iv) अग्नि सेवा

(v) प्रकीर्ण

2. सप्ताह के दौरान वस्तु (छ) के रूप में दी गई रियायतों की कुल प्राक्कालित मूल्य : ----- ₹.

3. उत्पादन पारियों के सामान्य घंटे :

प्रेषक

द्वितीय पारी -----

तृतीय पारी -----

4. सप्ताह के कार्य दिवसों की संख्या -----

तेल खान विनियम, 2011

यदि मजदूरी या काम के घंटे में पूर्ववर्ती तिमाही की तुलना में कोई बड़ा परिवर्तन हुआ हो तो कृपया उस परिवर्तन के कारण का यहाँ उल्लेख करें।

हस्ताक्षर :

पदनाम : अध्यक्ष /अभिकर्ता /प्रबंधक

तारीख :

अनुदेश :

(क) इस सूचना के अन्तर्गत वे सभी व्यक्ति आ जाने चाहिए जो तालिका ग के अनुसार "नियोजित" है। मासिक रूप में वेतन पाने वाले कर्मचारिवृंद को दिए जाने वाले संदायों आदि से संबंधित विशिष्टियां अनुपातिक आधार के अंतर्गत आएँगी।

(ख) औसत दैनिक उपस्थिति सप्ताह के दौरान सभी दिनों की सभी पारियों में उपस्थितियों की संकलित संख्या कार्य दिवसों की संख्या से भाग देकर मालूम की जाएगी। जिस दिन खान में काम नहीं किया गया हो उस दिन को, चाहे किसी भी कारण से हुआ हो, कार्य दिवस नहीं समना जाएगा।

(ग) सप्ताह के दौरान जिसने मानव श्रम घंटों तक काम किया गया हो उनकी कुल संख्या पूरे सप्ताह में उतने मानव श्रम घंटों को जोड़कर मालूम की जानी चाहिए जितने मानव श्रम घंटों तक प्रतिदिन काम किया गया हो। किसी दिन जितने मानव श्रम-घंटों तक काम किया गया हो उनकी संख्या उतने घंटों को जोड़कर मालूम की जाएगी जितने घंटे तक प्रत्येक व्यक्ति ने दिन के दौरान प्रत्येक पारी में काम करते हुए, अतिकालिक काम, यदि कोई हो, सहित काम किया हो।

(घ) कुल नकद भूगतान के अंतर्गत जुमाने, भविष्य निधि, अभिदायों आदि के लिए कटौतियाँ, यदि कोई हों, करने से पहले, संदेय (और संदत) सभी पारिश्रमिक जो सप्ताह के दौरान किए गए काम के लिए सम्मिलित हैं, किसी भविष्य निधि में या कल्याण संबंधी व्यवस्था मुद्दे किए गए नियोजकों के अभिदाय इसमें सम्मिलित नहीं किए जाएँगे। ऐसा बोनसों को भी जो प्रत्येक वेतन अवधि के लिए संदेय न हों सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

(ङ) अतिकालिक संदाय सम्मिलित हैं।

(च) "अन्य" में नियोजित व्यक्तियों को "अन्य" में सम्मिलित किया जाना चाहिए "खनक और लादाई कर्ता" में नहीं।

(छ) वस्तु के रूप में दी गई रियायतों को, जैसे मुफ्त या सहायता प्राप्त कीमतों पर खाद्य पदार्थ, ईंधन, जल आदि का प्रदाय खाद्य पदार्थ आदि की लागत कीमत पर धन के रूप में मूल्य और रियायती कीमत पर विक्रय द्वारा प्राप्त मूल्य के बीच के अंतर के रूप में प्राक्कलित किया जाएगा।

तेल खान विनियम, 2011

प्रथम अनुसूची

090 - III

(विनियम 5 देखें)

31 दिसम्बर, 20 ... को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए वार्षिक विवरणी खानिज : तेल एवं गैस

खानिज - क. खान की पहचान का विवरण -

मद संख्या	मद का विवरण	विस्तृत जानकारी
(1)	(2)	(3)
1.	खान का नाम	
2.	राज्य	
3.	खान का नाम	
4.	डी.जी.एम.एस. का मंडलीय कार्यालय	
5.	डी.जी.एम.एस. का क्षेत्रीय कार्यालय	
6.	डी.जी.एम.एस. का उप-क्षेत्रीय कार्यालय	
7.	खान का डाक पता	
8.	खान खुलने की तारीख	
9.	बन्द होने की तारीख, यदि कोई हो	
10.	खान पुनः खोलने की तारीख, यदि कोई हो	
11.	स्वामी का नाम	
12.	स्वामी का डाक पता	
13.	अधिकर्ता का नाम	
14.	अधिकर्ता का डाक पता	
15.	प्रबंधक का नाम	
16.	प्रबंधक का डाक पता	
17.	प्रबंधक का दूरभाष सं.	
18.	प्रबंधक का ई-मेल पता	
19.	प्रबंधक का फैक्स नम्बर	
20.	उपयोग की गई शक्ति की प्रकृति	
21.	क्या मशीनरी उपयोग में लाई गई है (कृपया हाँ/नहीं लिखें)	
22.	कृपया स्पष्ट करें कौन सी सारणी भरी गई है - क, ख, ग, घ	
23.	क्या सभी सारणी भरी गई है (हाँ/नहीं लिखें)	
24.	यदि मद 23 में 'नहीं' लिखा गया है तो कृपया स्पष्ट करें कौन सी सारणी भरी गई है।	
25.	यदि मद 24 में प्रविष्टि की गई है तो कृपया कारण लिखें...	

तेल खान विनियम, 2011

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त वर्णित मद 22 1, विहित प्रपत्र में भर कर संलग्न किया गया है। अलग से कोई अतिरिक्त पेज नहीं जोड़ा गया है तथा सभी सारणी में दी गई सभी संख्या एवं सूचना मेरी जानकारी के अनुसार
...
...

प्रबंधक का हस्ताक्षर (मं:0 के साथ)

स्थान:

तारीख :

तेल खान विनियम, 2011

नियोजन से संबंधित सारणी

1. सारणी ख - औसत दैनिक नियोजन और किए गए कार्यों के दिनों की संख्या, मानव श्रम कार्यों के दिनों का विवरण...

मशीनरी से संबंधित सारणी

1. सारणी ग - उपयोग किए गए बिजली के उपकरणों का विवरण...
2. सारणी घ - सारणी ग के उपकरण के अतिरिक्त उपयोग में लाए गए मशीन उपकरण।

उत्पादन से संबंधित सारणी

1. सारणी ङ - उत्पादन का विवरण।

छेदन/रिग्स/पाइप लाइन सारणी

1. सारणी चा - ड्रिलिंग एवं अन्य रिग्स, तेल एवं गैस कुआँ तथा पाइपलाइन उत्पादन का विवरण...

तेल खान विनियम, 2011

सारणी ख. औसत दैनिक नियोजन, और किए गए कार्यों के दिनों की संख्या, मानव श्रम कार्यों के दिनों का विवरण।

..... वर्ष के दौरान, किसी एक दिन तारीख को नियोजित व्यक्तियों की अधिकतम संख्या

क्र. संख्या	मद का विवरण	वर्ष के दौरान किए गए मानव श्रम दिनों की कुल संख्या			वर्ष के दौरान किए गए काम की संख्या	नियोजन दैनिक औसत			वर्ष के कुल मजदूरी / वेतन
		प्रत्यक्ष	आवृत्त	कुल (आवृत्त.3+आवृत्त.14)		दैनिक	वर्षावधि	कुल (आवृत्त.7+आवृत्त.8)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	लिपिक एवं पर्यवेक्षकीय कर्मचारिवृन्द								
1.1	पर्यवेक्षक								
1.2	लिपिक								
2	निम्नलिखित नियोजित पर अन्य कामगार								
2.1	वेधन								
2.2	उत्पादन								
2.3	वर्क ओवर								
2.4	कार्य								
2.5	अग्नि सेवा								
2.6	अन्य (उल्लिखित करें)								

तेल खान विनियम, 2011

3.	कुल (कुल AVO ³⁰)								
4	कुल संविदा नियोजन								

आरणी ख के लिए अनुदेश :

- i) कुल संविदा नियोजन (AV⁴) = वर्ष के दौरान संविदा पर किए गए मानव श्रम के दिनों की कुल संख्या (AV³, AV⁴) / किसी श्रेणी में अधिकतम किए गए कार्यों के दिनों की संख्या (अधिकतम AV⁶)
- ii) किसी मद का औसत दैनिक नियोजन = मद के वर्ष के दौरान किए गए मानवश्रम के दिनों की कुल संख्या/किए गए कार्यों के दिनों की तत्संबंधी संख्या...
- iii) लिपिकीय एवं पर्यवेक्षकीय : वरिष्ठ पर्यवेक्षकीय अधिकारी जैसे अभिकर्ता, प्रबंधक, प्रबंधक, इंजिनियर, डॉक्टर इसके अन्तर्गत नहीं आते हैं।

तेल खान विनियम, 2011

सारणी ग. उपयोग में लाई गई विद्युतीय मशीनरी का विवरण

1. विद्युत धारा उपयोग के लिए लाई गई है :

i) प्रकाश :

ii) शक्ति :

2. की लम्बाई (मीटर में):

i) मध्यम दाब :

ii) मध्यम दाब :

संख्या	मद का विवरण	उपयोग में लाए गए यूनिटों की कुल संख्या	कुल अश्व शक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	कर्षण संकर्ण		
2	हवाइस्ट (ऊपर उठाने का उपकरण)		
3			
4	हल्की मशीन		
5	ट्रैक्सन		
6	कार्यशाला जिसके तहत संधानी लोहार आदि हैं		
7	प्रकीर्ण (विनिर्दिष्ट करें)		
8	कुल		

तेल खान विनियम, 2011

सारणी ग. के लिए अनुदेश :

उसी मद के उपयोग में लाई गई कुल अश्व शक्ति की संख्या की इकाईयों का कुल अश्व शक्ति ।

सारणी घ. उपकरणों से भिन्न उपयोग में लाए गए मशीनरी और उपकरण का विवरण

संख्या	मदों का विवरण	उपयोग में लाए गए यूनिटों की कुल संख्या	कुल अश्व शक्ति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	शक्ति जनित्र		
1.1	बायलर		
1.2	वाष्प टरबाईन		
1.3	गैसी लाईन, गैस और तेल इंजन, डीजल इंजन के अलावे		
1.4	डीजल इंजन		
1.5	एयर कंप्रेसर		
2	मशीनरी		
2.1			
2.2			
2.3			
2.4	पोर्टेबल मशीन		
2.5	ट्रैक्सन		
2.6	कार्यशाला जिसके तहत संधानी लोहार आदि हैं		
2.7	प्रकीर्ण (विनिर्दिष्ट करें)		
3	कुल		

तेल खान विनियम, 2011

सारणी घ. के अनुदेश : उसी मद में उपयोग की गई यूनिटों की संकलित अश्व शक्ति की कुल अश्व शक्ति का अनुपात...

सारणी ड. उत्पादन का विवरण।

क्र. संख्या	उत्पादन का प्रकार	1जन वरी को आरंभिक स्टॉक	उत्पादन	मूल्य (%)	प्रेषण			31 को शेष स्टॉक
					परिष्कारण को	200-00, 0	घरेलू उपभोग के लिए	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	तेल (मेट्रिक टन में)							
2	गैस (M ³)							

सारणी ड के लिए अनुदेश : मूल्य को खान में वास्तविक या प्राक्कलित विक्रय कीमत पर संगणित किया जाना चाहिए। खान से बाहर तेल या गैस का परिवहन करने में किसी प्रभारों को सम्मिलित नहीं जाना चाहिए...

तेल खान विनियम, 2011

सारणी च . वेधन एवं अन्य रिग्स, तेल एवं गैस कुआँ एवं पाईप लाईन्स

क्र. संख्या	वर्गिकरण	रिग का प्रकार	कुल उपयोग किए गए यूनिट्स की संख्या
(1)	(2)	(3)	(4)
1	वेधन, वर्कओवर एवं अन्य रिग्स		
1.1	वेधन		
1.2	वर्कओवर		
1.3	अन्य रिग्स		
2	तेल, गैस एवं अन्य कुआँ		
2.1	वेधित कुआँ		
2.2	परित्यक्त कुआँ		
2.3	गैस कुआँ सम्पूर्ण		
2.4	तेल कुआँ सम्पूर्ण		
2.5	गैस कुआँ उत्पादन रुक गया है		
2.6	गैस कुआँ जहाँ उत्पादन रुक गया है		
2.7	तेल कुआँ उत्पादन रुक गया है		
2.8	तेल कुआँ जहाँ उत्पादन रुक गया है		
3	पाईपलाइन्स	डिपेंडिंग (डिपेंडिंग)	व्यास (सेन्टीमीटर में)
3.1	कुआँ से गैदरिंग स्टेशन तक फ्लोलाइन्स लेड		
3.2	गैदरिंग स्टेशन से मूल भंडारण टैंक तक पाईप लाईन		
3.3	अन्य (विनिर्दिष्ट करें)		

तेल खान विनियम, 2011

प्ररूप 4 क
(विनियम 9 देखें)
दुर्घटना/ घटना की सूचना

प्रेषक :

.....
.....

आपका पता :

1. मुख्य खान निरीक्षक , धनबाद - 826001,
2. निदेशक, खान सुरक्षाक्षेत्र
3. x•0»00 0x•0A™™...
4. खान का विद्युत निरीक्षक (केवल विद्युत दुर्घटना की दशा में) धनबाद-826001.

महोदय,

0-ने निम्नलिखित प्रविष्टियाँ उस प्राणघातक दुर्घटना/दुर्घटनाओं, गंभीर दुर्घटना/दुर्घटनाओं/खतरनाक घटना के बारे में देनी है जो (आपका पता) की खान में 0x™™0 A- A/A...

1. खान की विशिष्टियाँ :

खान कहाँ पर †00AEOVO है

मालिका के नाम व डाक पता
(फैक्स एवं टेलीफोन नम्बर कोड के साथ)

ग्राम :

डाकघर :

पुलिस थाना :

x•0»00 :

राज्य :

खान का स्थान और पता दुर्घटना स्थल/घटना :

दुर्घटना स्थल पर किस प्रकार की कार्रवाई की गई :

2. दुर्घटना/घटना की विशिष्टियाँ :

(क) दुर्घटना घटित होने का समय, पालि एवं तिथि :

(ख) दुर्घटना/घटना का वर्गीकरण (**)

(ग) दुर्घटना/घटना का कारण एवं परिस्थिति का वर्णन ।

तेल खान विनियम, 2011

(यदि कारण का पता नहीं है तो सूचना यथाशीघ्र भेजी जाए).

3. क्षति का विस्तार और प्रकृति

स्थापना के अन्तर्गत	स्थापना के बाहर
(i) व्यक्तियों की संख्या ---- --- दुर्घटना/घटना का प्रदर्शन --- $\frac{000}{000}$ --- गंभीर रूप से घायल --- गैस द्वारा प्रभावित	
(ii) क्षतिग्रस्त वस्तुओं का विवरण	
(iii) बतायें खतरा अभी भी कायम है / अब डर नहीं है :	

4. चोट का विवरण आदि

व्यक्ति का नाम (बड़े अक्षरों में)	नियोजन की प्रकृति	आयु	लिंग	चोट की प्रकृति अगर प्राणघातक है तो मृत्यु का कारण
--------------------------------------	-------------------	-----	------	---

000:

- 1.
- 2.
- 3.

घायल:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.

5. भविष्य हेतु उठाई गई सावधानियाँ: -

(क) घटित दुर्घटना के प्रभाव को कम करने हेतु -

(i) कम समय में,

(ii) लघु या लम्बे समय तक

(ख) इस प्रकार के दुर्घटना से सावधानी के लिए उठाए गए कदम

6. कोई अन्य विश्वसनीय सूचना

तेल खान विनियम, 2011

प्रत्येक व्यक्ति के मृत्यु या घायल का विवरण 05 में भरकर एक सप्ताह के अन्दर अग्रेसित किया जाए।

भव दी य,

हस्ताक्षर :

पदनाम : आ०/अभिकर्ता /प्रबंधक

तारीख :

अनुदेश :

1. (क) ज्वलनशील गैर और/या कोयले की धूल का ज्वलन और विस्फोट...

(ख) 200 + 0.1...

(ग) आग लगाना।

2. खतरनाक पेट्रोलियम का निस्तरण।

3. वेधन में/वर्क ओरिंग।

4. गैस के द्वारा घुटन

5. विस्फोटक

6. मशीनरी

7. 200

8. प्रकीर्ण

आवश्यकतानुसार अलग से शीट संलग्न करें।

(b) 05 के बाद निम्नलिखित प्ररूप अंतः स्थापित किया जाएगा...

धारा 4 -ख

(विनियम 9 देखें)

क्षतिग्रस्त व्यक्ति की विशिष्टियाँ

(खान में हुई किसी दुर्घटना में मारे गए या घायल हुए प्रत्येक व्यक्ति की बावत विशिष्टियाँ अलग-अलग दी
•<)

1. सामान्य :

(i) खान का नाम :

(ii) क्षेत्र :

(iii) राज्य :

(iv) राज्य :

2. घायल कामगार का नाम :

3. दुर्घटना का समय :

(i) तारीख :

(ii) समय :

(iii) स्थान :

(iv) खान प्रतिदिन कितनी पालियों में काम किया जाता है :

(v) दुर्घटना के दिन कामगार ने किस समय काम शुरू किया :

4. कामगार का उपजीविका और अनुभव :

(i) दुर्घटना के समय वह किस प्रकार का काम कर रहा था, उसका उल्लेख करें :

.....

(ii) क्या वह उसकी नियमित उपजीविका ? :

(क) यदि हाँ तो इस बात का उल्लेख करें कि आपकी खान से उपजीविका में उसका कितना अनुभव था :

.....

(ख) यदि नहीं तो बताए कि इस कार्य पर कितने दिनों से नियोजित है :

(iii) कुल अनुभव खनन कोयला/गैर-कोयला,

(iv) खनन कार्य में अनुभव का विवरण दीजिए :

5. दुर्घटना का स्थान :

6. क्षति की प्रकृति :

(i) यह लिखिए कि क्या अस्थिभंग, अंगोच्छेदन, विषारण हुआ है, खरोंच या मोच आई है, कुचलने से क्षति
आई है या कुछ और हुआ है :

(ii) शरीर का वह भाग जिसे क्षति हुई है (सही - लिखा जाए) :

तेल खान विनियम, 2011

7. निःशक्तता कहाँ तक हुई है :

- (i) यदि प्राणघातक है तो मृत्यु की तारीख और समय :
- (ii) यदि स्थायी रूप से निःशक्तता हुई है तो विनिर्दिष्ट कीजिए :-
- (क) यदि शरीर को/के कोई भाग नष्ट हो गया है /गए हैं तो वह विनिर्दिष्ट कीजिए :
.....
- (ख) यदि शरीर का/के कोई भाग बेकार हो गया है/गए हैं तो उसका/उनके नाम :
- (ग) क्या निःशक्तता पूर्ण था या आंशिक :
- (iii) यदि अस्थायी रूप से निःशक्तता हुई है तो कितने दिन तक बेकार रहना पड़ा :

8. दुर्घटना का उत्तरदायित्व :

- (i) क्या किसी या किन्हीं सुरक्षा व्यवस्था का उल्लंघन किया गया :
- (ii) यदि हुआ था तो किसके द्वारा :
- (iii) अपराधी के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई ? :
- (iv) क्या दुर्घटना को रोका जा सकता था ? :
- (v) यदि हाँ तो कैसे ?

हस्ताक्षर :

पदनाम : /अभिकर्ता /प्रबंधक

तारीख :

तेल खान विनियम, 2011

प्ररूप 4 ग

(विनियम 9 देखें)

घायल व्यक्ति की विशिष्टियाँ, जो काम पर वापस आ गया है।

(प्रत्येक व्यक्ति की बाबत, उसके काम पर वापस आने के 15 दिन के भीतर विशिष्टियाँ अलग-अलग दी जाएँ)

1. सामान्य :

(i) खान का नाम :

(ii) आयु :

(iii) पता :

(iv) राज्य :

2. दुर्घटना की तारीख :

3. घायल कामगार /व्यक्ति का नाम :

4. ड्यूटी पर वापस आना :

(i) काम पर वापस आने की तारीख :

(ii) क्या नियमित काम पर वापस आया है या किसी अन्य काम पर (स्पष्ट किया जाए) :
.....

5. क्षतिपूर्ति:

यदि कोई क्षतिपूर्ति दिया गया है या दिया जाना है तो उसकी रकम :

हस्ताक्षर :

पदनाम : आयुक्त/अभिकर्ता/प्रबंधक

तारीख :

70105

(विनियम 10 देखें)

धारा 25 के अधीन अधिसूचित रोग की सूचना

प्रेषक:

.....
.....

आपको,

1. मुख्य खान निरीक्षक, धनबाद - 826001 .
2. क्षेत्रीय खान निरीक्षक, क्षेत्र
3. जिला मजिस्ट्रेट/जिला कलक्टर
4.

महोदय,

..... (मालिक) की खान में नियोजित व्यक्ति को लग गई किसी उपजीविका रोग के बारे में निम्नलिखित प्रविष्टियाँ देनी है ।

1. खान आदि की विशिष्टियाँ :

(i) खान की :

ग्राम :

डाकघर :

पुलिस थाना :

..... :

राज्य :

(ii) नाम व डाक पता :

2. प्रभावित व्यक्ति की विशिष्टियाँ :

(i) नाम (बड़े अक्षरों में) :

(ii) स्थायी पता :

ग्राम :

डाकघर :

पुलिस थाना :

..... :

राज्य :

(iii) लिंग :

(iv) जन्म की तारीख (या आयु) :

(v) उपजीविका :

(vi) कितने समय से काम पर है ? :

(vii) नियोजन के प्रारम्भ की तारीख :

तेल खान विनियम, 2011

(क) इस खान में :

(ख) पेट्रोलियम उद्योग में :

3. रोग आदि की विशिष्टियाँ:

(i) जिस रोग से व्यक्ति ग्रस्त है, उसकी प्रकृति (यह लिखिए की रोग किस चरण में हैं)

(ii) रोग का पता चलने की तारीख :

(iii) जिस चिकित्सक, व्यवसायी को रोग का संदेह हुआ है, उसका नाम,
रजिस्ट्रीकरण संख्या और 0000

हस्ताक्षर :

पदनाम : 0000/अभिकर्ता /प्रबंधक

तारीख :

११०-6

(विनियम 80 देखें)

ग्रुप गैदरिंग स्टेशन के बदलने या निर्माण के बारे में सूचना

प्रेषक :

.....

आपका पता,

1. मुख्य खान निरीक्षक, धनबाद - 826001.
2. क्षेत्रीय खान सुरक्षा निरीक्षक, क्षेत्र,
3. आपका पता,

महोदय,

मैं नए ग्रुप गैदरिंग स्टेशन के निर्माण/ग्रुप गैदरिंग स्टेशन में बदलाव के बारे में अपने आशय की सूचना देता हूँ और उस निमित्त निम्नलिखित विवरण देता हूँ:-

- (क) जिस ग्रुप गैदरिंग स्टेशन के तहत खान आता है उसका नाम और पता ;
- (ख) आपका नाम और पता;
- (ग) ग्रुप गैदरिंग स्टेशन के स्थान का नाम और पता;
- (घ) जिस दिन से प्रक्रिया प्रारंभ किया जाना है विद्यमान स्टेशन के मामले में उसे प्रारंभ करने की तारीख);
- (ङ) स्थल के बारे में सूचना :-
- (i) ग्रुप गैदरिंग स्टेशन का घेरा हुआ स्थल क्षेत्र ;
- (ii) उस स्थल पर अधिकतम मात्रा में पेट्रोलियम (गैस/तरल) के स्थिति की जानकारी तथा नाम;
- (iii) पेट्रोलियम के भंडारण/दोहन के बारे में इंस्टॉलेशन एवं प्रक्रिया के स्थापन का विस्तृत विवरण (बदलाव के बारे में विस्तृत विवरण);
- (iv) प्रस्तावित कार्यक्रम के लिए और व्यवसायिक सुरक्षा और स्वास्थ्य को सुनिश्चित करने तथा जाँच, रख-रखाव और छोट-छोटे सुरक्षात्मक औजारों के प्रतिस्थापन के लिए संगठनात्मक ढाँचे को स्थापित करना ;
- (v) दुर्घटनाओं के जैसे आग, विस्फोट, उपकरण के फेल हो जाने, दहनशील, कचरों आदि के जमा होने पर इनसे निपटने हेतु जानकारी आदि जैसे :-

- (i) परिसंकटमय बड़ी दुर्घटना की पहचान;
- (ii) शर्त्ते या इतनी बड़ी दुर्घटना में महत्वपूर्ण कारण बन सकती है,
- (iii) बड़ी दुर्घटना को रोकने और उसके परिणाम स्वरूप सीमित करने के लिए उठाए गए कदमों का संक्षिप्त विवरण;
- (iv) किसी बड़ी दुर्घटना ओर उसमें रहनेवाली जनसंख्या के विवरण द्वारा अनुमानित प्रभावित क्षेत्र;
- (v) स्थल पर अधिकतम व्यक्तियों के उपस्थिति होने का अनुमान एवं जिसकी संख्या का प्रदर्शन किया जा सके;

(ज) स्थल पर कार्यरत लोगों के प्रशिक्षण की व्यवस्था, उनकी सुरक्षा को सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक उपकरण की उपलब्धता;

(क) क्षेत्र में आपातकाल के दौरान कार्यस्थल पर लोगों को जोखिम की प्रकृति और उठाए जानेवाले कदमों के बारे में उपलब्ध कराये जाने वाली सूचना ;

(ख) कोई अन्य संबंधित सूचना :

हस्ताक्षर :

पदनाम : आपका पता / अभिकर्ता / प्रबंधक

तारीख :

तेल खान विनियम, 2011

007-7
(विनियम 80 देखें)
सुरक्षा x, 0000

प्रेषक :

.....
.....

0000 0

1. मुख्य खान निरीक्षक , धनबाद - 826001.
2. क्षेत्रीय खान सुरक्षा निरीक्षक, क्षेत्र,
3. x, 0000 0, 000000,

महोदय,

0, ग्रुप गैदरिंग स्टेशन ,.....के बारे में निम्नलिखित विवरण देता हूँ :-

1. नाम तथा पता :-

(क) खान :

(ख) 0000 00 :

(ग) ग्रुप गैदरिंग स्टेशन .:

2. स्थापित किए गए का विवरण, अर्थात

(क) 000000 :

(ख) निर्माण रूपांकन :

(ग) परिसंकटमय दुर्घटना क्षेत्र की पहचान तथा सुरक्षा दूरी :

(घ) प्लान्ट की सुगमता :

(') परिसंकटमय दुर्घटना क्षेत्र में अधिकतम कार्य करने वाले व्यक्तियों की संख्या :

3. प्रक्रिया का विवरण, † 00000

(क) कार्य-कलाप का तकनीकी उद्देश्य

(ख) तकनीकी प्रक्रिया का आधारभूत सिद्धान्त

(ग) व्यष्टिक प्रक्रिया स्तर के लिये प्रक्रिया एवं सुरक्षा संबंधित डाटा

(घ) प्रक्रिया का वर्णन

(ङ) सुरक्षा से संबंधित उपयोगिता का प्रकार

4. परिसंकटमय पदार्थ का विवरण † 00000

(क) मात्रा, पदार्थ डाटा, सुरक्षा से संबंधित डाटा, † † 0000000000 >0000 00000 देहली मूल्य...

(ख) किस परिस्थिति में परिसंकटमय पदार्थ पाया जाता है या किस रूप में सामान्य से अलग अवस्था में इसका रूपान्तरण किया जा सकता है।

(ग) परिसंकटमय पदार्थ की गुणवत्ता का 0000,...

5. प्रारंभिक परिसंकटमय विश्लेषण सूचना, †

- (क) दुर्घटना का प्रकार
- (ख) बड़ी दुर्घटना में परिणत होने के कारक
- (ग) परिसंकटमय
- (घ) सुरक्षा से संबंधित अवयव

6. सुरक्षा से संबंधित यूनिट का विवरण, अन्य में से

- (क) डिजाईन
- (ख) नियंत्रण एवं चेतावनी
- (ग) विशेष राहत प्रणाली
- (घ) त्वरित कार्य करने वाला वाल्व
- (ङ) संग्रहण कूड़े के ढेर का
- (च) छिड़काव प्रणाली
- (छ) ग्नि शामक, आदि

7. परिसंकटमय मूल्यांकन सूचना, †

- (क) परिसंकटमय की पहचान
- (ख) बड़ी दुर्घटना का कारण
- (ग) परिसंकटमय के बार-बार घटित होने के समय अन्तराल का मूल्यांकन
- (घ) परिणाम का मूल्यांकन
- (ङ) सुरक्षा प्रणाली
- (च) दुर्घटना के इतिहास के बारे में जानकारी.

8. सुरक्षा क्रिया कलाप के प्रयोग के मामले में संस्थागत प्रणाली पर सूचना का विवरण, †

- (क) रख-रखाव निरीक्षण समय सारणी
- (ख) कार्मिकों के प्रशिक्षण से संबंधित दिशा-निर्देश
- (ग) प्लान्ट की सुरक्षा हेतु आवंटन और प्रत्यायोजित कार्य
- (घ) सुरक्षा प्रक्रिया का कार्यान्वयन।

9. बड़ी दुर्घटना परिणाम के निर्धारण पर सूचना, †

- (क) पेट्रोलियम के संभावित बहाव का निर्धारण
- (ख) विसर्जन किए गए पेट्रोलियम के फैलने की संभावना
- (ग) निर्गत किए जाने के प्रभाव का निर्धारण (प्रभावित क्षेत्र का प्रकार, स्वास्थ्य पर प्रभाव, संपत्ति का नुकसान).

10. बड़ी दुर्घटना को कम करने सूचना, †

- (क) अग्नि-शमन
- (ख) चेतावनी प्रणाली

तेल खान विनियम, 2011

(ग) आकस्मिक दुर्घटना से लड़ने के लिए संगठन द्वारा बनाया गया अंतर्विष्ट प्रणाली की आकस्मिक योजना, चेतावनी एवं पहुँचने का रास्ता, आपातकाल में बचाव हेतु दिशा-निर्देश, परिसंकटमय पदार्थ के बारे में सूचना।

(घ) अधिकारी के समन्वय तथा आकस्मिक ऑफ साइट योजना...

(ङ) किसी दुर्घटना के घटित होने में परिसंकटमय प्रकृति और क्षेत्र की अधिसूचना...

(च) प्रतिविष प्रतिकारक, यदि कोई हो, परिसंकटमय पदार्थ के छोड़ने के घटित होने में...

11. कोई अन्य संबंधित जानकारी :

हस्ताक्षर :

पदनाम : /अभिकर्ता /प्रबंधक

तारीख :

तेल खान विनियम, 2011

तृतीय -8
(खण्डनयम 94 देखें)

विद्यमान पाइपलाइन में कोई महत्वपूर्ण बदलाव या नये पाइपलाइन बिछाने हेतु अनुमति ।

प्रेषक

.....

आंक ०,

1. मुख्य खान निरीक्षक , धनबाद - 826001.
2. क्षेत्रीय खान निरीक्षक, क्षेत्र,
3. खण्डनयम 94 देखें ,

महोदय,

मैं पाइप लाईन बिछाने पाइप लाइन में महत्वपूर्ण बदलाव करने (क) के लिए अनुमति हेतु अपना त्रुटि जमा कर रहा हूँ, और उस निमति निम्नलिखित विवरण देता हूँ :-

- (क) खान का नाम और पता जहाँ पाइप लाईन स्थित है :
- (ख) आंक 00 का नाम और पता :
- (ग) पाइप लाइन के प्रारंभ तथा जहाँ तक जाती है के पूरा डाक का पता तथा उन स्थान का भी विवरण जहाँ से पाइप लाईन में कार्यवाही को नियंत्रित किया जाता है :
- (घ) प्रस्तावित पाइप लाईन बिछाने/निर्माण से संबंधित विवरण जिसमें सभी सहायक काग़्र और उपकरण आंक 000 ए :
- (ङ) पाइप का व्यास तथा कुल लम्बाई और पेट्रोलियम गैस तथा तरल अधिकतम जमा रखने की मात्रा जिसे किसी भी समय तथा किसी भी दिन परिवहित किया जा सकता है :
- (च) समान्य परिचालन दबाव किस दबाव तक कार्य हेतु पाइप लाईन का डिजाईन किया गया है :
- (छ) अनुमानित तारीख और पाइपलाईन क्रियाकलाप आरंभ की योजना :
- (ज) प्रस्तावित कार्य कलाप हेतु संगठनात्मक संरचना तथा व्यवसायिक सुरक्षा को सुनिश्चित करना, रख-रखाव और पाइप लाईन और सुरक्षा उपकरण पेट्रोलिंग भी सम्मिलित है :
- (i) आंक 000 उपबंध बनाए गए हैं या कदम उठाये गए हैं :
- (ii) पाइप लाईन से तरल के अनियंत्रित बहने के क्रम में बचाव के उपाय :
- (iii) आग या विस्फोट या बड़े पेट्रोलियम उत्सर्जन का निवारण और नियंत्रण ओर इसके सीमित करने के परिणाम :
- (iv) आंक 00 पर कार्य करने वाले व्यक्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु अपेक्षित सूचना, प्रशिक्षण एवं उपकरण उपलब्ध कराना, त्रुटि :
- (v) अपतट क्षेत्र में बड़ी आपदा से उद्भूत आपातकाल के दौरान कार्यस्थल पर लोगों को परिसंकटमय की प्रकृति और उठाए जाने वाले कदमों के बारे में उपलब्ध कराए जानेवाली सूचना :
- (i) कोई अन्य आंक 000 सूचना :

हस्ताक्षर :

पदनाम : आंक 00/अभिकर्ता /प्रबंधक

तारीख :

तेल खान विनियम, 2011

द्वितीय अनुसूची
(विनियम 107देखें)

ताप संकर्म के लिए ताप
संकर्म अनुना पत्र/परिरुद स्थान के
को $\times \times \times < \times \times \times \times \times \times \times$

क्रम संख्या _____

खान का नाम :

इंस्टॉलेशन का नाम :

कार्य निकासी $\times \times \times$ _____ '000, तारीख $\times \times \times$ _____ '000, तारीख _____ •020
तक नवीकरण में बदल नहीं जाता के लिए वैध
को •00,8 किया गया (विभाग / अनुभाग / ठेकेदार) _____

कार्य का वास्तविक $\times \times \times \times \times \times$ (क्षेत्र / यूनिट / उपष्कर संख्या आदि.) _____

कार्य का विवरण :

$\times \times \times \times \times \times \times \times \times$ करने के पहले निम्नलिखित $\times \times \times$ को जाँच लिया जाए।

(सही खाने में (✓) चिन्हित करें, तारक (*) सहित जाँचसूची मदों को चिन्हित (X) करें प्राप्तकर्ता द्वारा अनुपालन किया जाएगा)

क्र.सं.	विवरण	किया गया	आवश्यकता नहीं	क्र. सं.	विवरण	किया गया	आवश्यकता नहीं
क.	सामान्य बिन्दु			ख.	ताप संकर्म के लिए / परिसद्ध स्थान के लिए प्रविष्टि		
1	उपकरण/निरीक्षित कार्य क्षेत्र			1	पर्याप्त संवातन तथा प्रकाश की $\times \times \times \times \times \times \times$		
2	$\times \times \times \times \times \times \times \times \times$ क्षेत्र का निरीक्षण, सफाई एवं ढकन			2	निकास की समुचित व्यवस्था / निकलने की व्यवस्था		
3	$\times \times \times$ गत नाला, मेन $\times \times \times \times \times \times \times \times \times$ ताप सतह के नजदीक ढका $\times \times \times \dots$			3	प्रक्रिया/ मेंट/ठेकेदार/ आग/सुरक्षा विभाग को उपलब्ध वैकल्पिक कार्मिक।		

तेल खान विनियम, 2011

4	अन्य संचालन से विचारणीय परिसंकटमय और जिसके लिए संबंधित व्यक्ति को चौकस किया गया।			4	उपकरण में लाईनिंग के पीछे फंसे तेल एवं गैस के लिए		
5	उपकरण / बन्द / पृथक / खुला प्लान			5*	चिनगारी से बचने के लिए		
6	उपकरण का ठीक से निष्कासन और अवनमन			6*	ढोनेवाला उपकरण नोजल को सही ढंग से भूमिगत करना।		
7	उपकरण का ठीक से वाष्पीकरण/शुद्धिकरण			7*	परिसद्ध स्थान के लिए प्रविष्टि के लिए उपलब्ध वैकल्पिक कार्मिक।		
8	जल बहाव का उपकरण						
9	आयरन सल्फाईड हटाया गया/गीला रखा गया।			ग	वाहन		
10	उपकरण विद्युतीय परमिट नम्बर टैग किया			1*	मोबाईल उपकरण पर चिनगारी एरेस्टर / वाहन उपलब्ध		
11	गैस जाँच : HCs = %LEL ऑक्सीस गैस = ppm, O ₂ = %						
12*	चलता फिरती पानी हॉज/ अग्नीरोधक की उपलब्धता/फायर प्रणाली की उपलब्धता				उत्खनन कार्य के लिए		
13*	एरिया कॉरडोनेड एवं सावधानी टेग / बोर्डस की			1	उत्खनन / सड़क कटाई/संबंधित विभाग से नहर कटाई के लिए निकासी प्राप्त की जाए।		

टिप्पणी :

1. अनुमानित अवशिष्ट परिसंकटमय क्रिया कलाप निम्नलिखित है (संबंधित मद को ठीक करें):
ऑक्सीजन के कमी के कारण/ H₂S, ऑक्सीक गैस / ज्वलनशील गैस / पायरोफेरिक आयरन / क्रोसिव रसायन / वाष्प - कॉनडेनसेट / अन्य।
2. मानक पीपीईएस के अतिरिक्त निम्नलिखित पीपीईएस को उपयोग में लाया जाए (हेलमेट, सुरक्षा जूता, दस्ताना, ब्यायलर सूट): चेहरे का कवच / एप्रोन/ काला चश्मा / धूल रोधक / शुद्ध हवा मास्क / जीवन रेखा / सुरक्षा बेल्ट / एयर लाईन / ईयरमफ आदि।
3. अतिरिक्त सवाधानी, यदि कोई हो : _____

तेल खान विनियम, 2011

•00, B करने वाले का नाम तथा पदनाम	•00, B करने वाले का हस्ताक्षर	प्राप्त करने वाले का नाम तथा पदनाम	प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर

निष्कासन नवीकरण

तारीख	समय		HC's, O2, टॉक्सीक के लिए गैस जाँच की मान	अतिरिक्त सावधानी यदि कोई हो, अन्यथा -शून्य- लिखें	•00, B करने वाले का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर	प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम एवं हस्ताक्षर
	आ	तक				

वर्क परमिट को बन्द करना

प्राप्तकर्ता: प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य पूरा कर लिया गया / कार्य बन्द कर परिसर साफ कर दिया गया।			•00, Bकर्ता : कार्य पूरा हो गया इसे जाँच लिया गया, परिसर साफ कर लिया गया तथा किसी भी प्रकार के परिसंकटमय से सुरक्षा... A...		
तारीख 10/ समय	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर	तारीख 10/ समय	नाम एवं पदनाम	हस्ताक्षर

सामान्य अनुदेश :

1. वर्क परमिट को सावधानीपूर्वक स्पष्ट अक्षरों में भरते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी सेक्सनों/उप सेक्सनों से संबंधित सूचनाएँ दी गई हैं तथा कोई भी कॉलम खाली नहीं है। संवाद विहिनता को ध्यान में रखते हुए स्केच की व्यवस्था की जाए।
2. संभावित जोखिम का सावधानीपूर्वक विश्लेषण करते हुए कार्य प्रारंभ होने के पूर्व समुचित सुरक्षा तथा सुरक्षात्मक उपकरणों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाए।
3. आग के मामले में घंटी/सायरन के बजते ही सभी कार्य को रोक दिया जाए।
4. कार्य क्षेत्र में केवल अभिप्रमाणित वाहन/इंजन तथा स्वीकृति प्राप्त विद्युतीय उपकरण एवं औजार की अनुमति।
5. वेल्डिंग मशीन गैर-परिसंकटमय तथा हवायुक्त स्थान पर रखी जाए।
6. जब तक विस्फोटक मीटर रिडिंग जीरो ना हो, तब तक ताप संकर्म की अनु-गा न दी जाए...
7. जब कोई व्यक्ति परिरुद्ध स्थान में प्रवेश करता है, तो प्राप्तकर्ता मेन होल या प्रवेश बिन्दु पर कम से कम दो वैकल्पिक व्यक्तियों को जरूर तैनात करे।
8. किसी जहाज (vessel) के मेन होल को ढकते समय यह सुनिश्चित करने की जहाज के अन्दर कोई आदमी या वस्तु नहीं है।

तेल खान विनियम, 2011

9. कार्य निष्कासन के नवीकरण के लिए, जारीकर्ता यह सुनिश्चित करते कि कार्य जारी रखने के लिए स्थिति संतोषप्रद है। अगर शर्तों में बदलाव की जाती है तो ये आवश्यक होगा कि नया परमिट •००,८ किया जाए या वर्तमान परमिट में संशोधन किया •००<...
10. यह अनुमति उसी परमिट ०॥ अधिकतम सात कलेण्डर दिन ०॥क नवीकरण बढ़ाई जा सकती है।
11. यह परमिट कार्यस्थल पर सदैव उपलब्ध रहना चाहिए।
12. कार्य समाप्ति के बाद परमिट को बन्द करते हुए अभिलेख के रूप में रखा जाए।
13. उद्योग अपने संचालन और रख-रखाव कार्य के आधार पर अन्य संबंधित अनुदेश को जोड़ सकता है।

तेल खान विनियम, 2011

तृतीय अनुसूची
(विनियम 108 देखें)
शीतता संकर्म ०, * ०

क्रम संख्या. _____

खान का नाम :

अधिष्ठापन का नाम:

कार्य निकासी ०० _____ ०००, तारीख _____ ०० _____ ००० तारीख _____ को
•००,० किया गया (जबतक नवीकरण में बदल नहीं जाना के लिए वैध)

•००,० : (विभाग / अनुभाग/ ठेकेदार) _____

कार्य का वास्तविक ००० (क्षेत्र/ यूनिट / उपकरण ००. †०) _____

कार्य का विवरण :

०, * ० •०,० करने के पहले निम्नलिखित ०० को जाँच लिया जाए।

(सही खाने में √ करें, तारक (*) सहित जाँच सूची मदों को चिन्हित करें, प्राप्तकर्ता द्वारा अनुपालन किया जाएगा।)

क्रम ००.	०	किया गया	†० यकता नहीं.	क्रम ००.	०	किया गया	आवश् कता नहीं.
1	उपकरण / निरीक्षित कार्य क्षेत्र			6	जल बहाव की उपकरण		
2	००,० †०, ०० × ०, ० ० †० क्षेत्र की •००, ०० ± ० † < ० ढकना			7	उपकरण का ठीक ढंग से वाष्पिकरण / शुद्धिकरण		
3	उपकरण × ०० ० † ० / * ० ० ० / बन्द / पृथक / खुला प्लान			8	प्रयाप्त संवातन एवं प्रकाश की व्यवस्था		
4	उपकरण का ठीक से निष्कासन और अवनमन			9*	एरिया कोरडोनेड ऑफ / एवं चेतावनी बोर्ड/टैग की ^ ० ० ० ० ० ० ० ० ०		
5	उपकरण विद्युतीय, आईसोलेटेड तथा टैग परमिट संख्या. ----- -----			10	गैस जाँच: HCs / टॉक्सीस † ० HCs = % LEL टॉक्सीक गैस = ppm		

तेल खान विनियम, 2011

टिप्पणी :

1. अनुमानित अवशिष्ट परिसंकटमय क्रियाकलाप निम्नलिखित है (संबंधित मद को $\sqrt{\quad}$ करें) ऑक्सीजन के कमी के कारण/H₂s टॉक्सीस गैस / •••••नशील गैस / पायरोफेरिक आयरण / कैरेस्टीम केमिकल्स / •••••-कौडेन्सूड / अन्य _____
2. मानक PPE के अतिरिक्त निम्नलिखित अतिरिक्त PPE का प्रयोग (हेलमेट, सुरक्षा जूता, दस्ताना, ब्यायलर •••••): चेहने का कवच / एप्रॉन / काला चश्मा / ••••• रोधी / शुद्ध हवा मास्क / जीवन रेखा / सुरक्षा बेल्ट / एयर लाईन / ईयरमफ आदि.
3. अतिरिक्त सावधानी, यदि कोई हो : _____

••••• करने वाले का नाम और पदनाम	•••••कर्ता का हस्ताक्षर	प्राप्तकर्ता का नाम और पदनाम	प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर

वर्क परमिट को समाप्त करना:

प्राप्तकर्ता : प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित कार्य पूरा कर लिया गया / कार्य बन्द कर परिसर साफ कर दिया गया ।			•••••कर्ता : कार्य पूरा हो गया इसे जाँच लिया गया । परिसर साफ कर दिया गया तथा किसी भी प्रकार का जोखिम से सुरक्षित है ।		
तारीख $\langle \mathbb{N} \rangle$ समय	नाम और पदनाम	हस्ताक्षर	तारीख $\langle \mathbb{N} \rangle$ समय	नाम और पदनाम	हस्ताक्षर

निष्कासन नवीकरण :

तारीख	समय		अतिरिक्त सावधानी यदि कोई हो अन्यथा -शून्य - लिखें	•••••कर्ता का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर	प्राप्तकर्ता का नाम, पदनाम और हस्ताक्षर
	AO	तक			

सामान्य अनुदेश :

1. वर्क परमिट को सावधानी पूर्वक स्पष्ट अक्षरों में भरते हुए ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी सेक्सनों/उप-सेक्सनों से संबंधित सूचनाएँ दी गई है तथा कोई भी कॉलम खाली नहीं है। संवाद विहितता को ध्यान में रखते हुए स्केच की व्यवस्था की जाए ।
2. संभावित जोखिम का सावधानी पूर्वक विश्लेषण करते हुए कार्य प्रारम्भ होने के पूर्व समुचित सुरक्षा तथा सुरक्षात्मक उपकरणों की उपलब्धता को ध्यान में रखा जाए ।

तेल खान विनियम, 2011

3. यथास्थान तैनाती की आवश्यकता हेतु प्रक्रिया/रख रखाव/टेकेदार/आग/सुरक्षा आदि से वैकल्पिक कार्मिको की आवश्यकता यदि कोई अतिरिक्त आवश्यकता उल्लिखित की गई हो...
 4. आग के मामले में घंटी/सायरन के बजते ही सभी कार्य को रोक दिया जाए।
 5. कार्य निष्काषन के नवीकरण के लिए, जारीकर्ता यह सुनिश्चित कर लें कि कार्य जारी रखने के लिए स्थिति संतोषप्रद है। अगर शर्तों में बदलाव की जाती है तो ये आवश्यक होगा कि नया परमिट निर्गत किया जाए या वर्तमान परमिट में संशोधन किया जाए...
 6. यह अनुमति उसी परमिट अधिकतम सात कलेन्डर दिन तक नवीकरण बढ़ायी जा सकती है।
 7. यह परमिट कार्य स्थल पर सदैव मौजूद रहना चाहिए।
 8. कार्य समाप्ति के बाद परमिट बंद कर दिया जाए।
- उद्योग अपने चालन एवं रख-रखाव कार्य के आधार पर अन्य संबंधित अनुदेश जोड़ सकता है।

(फाइल संख्या S-66012/01/2008-ISH.II)।

(ए. सी. पाण्डे)
भारत सरकार के संयुक्त सचिव

विषय-सूची

अध्याय	पृष्ठ
1. प्रारंभिक	1
2. विवरण, सूचनाएँ तथा प्लान (नक्शा)	8
3. परीक्षा तथा सक्षमता एवं स्वस्थता प्रमाण-पत्र	12
4. निरीक्षक, प्रबंधन तथा कर्तव्य	19
5. ड्रिलिंग एवं वर्कओवर	31
6. उत्पादन	42
7. पाईपलाईन से परिवहन	50
8. सुदूरतटीय सुरक्षा जोन	53
9. गैस आग एवं सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के प्रति बचाव (सुरक्षा)	54
10. किनारे स्थापित संयंत्र का प्रबंधन	60
11. मशीन संयंत्र तथा उपकरण	68
12. साधारण/सामान्य सुरक्षा प्रावधान (जेनरल सेफ्टी प्रोविजन)	73
13. सुरक्षा-सूची	78
प्रथम अनुसूची (फार्म न.1से 8)	81
द्वितीय अनुसूची	111
तृतीय अनुसूची	115

(भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशनार्थ)

श्रम और रोजगार मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, तारीख , 2011

सा. का. नि..... (अ) कतिपय विनियमों का प्रारूप केन्द्रीय सरकार ने खान अधिनियम, 1952 (1952 का 35) की धारा 12 के अधीन गठित समिति की सिफारिशों पर, उक्त अधिनियम की धारा 57 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, तेल खान विनियम, 1984 को उन बातों के सिवाय अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उक्त अधिनियम की धारा 58 की उप-धारा (1) की अपेक्षानुसार उन सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना है, प्रकाशित किया जाता है और यह सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप विनियमों पर उस तारीख से जिसको भारत के उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की जाती है, जनता को उपलब्ध करा दी जाती है, तीन मास अवधि की समाप्ति के पश्चात् विचार किया जाएगा ;

1. आक्षेप और सु-भाव, यदि कोई हो, श्री एस.के. सिंह, अवर सचिव, भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली -110001 को भेजे जा सकेंगे ;
2. ऐसे किन्हीं आक्षेपों और सु-भावों पर विनिर्दिष्ट अवधि के समाप्त होने से पूर्व उक्त प्रारूप विनियमों की बाबत किसी व्यक्ति से प्राप्त होंगे, केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप विनियम

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और लागू होना
(1) इन विनियमों का संक्षिप्त नाम तेल खान विनियम, 2011 है।